(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 ] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का चौदहवां दिवस [ संख्या 11



सोमवार,

दिनांक 13 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न। श्री रामकृष्ण दास।

### बीकानेर के चिकित्सालय में बैड्स की संख्या

**174. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर के प्रमुख सरकारी चिकित्सालय में कुल कितने बैड्स स्वीकृत हैं तथा कितने बैड्स अतिरिक्त काम में लाये जा रहे हैं ? क्या राज्य सरकार इस चिकित्सालय में बैड्स की स्वीकृत संख्या बढ़ाने पर कोई विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : बीकानेर में पी. बी. एम. चिकित्सालय में 1222 बैड स्वीकृत हैं। इनके अलावा कोई अतिरिक्त बैड्स नियमित रूप से काम में नहीं लाये जा रहे हैं किन्तु किसी किसी यूनिट में यदा कदा अधिक रोगियों के भर्ती होने पर अतिरिक्त शैय्याएं डालना आवश्यक हो जाता है। अतिरिक्त शैय्याएं बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अभी भी आप चिकित्सा मंत्री हैं क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज तो हूं ही।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आबादी के अनुपात में बैड्स फिक्स किये गये हैं या आर्बिट्रेरी फिक्स किए गए हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : छठी पंचवर्षीय योजना के प्रायोरिटी पत्र में यह प्रस्ताव किया गया है कि एक हजार लोगों पर एक शैय्या पूरे जिले के हिसाब से निर्धारित की जाए। इसमें यह तय किया गया है कि 40 प्रतिशत शैय्यायें विशेषज्ञ सेवाओं के लिए रखी जायेंगी जिसके आधे पलंग जिला स्तर पर और आधे पलंग दूसरे उप जिला मुख्यालय स्तर पर रखने की व्यवस्था की गई है। इसके दो प्रयोजन हैं, एक तो शहरों में भीड़ कम रहे, और दूसरे रूरल पापूलेशन को

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
भी ठीक रूप से निकट ही चिकित्सा उपलब्ध हो सके। इसी दृष्टि से विचार करके शैय्यायें रखी गई हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जो अस्पताल मेडिकल कालेजेज से अटेच्ड हैं उसके कारण दूर-दूर से वहां मरीज आते हैं। इसको देखते हुए क्या शैय्याओं की संख्या बढ़ाई जाएगी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसी प्रकार का हिसाब मेडिकल कालेजेज में रखा है, किन्तु मेडिकल कालेजों में शैय्याओं की संख्या बाकी जिला स्थानों से अधिक है। उदाहरण के लिए राजस्थान में जो 6 डिवीजनल केन्द्र हैं, 5 जगह तो मेडिकल कालेज हैं उनमें से जयपुर में 1762, बीकानेर में 1222, जोधपुर में 1226, उदयपुर में 1060, अजमेर में 818 हैं। इनके अलावा कोटा में भी उतना ही बड़ा डिवीजनल केन्द्र है। वहां केवल 350 शैय्यायें थीं, इस बजट में 500 शैय्याओं का वहां प्रावधान किया गया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : बीकानेर अस्पताल में कितने बैड्स एवरेज खाली रहते हैं ?

(विराम)

वहां जितने बैड्स हैं उससे अधिक भीड़ रहती है। कम होने के कारण डाक्टरों की धांधलेबाजी चल रही है। जो डाक्टरों को घर पर फीस देते हैं वे भर्ती हो जाते हैं, उनको स्थान मिल पाता है और गरीब लोग, जो डाक्टरों को फीस नहीं दे पाते, वे भर्ती होने से वंचित रह जाते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : एक हजार के पीछे एक बैड, यह लोक कल्याणकारी राज है।

(व्यवधान)

हमारे झालावाड़ जिले में पिड़ावा में बैड्स ही नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा सवाल रह गया। मेरा कहना है कि बीकानेर में जो बैड्स स्वीकृत किए हुए हैं उनमें से एवरेज कितने खाली रहते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिस समय सीजन होता है बीमारी का उस समय ज्यादा मरीज आते हैं इसलिये अतिरिक्त शैय्याएं लगानी होती हैं। जिस समय आफ सीजन होता है उस समय शैय्याएं खाली भी रहती हैं। इस समय मेरे पास आप द्वारा चाही गई जानकारी नहीं है। जब वहां मैं प्रवास के लिए गया था उस समय कई शैय्याएं खाली थीं। ऐसा समय भी आता है जब अतिरिक्त शैय्याएं लगानी होती हैं। शैय्याओं का ठीक उपयोग हो, इसके लिए योजना बनाई गई थी।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : कौनसा आफ सीजन होता और कौनसा बीमारी का सीजन ?

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब इन बैड्स की संख्या एक हजार की जनसंख्या पर एक निर्धारित की जाती है तो पर्टीक्यूलर

# Page No. 3

(3)



(श्री माधोसिंह कछवाह)
अस्पताल के लिए बैड्स की संख्या निर्धारित करने के लिए कौन से क्षेत्र की पापूलेशन को इन्क्लूड करेंगे, शहर की या उसके आस-पास की पापूलेशन ?

**श्री उपाध्यक्ष** : जिले की पापूलेशन के अनुपात में होगा।

**श्री माधोसिंह कछवाह** : जैसे जोधपुर है, वहां 10–10, 20–20 मील दूर से मरीज आते हैं, तो पापूलेशन किस जुरिस्डिक्शन से तय करते हैं, जिला स्तर से··

**श्री उपाध्यक्ष** : डिस्ट्रिक्ट की पापूलेशन।

**श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)** : ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में अभी तक कोई बैड्स की व्यवस्था नहीं है, है तो केवल 2-2, 4–4 बैड्स की व्यवस्था ही है। क्या उनको भी बढ़ाने का विचार है ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : इस प्रश्न से संबंध नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

**राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से अस्पताल की व्यवस्था**

175. **श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के किन किन नगरों में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाये गये हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर पेश करने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए कम से कम जिला स्तर और मुख्य नगरों में अलग अलग अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जयपुर नगर में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाने की योजना है ? जयपुर में निर्माणाधीन महिला अस्पताल क्या जयपुर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा ? यदि नहीं, तो इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)** : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होगा।

(3) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। जयपुर में वर्तमान जनाना अस्पताल के भवन आदि के हस्तान्तरण की कार्यवाही चूंकि अभी नहीं हुई है, अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

*(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है 'जी नहीं, ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा', पिछली राज्य सरकार ने भी घोषणा की थी कि जयपुर में जो वर्तमान जनाना अस्पताल

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

है उसे जिला अस्पताल बनाया जाएगा और जो नया अस्पताल बनाया जा रहा है एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के पास उसको महिला अस्पताल बनाया जाएगा। जो नया अस्पताल बन रहा है उसमें केवल 150 बैड्स की संख्या होगी और जो वर्तमान जनाना अस्पताल है उसमें 350 बैड्स वैसे ही हैं और 100 बैड्स और डाले जाते हैं, कुल 450 हैं। तो क्या जिला अस्पताल बन जाने से जयपुर में महिला अस्पताल की कमी की पूर्ति हो जाएगी ?

प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा, "इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ?" पिछली राज्य सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की है और विचाराधीन है तभी तो जनाना अस्पताल बिल्कुल नया एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के पास बन रहा है। इसके अलावा बच्चों का अस्पताल राज्य में कहीं पर भी नहीं। जयपुर शहर में बच्चों के लिए एस.एम. एस. अस्पताल में केवल 60 बैड्स हैं, 1976 में 29909 आउटडोर में आए, मरीजों के लिए इन्डोर में जगह नहीं थी, 3234 भर्ती हुए, 1977 में 31826 आउट डोर में आए, 3463 इन्डोर थे। बच्चों के अस्पताल का अभाव है, तो क्या उनके लिए अलग से अस्पताल जयपुर में बनाया जाएगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान जनाना अस्पताल जो जयपुर में है उसमें 239 बैड्स की व्यवस्था है और जो नया जनाना अस्पताल बन रहा है इसमें 200 बैड्स की व्यवस्था है मतलब यह है कि कुल 439 बैड्स हैं। इन दोनों अस्पतालों में महिलाओं के उपचार के लिये इन अस्पतालों को सुचारु रूप से रखने के लिये कार्यवाही की जाने का राज्य सरकार का इरादा है। जहां तक सवाल जनाना अस्पताल के शिफ्ट करने का है इसे अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। महिलाओं को सामान्य रूप से एक ही छत के नीचे सारी सुविधायें उपलब्ध हो सकें इसके लिये राज्य सरकार कोशिश तो करेगी ही पर धनाभाव के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे यह जनाना अस्पताल पुरानी स्टेट के जमाने से ही चला आ रहा है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव ने कहा कि बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था भी समुचित रूप से हो। इसके लिये तो मेरा निवेदन यह है कि जितनी अधिक से अधिक व्यवस्था वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए हो सकेगी उसे राज्य सरकार पूरा करने का प्रयत्न जरूर करेगी।

(व्यवधान)

श्री अचलाराम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोटा में महिलाओं के अस्पताल में बैड्स बढ़ाने का और बच्चों की चिकित्सा की पूरी व्यवस्था करने का...

(व्यवधान)

राज्य सरकार विचार रखती है ? आज गांवों में 10-15 सालों से जहां पर शिशु कल्याण केन्द्र चल रहे हैं वहां कई जगह पर आज भी महिला

Page No. 5



(श्री अचलाराम)

डाक्टर नहीं हैं। क्या वहां महिला डाक्टर भेजने की कोई व्यवस्था राज्य सरकार करेगी?

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 175 के खण्ड (2) के जवाब में मंत्री महोदय ने यह कहा है, "जी नहीं"। ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा।

(व्यवधान)

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन अधिकारियों से प्रश्न का जवाब बनवाते हैं उन्हें जरा जनता पार्टी का घोषणा पत्र पढ़वा दें ताकि उन्हें यह पता लग जाय कि जनता पार्टी की नीति क्या है। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि जनता पार्टी की नीति यह है कि बच्चों और महिलाओं को पूरी चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : यह सरकार तो केवल घोषणायें ही करती है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हरियाणा में चार हजार के ऊपर एक डाक्टर है और राजस्थान में दस हजार की आबादी के ऊपर भी कोई महिला डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। यह तो नीति का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रश्न का जवाब आना चाहिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं क्या यह सही है कि 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जा रहा है? और अगर इस साल बाल वर्ष मनाया जा रहा है तो राज्य सरकार बच्चों की चिकित्सा के लिये क्या अलग योजना बना रही है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा एक प्रश्न यह और है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी अपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि जयपुर में पुराने जनाना अस्पताल में 239 बैड्स हैं। अगर दूसरे नये अस्पताल में 200 बैड्स की व्यवस्था है तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार की नीति अभी से इन दो अस्पतालों को दो भागों में विभाजित करने की है। इसके अलावा आज जयपुर में जयपुर शहर के अलावा जयपुर के बाहर, सीकर, झुन्झुनूं, सवाई माधोपुर वगैरह से भी कई महिलाएं इलाज के लिये आती हैं। उनकी संख्या को देखते हुए यहां पर महिलाओं के अस्पताल में बैड्स की व्यवस्था कम है। महिलाओं के कई इमर्जेन्सी के केसेज आते हैं प्रसूति वगैरह के, उनको देखते हुए भी बैड्स की संख्या बहुत कम है। तो क्या राज्य सरकार इसको बढ़ाने का विचार रखती है? जहां तक बच्चों का सवाल है यहां पर बच्चों के लिये भी चिकित्सा व्यवस्था बिलकुल अपर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं में कौन कौन से रोग मुख्य होते हैं ?

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री हरिसिंहजी ने जो भी प्रश्न पूछे वह बहुत अच्छे पूछे हैं। जो सुझाव वह देना चाहते हैं वह ऐसे हैं जो कि चिकित्सा मन्त्रीजी को पता ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री दुलाराम : मैं तो बैठ ही जाऊंगा।

श्री बंजरगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन का सौभाग्य है कि हमारे यहां विधान सभा में क्वालिफाइड व्यक्ति चिकित्सा के मौजूद हैं। उनके बहुमूल्य सुझावों से सदन लाभान्वित हो सकता है। माननीय सदस्य के सुझावों से काफी समस्यायें सुलझ सकती हैं चिकित्सा विभाग का लेकिन मुझे खेद है कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी को पता नहीं क्या तकलीफ है कि वह उन्हें सुनने को ही तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी जो सुझाव देना चाहते हैं उन्हें सुनना चाहिये। इन्हें तो चिकित्सा मन्त्री बनाया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार चिकित्सा के बारे में अपने सुझाव राज्य सरकार को देने की कोशिश की···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हरिसिंह : मैं एक बात कह कर ही बैठूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

मैंने कई बार राज्य सरकार को मुख्यतः मुख्य मन्त्री जी को सुझाव दिये पर मेरे सुझावों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और न ही मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जवाब आते हैं। मैं जो भी सुझाव देना चाहता हूं उससे सदन को काफी लाभ हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मन्त्री जी चाहते ही नहीं हैं कि आप कोई बहुमूल्य सुझाव दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्रीमती मदनकौर।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष, मेरा नाम बोल दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती मदनकौर । मूलचन्द जी, आप विराजिये। माननीय सदस्या प्रश्न पूछ रही हैं ।

**श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा):उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के खण्ड (2) का मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया, "जी नहीं"। ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। तो मैं यह जानना चाहूंगी कि यह किस तरह से व्यावहारिक नहीं है ? क्या राज्य में महिला चिकित्सकों का प्रभाव है या बच्चों के विशेषज्ञ डाक्टरों का प्रभाव है ? क्या राज्य सरकार के पास धनाभाव है या इसमें राज्य सरकार की मंशा बाधक है ?

**श्री प्रोंकार लाल चौहान** (अटरू): उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह मानलें कि महिलायें बीमार पड़ती ही नहीं हैं ? इसका जवाब भी मन्त्री जी दे दें ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं भी एक दो प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (2) के जवाब में और (3) के जबाब में 'नहीं' कह दिया। क्या राज्य सरकार ने इसके लिये कोई सर्वे कराया है कि कितनी महिलायें जनाना अस्पताल में एडमिट हुई और कितने बच्चे अस्पताल में एडमिट हुए ? मैं यहां पर यह निवेदन…

(व्यवधान)

करना चाहूंगी, आज इन अस्पतालों में यह व्यवस्था है कि एक बैड के पास नीचे तीन तीन बिस्तर लगे हुए हैं जिन पर बीमार महिलायें पड़ी रहती हैं। कई जगहों पर एक ही बैंड पर तीन तीन बच्चे सोते रहते हैं, किसी को निमोनिया है तो किसी को टाईफाइड है। अलग अलग बीमारी हैं पर बैड्स की व्यवस्था नहीं होने से बच्चे तीन तीन की संख्या में एक ही बैंड पर पड़े रहते हैं। आप खुद चाहें तो इसकी जांच करा लें। मैं खुद चार महीनों तक अस्पताल में रही हूं। मैंने वहां पर आंखों से यह सारी व्यवस्था देखी है इसलिये मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि बच्चों के लिये और महिलाओं के लिये अलग से अधिक बैड्स की व्यवस्था की जानी चाहिये। 50 बैड्स की तो बच्चों के लिये अलग व्यवस्था होनी चाहिये और करीब 90-100 अधिक बैड्स की महिलाओं के लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी चिकित्सा मन्त्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये, बजरंग लाल जी।

(व्यवधान)

**श्री प्रोंकारलाल चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप मन्त्री महोदय से पूरा जवाब दिलवा दें।

**श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाय अगर अभी इसका उत्तर नहीं आ सकता है तो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रीजी किसी कारण से बाहर गये हुए हैं इसलिए इस प्रश्न को, मैं चाहूंगा स्थगित किया जाय और उनके आने के बाद ही इसको लिया जाय। No politics.

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता**: माननीय चिकित्सा मंत्री ही इसका जवाब दें। माननीय मंत्री महोदयजी जवाब दे रहे हैं वे इस विभाग के मंत्री नहीं होने से सही जवाब जैसा वर्तमान चिकित्सा मंत्री दे सकते हैं नहीं दे सकते···

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सूचना पटल पर रखी है उसकी इनको जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं···

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मैं बैठ जाऊंगा। इस महत्वपूर्ण सवाल को स्थगित किया जाय। आसन के प्रति सारा आदर भाव रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण सवाल को जिस तरह से उठाया जा रहा है वह सरकार के लिये वांछनीय नहीं है···

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय विद्युत् मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं··

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजिये, माननीय सदस्य।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं बैठ जाऊंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : विराजिये कृपया आप विराजिये। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप विराजिये। बार बार कहने पर भी आप नहीं बैठ रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजिये।

**श्री माधोसिंह कछवाह** : माननीय सदस्य बार बार इन्ट्रप्ट कर रहे हैं।

**कई माननीय सदस्य** : माननीय सदस्य इन्ट्रप्ट कर रहे हैं। आसन की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं कहाँ इन्ट्रप्ट कर रहा हूं। मैं तो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूं। He cannot dictate me.

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कहता हूं आप विराजिये।

**श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** : It is unparliamentary. I would be the last man to hear it.

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कह रहा हूं आप विराजिये । आसन पांवों पर है । मैं आपको जब तक परमिशन नहीं दूं इस प्रश्न पर आप नहीं बोलेंगे ।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : मैं यह पूछना चाहूंगा··

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य मैं किसी सप्लीमेन्ट्री की इजाजत नहीं देता । यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रश्न पर इतने सप्लीमेन्ट्रीज़ पूछे जायं । माननीय मंत्री महोदय जो सप्लीमेन्ट्रीज़ पूछे गये हैं उनका जवाब देंगे ।

(व्यवधान)

कोई माननीय सदस्य अब व्यवधान पैदा नहीं करेंगे । माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : बच्चों का अस्पताल जयपुर में बनायेंगे या नहीं ? बच्चों के अस्पताल की आवश्यकता है या नहीं ?

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : आप घोषणा करिये ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : बोलने तो दीजिये ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य विराजिये । क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : आप ज्यादा बोल रहे हैं । जब कि परम्परा यह रही है कि चेयर बहुत कम बोलती है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया आप सुनिये पहले ।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : यह आसन का अपमान है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं चेतावनी देता हूं कि आप आसन के प्रति संयम बरतें ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आसन इतना बोलता नहीं है और आप इतना बोलते हैं ।

**कई माननीय सदस्य** : यह आसन का अपमान है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एक बार और चेतावनी देता हूं कि आप भविष्य में आसन के प्रति संयम बरतें ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की यह परम्परा रही है, कि आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, कि आसन बहुत कम बोलता है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिये ।

**श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)** : मंत्री महोदय उत्तर देते हैं और आप बार बार खड़े होकर डिस्टर्ब करते हैं ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

**श्री दुलाराम (रायसिंह नगर)** : कोई चोरी कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)** :

(श्री कौशलकिशोर जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उपाध्यक्ष महोदय के प्रति शब्द कहे हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न काल में जो निर्धारित प्रश्न हैं वह पूछे जा सकें, उसके लिये मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो बीच में खड़े न हों।

माननीय मंत्री जी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त के अभाव में जहां तक सम्भव है हमारी यही योजना है कि हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सके। माननीय सदस्य ने कहा कि बच्चों की शय्याएं कम हैं। इस बात पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। राज्य सरकार की यह भी योजना है कि दस हजार की आबादी वाले स्थान पर प्रसूति गृह खोला जाये। राज्य सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी सब प्रकार की चिकित्सा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उपलब्ध कराई जाये।

प्रश्न संख्या 176

**श्री उपाध्यक्ष** : नैक्स्ट ! श्री खेत सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट ! श्री बजरंग लाल शर्मा।

**श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़)** : माननीय उपाध्यक्ष माननीय श्री खेत सिंह जी नहीं आये हैं, लेकिन यह सवाल बहुत इम्पार्टेंट है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

**राज्य में हरिजनों पर अत्याचार के मामले**

177. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनी पार्क, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य में 22 जून, 1977 से अब तक हरिजनों पर अत्याचार के कोई मामले हुए ? यदि हां, तो जिलेवार विगत सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। तथा मामलों में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह मंत्री (श्री सम्पतराम)** : जी हां। जिलेवार सूची मय विवरण, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूची रखी गई है, इसमें लिखा है 'ब श्रेणी' तो 'ब' के पहले 'अ' श्रेणी कहां है ? इसमें दिया हुआ है "ब श्रेणी, ऐसे अपराध जो सवर्णों द्वारा किये जाते हैं। परन्तु यह जातिगत भावना से प्रेरित नहीं होते।" इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा है, एक तो वह जो जातिगत भावना से प्रेरित हैं, उनकी सूची मंत्री

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
महोदय ने नहीं दी है, और न ही मौखिक तौर से बताया है। मेहरबानी करके उन अपराधों के बारे में बतायें जो कि जातिगत भावना से प्रेरित हुए हैं, उनकी सूची दें।

दूसरा, इसी सदन में यह घोषणा की गई है कि हरिजनों पर राजस्थान में कोई अत्याचार नहीं हुआ है, ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, जबकि सूची में, जो भी हालांकि पूरी नहीं है, 128 केसेज बताये गये हैं। तो इन दोनों बातों में से कौन सी सही है, वह घोषणा जो कि सदन में पहले की गई थी या अभी जो उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं?

**एक माननीय सदस्य :** उपाध्यक्ष महोदय!

**श्री उपाध्यक्ष :** पहले उनके सप्लीमेंट्री का उत्तर आने दीजिये। जब तक पहले एक सप्लीमेंट्री प्रश्न का उत्तर नहीं आ जाये, तब तक दूसरा सप्लीमेंट्री न पूछें।

**श्री सम्पतराम :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सूची उन्हीं केसेज की दी थी जो कि अन-टचेबिलिटी और जातिगत भावनाओं से प्रेरित केसेज हैं। प्रापर्टी के या मारपीट के केसेज में यह मानकर चलना कि उसमें जातिगत भावना ही पनप रही हो, यह बात नहीं है। जो मैंने सूची दी है, उसमें प्रत्येक केस के बारे में कि वह कहां पेन्डिंग है और कितने दिनों से पेन्डिंग है सब डिटेल्स मैंने दी है।

**श्री बजरंग लाल शर्मा :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें 'अ', 'ब', 'स' कई श्रेणियां हैं अपराधों की जो कि हरिजनों के संबन्ध में हो रहे हैं। आप देखें कि जो सूची 'ब' दी है उसमें लिखा है "ऐसे अपराध जो कि सवर्णों द्वारा किये जाते हैं परन्तु वे जातिगत भावनाओं से प्रेरित नहीं होते" मेरा प्रश्न था, 'क्या राज्य में 22 जून, 1977 से अब तक हरिजनों पर अत्याचार के कई मामले हुए? यदि हां, तो जिलेवार विगत सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें तथा उन मामलों में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई? केवल 'अ' श्रेणी के मामलों के बारे में सूची में कहा गया है। दूसरे जितने भी मामले हैं वह इस सूची में नहीं आये। या तो यह कह दें कि इसके अलावा हरिजनों पर दूसरे अत्याचार के मामलों की सूचना नहीं है और अगर अपराधों का क्लासीफिकेशन किया है तो इसका आधार क्या है? फिर यह 'ब' श्रेणी क्या है, इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डालें और बतायें। सूचना नहीं है तो स्थगित कर सकते हैं, कोई बात नहीं है।

**श्री सम्पतराम :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि हरिजनों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए? बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है। हर जिले में कितने कितने केसेस हुए हैं, किस किस नेचर के हुए हैं यह स्पष्ट इस सूची में मैंने अंकित कर दिया है। इसके साथ ही साथ यह तलाश करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन से केसेज जातिगत भावना से प्रेरित होकर हुए और कौन से नहीं हुए। वैसे आम तौर पर यह माना जाता है गरीब तबके से जमीन छीनने के और दूसरे अपराध करने के बारे में और इससे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं कि कमजोर तबके को हमेशा कमजोर तबका समझकर कोई न

# Page No. 12

(12)



(श्री सम्पतराम)
कोई न कोई अत्याचार करने की बात सोच ही लेता है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं जिसका नाम पुकारूं वही माननीय सदस्य सवाल पूछें। श्री ओंकार लाल चौहान।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक माननीय मंत्री महोदय ने नहीं बताया कि 'ब' श्रेणी क्या है? यह लिखित में दिया है और आपने स्वयं ने भी पढ़ा है, आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि यह 'ब' श्रेणी क्या है? आप कहते हैं, यह कहना मुश्किल है कि कौन से केसेज जातिगत भावना से प्रेरित हैं। हमको स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जातिगत भावना से प्रेरित नहीं हैं। यह लिखित में और कहने में इनकन्सिस्टेन्सी क्यों है? सारे हिन्दुस्तान में इसके लिए कुहराम मचा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

**श्री मदनसिंह दांता** : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल का महत्व तो तब है जब कि हर जाति की लिस्ट बनी होती। शायद राजपूतों पर अत्याचार के दो हजार केसेज हुए हों, मालियों पर अत्याचार के 3 हजार केसेज हुए हों।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जाति का प्रश्न नहीं है। यहां तो अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रश्न है। सैंकड़ों जातियां होती हैं इसलिए यहां जाति का प्रश्न नहीं है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ता जी, मैंने ओंकारलाल जी का नाम पुकारा है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : तो फिर मैं कब पूछूंगा?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं देखूंगा कि आप कितना आसन से सहयोग करते हैं।
श्री ओंकार लाल चौहान।

**श्री ओंकारलाल चौहान** : माननीय मंत्री महोदय से मैं अनटचेबिलिटी के हिसाब से और जाति के हिसाब से जानना चाहता हूं कि अनटचेबिलिटी के तहत केसेज कितने आये और उनमें राज्य सरकार की ओर से क्या क्या कार्यवाही की गई? मंत्री महोदय कृपया यह बतायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने सूचना दी है उसमें आई.पी.सी. की धारा भी लिखी है। सब में लिखा है।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : एक बात साफ नहीं हुई है कि सूची कैसी पेश की है...

**श्री उपाध्यक्ष** : चालान किया गया है या नहीं किया गया है, यह लिस्ट में स्पष्ट है, चालान किया गया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नोटिस आफिस में पहले पहुंचना चाहिए।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब टालने की कोशिश की जा रही है। मैंने पूछा था कि जातिगत भावना से प्रेरित कितने हैं और कितने नहीं हैं ? यह जानना चाहता हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह जाति वाली बात उठाई गई है तो क्या राजस्थान में जाति संघर्ष पैदा करना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री एच. एन. शर्मा : भविष्य में अत्याचार न हों हरिजनों के ऊपर इस बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : सूचना जो चाही गयी है वह पर्याप्त है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, लिखित जवाब सदन की कार्यवाही होने से पहले नोटिस आफिस में आ जाना चाहिए ताकि कोई भी माननीय सदस्य जवाब को देख सके और फिर पूरक प्रश्न कर सके। यह आप व्यवस्था करायें। नहीं तो क्या होता है कि जवाब केवल एक व्यक्ति को जाता है और दूसरे माननीय सदस्य पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाते। इसलिए प्रश्न का जवाब नोटिस आफिस में पहले भिजवाने की व्यवस्था करें।

अब मैं एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि नियमों में प्रावधान है तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाये।

श्री मूलचन्द डागा : हां नियमों में व्यवस्था है इस प्रकार की।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके लिए आज ही आदेश जारी करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या आप मुझे अवसर देंगे क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है..

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है...

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, अगर उत्तर नोटिस आफिस में नहीं रखा गया है तो मैं चाहूंगा कि हर सदस्य को इसकी सूचना मिले। मैं इसको स्थगित करता हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनका महत्व होता है तो उसकी सूचना नियमानुसार नोटिस आफिस में आ जानी चाहिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, 40 मिनट होने को आये और केवल 3 प्रश्न ही आ पाये हैं जबकि आज की सूची में 34 प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं। मैं दूसरा प्रश्न पुकार रहा हूं। आप जो सुझाव दे रहे हैं उस पर आप ही अमल नहीं कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पीछे वाले प्रश्न रोजाना ही रह जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह !

राज्य में अनिवार्य शिक्षा की योजना

178. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अनिवार्य शिक्षा का संविधान में स्पष्ट प्रावधान है मगर राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं कर रही है ?

(2) राज्य सरकार पूर्ण तथा अनिवार्य शिक्षा कब लागू करने जा रही है ?

(3) राज्य में कितने गांव शिक्षा सुविधा से वंचित हैं तथा उन गांवों को कब तक शिक्षा सुविधा प्रदान कर दी जावेगी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। सरकार ने अनिवार्य शिक्षा लागू करने का अभी निर्णय नहीं लिया है।

(2) सरकार ने अनिवार्य शिक्षा लागू करना अभी तय नहीं किया है । शिक्षा सुविधायें सार्वभौमिक रूप से गांवों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) राज्य में इस समय 12,700 ऐसे गांव हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अगले दस वर्षों में यथासम्भव इन सब स्थानों पर ऐसी सुविधा प्रदान कर दी जावे इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई : संविधान में कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन का प्राविजन है। इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या सोचा है, क्या निर्णय लिया है ?

श्री बहादुर सिंह : मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि अनिवार्य शिक्षा कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : जैसे भारत के प्रधान मन्त्री कहते हैं, ये भी 10 साल कहते हैं।

श्री ईश्वर चन्द्र : राजस्थान का 19 वां नम्बर है, शिक्षा में। एकदम छलांग लगानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : आपके आने से और नीचा हो जायेगा।

श्री दुला राम : मेरा निवेदन है कि हां पक्ष में जो लोग बैठते हैं उनके लिए आप घोषणा कर दें कि वे कम से कम बोलें।

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जो स्कूल पिछली बार खोले गये हैं, उनमें से जहां अधिक जनसंख्या थी या छात्र संख्या थी वहां स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है। क्या शिक्षा मंत्रीजी यह विश्वास दिलायेंगे कि इस तरह से आइन्दा राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं किया जायेगा ? जो अधिक जनसंख्या और छात्र संख्या वाले गांव हैं वहां स्कूल को अपग्रेड कर दिया जायेगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कब तक कर देंगे ?

श्री बहादुर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राथमिक पाठशालायें कब तक खोल देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जाये इसके बारे में जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों को है, उतनी ही चिन्ता सरकार को भी है। उसी दृष्टि से जब जनता पार्टी की सरकार ने शासन भार सम्भाला पिछले वर्ष तब 520 प्राइमरी विद्यालय खोले गये और इस वर्ष 845 प्राथमिक विद्यालय और खोले जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो संख्या बताई, उसका खोलने का क्राइटेरिया क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : बजट भाषण पढ़ लो।

श्री मूलचन्द डागा : प्राथमिक विद्यालय राजनैतिक आधार पर नहीं खोले जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : न खोले गये, न खोले जायेंगे।

श्री बहादुर सिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। अनिवार्य शिक्षा कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके लिए निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि वित्तीय साधन का भी बहुत बड़ा भाग रहता है लेकिन कोशिश यह है कि हम सारे लोगों को 10 वर्ष के अन्दर प्राथमिक शिक्षा दे दें।

श्री मूलचन्द डागा : दस वर्ष का फिगर कहां से आया आपके पास।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : कृपया यह बताने का कष्ट करें, कितनी जनसंख्या वाले गांवों को उसमें ले लिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें संख्या दी हुई है।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, मैं आपको किसी और प्रश्न पर सप्लीमेंट्री की इजाजत दे दूंगा।

नैक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लड़कियों के कितने स्कूल खोलेंगे ? सरकार की क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, लड़कियों के कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या यह सही है कि भारत सरकार के नियमानुसार राज्य सरकारों को 1980 तक अनिवार्य शिक्षा लागू कर देनी चाहिये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ताओं ने बहुत सारे प्रश्न किये हैं। कई प्रश्न तो मेरी समझ में नहीं आये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप जानबूझ कर समझना नहीं चाहते हैं, वैसे समझ तो रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अनिवार्य शिक्षा आज तक लागू नहीं की गई है उसमें कांग्रेस सरकार कहां तक दोषी है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री जी, क्या आप बतायेंगे, लड़कियों के लिये विशेष तौर से कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

मुख्य मंत्री ( श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसके बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1976–77 में 520 प्राइमरी स्कूल खोले गये। उसके उपरान्त जनता सरकार ने अपना शासन सम्भाला। 1977–78 और 1978–79 में 1471 प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। इसी तरह दो वर्षों में मिडिल स्कूल खोले गये 256 जिनकी जगह अब 681 मिडिल स्कूल खोले जायेंगे। जहां 170 हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये वहां अब 566 हायर सैकन्डरी स्कूल खोले जायेंगे। इस तरह से आपको अन्दाजा लग जायेगा कि अगले वर्ष में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल किस अनुपात में खुलेंगे, हमने क्या प्रगति की है।

अब रहा प्रश्न, अनिवार्य शिक्षा कब तक लागू कर दी जायेगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि शिक्षा के बारे में संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में लिखा हुआ है, वह आज का लिखा हुआ नहीं है जब संविधान बनाया गया था तब का लिखा हुआ है। हम इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रहे हैं कि संविधान की जो अनिवार्यता है, जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं, उनको किस प्रकार से पूरा किया जाये। अकेली सरकार पूरा नहीं कर सकती है, इसमें साधनों की आवश्यकता है। साधन उपलब्ध होंगे तो हमारी इस बात की कोशिश होगी कि संविधान की मंशा को पूरा कर सकें। माननीय सदस्यों ने पूछा कि कितने गर्ल्स स्कूल खोले जायेंगे, और कितने नहीं खोले जायेंगे, अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी ने कहा 10 साल में प्राथमिक शिक्षा सबको देने की कोशिश की जायेगी और आप कहते हैं डेफिनेट समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10 साल तो साक्षरता के लिये कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रघुवीर सिंह कौशल। नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, 179 रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भूरा लाल।

**गोगुन्दा ग्राम को पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना**

179. श्री भूरा लाल (गोगुन्दा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम गोगुन्दा को पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना को भूतपूर्व सरकार ने हल्दी घाटी के साथ विकसित योजना में सम्मिलित किया था ? यदि नहीं, तो इस ऐतिहासिक स्थान को पर्यटन का स्थान न बनाने के क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती विद्या पाठक) : जी हां, गोगुन्दा में उस स्थल का,

(श्रीमती विद्या पाठक)
जहां महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, जीर्णोद्धार किये जाने की योजना है।

**श्री भूरा लाल** : माननीय उपाध्यक्ष जी, जीर्णोद्धार की योजना है या पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना है ? प्रश्न में पर्यटन केन्द्र के लिये पूछा गया है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : जीर्णोद्धार ही पर्यटन केन्द्र बनाने की एक स्टेज है। उसको पर्यटन केन्द्र मान लिया गया है।

प्रश्न संख्या 180

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री सुरेश कुमार।

**सचिवालय का वातानुकूलित संयंत्र**

181. **श्री सुरेश कुमार (भरतपुर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सचिवालय में जो वातानुकूलित सयंत्र लगाया जा रहा है ? उसकी कुल लागत कितनी है ?

(2) क्या इस सयंत्र द्वारा शासन सचिवालय को सर्दी के मौसम में गर्म रखने का भी प्रावधान है ?

(3) पूरी क्षमता पर कार्य करने पर इस संयंत्र पर प्रति दिन कितनी यूनिट बिजली खर्च की जायेगी ?

**श्री ईश्वर चन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके विभाग ने मेरा प्रश्न नहीं लिया है।

**राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली)** : (1) राजस्थान सचिवालय में वायु-शीतन संयंत्र लगाया जा रहा है। अनुमानित व्यय के आधार पर 3 फरवरी, 1977 को रुपये 22,20,000/– की स्वीकृति जारी की गई।

(2) जी नहीं।

(3) पूरी क्षमता पर कार्य करने पर इस संयंत्र पर प्रतिदिन 2680 यूनिट बिजली खर्च होने का अनुमान है।

**श्री सुरेश कुमार** : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में इसकी आवश्यकता न देखते हुये किसी अस्पताल में लगाने की योजना सरकार रखती है ?

**श्री महबूब अली** : सचिवालय में इसकी आवश्यकता है।

**श्री सुरेशकुमार** : तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि अन्य विभागों में भी इस प्रकार की सुविधा देने की सोचेंगे ?

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : क्या जनता सरकार की · · ·

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : कुल कितना पैसा लगेगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा नाम पुकारा है ।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न तो रह गया है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में जो मितव्ययता की बात कही है, क्या यह संयंत्र लगाना उसके प्रतिकूल नहीं होगा ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा ···

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ जी, आप विराजिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में बैठने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रिगणों का कोई अन्य रंग का खून है और दूसरे आफिसों में बैठने वालों का खून लाल रंग का है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, इस संयंत्र में सर्दी में गर्म रखने का प्रावधान नहीं है तो फिर सर्दी में सचिवालय को गर्म रखने के लिये कितना रुपया और खर्च करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इसके लगाने की आवश्यकता थी ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह गरीबी मिटाने वाली सरकार···

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मैं पूछना चाहता हूँ अभी तक कितनी लागत लग चुकी है और कितनी और लगेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार बार पूछ चुके हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य, मैंने श्रीमती उजला अरोड़ा का नाम पुकार लिया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी की सीमा में रहने वाले लोगों को हम खाना, कपड़ा और अन्य आवास वगैरह की सुविधायें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो क्या ऐसे संयंत्र में इस तरह से धन का दुरुपयोग करना उचित रहेगा ?

(व्यवधान)

श्री अचला राम : सचिवालय में जो यह संयंत्र लगाया जा रहा है इसकी योजना पहले से थी या अभी की है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री जी ने जवाब एक का भी नहीं दिया, बैठे हैं ।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार अन्त्योदय योजना के लिये वचन-बद्ध है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भावना व्यक्त मत कीजिये, प्रश्न पूछिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

क्या ऐसी स्थिति में सचिवालय में चाहे खस के टट्टे लगें चाहे वातानुकूलित संयंत्र लगे, आपकी अन्त्योदय योजना के साथ क्या उसका मेल बैठेगा? इन सब डिब्बों को तुरन्त जमीन पर नीचे उतार दिया जाय और जिस तरह सब जगह काम होता है, उसी तरह यहां भी हो।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, पूरी लागत कितनी आयेगी? उन्होंने केवल अब तक का खर्चा बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी लागत कितनी लगेगी? दूसरा यह कि क्या मंत्री महोदय यह उचित समझते हैं कि प्रति दिन 3680 यूनिट बिजली खर्च होगी तो राजस्थान में जब तक उद्योगों और किसानों के लिये पूरी बिजली की व्यवस्था न हो जाय और उद्योग और किसानों को पूरी बिजली मिलने न लगे तब तक इस संयंत्र को चालू नहीं किया जाय?

श्री मूलचन्द डागा : यह षड्यन्त्र है।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : अस्पताल में रहने वाले व्यक्तियों के लिये यह संयंत्र होना चाहिये न कि सचिवालय के लिये। अस्पताल में मरीजों के लिये यह आवश्यक है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या अस्पताल में ज्यादा मरीज रहते हैं या सचिवालय में ज्यादा मरीज रहते हैं?

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5–7 बार खड़ा हो चुका हूं लेकिन मुझे समय नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह फर्माया था कि भूतपूर्व सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था। क्या भूतपूर्व सरकार के बारे में आप नहीं जानते हैं कि उसकी तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से ही तो जनता ने इनको ठुकराया है और क्या आप उस नीति को अब भी नहीं छोड़ेंगे?

श्री भैरों सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस संयंत्र को लगाने की स्वीकृति फरवरी, 1977 में हुई थी। उस समय अनुमानित लागत 22 लाख 20 हजार की थी। 20 जून को जब जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने उस तोड़-फोड़ को देखा। देखने के बाद पता लगा जून, 1977 तक 36 हजार 750 रुपया खर्च हो चुका था और कान्ट्रेक्चूअल लायबिलिटी कुल मिलाकर 17 लाख 37 हजार की होती थी। इतना रुपया खर्च होने के बाद उसको बन्द कर दें, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतना खर्चा कहां हुआ, मुख्य मंत्री जी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसको कान्ट्रेक्ट दिया गया था, उसने सामान खरीद लिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
और सामान लाकर सेक्रेटेरियट में रख दिया। उस सामान के लगाने की कार्यवाही कर रहे थे।

**श्री मूलचन्द डागा** : दूसरी जगह लगा देते।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी समझ में नहीं आता है कि जिन्होंने लगाया उनको तो आप दोष दे नहीं रहे हो...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : वह दोष तो जनता ने दे दिया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अब माननीय सदस्य यह कहें कि लग तो गया लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाय, तो सदन की राय होगी तो कोई उपयोग नहीं किया जायगा, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं। हम न तो वातानुकूलित संयंत्र में बैठने के आदी हैं और न हमको इसका कोई शौक ही है। फिजूल खर्चा कितना आवेगा, उसकी रेलेवेन्सी न हम इसको देख लेंगे।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : अगर इसको बन्द कर देते हैं तो हमारी शोभा बढ़ेगी, हमारा रुतबा बढ़ेगा।

**श्री सुरेशकुमार** : जो 36 हजार रुपये खर्च हो गए हैं उनका क्या होगा ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोडा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहती हूं कि इस खर्च को बन्द किया जाय। इसकी मेंटीनेंस पर कितना खर्चा आएगा, वह आपके सामने है। शराब की गलत कमाई क्या ऐसे ही कामों में लगेगी ?

**श्री ईश्वर चन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 41 के तहत आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न सं. 197 जयपुर नगर के रिक्शा चालकों के सम्बन्ध में है। मैंने यह जानना चाहा है कि इन रिक्शा चालकों में कितने क्षय या दीगर संक्रामक रोगों से ग्रस्त है। उपाध्यक्ष महोदय, नियम 41 के मुताबिक आप मंत्रीजी से कहें कि यह लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए इस प्रश्न का जवाब दें। यह बहुत जरूरी प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

माननीय सदस्य, बिराजिये।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : मुख्य मंत्री महोदय ने सदन की राय को क्या समझा ? ये एयरकण्डीशनर्स चालू रखे जायेंगे या क्या किया जाएगा ? सदन की राय का आपने क्या असेसमेंट किया ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सदन जो भी राय दे रहा है, वह शिरोधार्य है।

(व्यवधान)

**श्री ईश्वरचन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

**श्री ईश्वर चन्द्र** : क्या आवश्यकता नहीं समझते ? यह बहुत जरूरी प्रश्न है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने व्यवस्था दे दी । आपने मुझ से व्यवस्था मांगी थी और मैंने व्यवस्था दे दी ।

**श्री कल्याणसिंह मांखला (अजमेर पूर्व)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा । स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की घोषणा की थी कि हमारा सारा काम-काज हिन्दी भाषा में चलेगा । बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज प्रश्न के उत्तर में जो मुझे सूची मिली है, वह 7–8 पेज की सूची है और सारी की सारी इंगलिश में है । मैं जानना चाहूंगा कि हमारे सचिवालय के अधिकारियों में जो यह अंग्रेजी की गुलामी है, वह कब समाप्त करेंगे ? कृपया इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी थोड़ा सा बताने की कृपा करें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं अन्य प्रभारी मंत्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि जो उत्तर प्रश्नों के आएं वे अवश्य हिन्दी में ही आयें । मुझे विश्वास है कि इस कथन के अनुरूप ही कार्यवाही होगी ।

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन)**: आपके कहने के उपरान्त भी अंग्रेजी में काम होता है····

(व्यवधान)

**श्री एच. एन. शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, डाबरियाजी जब इस सदन में थे तब उनको अंग्रेजी में सूची दी गई तो उन्होंने फाड़ कर फेंक दी थी । यह उनकी आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है । मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो अधिकारी आदेश नहीं मान रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं चाहूंगा कि मेरे कथन की पूरी तौर पर पालना की जाय ।

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 192 ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउन्स देने के सम्बन्ध में है । शहर में रहने वालों को हाउस रेंट अलाउन्स दिया जाता है और ग्रामों में रहने वालों को नहीं दिया जाता है । यह बहुत गंभीर समस्या है । इसके कारण सरकारी कर्मचारी गांवों में जाने से कतराते हैं । उनको अलाउन्स मिलना चाहिए । मेरे प्रश्न का उत्तर दिलावें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये । आपका कोई इस सम्बन्ध में प्रश्न है ?

**श्री रतनलाल वर्मा** : जी हां, प्रश्न सं. 192 है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है ।

**श्री रतनलाल वर्मा** : इसका जवाब तो दिलाना चाहिए ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इसका जवाब आपको लिखित में मिल जाएगा ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 188 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। किसी प्रश्न के बारे में आपको कुछ कहना है तो चेम्बर में मिलकर नियमानुसार ध्यान आकर्षित कर सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : चेम्बर में ही मिलो।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

**विभाग की रिगों से किया गया कार्य**

176. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के पास कितनी रोटरी, कितनी परकुशन तथा कितनी एयर ड्रिल रिग हैं ? इस वर्ष इनमें से हर एक रिग ने कितना कितना कार्य किया ? क्या जो लक्ष्य निर्धारित था उसकी पूर्ति कर दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस विभाग में मुख्य अभियन्ता का कार्य कौन कर रहा है ? स्थाई मुख्य अभियन्ता कब तक नियुक्त कर दिया जायगा ?

(3) विभाग के कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता कितने दिन पिछले एक वर्ष में जयपुर रहे व उन्होंने कितना टी. ए. व डी. ए. उठाया ?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग के पास वर्तमान में 14 रोटरी रिगें, 19 परकुशन रिगें तथा 22 एयर ड्रिल रिगें कार्यरत हैं। उपरोक्त प्रत्येक रिग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अप्रेल, 77 से जनवरी, 1978 तक कितना कार्य किया है एवं निर्धारित लक्ष्य से जितना कम कार्य किया है उसे क्रमशः परिशिष्ठ 1 (अ), 1 (ब), 1 (स) में सलग्न कर दर्शाया है। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारण संलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाए गए है।

(2) इस समय श्री चैतन्यमल ढढ्ढा, अधीक्षण अभियन्ता मुख्य अभियन्ता का कार्य भी देख रहे हैं। पूर्णकालिक मुख्य अभियन्ता का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(3) विभाग के कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता श्री चैतन्य मल ढढ्ढा माह मार्च, 77 से फरवरी, 78 तक 196 दिन, जिसमे राजकीय अवकाश (54) दिन शामिल हैं, जयपुर में रहे तथा उन्होंने रुपये 3,266.26 का टी. ए., डी. ए. उठाया।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**चम्बल की नहरों से सिंचाई**

180. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल की नहरों से कितनी भूमि सिंचित होती है ? इन नहरों के पानी से कितनी अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने की गुंजाइश है ?

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(2) चम्बल की नहरों (मुख्य नहरें, डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर्स, सब माइनर्स) के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ? सिंचित भूमि पर यह धनराशि प्रति एकड़ कितनी व्यय होती है? अब इन नहरों के अतिरिक्त पानी से लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई जावे तो प्रति एकड़ निर्माण व्यय कितना होगा?

(3) क्या चम्बल की दोनों मुख्य नहरों से अब भी फ्लो इरिगेशन की संभावनाएं हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि चम्बल की दोनों मुख्य नहरों से अब भी एक लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित करने की क्षमता है? और इस अतिरिक्त पानी का उपयोग लिफ्ट सिंचाई से किया जा सकता है? क्या यह भी सही है कि इस लिफ्ट सिंचाई योजना पर औसत लागत से भी कम व्यय होगा?

## उत्तर

(1) चम्बल की नहरों से अभी तक अधिक से अधिक सिंचाई 4,47,000 एकड़ भूमि में वर्ष 1972–73 में हुई। परियोजना के प्रावधान के अनुसार नहरों की वार्षिक सिंचाई क्षमता सात लाख एकड़ रखी गई थी।

(2) चम्बल की नहरों पर अब तक लगभग रु. 26.30 करोड़ व्यय हो चुका है, सिंचित भूमि पर यह व्यय लगभग 588 रु. प्रति एकड़ आता है। इस क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना का वर्तमान मूल्यों पर निर्माण व्यय लगभग 800 रु. प्रति एकड़ होगा।

(3) चम्बल की बाईं मुख्य नहर से बूंदी ब्रांच एक्सटेन्शन द्वारा फ्लो इरिगेशन की संभावना है। इस एक्सटेन्शन से लगभग 65,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी नई माइनर व एक्सटेन्शन द्वारा वर्तमान कमाण्ड में लगभग बारह हजार एकड़ नई भूमि को सिंचित किये जाने की सम्भावना है। इस बारह हजार एकड़ को सिंचित करने के लिए नई माइनर व एक्सटेन्शन आफ माइनर बनाई जा रही है।

(4) जी हां। चम्बल की दोनों मुख्य नहरों से लगभग एक लाख एकड़ भूमि में लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने का प्रावधान था। यह योजना तैयार की जा रही है। लिफ्ट योजनाओं के तुलनात्मक व्यय विवरण बनाये जा रहे हैं। उसके बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा।

## स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सांचौर में अभाव की स्थिति होते हुए भी उसे अभावग्रस्त घोषित नहीं किये जाने के विषय में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के गन्ना उत्पादक काश्तकारों के सामने गन्ने को बेचने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है, इस विषय में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से वह बिन्दु बिक्री कर के कारण जवाहरात उद्योग में काम करने व ले लोगों व मजदूरों के सामने से संकट उत्पन्न हो गया है. इस विषय में।

इन विषयों पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर-सांभल-दांता-रामगढ़ रूट का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, इस विषय में।

यह भी अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है और नीति सम्बन्धी प्रश्न है, इसलिये मैं इसे भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री मदनसिंह दांता** :उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इसके महत्व को समझ लिया है। मैं उनसे मिल चुका हूं और उन्होंने फर्माया कि बन्द करवा देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की माग पर कट-मोशन्स है, उनके साथ इस पर भी चर्चा कर सकते हैं।

**श्री सुरेश कुमार** : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पिछले शुक्रवार को प्रस्तुत किया था ...

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरा निवेदन है कि यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। आपको जो कुछ जानकारी लेनी हो, चैम्बर में मिल लें।

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। 7 मार्च, 1978 को एक बहुत आर्टिकल राजस्थान पत्रिका में कपूरचन्द कुलिश ने लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है:—

"शर्मनाक इसलिए नहीं कि वे खुले आम कटु भाषा में सरकार पर तीखे प्रहार करते हैं बल्कि इसलिये भी हैं कि इस रवैये के पीछे कुर्सी की भूख है। कुर्सी की यह भूख इस भद्दे तरीके से प्रकट हो रही है जैसे कि जन्म जन्मान्तर के भूखे को रोटी सामने नजर आई हो ...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य आपका प्रिविलेज मोशन मिल गया है। मैं इसको एग्जामिन करूंगा और इसके बारे में राय दूंगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : सारे सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा को खंडित कर दिया है ...

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना देकर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पूरे जिला जालोर और विशेष कर सांचौर तहसील में पिछले बारह महीनों में न तो खरीफ की फसल हुई और न ही रबी की फसल हुई है। लूणी नदी का पानी खेतों में घुस जाने से सारी जमीन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

खराब हो गयी है। लोगों के पास अपने गुजारे का कोई साधन नहीं है। मजदूरी की तलाश में लोग घर छोड़ छोड़ कर गुजरात की तरफ जा रहे हैं। पालनपुर और अहमदाबाद में मजदूरी की तलाश में चले गये हैं। उनके गुजारे की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने कहा जरूर है कि इसे एग्जामिन करा रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें भी है कि काश्त नहीं हुई है। तीन-तीन बार काश्तकारों ने जमीन में बीज डाले और काश्त की लेकिन समय पर बरसात नहीं होने से बीज बिल्कुल उग ही नहीं सका है तो खराबा होने का सवाल ही कहां है। गिरदावरी रिपोर्ट की आप बात कहते हैं लेकिन जब बीज उपजा ही नहीं तो खराबा कैसे कहेंगे और गिरदावरी किस बात की होगी? आठ आने रकबा तो इसी में निकल गया और बाकी आठ आने रकबा जो बचा था वह बारिश नहीं होने के कारण समाप्त हो गया। बाजरे की शत प्रतिशत फसल खराब हो गई। जब माननीय सम्पत रामजी अकाल राहत मंत्री थे तब उनको यह बात अच्छी तरह से मालूम थी। उन्होंने पिछले सत्र में भी यह बात कही थी कि वहां पर सबसे ज्यादा फसल की हानि हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी किस तरह से रिपोर्ट भेजते हैं। बिलकुल गलत रिपोर्ट दी है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। उस इलाके में रिलीफ वर्क शुरू नहीं हुए हैं और लोग घर छोड कर चले गए हैं। आप वहां के नुकसान को दुबारा एग्जामिन करायें। यहां से टीम भेजें और मालूम करायें कि वहां पर लोगों की क्या हालत हो रही है। अगर फसल हुई होती तो दो रुपये किलो बाजरा क्यों बिकता? वहां पर जबरदस्ती वसूलियां हो रही हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के सामान, खेत सब नीलाम कर दिए हैं। वसूली के डर से लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग गए हैं। जिस प्रकार पहले फेमिली प्लानिंग के आपरेशन के डर से भागे थे उसी तरह से अब वसूली के डर से लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग गये हैं। आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्वयं कहता है कि वसूली नहीं करेंगे लेकिन गरीबों से सख्ती के साथ वसूली की जा रही है। मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऐसे सख्त सर्क्यूलर कलेक्टर के पास हैं कि वे कहते हैं कि वसूली नहीं करेंगे तो चार्ज शीट देंगे। अभी तक वह क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है इसलिए लोगों की कुर्कियां करके रेवेन्यू की वसूली की जा रही है। कोआपरेटिव की वसूली की जा रही है। लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति है इसलिए आप इस बारे में तुरन्त कदम उठावें और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कोई न कोई फैसला करें। रिपोर्ट की वजह से यह मामला सामने आया है। आप डिप्टी-कमिश्नर फेमिन को वहां पर भेजिए और वहां के हालात को देख लीजिए कि कितना अनाज हुआ है, कौन सी उपज वहां पर हुई है। सारी खरीफ की फसलें खराब हो गई हैं। मूंग, मोठ की फसल खराब हो गई है। बाजरे की फसल खराब हो गई है। जो हुआ है वह सेन्ट पर्सेन्ट खराब हो गया है। यह रिपोर्ट आपके पास मौजूद है मेरा निवेदन है कि लोगों के साथ खिलवाड़ न किया जाए।

# Page No. 26

(26)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)
आप यह देखें, यह कैसे हो गया है। इसमें क्या पोलिटिक्स हो गई। सारे फैक्ट्स को एग्जामिन करके इलाके में फेमिन घोषित करके फेमिन रिलीफ कार्य वहां पर किए जाएं और जो वसूलियां हो रही हैं, उनको स्थगित किया जाए। मैं इस बारे में विशेष रूप से अकाल सहायता मंत्री जी और राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री मदनसिंह दांता** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि डिमान्ड के समय इस पर अपने विचार व्यक्त करें···

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने आपको आश्वासन दे दिया है। आप सन्तुष्ट हैं···

**श्री मदनसिंह दांता** : उन्होंने यह कहा है कि मैं विचार करूंगा। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं उनके विचार के लिए कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं ताकि वे इसको अच्छी तरह से समझ लें ··

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कहना चाहते हैं तो कह दीजिए।

**श्री मदनसिंह दांता** : उपाध्यक्ष महोदय, बीस हजार व्यक्ति बसेज में जाते हैं। इस रूट का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो तब तक खड़े रहेंगे जब तक राजकीय बस नागौर से न आ जाए। आठ आठ मील तक वे जाकर खड़े रहेंगे। 80 मील से गाड़ी आएगी तब वे उसमें बैठ कर जाएंगे इससे वहां के लोगों को अधिक परेशानी होगी। सीकर जिले में, किसान, डाक्टर, सरकारी कर्मचारी हैं, वे सारे के सारे इन्तजार करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर गंभीरता के साथ विचार कर लें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बूंदी जिले के गन्ना उत्पादन करने वाले काश्तकारों की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और आपने उसे अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले दो और स्थगन प्रस्ताव गन्ना उत्पादन करने वाले काश्तकारों की समस्या के सम्बन्ध में आपके पास आ गए हैं। उन पर आपने सरकार से जानकारी चाही थी। ये सारे राजस्थान से संबधित हैं इसलिए इसको भी आप राज्य सरकार को भेज देते तो बूंदी जिले की समस्या के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार अवगत हो जाती।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपको यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपका यह स्थगन प्रस्ताव भी राज्य सरकार के पास जानकारी करने हेतु भेज दिया गया है। यहां पर चर्चा उठाने के लिए अपनी व्यवस्था में अस्वीकार किया है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : सरकार को इससे फैक्ट्स मालूम हो जाते···

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि यह अधिकार है कि इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव को व्यवस्था में अस्वीकार करने के साथ साथ राज्य सरकार को जानकारी देने हेतु भेज सकते हैं। मैंने इसे अस्वीकार करते हुए राज्य सरकार के पास आवश्यक सूचना के लिए भेज दिया है। आप कहना चाहें इस सम्बन्ध में तो मैंने आपको रोका नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी तरफ से तो यह अस्वीकार हो गया है····

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में नियम है। आप अनुभवी हैं। इस नियम में इस प्रकार की व्यवस्था है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसको अस्वीकार कर दिया गया है।

इस समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं, सौभाग्य से मुख्य मन्त्री महोदय यहां पर मौजूद हैं, बूंदी जिले में खास तौर से गन्ना उत्पादक काश्तकार हैं, उनके सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां पर एक कोआपरेटिव शुगर मिल है। उसकी क्षमता 12 हजार क्विन्टल की है। इस शुगर फैक्ट्री की परिधि में जो क्षेत्र है, वह उसके आस पास दस मील का क्षेत्र है। इसलिए दस मील के बाहर के क्षेत्र में जिन काश्तकारों ने गन्ने का उत्पादन किया है, उनके लिए अपना गन्ना बेचने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इस वर्ष गन्ने की फसल गत वर्ष की फसल के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। ऐसी आशा है कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष यह दुगुनी फसल होगी। मैं इस समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गन्ना उत्पादक काश्तकारों के लिए विशेष रूप से बूंदी में एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान के दूसरे क्षेत्र में यह समस्या नहीं है परन्तु बूंदी जिले में यह ज्यादा समस्या है क्योंकि वहां पर एक ही कोआपरेटिव शुगर मिल है और उसकी परिधि दस मील की है। दस मील की परिधि के बाहर के जो काश्तकार हैं, उनके सामने गन्ना बेचने की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां पर दस खांडसारी फैक्ट्रियां भी हैं परन्तु इस वर्ष जो गन्ना पैदा हुआ है, उसको समय पर न खरीदा गया तो वह सूख जाएगा। आज बाजार में भाव भी गिर गये हैं और आज वहां पर इसका भाव सात रुपया क्विन्टल है जब कि बाजरे की कुट्टी का भाव साढ़े बत्तीस रुपये क्विन्टल है, और खाखले का भाव 25 रुपये क्विन्टल है। इस प्रकार, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल बूंदी जिले के काश्तकारों का ही सवाल नहीं है, दूसरे क्षेत्र का भी है, बूंदी का पर्टीक्यूलर प्रश्न इसलिए है कि वहां पर केवल एक शुगर मिल है। माननीय सदस्य श्योपतसिंह और अन्य माननीय सदस्यों ने गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिए हैं इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार यू. पी. गवर्नमेंट ने वहां के गन्ना उत्पादन करने वाले काश्तकारों को सुविधा दी है और काश्तकारों से गन्ने की फसल को खरीदने की व्यवस्था की है, उसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में करवाई जाए। जहां जहां गन्ना उत्पादन क्षेत्र है जैसे बूंदी, चित्तौड़, इन सब जिलों में यही समस्या आ रही है, इसलिये वहां पर एक माकूल व्यवस्था कर काश्तकार को बरबादी से बचावें। एक तरफ काश्तकारों को तरजीह दे रहे हैं, उन्हें बीज, फर्टीलाइजर, लोन वगैरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और दूसरी तरफ इन सुविधाओं से उसने जो गन्ने की फसल तैयार की है, उस गन्ने को खरीदने वाला कोई नहीं है। जहां पर कोई गन्ना खरीदने वाला नहीं है, वहां पर काश्तकारों का गन्ना सूख जाए गा

(श्री रामनारायण चौधरी)
आज गन्ने की कीमत सात रुपये क्विन्टल है और सूखने के बाद वह ईंधन के काम आएगा। राजस्थान में गन्ना उत्पादन करने वाले काश्तकारों की समस्या पहली बार उत्पन्न हुई है। यू.पी. में भी यह पैदा हुई है। वहां पर राज्य सरकार ने जिस प्रकार इस समस्या की ओर ध्यान दिया है, उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान दें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष, विरोधी दल का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार को सहयोग करे और उसको हर काम में मदद दे। मेरा निवेदन है कि 15 मार्च को वह दिन आने वाला है, जिस दिन जवाहरात उद्योग में लगे लोगों की चेतावनी पूरी हो जायगी और लोग यहां पर आकर प्रदर्शन करेंगे। पहले भी प्रदर्शन हुआ उसमें जो घटना हुई उसके लिए आपको खेद प्रकट करना पड़ा था। आपके बहु बिन्दु टैक्स से 12,000 राजस्थान के कुशल कारीगर प्रभावित हुए हैं और आपका यह जो बहु बिन्दु पर सेल्स टैक्स है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने सारे जौहरी और जवाहरात उद्योग में लगे कर्मचारी यहां आएंगे। राजस्थान पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में बहु बिन्दु पर टैक्स समाप्त कर दिया गया है। 50 हजार कारीगर वहां पर काम करने लगे हैं। इज्रायल का हम मुकाबला नहीं कर सकते जब तक इस समस्या को न सुलझाया जावे। आप इस समस्या से परिचित हैं। हमारा यह फर्ज है और आपका भी फर्ज है कि आप इस ओर ध्यान दें ताकि 15 मार्च को यहां पर प्रदर्शन न हो। आप जौहरियों के साथ बैठ करके यह समस्या सुलझा लें। वे आपके पास कोई न कोई नई चीज लेकर आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या को जल्दी सुलझा लें।

**सदन में अनुपस्थित रहने की अनुमति**
**श्री हीरालाल को 28 फरवरी, 1978 से सत्र के अंत तक सदन में अनुपस्थित रहने की अनुमति**

श्री उपाध्यक्ष : अब आगामी कार्यवाही शुरू होने के पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हीरालाल, विभाजन संख्या 196 ने दिनांक 28 फरवरी, 1978 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने जो कारण बताया है, वह यह है कि जीप दुर्घटना से ग्रस्त होने के कारण वे उपस्थित होने में असमर्थ रहेंगे।

क्या सदन की सम्मति है कि श्री हीरालाल ने अनुपस्थित रहने की जो अनुमति चाही है, उसके लिए आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा प्रदान की गई।

**व्यवस्था का प्रश्न**
**अधिसूचना सदन-पटल पर रखने में विलम्ब**

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री, श्री पुरुषोत्तम मंत्री, राजस्व विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर रूल 169 सब रूल 2 में है :

(श्री मूलचन्द डागा)

"Where the specified period is not so completed the regulation rule sub-rule, bye-law etc. shall be re-laid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in one session."

मैं प्रार्थना करूंगा कि वह दूसरा बजट है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा नियम आपने बताया।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने, श्रीमान्, रूल 169 के सब-रूल (2) की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी सरकार किस प्रकार से 4 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना को दो सेशन बीत जाने के बाद पेश नहीं कर सकी है। आज आप बिना सदन की आज्ञा मांगे पेश कर रहे हैं। यह रूल्स का वायोलेशन है। इसमें साफ लिखा हुआ है

"Where the specified period is not so completed the regulation rule sub-rule bye-law etc. shall be re-laid in the succeeding session of sessions until the said period is completed in one session."

तो यह टाइम जो है, आपके सामने है–

"succeeding session or sessions until the said period is completed in one session."

मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इनको नहीं रखने दें और इनको ताड़ना दें। किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, यह आप जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये।

श्री मूलचन्द डागा : सही बात है जनता पार्टी किस प्रकार से चलती है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय !

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : 4 नवम्बर, 1976 की यह विज्ञप्ति है।

श्री मूलचन्द डागा : आगे का तो हमें मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4 नवम्बर, 1976 की विज्ञप्ति है। पहले अधिवेशन हुआ, बजट सैशन हुआ उसमें भूतपूर्व सरकार के बाद इस सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिए थी। यह बात सही है, जैसा कि माननीय सदस्य डागा जी ने बताया है, यह पहले ही सत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इसमें विलम्ब हुआ है। आगे इसका ध्यान रखेंगे। मैंने निवेदन किया था, समिति की रिपोर्ट्स सदन की मेज पर नहीं रखी गई हैं। कई पिछली समितियों की रिपोर्ट निकल रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कई एन्युअल रिपोर्ट हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी। एन्युअल रिपोर्ट राजकीय उपक्रम समिति की अभी तक पेश नहीं हुई है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के सम्बन्ध में आपने फर्माया है।

श्री मूलचन्द डागा : आप उनकी बात तो कहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगर वह कुछ कहना चाहेंगे ·····

**श्री मूलचन्द डागा** : एक्सक्यूज तो करें ।

**सदन पटल पर रखा गया पत्र**

**अधिसूचना**

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री** (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय यह उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी । इसलिए मैं अब प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं ।

मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प. 7(58) राज/ग्रुप-4/75 दिनांक 4 नवम्बर, 1976 सदन की मेज पर रखता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय कृपया आश्वासन दें कि भविष्य में समय पर ही प्रस्तुत करेंगे ।

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री** : उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में ऐसा ही होगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान प्रयोग शाला सहायक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर गत 15 दिनों से चल रही क्रमिक भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।'

इसमें माननीय सदस्यों की राय है ।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, ये पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं । उनकी मांगें उचित हैं । वह स्कूलों लेबोरेट्रीज में काम करते हैं । उनके प्रमोशन आदि की व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इस सम्बन्ध में · · ·

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा मन्त्री महोदय से उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिलायें । इस हाउस में जन भावनाओं का आदर किया जाये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : नियम सं. 131 की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा · · ·

**श्री मूलचन्द डागा** : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर । मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ । मैं श्रीमान् का ध्यान नियम 255 की तरफ दिलाना चाहता हूं । बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि प्रगति विवरण जो जो मिलते हैं, वह ऐसे मिलते हैं कि उन्हें पढ़ ही नहीं पाता हूं । प्रगति विवरण ऐसे इसीलिए दिये हैं कि विरोधी पक्ष के लोग पढ़ नहीं सकें । मैं यह निवेदन करता हूं कि आप ठीक व्यवस्था कीजिए । हमें लिट्रेचर मिलता है, वह हम पढ़ नहीं पाते हैं । जैसे कि कल न्याय की मांग आ रही है लेकिन हमें लिट्रेचर उपलब्ध नहीं है । बजट की मांगों के बारे में यह लिखा हुआ है–

"A copy of every notice or other paper which is required by these rules to be made available for the use of the members."

उसमें लिखा हुआ है, "for the use of members" हम इन प्रगति विवरण का यूज तो कर नहीं सकते हैं । इनको पढ़ नहीं सकते तो इनका और यूज क्या कर सकते हैं ? घर पर पानी में डालकर लुगदी बना लें । मेहरबानी करके पढ़ने लायक कापी दिलायें । न्याय मन्त्री बैठे हैं, उनको

(श्री मूलचन्द डागा)

ताड़ना दीजिए। इन्होंने हमें लिट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया है। कल यह धड़ाधड़ भाषण देंगे और हम बोलने से महरूम रह जायेंगे। श्रीमान, केवल आप ही प्रोटेक्शन दे सकते हैं नहीं तो जनता पार्टी की सरकार हमें काम नहीं करने देगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये साइक्लोस्टाइल कापी ही ऐसी निकालते है कि पढ़ ही नहीं पायें। फिर तो यह नहीं भी दें तो अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सदन में कहने के बजाय यह बात हमें कह देते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपसे क्या कह देते। आप तो हवाई जहाज से अभी आये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : We need protection from the Chair, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप आसन को पहले ही अवगत करा देते। आपने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, मैं आभारी हूं। जहां तक कापी दिलाने का प्रावधान है, मैं चाहूंगा प्रभारी मन्त्री इसका ध्यान रखें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : इनको तो कई साल से शिकायत है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कई साल से नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपने ही बहुत सा कूड़ा करकट छोड़ा है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : पाइण्ट आफ आर्डर, सर। इस सदन में जब भी कोई बात आती है तो यह कहा जाता है कि 30 साल का कूड़ा करकट है। पांच हजार साल से ऐसी व्यवस्था है कि गुंजाइश नहीं है। ऐसा कब तक कहते रहेंगे। आप इस बारे में व्यवस्था दें। आज के कंटेक्स्ट में व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ज्यादा प्रभावित रहे होंगे।

श्री रघुनाई विश्नोई : कहते हैं कि कूड़ा करकट है।

## समितियों का गठन

### जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति व राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 के निर्वाचन–प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति 1978-79 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमो के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1978-79 के लिए इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233(बी) (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटी सी प्रार्थना करनी है, सितम्बर में कमेटी बनी, अक्टूबर, नवम्बर में सभापति मुकर्रर किये गये, सारा काम अधूरा पड़ा है। हमने सारी पब्लिक अण्डरटेकिंग को देख लिया, उनके बयान ले लिये और अब नई कमेटियों का प्रस्ताव लेकर आ गये। सारा लेबर किया, सरकार का खर्चा हुआ, खजाने से जो दौलत निकली और जो इतनी मेहनत की गई उसका परिणाम कुछ नहीं होगा और नई कमेटियां आ गई। चार-पांच महीने भी काम नहीं हो पाया, मैं प्रार्थना करूंगा कि It should be extended to one year.

मैं चाहूंगा कि सरकार के खजाने में जनता का पैसा है और 56.30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं फिर क्यों इतना पैसा बरबाद किया गया, हिन्दुस्तान में घूम कर आ गये लेकिन अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दे सके और नया प्रस्ताव रख दिया। इसलिए जो मेरा सुझाव है उस पर आप विचार करें। इतनी मेहनत की गई है, अच्छा होता ऐसा नहीं करते, जिससे जो खर्चा हुआ उसका उपयोग हो सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह पी.ए.सी. में 15 सदस्यों का, पी.यू.सी. में भी 15 सदस्यों का रखा है जब कि एस्टीमेट कमेटी में 21 सदस्यों का, प्रस्ताव रखा है। पी.ए.सी. एक बहुत इम्पोर्टेन्ट कमेटी है और पी.यू.सी. भी इम्पोर्टेन्ट कमेटी है इसलिए इनमें अधिक से अधिक सदस्यों का इन्वाल्वमेन्ट होना चाहिये जिससे उनके सुझावों का लाभ मिल सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से एस्टीमेट कमेटी के सदस्यों की संख्या 21 है उसी प्रकार से पी.ए.सी. और पी.यू.सी. के सदस्यों की संख्या भी 21–21 कर दी जाय ताकि अधिक सदस्यों का इन्वाल्वमेन्ट हो सके। इससे आपको भी लाभ होगा और सदन को भी लाभ होगा। 6–6 माननीय सदस्य, जिनकी ऐसी योग्यता है जो लाभान्वित कर सकते हैं, इन कमेटियों में अपनी योग्यता का लाभ दे सकेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है, माननीय सदस्य भी इस बारे में सोच लें कि इसकी सदस्य संख्या 15 से 21 कर दी जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाउस के सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है, पहले 184 थी अब 200 हो गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सदस्यों की संख्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
बढ़ाने की बात कही है उसके बारे में रूल्स कमेटी विचार करके जो भी निर्णय लेगी वह हाउस को स्वीकार होगा। दूसरा प्रश्न जो एक्सटेन्शन के बारे में है, आप जानते हैं कि नियमों के अनुसार फाइनेन्शियल ईयर के आरम्भ में चुनाव हो जाने चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप रूल्स पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पढ़ लिये हैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। एक्सटेन्शन कर सकते हैं मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि पिछले सत्र में चुनाव हुए थे और एक्सटेन्शन किया जाय तो फिर अक्टूबर में चुनाव होंगे। अब तक यह व्यवस्था रही है कि फाइनेन्शियल ईयर शुरू होती है उस समय चुनाव हो जाने चाहिए। इसलिए जो मेहनत की गई है, डागाजी, मैं समझता हूं उनकी पार्टी उनको ही मनोनीत करेगी और मेहनत बेकार नहीं जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव सदन के सामने रखे उनका मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह आप लोगों ने सुन लिया है।

अब प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

## आय-व्ययक, 1978-79 पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : अब आय-व्ययक (बजट) पर सामान्य वाद-विवाद होगा। गत मीटिंग में श्री रामकृष्णदास बोल रहे थे। मैं चाहूंगा कि वे संक्षेप में अपने भाषण का समापन करें ताकि सत्ता पक्ष की ओर से उसका उत्तर प्रस्तुत हो सके।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की ओर से यह जो बजट पेश किया गया है यह केवल स्टेटस मेन्टेन करने के लिये ही पेश किया गया है, जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के लिये नहीं। इसके अन्दर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की लॉबी का असर है, और उन करोड़ों गरीब लोगों की बात नहीं कही गई है, जिनकी ताकत के बल पर जनता पार्टी सत्ता में आई है। कच्ची बस्तियों के विकास के लिये केवल 82 लाख रुपये इस बजट में रखे गये हैं, दूसरी तरफ जो किसान ट्रोली और ट्रैक्टर रखते हैं वह सरकार को गरीब नजर आते हैं इसलिये ट्रैक्टर ट्रोली का टैक्स माफ करने जा रही है। मैं यह पूछना चाहूँगा कि 60-70 हजार का ट्रैक्टर ट्रोली रखने वाला किसान गरीब है तो क्या भूमिहीन किसान और अलाभकारी जोत वाला किसान इस देश में गरीब नहीं है ? मुझे इन्हीं बातों के कारण से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार पर लैण्ड ओनर्स की लॉबी हावी है और भूमिहीनों की लॉबी, जो कि करोड़ों की संख्या में है, का कोई प्रभाव नहीं है। आज अगर इस सदन में भूमिहीन किसानों के लिए कोई छूट की घोषणा की गई होती तो बात समझ में आती। जो रेवेन्यू सरकार वसूल करती है,

# Page No. 34

(34)



(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
तीस साल से जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनको लाभ दिया जाता, लेकिन इसमें गरीबों के लिये कोई प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए कोई काम नहीं किया गया है और फिर भी घाटे का बजट पेश किया गया है।

पिछले साल के बजट में जहां जनता सरकार ने 450 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था वहां इस साल 350 गांवों में भी पेयजल की व्यवस्था करने की बात अपने बजट भाषण में कही है। इस प्रकार इस साल कम गांवों में पेयजल की व्यवस्था की गई है। जहां हजारों गावों में पेयजल की समस्या हमारे यहां है वहां वित्तीय अभाव के कारण पूरा प्रावधान नहीं कर सके है। हम यह चाहते हैं कि कम से कम हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। पिछले साल के बजट मे जो आश्वासन दिया था कि नया बजट जब बनाया जायेगा तो कहीं से भी कर्जा लेकर पीने के पानी की व्यवस्था हर गांव मे करेंगे वह पूरा नहीं हो सका है। आज भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसकी व्यवस्था करेंगे।

इसके अलावा मैं सरकार से पुरजोर मांग करूंगा कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया जायगा तब तक राजस्थान का औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता है। इस साल बजट में कोटा ताप बिजली घर के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपये के खर्चे का प्रावधान रखा गया है। जहां विद्युत के लिए 70 करोड़ का बजट है वहां 7 करोड़ 50 लाख ही नयी इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए खर्च किया जायगा। आज आप उद्योगपतियों को बिजली प्राप्त करने में चाहे कितनी छूट बजट में दें लेकिन जब तक उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जायगी और राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं बढ़ाया जायगा तब तक राजस्थान में औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता है। नये उद्योगपतियों को आप अनुदान देंगे यह आपने कहा है। मैं यह मांग करूंगा कि यह अनुदान देने की प्रवृत्ति को बन्द करें। उद्योगपतियों को अनुदान देने से राज्य में औद्योगीकरण नही किया जा सकता है। यह पैसे की बरबादी है। जिन लोगों के पास साधन हैं उन लोगों को क्यों साधन दें। अगर आप राज्य का औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो राजस्थान में पानी बिजली का उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए, यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि यह व्यवस्था आप ठीक कर देते हैं तो उद्योगपति अपने आप राजस्थान में उद्योग लगाने को प्रोत्साहित होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले ही अधिक समय ले चुके हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हमारे 13 मिनट बाकी हैं। हमारे लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया था जिसमें 13 मिनट का समय उस रोज का बाकी है। अगर 13 मिनट ले लिये हैं तो मैं बैठ जाता हूं। अगर आप चाहते हों कि मेरे सुझावों का लाभ नहीं मिले इस सदन को तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि जो समय आपके लिये निर्धारित किया गया था वह पूरा हो चुका है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : तो मैं बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आप संक्षेप में कह दें और समाप्त कर दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुझे सभापतिजी ने कहा था कि समय बाकी है इसलिए मैंने कहा था।

मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का अगर प्रयास नहीं किया जायगा तो राजस्थान में इन्डस्ट्रीज नहीं पनपेंगी। खास तौर से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बिजली नहीं जायेगी तो वहां पर इन्डस्ट्रीज की स्थापना नहीं हो सकती है। राजस्थान एक बहुत बड़ा ऊन प्रोड्यूसिंग स्टेट है यहां उसकी इन्डस्ट्री का अभाव है, वह कमी पूरी नहीं हो सकेगी।

तीसरी बात मैं करूंगा सिंचाई के बारे में। आज भी राजस्थान नहर पर 30 करोड़ रुपये ही खर्च किये जायेंगे। गत वर्ष भी राजस्थान सरकार ने इसके लिये 30 करोड़ की बात की थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मैं नहीं समझता हूं कि आप खेती का उत्पादन किस तरह से बढ़ायेंगे? आज लाखों बीघा जमीन बिना पानी के पड़ी हुई है। अगर आपको राजस्थान में बेकारी मिटानी है तो आपको राजस्थान नहर पर अधिक खर्च करना पड़ेगा जिससे वहां पर अन्न का अधिक उत्पादन हो सके।

चौथी बात मैं यह कहूंगा कि सरकार मेडिकल कालेजेज पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। एक डाक्टर पर एक साल में करीब 1 लाख रुपया खर्च होता है। आज राजस्थान में 5 मेडिकल कालेजेज हैं, उनमें से 500 डाक्टर हर साल निकलते हैं, परन्तु हमारी सरकार ने 109 पोस्टें ही रखी हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी के डाक्टरों पर जो हमारी सरकार 4 करोड़ रुपया खर्च कर रही है उसका उपयोग हम राजस्थान की सेवाओं के लिए नहीं कर पा रहे हैं। इस टैक्निकल एजूकेशन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन राजस्थान सरकार उस अनुपात में पोस्ट क्रियेट नहीं कर पा रही है। नये बजट में 100 नये डाक्टरों के लिए व्यवस्था की है वहां 400 डाक्टरों का उपयोग हम राजस्थान की सेवा में नहीं कर पा रहे हैं और 4 करोड़ रुपया राज्य का वेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो हमने 109 डाक्टरों के लिये ही प्रोविजन बजट में रखा है दूसरी तरफ जिन टेक्निकल पर्सन्स पर हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं उनकी सेवाओं का राजस्थान के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह जो कमी है इसको दूर किया जाना चाहिए और जो टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स पर खर्च किया जाता है उसकी एक एक पाई का उपयोग राजस्थान की सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए। यह आपकी नीतियों की असफलता है कि हम अपने पैसे का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं और गरीबों से लिये गये टैक्स का उपयोग अपनी सेवाओं के लिए नहीं कर पा रहे हैं।

समय का अभाव है इसलिए मैं बैठ जाता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें 1 घंटा देने के लिए कहा था। हमारी तरफ से कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दी

# Page No. 36

(36)



(श्री रामनारायण चौधरी)
है सिर्फ 30 मिनट। उसके बारे में हम बार बार कहते रहे लेकिन आपकी कृपा नहीं हुई और हमारे सदस्य नहीं बोले सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे खेद है कि आज की कार्यवाही को देखते हुए समय बहुत कम है। मैं ज्यादा समय नहीं दे सकूंगा।

माननीय वित्त मंत्री जी वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री कल्याण सिंह सांखला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की लिस्ट में मेरा भी नाम था, मुझे दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे खेद है कि अब कोई अवसर नहीं दे सकूंगा।

श्री कल्याणसिंह सांखला : सिर्फ दो मिनट चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे क्षमा करें। विराजिये।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने अपने शासन काल की 8 मास की अल्पावधि में दो बार बजट प्रस्तुत किये हैं। प्रथम बार 1977-78 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान गत सितम्बर, 1977 में रखे थे, और दूसरी बार आज से केवल 7 दिन पहले ही 6 मार्च को 1978-79 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं। इससे पूर्व भूतपूर्व सरकार ने 1977-78 के मूल बजट अनुमान रखे थे। इस बजट की विशेषता को समझने के लिए यह जरूरी है कि इन तीनों ही बजटों में जो समग्र राजस्व प्राप्तियां हुई हैं या व्यय हैं उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख दूं। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि इन आंकड़ों के रखने के बाद यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि समग्र राजस्व प्राप्तियां आज से केवल एक साल पहले बजट में कितनी थीं, कितना व्यय उस बजट में रखा गया था और आज जो यह बजट रखा है इसमें समग्र प्राप्तियां कितनी हैं और समग्र व्यय कितना है।

1977-78 के मूल बजट में कुल प्राप्तियां 587.55 करोड़ थीं और व्यय 608.77 करोड़ था, लेकिन परिवर्तित जो अनुमान थे 1977-78 के उनमें यह समग्र प्राप्तियां 587.55 करोड़ के स्थान पर 589.86 करोड़ हो गई और व्यय जो पहले 608.77 करोड़ था मूल बजट में वह व्यय 649.82 करोड़ हो गया। मतलब यह है कि लगभग 41 करोड़ के करीब अधिक व्यय परिवर्तित अनुमानों में हो गया। संशोधित अनुमान में में वह समग्र प्राप्तियां 654.08 करोड़ थीं और जो व्यय हुआ वह 676.92 करोड़ था। इस प्रकार उस समय बजट में 22.84 करोड़ का घाटा संशोधित अनुमान के अनुसार आंका गया। अब जो यह बजट रखा गया है, इसमें जो प्राप्तियां हैं उनको अगर दो भागों में बांटें तो राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां हैं राजस्व की प्राप्तियां 533.16 करोड़ व पूंजीगत प्राप्तियां 162.86 करोड़ हैं, जिसका योग 696.02 करोड़ हो जाता है। पूरा समग्र व्यय है, वह राजस्व व्यय 503.71 करोड़ और पूंजीगत व्यय 221.36 करोड़, इस प्रकार कुल व्यय होता है 725.07 करोड़। इससे यह पता चलता है कि जो व्यय आज से एक वर्ष पहले केवल 608 करोड़ का था वह आज 725 करोड़ का है। इस प्रकार से व्यय में लगभग 117 करोड़ की वृद्धि हुई है और जो आमदनी

(श्री आदित्येन्द्र)
पहले 587 करोड़ थी वह अब तक 696 करोड हुई है, इस प्रकार से 109 करोड़ आमदनी में वृद्धि हुई है।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। आम तौर पर बजट का स्वागत किया गया है और बजट की सराहना की गई है न केवल यहीं पर बल्कि जब दो तीन दिन पहले मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली में भी संसद् के जो राजस्थान के अलावा दूसरे सदस्य हैं उन्होंने भी सराहना की है ··

श्री मूलचन्द डागा : सब जनता पार्टी के सदस्य होंगे।

श्री आदित्येन्द्र : नहीं। लेकिन मैं सराहना से प्रभावित नहीं होता हूं। सराहना हो सकती है। आप कहेंगे जैसे अभी कहा, यह केवल जनता पार्टी के लोगों ने ही की होगी। मेरा कहना यह है कि जनता पार्टी के लोगों के अलावा समाचार पत्रों ने भी इसकी सराहना की है और दूसरी पार्टियों के लोगों ने..

श्री मूलचन्द डागा : किस अखबार ने सम्पादकीय नोट लिखा है जिसमें श्रीमान् के बजट की तारीफ लिखी? एक भी बता दें स्टेंडर्ड अखबार जिसमें इस बजट की भूरि भूरि प्रशंसा की हो?

श्री आदित्येन्द्र : अभी इन बातों का जवाब दूं उसके बजाय मैं बजट की आलोचना पर आता हूं।

बजट के संदर्भ में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बजट में कोई दिशा नहीं है, बल्कि बजट दिशाहीन है, निराशाजनक है और यथास्थितिवादी है। बजट को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो मैं समझता हूं ये तीनों बातें ही नहीं हैं। बजट आगे के लिए आशा प्रदान करता है, यह एक निश्चित दिशा देता है और इसमें यथास्थिति नहीं है बल्कि इसमें एक प्रगति है। माननीय सदस्यों ने जो जो भी आलोचना की है, उसमें से सबसे पहले मैं उस आलोचना के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं जो हमारे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य श्री माथुर साहब ने की है। माथुर साहब ने यह बताया है कि राज्य पर कुल ऋण 13 अरब 45 करोड़ रुपया है जब कि उसके पेटे कुल अचल सम्पत्ति केवल 713 करोड़ की है। इसका अर्थ यह है, उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जितना राज्य पर ऋण है, उसके बदले में उतनी अचल सम्पत्ति अर्जित नहीं की है। इस प्रकार से वह रुपया, या तो राजस्व खाते में चला गया, या अनावश्यक रूप से खर्च हो गया। ऐसी बात नहीं है। एक बात यह है कि जो आंकड़े माथुर साहब ने दिए हैं उनमें गलती है। स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिए मैं पहले तो 1976-77 के अन्त तक राज्य के कुल ऋण और सम्पत्ति के बारे में सदन के सामने कुछ आंकड़े रखूंगा और उनके द्वारा यह बताने की कोशिश करूंगा कि भूतपूर्व सरकार ने ऋण और सम्पत्ति की क्या हालत हमें दी थी। इसके बाद मैं नई सरकार द्वारा बनाए गये दो बजट अर्थात् परिवर्तित बजट 1977-78 और बजट अनुमान 1978-79 के द्वारा होने वाली पूंजी तथा सम्पत्ति के आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

(श्री आदित्येन्द्र)

इन दोनों आंकड़ों की तुलना कर आप लोग स्वयं अनुमान लगायें कि वस्तुस्थिति किस प्रकार है। 1976–77 के अंत तक राज्य पर कुल ऋण लगभग 1070 करोड़ था जिसके पेटे उस समय तक कुल पूंजीगत व्यय लगभग 714.50 करोड़ का था। इसके अतिरिक्त जो ऋण की राशि राज्य सरकार को और संस्थाओं से लेनी है वह कन्टीन्जेन्सी फंड को मिलाकर 283 करोड़ की थी, इस प्रकार कुल सम्पत्ति का मूल्य लगभग 998 करोड़ होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1976-77 के अंत तक नई सरकार को जो धरोहर सौंपी गई थी उसमें 73 करोड़ की पूंजी कम पाई गई। माथुर साहब ने आंकड़ा दिया है कि ऋण 13.45 अरब का था, यह आंकड़ा शायद गलती से दे दिया। मैंने बताया कि 1976-77 के अंत तक जो भी सरकार पर ऋण था वह 714।। करोड़ का था और 283 करोड़ रुपया ऐसा है जिसमें कन्टीन्जेन्सी की रकम भी है और जो रुपया सरकार को लेना था, वह भी था। यह माथुर साहब ने शामिल नहीं किया है। 713 करोड़ की जो अचल सम्पत्ति बताई है इसमें अगर 283 करोड़ जोड़ दिया जाए तो 996 करोड़ हो जायेंगे। इससे यह नतीजा निकालना ठीक होगा कि 73 करोड़ रुपये का ऋण भूतपूर्व सरकार ने राजस्व खाते में उपयोग किया होगा। इस प्रकार का एक उदाहरण यह भी है कि 1973–74 में पूंजी खाते से राजस्व खाते में लगभग 18 करोड़ रुपया व्यय किया गया था अतः भूतपूर्व सरकार ने 73 करोड़ रुपया पूंजी खाते से राजस्व खाते में काम में ले लिया होगा जो वित्तीय सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इसके विपरीत नई सरकार द्वारा बनाए गए दोनों बजटों के आंकड़ों को जोड़कर 1978-79 के अंत तक राज्य पर कुल ऋण 1230 करोड़ ही बनता है याने इसके बाद और जो कुछ ऋण लिया है सरकार ने, वह मिला कर 1230 करोड़ बनता है जिसके पेटे राज्य की कुल पूंजी अचल सम्पति मिला कर 1293 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार 63 करोड़ रुपया हमने और बढ़ाया है अतः 1978. . . .

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ ऑर्डर। He cannot read speech। वित्त मंत्री लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वित्त मन्त्री जब बजट भाषण देते हैं तब उनको छपा हुआ भाषण पढ़ने का अधिकार है। जब बजट पर जनरल डिस्कशन होता है उसके बाद में वापस जवाब दिया जाता है तो लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता। मुझे इतने वर्षों का अनुभव है, मुख्य मंत्री भी बैठे हैं उनको मालूम है। जो भी सदन में बजट पर आलोचना हुई है उसका जवाब सेक्रेटरी ने बना कर मंत्री को दे दिया उसको पढ़ें, यह उचित नहीं है। यह इस सदन का कन्वेंशन नहीं रहा है और रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप व्यवस्था दें। मंत्रीजी बिल्कुल हूबहू वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहे हैं, क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में सदन के नेता के क्या विचार हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : यह लिखा हुआ भाषण नहीं है, यह आंकड़ों का सवाल है। यह तो वित्त मन्त्री जी ने आंकड़े पढ़े हैं और अपने नोट्स से पढ़े हैं।

एक माननीय सदस्य : यह नोट्स हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आंकड़े अगर नोट्स में से पढ़ते हैं तो पढ़ना अनुचित नहीं है। बजट स्पीच जो मन्त्री महोदय ने दी उसके बाद में सदस्यों ने जो आलोचना की उसके आधार पर नोट्स बनाये हैं और उन्हीं आधार पर ही यह बता रहे हैं। भाषण नहीं पढ़ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपकी समझ का फेर है।

श्री मथुरादास माथुर : पढ़िये साहब, पढ़िये।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार माननीय माथुर साहब ने जो आंकड़े दिये वह गलत आंकड़े थे। वास्तविक आंकड़े जो थे उसमें 63 करोड़ की अचल सम्पत्ति और है।

दूसरी बात जो है वह माननीय सदस्यों ने बजट के बारे में कही है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये थे वह तो सभी आंकड़े मैंने जो वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में, बजट स्पीच में पढ़ा था उसी पुस्तिका में से काट किये हैं। अगर आप यह कहते हैं कि टोटल लोन्स और एडवान्सेज तथा केपिटल आउट-ले और असैट्स वगैरह यह हैं, तथा आपने जो कर्जा लिया उस कर्जे को भी आप अपनी असैट्स बताते हैं तो गलत है। इसके अलावा सन् 77–78 का टोटल क्या होगा ? उसका अभी तक हिसाब आया नहीं है। उसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते आप और हम भी।

श्री मूलचन्द डागा : मास्टर साहब, आप तो स्लिप भिजवा दीजिये साहब अपने ऑफिसरों के पास आफिसर्स गैलेरी में, अभी जवाब आ जायेगा।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जिस वक्त मैंने बजट के ऊपर स्पीच दी उस वक्त न तो मुख्य मन्त्रीजी यहां पर विराजे हुए थे और न ही वित्त मन्त्रीजी खुद ही विराजे हुए थे। अब अगर असैट्स के फिगर्स वगैरह देकर और यह कह कर टालना चाहते हैं कि उस सरकार ने ऐसा किया या वैसा किया तो यह बात गलत है। यह फाइनेन्स का मामला है कोई सियासत की बात नहीं है जो चल जाये। अब 77–78 के अन्दर आगे क्या खर्चा होगा, क्या आपके असैट्स बनेंगे, केपिटल आउट-ले की स्थिति क्या हो सकती है, यह अभी नहीं बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार कहती है कि हमने कन्सोलिडेटेड फन्ड में से 293 करोड़ रुपये विकास कार्यों में लिये हैं तो इसके लिये तो आप चाहें जितना कर्जा लें हमें एतराज नहीं है, हम यह नहीं चाहते हैं कि विकास के कार्य बन्द हो जावें और आप कर्जा नहीं लें। आप कर्जा लें, एक हजार करोड़ रुपये तक लें। पर इसके लिये आपको सदन में एक बिल लाना होगा और उसे चाहे आप लावें या फिर हम उस बिल को लावें लेकिन हमारा तो इतना ही कहना है कि आपको इसके लिए सदन को कान्फिडेन्स में लेना

(श्री मथुरादास माथुर)

होगा। उस बिल पर हमें यहां पर पूरी चर्चा करनी होगी। अब उसमें आप कितना लोन लें, कितना लोन न लें क्या लेटिट्यूड हो वह आप जानें लेकिन जैसा कि मैंने आर्टिकल 293 कोट किया था उसके अनुसार आपको पर्टीक्यूलर कर्जे का अमाउन्ट होने के बाद में एक बिल सदन में लाना होगा फोर फर्दर लोन्स। आप फ्यूचर लोनिंग के लिए केपिटल आउट-ले के बारे में आप चाहें तो कोई फाइनेन्शल एक्सपर्ट से राय ले लें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने पहले ही यहां निवेदन कर दिया था कि 283 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिये हैं जो कि आर. एस. ई. बी. में लगाये जायेंगे, रोड़-वेज में लगाये जायेंगे। पंचायत समितियों में पंचायतों के विकास के लिए काम में लिये जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कर तो रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. के जो प्लान के लिए लोन लिया गया है वह तो आर. एस. ई. बी. खुद ने लोन लिया है। उसकी आप दो जगह अकाउन्टेबिलिटी नहीं दिखा सकते हैं। वह तो आपका है नहीं। आर. एस. ई. बी. ने लोन लिया है वह उसके फन्ड में जायेगा। उसके जो भी असैट्स क्रियेट होंगे वह तो आर. एस. ई. बी. के हिसाब में जायेंगे। आपने आर. एस. ई. बी. के लोन को इसके अन्दर कैसे शामिल कर लिया? आपने तो और कर्जा बढ़ाया है। कन्सोलिडेटेड फन्ड में से आपने पैसा लिया है। इसमें तो सरकार के असैट्स क्रियेट हुए नहीं हैं। आर. एस. ई. बी. और सरकार के असैट्स अलग अलग होते हैं।

(व्यवधान)

अब अगर आपने लोन दिया है आर. एस. ई. बी. को तो वह तो ट्रान्सफर हो गया, जैसे मैंने 25 करोड़ रुपये मास्टर आदित्येन्द्र जी को दिये और वह पैसा आपने खर्च कर दिया। कहने का मतलब यह है कि स्टेट ने आर. एस. ई. बी. को लोन दिया उसने उसको खर्च किया और उसने उससे असैट्स क्रियेट किये वह तो उसने अपने उस फन्ड में से किये, जो कि लोन उसने लिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है कि वह केपिटल आउट-ले के खाते में जाना चाहिये, आप इस पक्ष में हैं तो इसके लिये तो पहले ही मास्टर साहब ने कह दिया था कि राजस्व खाते में इस तरह के मनी का ट्रान्सफर इस साल में नहीं पूर्व साल में हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो यह कहता हूं कि केपिटल आउट-ले, असेट्स तथा लोन्स, सभी की राशियों को अगर देखा जाय तो इसमें गैप है। तो अब चूंकि कर्जा अधिक है और आप अधिक कर्जा

(श्री मथुरादास माथुर)

लेना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर लोनिंग के लिये सदन में बिल लाना पड़ेगा, उसके लिये आपको हाउस को कोन्फिडेन्स में लेना पड़ेगा। उसके लिये मैंने आपको आर्टिकल 293 का उस दिन हवाला दिया था जिसके अन्तर्गत हम बिल लाकर फ्यूचर लोन्स के लिये प्रबन्ध ले सकते हैं। इसमें भी एक लिमिट है, उसके बाद में अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपको कान्स्टीट्यूशन की धारा 293 के तहत हाउस में बिल लाकर लेना पड़ेगा। अब केपिटल आउट-ले में आपके विकास के जो खर्चे हैं चाहे आपने इधर खर्च कर दिया है तो उसमें पैसा खर्च होने की वजह से आपका केपिटल आउट-ले बना नहीं और आपको 67 करोड़ इन्ट्रेस्ट के ही देने पड़ते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं मिसयूज आफ दी मनी हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो पहली ही बार हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : इस बार हुआ है। आगे होगा या नहीं इसके बारे में अभी क्या कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछले वर्ष जब मास्टर साहब ने बजट स्पीच की थी तब उन्होंने स्वीकार किया था।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो पिछले वर्ष के बारे में ही कह रहे हैं। इस वर्ष के अकाउन्ट्स बन नहीं पाये हैं। जब आयेंगे तब आपको बतायेंगे।

श्री एच. एन. शर्मा : अब आई ना बात समझ में।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो हैं ही इसीलिये।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सदस्यों ने जो दूसरी बात बजट के ऊपर आलोचना में कही वह यह है कि अब की बार बजट में मितव्ययता के बारे में कोई भी कदम राज्य सरकार ने नहीं उठाये हैं, उसकी कोई घोषणा नहीं की गयी है जब कि संशोधित बजट भाषण में या परिवर्तित बजट भाषण में इस बात का विशेष तौर से उल्लेख किया गया था कि पांच करोड़ से अधिक रुपये की राशि की कमी खर्च में मितव्ययता करके की जायेगी। इस बारे में मेरा निवेदन है कि बजट भाषण में, जो बजट स्पीच थी उसमें पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि 7.12 करोड़ के घाटे का अनुमान किया है, इस घाटे के स्थान पर इस वर्ष की समाप्ति तक 14.78 करोड़ रुपये की बचत की जायेगी। इस प्रकार घाटा बचत में बदल जायेगा। इसलिये यह जो बचत की गयी है वह मितव्ययता से की गयी है। इस प्रकार सन् 77–78 में राजस्व खाते में घाटे को समाप्त करके पर्याप्त बचत हुई। विभिन्न मद हैं उनमें हमने पिछले वर्ष आवश्यक कमी की थी। इसके अनुसार जो 77-78 के संशोधित अनुमान हैं उसमें जो योजना व्यय है वह 198.94 करोड़ का होने का अनुमान है जब कि परिवर्तित अनुमानों में यह राशि 196.53 करोड़ रखी गयी थी। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि जितने हमने अनुमान संशोधित परिवर्तित बजट में रखे थे उसको खर्च नहीं कर पाये हों। ज्यादा ही खर्च किया है। योजना व्यय 200.42 करोड़ था इस वर्ष और अधिक

(श्री आदित्येन्द्र)
होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इस वर्ष कोई चीज...

श्री मूलचन्द डागा : नॉन प्लान में 5 करोड़ की कमी होगी। यह बजट है, यह चमत्कार है या क्या है। बार बार पूछा है। आपने कहा कि पांच करोड़ की प्रशासनिक खर्च में कमी कर दी जावेगी। आपने यह बताया था कि यह महकमे इसमें जोड़ दिये जावेंगे। इसमें आपने आंकड़े दिये हैं कि सेक्रेटेरियट का खर्चा बढ़ा है, नौकरियों का खर्चा बढ़ा है, मन्त्रिमंडल का खर्चा बढ़ा है। यह बताइये कि बजट में 5 करोड़ कहां कम खर्च कर दिये, प्लान एक्सपेन्डीचर में या नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर में ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जावेगा थोड़ा धैर्य तो रखिये।

श्री मथुरादास माथुर : ये रिप्लाई दे रहे हैं...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है ?

श्री माथुरादास माथुर : कोई फाइनेन्स मिनिस्टर स्टेटमेन्ट देता है तो फैक्ट्स एन्ड फिगर्स के साथ देता है। एक एक पाइन्ट पर एक एक जवाब दे दीजियेगा या बाद में अन्त में पूछ ले। वे भूल जावेंगे इसलिये पाइन्टवाइज पूछ लिया। आप इतने क्लियर कट रिपीट करते हैं कि इकोनोमी होगी इसलिए पूछा कि वह नॉन प्लान में या प्लान में ? नॉन प्लान में है तो कितना पैट्रोल बचा लिया है ? जिसको आप इकोनोमी कहते हैं वह नान प्लान में 5 करोड़ की कमी कहां हुई ? एक प्रश्न का उत्तर आपने दिया नहीं हम बड़ा इन्तजार करते रहे। बजट में इसकी डिटेल्स भी नहीं हैं। हमारी दिक्कत यह है नोन प्लान में परमानेन्ट नेचर की इकोनोमी है तो हमें बता दीजिये, ताकि हमें संतोष हो जाय। आंकड़े बता दें और डिटेल्स बता दें तो संतोष हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय माथुर साहब वित्त मंत्री रह चुके हैं। माथुर साहब यह नहीं कह सकते कि जब कभी उन्होंने भाषण दिया हो तो इस प्रकार से बीच में इन्ट्रप्शन हुआ हो। बजट भाषण पर वाद-विवाद के बाद में भी माथुर साहब मानेंगे अलग अलग प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, डिमाण्ड आवेंगी हर डिपार्टमेन्ट की, कितना खर्च हुआ यह उस समय ही आवेगा। उस समय तक भी संतोष न हो तो एप्रोप्रियेशन बिल पर सारी बातें आ जावेंगी कि कितना खर्चा किया गया। इस प्रकार इन्ट्रप्शन्स क्या वाजिब हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आप बाद में उत्तर दे दें। जो आप रोग कहते हैं तो रिप्लाई के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने भी जवाब दिये हैं ऐसे प्रश्नों के। बाद में दें तो बाद में दे दें। इसलिये मैंने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि अभी दिलवा दीजियेगा या बाद में दिलवा दीजियेगा। बाकी कोई इन्ट्रप्शन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप निश्चित कर लीजिये यदि सदन में यही परम्परा डालना चाहते हैं तो।

श्री मथुरा दास माथुर : यह है।

# Page No. 43

(43)



श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तक नहीं थी। मैं भी सदन में ज्यादा रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ। 1½ मिनट में डिबेट का जवाब दिया है। हमने उस सारी स्थिति को सहन किया था। आज ही कौनसा पहाड़ टूट रहा है। आज मास्टर साहब बोल रहे हैं और आप क्वेश्चन्स की झड़ी लगा कर यह चाहते हैं कि वे उत्तर न दे सकें।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : परम्परा हम भी जानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो चाहते हैं कि परम्परा डाल दो।

श्री मूलचन्द डागा : अभी पूरा भाषण दे दो फिर बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : परम्परा डालेंगे फिर भी।

श्री आदित्येन्द्र : मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर भी विचार किया गया कि कितने पद ऐसे हैं जो अतिरिक्त हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से 1030 पद ऐसे माने गये जो अतिरिक्त हैं और विभिन्न विभागों को निर्देश दिये गये।

दूसरी परम्परा यह कायम की कि हर तीन माह के बाद वित्त विभाग द्वारा जो भी व्यय होता है, अतिरिक्त व्यय अनावश्यक व्यय उसका पुनरावलोकन किया जाता है। यदि ऐसा माना जाता है कि यह व्यय अनावश्यक या अनुत्पादक है तो उसमें से उतना ही व्यय काट कर उसके लिये विभिन्न विभागों को सलाह देकर लिख दिया जाता है।

तीसरी बात घाटे की पूर्ति के सम्बन्ध में कही गयी है। घाटे की पूर्ति जो कुछ भी है, पहले जो घाटा मैंने बताया बजट में कि जो शुद्ध घाटा है, या जो घाटा रहेगा वह लगभग 3.90 करोड़ का है। 22.84 करोड़ के अनुमान बताये गये घाटे के वे इसके अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त 7.84 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है जो गत वर्ष से चला आ रहा है। इस प्रकार कुल घाटा मिला कर 34.82 करोड़ हो जाता है।

मैंने बजट स्पीच में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि इस घाटे की पूर्ति इस प्रकार से होगी कि केन्द्रीय सरकार ने नये कर लगाये हैं और उन नये करों से राजस्थान के हिस्से में और कुछ ज्यादा राशि प्राप्त होगी। यह तो अब तक निश्चय नहीं हुआ कि वह कितनी राशि होगी लेकिन यह तय है कि वह करोड़ों में होगी तो वह भी घाटे की पूर्ति में सहायक होगी।

इसके अलावा यह भी है कि यह बीमा योजना है वह अभी तक सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इसको स्वायत्त शासन संस्थाओं में या दूसरी जो ओटोनोमस बोडीज हैं उनमें भी लागू करना चाहते हैं। बीमा योजना लागू करने के बाद जो प्रीमियम होगा वह हमारी प्राप्तियां होंगी। यह जरूर है कि वह हमारे ऊपर एक प्रकार से ऋण होगा लेकिन हम इस प्रकार से चाहते हैं कि घाटे की पूर्ति की जाय।

दूसरे हम कुछ ग्रामीण ऋण पत्र भी प्रचलित करना चाहते हैं। इनसे भी 10 करोड़ तक के आने की सम्भावना है।

(श्री आदित्येन्द्र)

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना यह है कि बजट भाषण में यह कहा गया है कि विकास के अन्दर केवल .64 की अतिरिक्त वृद्धि होगी। इस अतिरिक्त वृद्धि को वास्तव में अगर हम देखें तो केवल अनुपात के देखने से काम नहीं चलेगा। इसको अच्छी तरह से हमें समझना है। पूर्ण विकास व्यय पर कितना प्रतिशत 6 महीने पहले था और अब कितना प्रतिशत है? इसके अन्तर के नाप को विकास की ओर उठाये गये कदमों से नापना ठीक नहीं है। जैसा कि बजट भाषण में मैंने कहा था, 1977–78 के मूल बजट में विकास व्यय केवल 415 करोड़ रुपया था जिसको बढ़ा कर परिवर्तित अनुमानों में 450 करोड़ रुपया कर दिया गया था और 6 महीने के शासन काल में इस सरकार ने 450 करोड़ के विकास व्यय को बढ़ाकर 472 करोड़ रुपया कर दिया। अगली साल के लिए हमने 507 करोड़ रुपये रखा है। इस तरह से 6 महीने में कुल मिला कर 57 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यदि हम मार्च, 1977 के अनुमानों से तुलना करें तो विकास व्यय में 92 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस तरह से विकास की जो गति है और विकास व्यय में जो वृद्धि हुई है इस साल में वह काफी है; वह लगभग 22.27 प्रतिशत है। यहां पर पूर्ण विकास और विकास व्यय में जो अनुपात पहले बताया गया था और जो अब अनुपात है इसका अर्थ यही है कि हमने अनुत्पादक खर्च को कम करने की कोशिश की है और जो कुछ भी व्यय किया जाता है इसकी ओर ध्यान दिया गया है।...

**श्री मथुरादास माथुर** : सफाई के लिए कुछ पूछना चाहता हूं बीच में इन्ट्रप्ट नहीं कर रहा हूं। यह जो आपने बताये हैं फिगर्स यह करेन्ट प्राइस पर हैं या 1961–62 की प्राइस पर हैं?

**श्री आदित्येन्द्र** : यह मैं आपको बाद में बता दूंगा।

तो राज्य योजना जो पहले 168 करोड़ रुपये की रखी गयी थी एक साल पहले वह 197 करोड़ के करीब रखी गयी थी और इन संशोधित अनुमानों में वह 196 करोड़ रुपये के करीब हो गयी है। अब जो नये वर्ष की योजना रखी गयी है वह 236.97 करोड़ रुपये की है। इस तरह से जो मूल योजना थी उस मूल योजना पर अगले वर्ष 40.26 प्रतिशत अधिक व्यय होगा। इतनी अधिक वृद्धि पहले वर्षों में कभी नहीं हुई है।

सामान्यतया अधिकतर सदस्यों का ऐसा मत था कि पेयजल की मद में तो व्यय में वृद्धि की गयी है लेकिन जो ग्रामीण पेयजल की योजना है उसमें वृद्धि नहीं की गयी है। उसमें नये साल के लिए जो प्रावधान रखा गया है वह कम है ऐसी बात नहीं है। बजट भाषण के पैरा 48 में साफ कहा गया है कि अगले वर्ष ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये और मिलने का अनुमान है। तदनुसार अगले वर्ष में 16.62 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। जो कि 11.12 करोड़ रुपया बताया गया है परिवर्तित अनुमानों के अनुसार, वह 12.83 करोड़ व्यय होगा। तो इस मद में भी पहले से वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नयी वित्तीय संस्थाओं से भी अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

(श्री आदित्येन्द्र)

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं से प्राप्तियों में बढ़ोतरी एवं इन्डस्ट्रीज और माइन्स की आमदनी में कमी का प्रश्न उठाया है। मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जो आमदनी कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं की है इसमें जो योजना केन्द्रीय सरकार की है, कार्य हेतु अनाज जो हमें मिला है लगभग 10 करोड़ रुपये का वह भी शामिल है। इसलिए वास्तव में आमदनी इस अनाज को मिला कर है।

जहां तक इन्डस्ट्रीज और माइन्स के अन्तर्गत जो भी आमदनी हुई है और इसमें जो कमी दिखाई गई है वह वास्तव में कमी इस कारण से है कि इस वर्ष 25.55 करोड़ रुपये की आमदनी दिखाई गई थी किन्तु अगले वर्ष के अनुमान में 2.24 करोड़ रुपये की कमी दिखाई गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि झामर कोटड़ा की खानों से निकलने वाले राक फास्फेट की बिक्री इस वर्ष 6 लाख टन होने की आशा है, लेकिन राक फास्फेट की बेनीफीसिएशन स्कीम में अगले वर्ष कम मात्रा में राक फास्फेट निकाला जायेगा याने 6 लाख टन की जगह 5 लाख टन ही निकाला जायेगा क्योंकि हमारे यहां प्लान्ट लगा है। यहां पर ऐसी परम्परा पहले से चली आ रही थी कि जो राक फास्फेट निकालते थे वह रा-मैटीरियल की शकल में चला जाता था और हमारे यहां उसका उपयोग नहीं होता था। हमने सोचा है कि इसका प्रोसेस करके क्वालिटी को अच्छा किया जाये। इसलिये हम राक-फास्फेट 6 लाख टन की जगह ज्यादा नहीं निकाल रहे हैं और जितना उपयोग में आ सके उतना ही निकालेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : एक प्रश्न राक-फास्फेट के बारे में है, गुस्ताखी माफ हो। आने वाले बजट में 2 करोड़ की आमदनी ज्यादा दिखाई गई है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह राक फास्फेट की कीमत ज्यादा इस कारण से हुई है या आपने ज्यादा खोद कर बेचा इससे ज्यादा हुई ? यह जरा बता दें।

श्री आदित्येन्द्र : दोनों ही प्रकार से हुई।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि राज्य की लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता के समग्र विकास व्यय में राशि 64.44 प्रतिशत ही रखी गयी है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा परिवर्तित बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास पर व्यय 62.15 प्रतिशत रखा गया था जिसे हमने बढ़ाकर अगले वर्ष में 64.44 प्रतिशत कर दिया है। इस 5–6 महीने के अल्पकाल में ही 2.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी अपने व्यय में यह बतलाती है कि हमारी सरकार किस तरह प्राथमिकताओं को परिपूर्ति की दिशा में पूरा प्रयत्न कर रही है। ग्रामीण विकास में जहां तक हो सका है ऐसे ही मदों को शामिल किया है जो कि सीधे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। सभी मदों को अगर शामिल कर दिया जाये तो बहुत से मद ऐसे हैं कि जिनको अलग करना सम्भव नहीं है जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचता है और जो अर्बन क्षेत्र है

(श्री आदित्येन्द्र)

उनको भी लाभ पहुंचता है। जैसे सड़क है सड़क द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन क्षेत्र को जोड़ा जाता है तो उसमें कुछ लाभ वहां की जनता पाती है और कुछ वहां की जनता उठाती है। अगर मान लें उस खर्च को भी इसके अन्दर सम्मिलित किया जाये तो यह जो खर्चा ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है यह 64 प्रतिशत से बढ़ कर और ज्यादा ही आयेगा ...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह फिजिकल टार्गेट क्या होगा, यह तो बतायें।

**श्री सम्पतराम** : पूरा होने पर मालूम पड़ेगा।

**श्री मथुरादास माथुर** : 120 मील सड़क बनाना चाहेंगे, उसका बजट बनाते हैं, फिजीकल टार्गेट तो बनाते हैं। इस बजट में इस तरह फिजिकल टार्गेट नहीं बताये हैं इसलिये आप यह मत कहियेगा कि फिजीकल टार्गेट में रुपया रखा जाता है। पर्फार्मेन्स बजट पेश कीजिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : किसी ने किया है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : मैंने दो दफा पेश किया है, आप देख लीजिये असेम्बली की प्रोसीडिंग्स उठा कर। इस साल के टार्गेट नहीं दिये और कह दिया कि रुपया हम खर्च करते हैं।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : फिजीकल टार्गेट का मतलब तो समझते हैं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : 10 करोड़ रुपया रखा है इसमें कितने मील सड़कें बनेंगी ?

**श्री आदित्येन्द्र** : मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह तो ठीक बात है कि बजट भाषण में हुई उपलब्धियां नहीं बताई गई हैं लेकिन उपलब्धियां अपने आप ही साफ जाहिर हो जाती हैं। अब यह बताया जाता कि बजट के परिवर्तित आंकड़ों में 196. समथिंग करोड़ रुपये का प्रावधान था और संशोधित अनुमान 198 करोड़ हो जायेगा तो इसका अर्थ यह है कि जो प्रावधान हमने किया था उसके अलावा भी 2 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हो गया। वह उपलब्धियां ...

**श्री मथुरादास माथुर** : इसके माने यह नहीं हैं वे उपलब्धियां पूरी हुईं।

**श्री आदित्येन्द्र** : अब मैं इस बजट की कुछ विशेषताओं के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। इस संबंध में भी आलोचनायें हुई हैं। मैं यह मानता हूं कि कोई चीज इस दुनियां में पूर्ण नहीं है। हर चीज में कमियां हैं, खामियां हैं यह हमेशा रहेंगी। आज नहीं, आगे भी रहेंगी। पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था मैंने यह कहा था कि मूल बजट में कुछ इधर-उधर परिवर्तन किये हैं। उनमें जो मौलिक परिवर्तन किया था वह दो बातों में किया था। एक तो मद्य-निषेध के सम्बन्ध में, यह ठीक है कि मद्य-निषेध पहले से लागू था लेकिन मद्य-निषेध पिछले तीन-चार सालों से मन्द नहीं, अवरुद्ध हो गया था। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक नई प्रकार की लहर आई, एक वातावरण बना उसके कारण फिर यह मद्य-निषेध की नीति को तीव्र गति दी गई।

**श्री मदनसिंह दांता** : कम आदमियों ने ज्यादा शराब पी।

श्री आदित्येन्द्र : मैं आपको निवेदन करूं कि आज से लगभग 8-9 महीने पहले जुलाई के महीने में पूरे देश के सभी एक्साइज मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेन्स हुई थी। उसमें प्रधान मंत्रीजी आये थे, उन्होंने भाषण दिया था और उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे। महत्वपूर्ण निर्णय एक यह लिया गया था कि अधिक से अधिक चार वर्षों की अवधि में पूर्ण मद्य-निषेध लागू कर दिया जाये, पूरे देश में। इसका अर्थ यही है कि 1 अप्रेल 1981 तक देश में पूर्ण मद्य-निषेध लागू हो जायेगा···

एक माननीय सदस्य : कौन करेगा ?

श्री आदित्येन्द्र : सुन लीजिये।

इस समय इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान ने पहल की है। उस समय यही कहा था कि राजस्थान पहल करेगा और राजस्थान पूर्ण मद्य-निषेध नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिये कृत संकल्प है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी यही कहा गया है। वित्त मंत्री की हैसियत से मैंने अपने भाषण में यही कहा था कि हम अपनी नीति पर दृढ़ हैं और हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि हम भविष्य में भी आगे बढ़ कर पूर्ण मद्य-निषेध राजस्थान में करेंगे···

एक माननीय सदस्य : आज ही कर दो।

श्री आदित्येन्द्र : इसके लिये कोई तिथि निर्धारित करना या बताना, मैं समझता हूं, मेरे लिये वास्तव में कठिन है। हमें इसमें कई बातों पर विचार करना है। देखना यह है, जैसा आप कह रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया है जुलाई के महीने में 4 वर्ष के अन्दर अन्दर पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने का उसमें लोग कहां तक बढ़ते हैं। इसलिये राजस्थान में आगे बढ़ते हुए भी, आगे पूर्ण प्रयत्न करते हुए भी, थोड़ा सा संकोच होता है। इसलिये आज इस स्थिति में नहीं हूं कि निश्चित तिथि आपके सामने कह सकूं लेकिन इतना मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में पूरी तरह से सजग हैं। सच्चाई और ईमानदारी से इस काम को पूरा करना चाहते हैं। जो काम कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर्स या एक्साइज मिनिस्टर, मुख्य मंत्री जी और दूसरे उन क्षेत्रों में देखेंगे जिनको ड्राई एरिया घोषित किया गया है, वहां पर जाकर इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि क्या कारण है वहां पर इल्लिसिट··

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्री जी को जरूर भेज दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप को साथ लेकर चलूंगा।

श्री आदित्येन्द्र : इतना ही नहीं, बल्कि विभाग के जो कर्मचारी हैं और विभाग के जो कमिश्नर हैं, और वित्त विभाग के अधिकारी हैं, वे भी जाकर देखेंगे। उन्होंने आपस में बैठ कर विचार भी किया है···

श्री मदनसिंह दांता : सब जानते हैं कहां दारू निकलती है।

श्री आदित्येन्द्र : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है, किसी ने विरोध नहीं किया।

(श्री आदित्येन्द्र)

बल्कि सभी ने उत्सुकता प्रकट की है बल्कि कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो यह चाहते हैं कि आज ही और इसी क्षण अगर इसको लागू कर दिया जाये और घोषणा कर दी जाय कि पूर्ण मद्य-निषेध लागू हो गया तो बड़ी खुशी होगी उन लोगों को . . .

श्री मदनसिंह दांता : आप कर दें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। या तो डिपार्टमेंट को छोड़ दो या कर दो।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि आप इसके लिये उतावले भी हो रहे हैं और उत्सुक भी हैं . . .

एक माननीय सदस्य : उतावले !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम ऐसी घोषणा नहीं करना चाहते हैं जैसी माननीय मथुरा दासजी ने तालियों की थपथपाहट में घोषणा की थी कि 1972 से पूर्ण नशाबन्दी हो जायगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं 1972 में मिनिस्टर नहीं रहा . . .

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि देश में, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में जल्दी से जल्दी मद्य-निषेध लागू हो। यह ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्रीजी, एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। मद्य-निषेध के लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा तो यह पूछना है कि दारू के बजट में स्प्रिट खरीदने का जो प्रावधान है मास्टरजी, चन्दनमलजी ने उसको ढाई करोड़ किया था, आपने रिवाइज्ड बजट में पौने तीन करोड़ किया और अब तीन करोड़ इस बजट में मांगा है। उधर 13 जिलों में प्रोहिबिशन कर दिया है और इधर आपका स्प्रिट खरीदने का प्रावधान बढ़ता जाता है तो ज्यादा स्प्रिट खरीद कर ज्यादा दारू पिला रहे हैं थोड़े आदमियों को। यह प्रोहिबिशन क्या है कि तीन करोड़ का प्रावधान इस बजट में स्प्रिट खरीदने के लिये रखा है। तीन करोड़ की स्प्रिट खरीद कर दारू बनायेंगे ? चन्दनमलजी ने ढाई करोड़ मांगा, आपने रिवाइज्ड बजट में पौने तीन करोड़ मांगा और अब इस बजट में तीन करोड़ की स्प्रिट खरीदने का प्रावधान है और उधर दारू बन्दी के जिले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है ? यह किस प्रकार से प्रोहिबिशन हो रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब की दिक्कत को समझता हूं। वे महंगी शराब बिल्कुल पसन्द नहीं करते।

(व्यवधान)

श्री नूरा : माथुर साहब की आप चिन्ता मत करो, माथुर साहब तो अपना काम चला लेंगे लेकिन आप ज्यादा शराब कम लोगों को पिलाना चाहते हो, यह क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री अब्दुल अजीज** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा तो इसमें है कि कानून बने और नाफिज हो। कानून बनायें तो उसकी पालना होनी चाहिए। आप इस तरफ ध्यान दीजिए।

**श्री आदित्येन्द्र** : मैं निवेदन करूं, कृपा करें, जो कुछ भी मैं कहूं उसे आप सुन लीजिए एक बार और उसके बाद उस पर विचार कीजए कि जो भी मद्य निषेध की नीति राजस्थान सरकार की है, क्या उसके अनुरूप काम किया जा रहा है या उसके विपरीत किया जा रहा है? यह आपको पूरी आजादी है कि जो आप चाहें इस सम्बन्ध में कह सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह तीन करोड़ की स्प्रिट क्यों खरीद रहे हैं?

**श्री आदित्येन्द्र** : तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यह ठीक है कि आमदनी बढ़ाने के लिए शराब के ऊपर टैक्स लगाया गए है और यह भी बताया गया है कि इससे अतिरिक्त छः करोड़ की आमदनी होगी। इस सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को फरीदाबाद में। उसमें छः मिनिस्टर छः राज्यों के आए थे। उनके निर्णय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ . . .

**श्री मथुरादास माथुर** : वह निर्णय एक ने नहीं माना है। किसी राज्य ने नहीं माना है। पंजाब का बजट पेश हो गया, हरियाणा का बजट पेश हो गया, एक राज्य ने भी इसको नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं धोखे में मत रहना।

**श्री आदित्येन्द्र** : मैं यही कहना चाहता हूं . . . .

(व्यवधान)

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : माथुर साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मास्टर साहब जैसे सज्जन आदमी बोलें तब तो आप बीच में टोकते हैं लेकिन जब मुख्य मंत्री जी आपको कोई बात कहते हैं तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं . . .

(व्यवधान)

**श्री आदित्येन्द्र** : तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उस सम्मेलन में एक बात पर विचार किया गया था। उन्होंने सभी के आंकड़े लिए थे कि अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी खपत है। साथ में उन्होंने आबकारी से होने वाली आमदनी की मात्रा भी पूछी थी कि कितनी कितनी आमदनी होती है। जब ये दोनों ही प्रकार के आंकड़े पूछे गए तब, राजस्थान के अलावा बाकी 5 राज्यों ने यह कहा कि यह क्या बतायें हमारे यहां पर कंजम्पशन बराबर है और कंजम्पशन बराबर का रहते हुए भी आमदनी हमारे यहां डेढ़ गुनी दोगुनी होती है और आपके यहां आमदनी कम है। उस समय तुलनात्मक आंकड़े देखे गए। तब उस पर विचार करने के बाद यह तय हुआ कि जहां तक हो सके हमें सब जगह यूनिफार्म रेट बना देनी चाहिए, इस पर निर्णय ले लेना चाहिए लेकिन वह चीज बाद में सम्भव नहीं हुई। पहले 19 फरवरी का विचार था, 19 फरवरी को उदयपुर में एक मीटिंग रखी जाय लेकिन वह मीटिंग नहीं हो सकी। वह हटा दी गई। लेकिन हमने यह सोचा कि जब हमारे यहां पर इनके भाव बहुत सस्ते हैं तो सस्ते भाव के कारण शायद यह हो सकता है कि हमारे

(श्री आदित्येन्द्र)
यहां से शराब स्मगल होकर बाहर चली जाय। इसलिए थोड़ी कीमत बढ़ाई है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी भी वहां की कीमतों से हमारी कीमतें कम हैं चाहे वह 1 पर्सेन्ट हों, चाहे 5 पर्सेन्ट, चाहे 10 पर्सेन्ट हों, लेकिन वह कम है···

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है···

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब को प्रेक्टिकल ज्ञान है, इसलिए उनका ज्ञान थ्योरेटिक हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : सब फिगर्स गलत हैं, आपके। हरियाणा का बजट आ गया है पंजाब का बजट आ गया है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट में कुछ भी मिकले···

श्री मथुरा दास माथुर : आपको तो प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स हो सकता है लेकिन हम तो बजट के आंकड़े ही दिखते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो प्रेक्टिकल ज्ञान के आगे बजट के आंकड़े दिखते ही कहां हैं, माथुर साहब ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रेक्टिकल ज्ञान तो अब आपको होगा, हमको तो अब कौन ज्ञान करायेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : माथुर साहब, आप तो खड़े होकर कह दो कि आप शराब नहीं पीते।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे कभी पिलाई है क्या ?

श्री रतन लाल वर्मा : हमें पता ही नहीं है तो पिलायेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, इतनी कमजोरी दिखाने वाले नहीं है।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहनी चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने और खास तौर से हमारे माननीय माथुर साहब ने एक बात कही कि ये जितनी भी योजनायें हैं, चाहे वह मद्यनिषेध की हों, चाहे अन्त्योदय की हों, ये उसी समय सफल हो सकती हैं जब कि विरोधी पक्ष का भी सहयोग लिया जावे। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि सहयोग लिया जाना चाहिए। सहयोग हमेशा छोटे और बड़े में नहीं होता, बराबर वालों में सहयोग होता है। जिसकी जिम्मेदारी होती है सहयोग लेने की वह अगर सच्चाई के साथ सहयोग लेगा तो अवश्य मिलेगा। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी योजनायें इस समय रखी जा रही हैं उनमें विरोधी पक्ष का जरूर जरूर सहयोग लिया जाएगा। मेरी मान्यता है और शायद माननीय सदस्य भी ऐसा मानते हैं कि कोई भी काम राष्ट्रीय स्तर का किया जावे, जिसके लिए पहले भी कोई प्रयत्न हुआ हो, वह काम तभी सफल हो सकेगा जब कि पूरा राष्ट्र एक जुट होकर काम करे। इसी तरह से मेरा यह कहना है कि जो मद्यनिषेध लागू हुआ है, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी काम किया है, इस सम्बन्ध में जो भी हमने स्टेप लिये हैं यद्यपि

(श्री आदित्येन्द्र)
वे स्टेप बहुत ज्यादा नहीं हैं, बड़े नहीं है और उनसे शायद बहुत से माननीय सदस्यों को असंतोष भी होगा लेकिन तब भी आज के वातावरण को देखते हुए पर्याप्त स्टेप उठाये हैं। जब कि छः राज्यों का सम्मेलन हुआ था उसमें कई महानुभावों ने एक बात कही थी कि अब की बार अगर मद्यनिषेध की नीति को अपनाते हैं, इस काम को अपने हाथ में लेते हैं तो हम सब को ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि चाहे और पांच राज्य करें या न करें लेकिन राजस्थान में इस सम्बन्ध में जैसा हम महसूस करते हैं उसी तरह से इस काम को पूरा करना चाहिए। इसी विश्वास और इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हां, यह बात जरूर है कि हम कोई भी काम इतनी जल्दी में नहीं करेंगे, जिससे कहीं ऐसा न हो, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, कदम उठा कर हमें वापस नहीं लेना पड़े। हम आगे ही बढ़ते जायेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात और बताना चाहता हूं कि एक नशाबन्दी मण्डल बनाया गया है। सिद्धराजजी ढड्ढा उनके अध्यक्ष हैं। उसके पहले जो भी कमेटी बनाई गई टेम्परेंस सोसाइटी के नाम से, उसका कोई काम नहीं था। अब की बार ऐसा सोचा गया है कि यह मण्डल बनाया गया है, यह मण्डल बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ ध्यान देगा कि वातावरण बनाया जाय। इस मण्डल के निर्माण के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि इसकी शाखा जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि ब्लाक स्तर पर भी कायम की जाये जो यह वातावरण बनायें। यह सोचा गया है कि अगर वातावरण नहीं बनाया जाएगा तो मद्य निषेध की नीति पूर्ण तौर पर सफल हो सकेगी, इसमें संदेह है।

अब मैं....

श्री मूलचन्द डागा : यह पैसा सारा मण्डल वाले ही खा जायेंगे।

श्री आदित्येन्द्र : अब मैं आपके सामने एक दो शब्द जो अन्त्योदय योजना रखी गई है, उस अन्त्योदय योजना के बारे में कहना चाहता हूं

श्री मूलचन्द डागा : रोज सुनते हैं रेडियो पर।

श्री आदित्येन्द्र : वास्तव में मैं ऐसा मानता हूं कि अन्त्योदय योजना में जो गहराई थी, जो चीज उसमें निहित है, शायद हम भी उसे अभी नहीं समझ पाये हैं। मैं स्वयं भी बोलने वाला हूं, यह दावा नहीं करता कि इसको मैं समझ गया हूं लेकिन जो कुछ भी इसके साथ है...

श्री मूलचन्द डागा : फिर आपने इसको बजट में कैसे रख दिया ?

श्री आदित्येन्द्र : मेरा कहना यह है कि इस योजना के पीछे समान बंटवारे का सिद्धांत है...

श्री मूलचन्द डागा : वित्त मन्त्री महोदय स्वयं इस योजना को नहीं समझ पाए हैं तब फिर अन्त्योदय योजना के बारे में बजट में इस प्रकार का प्रावधान कैसे रखा है ?

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस

# Page No. 52

52



(श्री आदित्येन्द्र)
सदन में जनता पार्टी कुछ सिद्धांतों से वचन-बद्ध है और विरोधी पक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी के भी कुछ सिद्धांत हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं, उनके भी आदर्श और सिद्धांत हैं? मैं जो कुछ समझ पाया हूं वह यह है कि तीस वर्षों तक कांग्रेस का शासन चला वह कांग्रेस का शासन गांधीजी के नाम पर चला और नहीं भी चला हो तो भी कम से कम आम आदमी ऐसा मानता है, क्योंकि हम गांधीजी का नाम लेते थे, यह कांग्रेस शासन वह है जो गांधीजी ने बता दिया है। इसलिए इसमें काफी भ्रम रहा है। जनता पार्टी की सरकार बनते समय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने दिल्ली में राजघाट पर जाकर शपथ ली . . .

**श्री मथुरादास माथुर** : इससे गांधीवादी नहीं बनते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माथुर साहब कई बार शपथ ले चुके हैं।

**श्री आदित्येन्द्र** : आप कृपा कर मेरी भावना को समझें। एक दफा मेरी बात सुन लीजिए, मेरे क्या विचार हैं?

**श्री मथुरादास माथुर** : आपकी भावना की कद्र करते हैं?

**श्री आदित्येन्द्र** : मेरा आपसे यह निवेदन करना है कि मेरी चाहे भावना कुछ हो या न हो, मेरा इतना ही कहना है कि हमने, राजस्थान सरकार ने इस भावना को एक तरह से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। मैं यह नहीं कहता कि यह प्रयत्न पूर्ण हो गया है। यह केवल प्रयोग मात्र है।

मैं आपके सामने यह कह रहा था कि यह जो अन्त्योदय योजना है, इसके पीछे समान बंटवारे का सिद्धांत है जो उसमें निहित है। यह जो अन्त्योदय शब्द है, इसकी भी व्याख्या देखें। यह जो शब्द है, यह गांधीजी से लिया है या विनोबाजी के जो लेख हैं, यह अन्त्योदय शब्द उसमें से लिया गया है। इसके बारे में गांधीजी ने कहा है रस्कीन की 'अन टू दी लास्ट' पुस्तक पढ़ने के बाद कहा है। बाईबिल की जो नीति कथा है, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने अपना पक्का विचार बना लिया कि न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में जाकर के इस चीज को लागू करना है और पूर्ण शोषण मुक्त समाज की रचना करनी है। सच्चा समाजवाद लाना है तो अन्त्योदय की तरफ हमें जाना होगा। अन्त्योदय को अगर अच्छी तरह से समझ लें तो इसी में हम सब का उदय है। अन्त्योदय योजना में, श्रीमन्, समान बंटवारे का विचार निहित है। गांधी जी की विचारधारा वही थी जिस प्रकार मार्क्स, लेनिन की, इन दोनों ने कुछ सिद्धांत सूत्र निर्धारित किये थे। उन्होंने जो सिद्धांत या सूत्र निर्धारित किया था, गांधीजी ने उसको सौ फीसदी स्वीकार कर लिया था। वह सूत्र था समान बंटवारे का। उन्होंने यह कहा है कि समान बंटवारे का अर्थ यह नहीं है कि पांच रुपये मेरे पास हों, पांच रुपये माथुर साहब के पास हों और पांच रुपये किसी तीसरे के पास भी हों। यह तो समानता नहीं है। लेकिन समान बंटवारे का अर्थ उन्होंने वह बताया जो मार्क्स या लेनिन ने बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार काम करना चाहिये या प्रत्येक से योग्यता के अनुसार काम कराना चाहिये और प्रत्येक को आवश्यकतानुसार देना चाहिए। यह था मूलभूत सिद्धान्त, लेकिन बाद में यह

(श्री आदित्येन्द्र)

मूलभूत सिद्धान्त बदला। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, रूस में गवर्नमेंट बनी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मूलभूत सिद्धान्त में थोड़ा परिवर्तन किया। वैसे तो थोड़ा ही परिवर्तन किया है लेकिन वास्तव में बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया गया है। इस मूलभूत सिद्धांत के अन्दर उन्होंने कहा, प्रत्येक से योग्यता के अनुसार काम लेना चाहिये।...

**श्री मूलचन्द डागा** : यहां तो मार्क्स, लेनिनवाद पर भाषण हो रहा है। वाद पर ही चर्चा करनी है तो इसके लिए एक दिन नियत कर दीजिए। आपका बजट पर भाषण होना चाहिये।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिए।

**श्री रतनलाल वर्मा** : हम बीच में नहीं बोलने देंगे।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिये।

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है माननीय सदस्य बीच में उठ कर बोल रहे हैं। यह कहां का न्याय है। इस प्रकार वे सदन का समय व्यर्थ करते हैं।

**श्री मदनसिंह दांता** : यह कोई बजट भाषण नहीं है। आज तक ऐसा भाषण नहीं हुआ है। माफ करें हम बिल्कुल मार्क्स, लेनिन की गाथा सुनना नहीं चाहते हैं...

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मद्यनिषेध और अन्त्योदय योजना बजट का एक हिस्सा है। हम इस बारे में सुनना चाहते हैं। कृपया जारी रखिये।

**श्री आदित्येन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह अन्त्योदय योजना क्या है और इसके पीछे कौन सा विचार है। इसलिये मैं इसको स्पष्ट करना चाहता था। वास्तव में यह अन्त्योदय योजना एक विचार योजना है और इस विचार योजना में समान बंटवारे का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। समान बंटवारा जो कुछ है, वह मैंने आपके सामने रखा है। इसलिये अन्त्योदय योजना को अगर हम अच्छी तरह से, ईमानदारी से पूरा करते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि इस योजना के पूरी होने पर न केवल इस देश में बल्कि दूसरी जगहों पर भी विचार परिवर्तन होगा जैसे हम समग्र क्रान्ति की बात कहते हैं, वह समग्र क्रान्ति होगी। मेरा आपसे यह कहना है कि जय प्रकाशजी भी इसी बात को कहते हैं। यह क्रान्ति पूरी हो इसलिये अन्त्योदय योजना को हाथ में लिया गया है मेरा यह कहना है, आप यह कहें कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पूरा चयन कर लिया गया है या नहीं? पूरी तौर से जो आदमी छांटने थे वह छांट लिये हैं या नहीं? 33 हजार गांवों में से 1 लाख 65 हजार व्यक्ति छांटने थे। इन 1 लाख 65 हजार के स्थान पर 1 लाख 54 हजार व्यक्ति छांटे गये हैं। इनमें से 45 हजार परिवारों के लिये मैं यह मानता हूं कि अब तक जो अन्त्योदय की योजना है, भावना है, उस भावना के मुताबिक पूरा काम नहीं हो पाया है यद्यपि 45 हजार परिवारों के लिये बात कही गयी है। उनको

(श्री आदित्येन्द्र)

कर्जा भी दिया गया है और भी मदद दी गई है। जैसा कि कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन भी दी गई है। बहुत से लोगों द्वारा इस बात पर आपत्ति की गई थी। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि वृद्धावस्था की पेंशन अलग है। मेरा कहना यह है कि यह अन्त्योदय योजना अलग है। यह कामयाब होती है तो राजस्थान की खुशहाली होगी। यह भी हो सकता है कि बजट में उनको भी मिले।

(व्यवधान)

अगर इस योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो सफल बनाने के लिये जो करना चाहिये, वह करने का प्रयत्न किया है। लेकिन जो भावना है, उसके अनुसार काम नहीं हुआ है। मेरा आरोप लगाने से मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि······

(व्यवधान)

हमें क्या करना है। इस बात की हमें प्रसन्नता है कि हमने एक मोड़ दिया है। हम यह कहना चाहते हैं कि हमने अर्थ व्यवस्था को एक मोड़ दिया है और उस पर आगे चल पाये हैं। इसमें थोड़ी सी सफलता मिली है। जो योजनायें हैं, वह ऊपर से बन कर आती हैं 30 वर्ष में हम यह कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है। हमने यह कहा कि हमने उत्पादन दुगुना कर दिया, हरित क्रान्ति की है लेकिन वास्तव में सामाजिक उन्नति की ओर नहीं बढ़े हैं। उन योजनाओं के कारण ही यह हुआ कि गरीब ज्यादा गरीब हो गया और अमीर ज्यादा अमीर हो गया। अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है। इसलिये उसको पाटना है तो अन्त्योदय योजना को स्वीकार करना चाहिये। अन्त्योदय योजना के अलावा इसको आगे बढ़ाने के लिये एक दूसरी योजना और रखी है। वह समग्र ग्रामोदय योजना है। जब तक हम ग्रामीण योजना की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक समग्र ग्रामोदय योजना सफल नहीं होगी।

(व्यवधान)

गांव अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, इसके लिये समग्र ग्रामोदय योजना रखी गई है जिसमें 104 ग्राम छांटे गये हैं।

श्री मूलचंद डागा : कौन कौन से गांव हैं ?

श्री आदित्येन्द्र : अगर वास्तव में हम मानते हैं कि राज्य सरकार ने कुछ किया है, सच्चाई के साथ हम मानते हैं तो मेरा निवेदन है कि हम मिल जुलकर इस योजना को आगे बढ़ायें। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री ने विश्वास दिलाया है, मैं भी यह विश्वास दिलाने को तैयार हूं कि हम सब मिल जुल कर ही इस काम को करेंगे। अगर एक योजना असफल होती है तो दूसरी योजना भी असफल हो जाएगी।

इसके साथ और जो चीजें हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो इस बजट में नहीं आई हैं। जैसा कि पिछले बजट भाषण में मैंने निवेदन किया था, जो मूल बजट पेश किया था, 77-78 में उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। मेरा कहना है कि इसमें बड़ा मोड़ देने की

(श्री आदित्येन्द्र)

कोशिश की है। पहली सरकार के कुछ बड़े बड़े कमिटमेण्ट किये हुए हैं जैसे माही योजना है, चम्बल योजना है। यह मानता हूं कि जो अच्छे काम किये हैं, उन कामों को अगर बीच में छोड़ा जाता है तो उससे ज्यादा से ज्यादा हानि होगी। उन कामों को पूरा करना होगा।

विकेन्द्रीकरण की बात है उसमें विकेन्द्रित राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए कुछ कदम बढ़ाये हैं, वह कदम भी इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे, आप यह विश्वास रखें, यह बातें कामयाब होंगी।

जहां तक हमारे माननीय सदस्यों ने मद्य निषेध की बात कही है, जैसा मेरे बारे में कहा मैं मद्य निषेध का समर्थक हूं लेकिन यह भी मैं जानता हूं, जैसा कि ये कहते हैं, मद्य-निषेध पूरा लागू नहीं हुआ है। मद्य निषेध पूरा लागू होना बहुत जरूरी है। मेरे मुंह से तो मैं नहीं कहता, मैं वापस भले ही चला जाऊं, लेकिन मद्य निषेध का नैतिक प्रश्न है और मद्य निषेध की नीति चालू रहेगी। ईमानदारी से चालू रहेगी। जहां तक प्रिवेण्टिव फोर्स का प्रश्न है, उसको ठीक किया जाएगा। उसमें जो भी अफसर लिये जायेंगे, उनको भी देख देख कर लिया जायेगा। वास्तव में मद्य निषेध नीति में विश्वास रखते हैं उनको लिया जायेगा। एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि मद्य निषेध की बात करते हैं तो उसको नैतिक ही नहीं रखें। लोग कहते हैं कि हम घर पर पी लेते हैं तो क्या है। जितने भी किसी भी पार्टी के माननीय सदस्य हैं।....

**श्री मदनसिंह दांता** : मैंने एक सुझाव दिया है कि हल्की बीयर जारी कर दें। आयन्दा आदत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।

**एक माननीय सदस्य** : ठाकुर साहब को प्रजेण्ट कर दो एक बोतल।

**श्री मदनसिंह दांता** : मैंने कहा है, व्हिस्की मत पियो।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : आप एम.एल.ए. हैं।

**श्री आदित्येन्द्र** : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका विचार है, वह ऐसा नहीं है जिस पर विचार नहीं हुआ हो। एक जगह नहीं कई जगह विचार हुआ लेकिन वह विवादास्पद है कि उसके क्या परिणाम होंगे। यह ठीक है, आपने यह विचार दिया कि बीयर सस्ती बनायी जाय। यह निर्णय भी लिया गया कि बीयर में जो अल्कोहल की मात्रा 6% है, वह 3% की जाये।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी** : वाटर आफ लाइफ के बारे में क्या विचार है ?

**श्री आदित्येन्द्र** : बजट में और बातें भी रखी गई हैं, खास तौर से सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जो ऐसे कर्मचारी हैं, जिनको अभी तक न्यूनतम पेंशन 40 रु. मिलती थी वह बढ़ाकर 60 रुपया कर दी गई है। न्यूनतम पेंशन 60 रुपये रखने का यही मतलब है कि जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर वास्तव में बुढ़ापे में भी जिम्मेदारी है....

**श्री मूलचन्द डागा** : बुढ़ापे में बच्चे कमाते हैं।

**श्री आदित्येन्द्र** : उनको जो कुछ राज्य की ओर से सहायता दी जा सके वह दी जाये। इसीलिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में सोचा गया है। यह सिद्धान्त इसके अन्दर है। नीचे से नीचे जो आदमी है, उनको थोड़ा सा उठाने के लिए, मदद देने के लिये यह काम किया गया है।

इस बजट में यह विशेषता है कि यह ग्रामोन्मुखी है। विकासोन्मुखी है।

बेरोजगारी की समस्या के बारे में कहा गया है। जितना हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयत्न किया है, उतनी बेरोजगारी बढ़ी है। पर ठीक है अगर एक बार दिशा बदल जाती है तो मेरा विश्वास है कि बेरोजगारी घटेगी। माननीय सदस्य मानेंगे कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है उत्पादन बढ़ते हुए भी कि हमने शायद ठीक दिशा में चलने पर विचार नहीं किया। हमने कुछ बातें एक तरह से इधर से ले लीं और कुछ बातें कम्युनिज्म की ले लीं, इस मिक्सचर के कारण हम सही दिशा में नहीं चल पाये। इसलिए अगर सही दिशा में चलेंगे तो बेरोजगारी घटेगी। एक साल के बाद में अगर योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया जाता है तो हम देखेंगे कि बेरोजगारी घटेगी।

इसके अलावा कृषि पर खास तौर से जोर दिया गया है। कृषि के अलावा विद्युत् और सिंचाई दोनों चीजों पर काफी प्रावधान रखा गया है। जैसा मैंने कहा, हम बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए कमिटेड हैं। उनको पूरा करने के लिए जैसा अभी कुछ दिनों पहले मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा था कि हम राजस्थान केनाल को जल्दी से जल्दी पूरा कराना चाहते हैं क्योंकि इससे देश को भारी हानि उत्पादन में उठानी पड़ रही है, अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है राष्ट्रीय उत्पादन में इसलिए किसी न किसी प्रकार से इसको पूरा करना है और दूसरी जो योजनाएं हैं उनको भी पूरा करना है। फिर भी लघु सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए भी काफी प्रावधान रखा गया है।

जहां तक पेयजल का सम्बन्ध है, पेयजल समस्या हमारे प्रदेश में बहुत विकट है और महत्वपूर्ण है, इस सम्बन्ध में कई बार विचार भी हुआ है। इस योजना की क्रियान्विति के लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि योजना जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके, यह भी विचाराधीन है। जैसा मैंने कहा इसके लिए जो प्रावधान रखा गया है वह कम नहीं है और जो हमारा हिस्सा केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है, चार-पांच करोड़ रुपया, उससे इसमें राशि बढ़ जायेगी।

**श्री मूलचन्द डागा** : आपने 104 गांवों के समग्र ग्रामोदय की बात कही है, 150 ले लेते, . . .

**श्री टीकमचन्द कान्त** : शहरों से नहीं आये।

**श्री आदित्येन्द्र** : ऐसी कोई बात नहीं है, 104 गांव इसलिए रखे गये हैं कि 26 जिले हैं, उनमें से प्रत्येक में से चार-चार गांव लिये गये हैं। लेकिन यह तो योजना के ऊपर निर्भर है।

श्री रतनाराम : प्रत्येक एम. एल. ए. के क्षेत्र में से एक-एक गांव समग्र ग्राम विकास योजना में ले लेते तो निष्पक्ष कहा जा सकता था।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : स्वाधीनता सेनानियों के लिए भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है, उन पर भी विचार किया जाय।

श्री रतनाराम : आज काश्तकार की हालत यह है कि जीरा बोने के समय में 40 रुपया किलो का भाव था। आज काश्तकार के घर में फसल पक कर आई तो जीरे का भाव 12/– रुपया किलो हो गया है।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

घोषणा

अनुदान की मांगों पर विचार प्रक्रिया

अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में घोषणा :—

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसी कि पिछले वर्षों से परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा, उन्हें सदन में प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा जिससे उन्हें सदन में पृथक् से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाय वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जावेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कटौती प्रस्तावों पर लगभग रात के 11–11 बजे तक विचार चलता है। जब मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो उसको न तो सभी माननीय सदस्य सुन पाते हैं और न ही उसका जितना प्रचार-प्रसार होना चाहिये वह होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस प्रकार की परिपाटी हो जाय कि पहले दिन तो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर लें दस बजे तक और दूसरे दिन जब सभी माननीय सदस्य

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
सुन सके तब मंत्री महोदय उत्तर दे दें। इससे माननीय सदस्यों को भी अधिक विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और प्रेस के लिए भी ठीक रहेगा। यह मेरा सुझाव है।

श्री मूलचंद डागा : जिस दिन दो-दो, तीन-तीन मांगें हैं उस दिन क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डागाजी तो लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं और सभा की प्रक्रिया का, मैं समझता हूं, उनको ज्ञान भी है। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि वह भूले नहीं होंगे। जो सूची में कट-मोशन रखे जाते हैं, जैसी आपने व्यवस्था दी, वे कट-मोशन सदन में मूव्ड माने जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 11-12 बजे तक बैठने के मैं भी पक्ष में नहीं हूं लेकिन माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से कहा, मैं चाहूंगा कि सभी पार्टियां समय तय कर लें और मैम्बर्स को बता दें कि अमुक-अमुक मैम्बर बोलेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था सत्ता पक्ष की ओर से और विरोधी पक्ष की ओर से कर ली जाय तो समय रहते उत्तर दिया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि दस-ग्यारह बजे तक बैठा जाय। लोक सभा में भी मांगें पेश की जाती हैं और पांच बजे विसर्जन हो जाता है, वह प्रक्रिया यहां भी अपनायी जा सकती है। जो माननीय सदस्य जिस पर्टिक्यूलर सब्जेक्ट पर बोलना चाहें वे उसी पर बोलें तो इस प्रकार से उत्तर भी ठीक समय पर हो सकेगा, माननीय सदस्यों की आपत्तियों का निराकरण भी हो जायगा, सदन की बैठक 11-12 बजे तक भी नहीं चलेगी और समय का सदुपयोग भी होगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो प्रसन्नता होगी। ऐसा करेंगे कि सभी दल मिल कर इस बारे में सोच लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, जनरल डिबेट के लिए तो यह कहा जा सकता है कि जिनका आप नाम लें वही बोलें, लेकिन कट-मोशन्स में हरएक माननीय सदस्य अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी की बात रखना चाहते हैं इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। कटमोशन भी इसी तरह से रखा जाता है कि इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय इस बात पर विचार करने के लिए कि मेरे इलाके में सड़क नहीं है। अगर माननीय सदस्य अपकी बात नहीं रख सकें तो उनको सन्तोष नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : रखा है तो वह कहेंगे। उसकी वह डिटेल में जायेंगे। कभी यह भी होता है कि सड़क बन गई और माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं बनी। इसलिए ही कट-मोशन रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि 5 बजे से आगे कुछ टाइम बढ़ा दें ताकि वे अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी की बात रख सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं 5 बजे के लिए ही इन्सिस्ट नहीं कर रहा हूं, 6 बजे तक विचार कर लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैम्बर्स को तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलता है दूसरी डिमान्ड के लिए।

श्री मथुरादास माथुर : अपने यहां तो दूसरी बातों में ही बहुत समय निकल जाता हैं दो बजे से काम शुरू होता है। एक-एक दिन में दो–दो डिमाण्ड्स रखी जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 7 बजे तक समय बढ़ा दें और मिनिस्टर साहब ठीक 7 बजे खड़े होकर जवाब दे दें। फिर अपने घर जायं और आराम करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे संभव हो सकता है कि माननीय सदस्य ने कट-मोशन दिया है और वह न बोलें। अभी तक यह परिपाटी रही है कि वह कट-मोशन के बारे में बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुनिया भर में होता है। यह व्यवस्था आज यहां कोई नई नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था इस सम्बन्ध में मांगी थी, यह बात सही है कि प्रत्येक सदस्य अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी की प्राब्लम्स यहां पर रखना पसन्द करेगा। लेकिन ज्यादा समय की पाबन्दी होने से नहीं रख सकेगा। मेरा अनुभव है कि जिस समय माननीय मंत्री जी सदन में उत्तर देते हैं तो कोरम बनाये रखने में कठिनाई होती है। पहले भी यह देखा है और अब भी यही होता है कि जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों के बारे में माननीय मंत्रीजी जवाब नहीं दे पायें उनके बारे में उत्तर माननीय सदस्य के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने चाहिए। मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय मंत्रीजी उत्तर देते हैं 11 बजे रात को उसके बजाय दूसरे दिन प्रश्न काल के बाद शून्य काल में वह दें तो वह ज्यादा मुनासिब होगा ताकि हर माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव पर बोले हैं उत्तर सुन सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह होगा कि माननीय सदस्य बोल कर चले जायेंगे और मंत्रीजी अकेले यहां पर बैठे रहेंगे। जो बोलें वह उत्तर सुनने के लिए बैठे रहें तो कोरम की प्राब्लम नहीं रहेगी। इसलिए माथुर साहब ने जो सुझाव दिया है उसके आधार पर चर्चा होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय के चैम्बर में और तय कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : फिर आ गये।

श्री मूलचन्द डागा : सदन के माननीय नेता ने जो बात कही वह मानने लायक बात है, लेकिन बजट का जो अधिवेशन हो वह फरवरी में कुछ दिन पहले बुला लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आयन्दा।

श्री मूलचन्द डागा : आयन्दा, ताकि थोड़ा समय मिल जाय तो हम न्याय कर सकेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि माननीय डागाजी विपक्ष के सदस्य हैं लेकिन वे हां पक्ष में बैठकर बोल रहे हैं। क्या यह ठीक है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

## अनुदान की मांग

### मांग संख्या 12—अन्य कर की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग

(श्री केदार नाथ)
संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,00,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 12 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक अन्य कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

1. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क जयपुर) : राज्य में सड़क परिवहन कर ठीक प्रकार से वसूल न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर):

2. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : सड़क परिवहन टैक्स (रोड टैक्स) की वसूली गलत होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

3. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): ट्राली टैक्स को हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधा बीस हजार की आबादी के शहरों में प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

5. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : बीस हजार टैक्सियों के टैक्स की चोरी को रोकने हेतु पुरानी टैक्सियों को रजिस्टर करने की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

6. श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई): मोटर कर की वसूली में होने वाली अव्यवस्था को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

7. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : राजस्थान में किसानों के ट्रेक्टर, ट्राली व अन्य किसानों के काम में आने वाले यंत्रों पर टैक्सों की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

8. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : किसान के कृषि हेतु काम में आने वाले ट्रेक्टर एवं ट्राली के टैक्स की वसूली में गड़बड़ी पर चर्चा के लिये।

9. श्री रामदेव (मूंडवा) : ट्रेक्टर ट्राली, जो कृषि में काम आते हैं, को कर मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): डाक्यूमेन्ट्स के पंजीकरण के कुप्रबन्ध पर चर्चा के लिये।

11. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): जयपुर में चलने वाली सी.टी. एस. बसों की दयनीय दशा का विभाग द्वारा उचित निरीक्षण नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

12. जयपुर स्थित ध्रुवपोल (जोरावर सिंह गेट) : से यूनिवर्सिटी, एस. एम. एस. अस्पताल तथा घाटगेट, स्टेशन मार्गों पर बसें चलाने की आवश्यकता होते हुए भी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
विभाग द्वारा इन रूटों के परमिट नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

13. स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प विक्रय पर देय कमीशन कम कर दिये जाने एवं स्टाम्प चस्पा करने की रेट ढेढ़ी कर दिये जाने से स्टाम्प विक्रेताओं के जीवन यापन की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

14. प्रत्येक गांव को यातायात की सुविधा से सम्बद्ध किये जाने हेतु कच्चे मार्गों पर निजी बसें चलाने हेतु परमिट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): बेगूं से बखंदनी होते हुए बड़ल्यास आकोला, कोटड़ी रूट पर अधिक गाड़ियां लगाने की विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

16. जहाजपुर से जन्भोला, महुआ होते हुए बस रूट निकालने में विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

17. मांडलगढ़ के हर पंचायत क्षेत्र को बस रूट से जोड़ने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

18. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): करों की वसूली की पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. श्री हरजीराम (लाडनूं): लाडनूं से खींयाला जिला नागौर में जाने वाली बस वाया रताऊ, सीलनवाद होकर नहीं जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

20. श्री मूलचन्द डागा (पाली): कर अधिकारियों के भ्रष्ट तरीकों के कारण ईमानदार टैक्स देने वाले व्यक्तियों को भारी परेशानी व मुसीबतें उठाने पर चर्चा के लिये।

21. मनोरंजन कर पूरा का पूरा नगरपालिकाओं को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): गाड़ियों पर बकाया करों की वसूली शीघ्र करने के बारे में चर्चा के लिये।

23. जिला जालौर में आवागमन के साधन न होने एवं पंचायत केन्द्रों तक यात्री बसों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. ट्रेक्टर ट्राली पर टैक्स माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. जिला जालौर में पर्याप्त मात्रा में यात्री गाड़ियां नहीं चलने से यात्रियों की असुविधा पर चर्चा के लिये।

26. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): प्रादेशिक परिवहन अधिकारी तथा जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन करों की वसूली में किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

27. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यातायात एवं करारोपण विभाग की करों की बकाया असरदार बड़े लोगों से वसूल न करने पर चर्चा के लिये।

28. मनोरंजन एवं यात्री करों से निम्न श्रेणी व मध्यम श्रेणी की जनता पर भार पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. श्री करतार सिंह (किशनगढ़): ट्रेक्टर को कर की दृष्टि से वाहन न माना जाय इस पर चर्चा के लिये।

30. वाहनों पर न्यायोचित कर न लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. श्री नूरा (मसूदा) : प्राइवेट मार्गों पर चलने वाली बसों की चैकिंग न होने से उनके द्वारा यात्रियों को दी जाने वाले टिकटों पर कर की राशि अंकित नहीं करने एवं वसूली पूरी नहीं होने से राज्य कोष में होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

32. समस्त मनोरंजन कर की धन-राशि नगरपालिकाओं को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): मनोरंजन करों में कमी की जाये व जनता सिनेमाओं को प्रोत्साहन दिया जाय इस पर चर्चा के लिये।

34. 50,000 से ऊपर के मूल्य की सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. विद्युत् शुल्क को छोटे उपभोक्ता और छोटे किसानों तथा छोटे उद्योगों के लिए कम करने हेतु चर्चा के लिये।

36. ट्रक जिन पर 9 टन का टैक्स लगता है पर वास्तविक भार उनके द्वारा 11 टन से कम नहीं उठाया जाता अतः इसी अनुपात से टैक्स बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. ट्रेक्टर जो कम्प्रेसर के काम में आते हैं उन पर टैक्स लगाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : किसानों के उपभोग की वस्तुओं पर अधिक कर नहीं लगाया जाय इस पर चर्चा के लिये।

39. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : ट्रेक्टर ट्राली टैक्स पूर्णतया समाप्त करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : करारोपण प्रणाली को जनहित के लिये उपयोगी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

41. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : ट्रेक्टर ट्राली पर टैक्स के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

42. श्री बहादुर सिंह (मोहर) : वाहनों के, करों के ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : नवलगढ़ से वाया गोठड़ा होकर नियमित बस चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री नवरंग सिंह)

44. झुन्झुनू से टोडपुरा चलने वाली बस द्वारा परमिट में दिये गये बस मार्ग पर नहीं चलने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

45. यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

46. भवन व भूमि कर पूरा वसूल न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. निजी बसों के मालिकों से पूरा यात्री कर वसूल करने एवं बसों की चैकिंग नहीं होने से राजकोष को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

48. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : राज्य परिवहन की बसों व ट्रेक्टरों की ट्राली के टैक्स की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

49. यातायात विभाग में होने वाले खर्चे में कटौती करने हेतु चर्चा के लिये।

50. नये कर लगाने एवं कर वसूली की नीति के बारे में चर्चा के लिये।

51. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : राज्य में करों की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

52. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : काश्तकारों के ट्राली एवं ट्रेक्टर पर कर समाप्त किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

53. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण वाहनों के करों में होने वाली चोरी को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

54. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : (रतनगढ़) : करों के पुर्ननिर्धारण के प्रश्न पर चर्चा के लिये।

55. श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : भूमि एवं भवन कर के मौजूदा ढांचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर अमीरों पर कर वृद्धि की जाये इस पर चर्चा के लिये।

56. परिवहन निगम द्वारा पैसेन्जर टैक्स की सुनियोजित चोरी को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

57. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : करों में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिये क्योंकि करों का भार पहले ही जनता पर बहुत है इस पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना)
श्री हरिसिंह यादव (बानसूर)
श्री जगदीशसिंह (धौलपुर)
श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)
श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां)
श्री अयूबखां (तिजारा)
श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़)
श्री मेघराज (चूरू)
श्री मणिराम (तारानगर)
श्री हीरालाल (चौरासी)
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)
डा. गंगा सहाय (कठूमर)
श्री हजारीमल (सरदारशहर)
श्री कुंजीलाल (बामनवास)
श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन)

58. ऋण लेकर खरीदे गये किसानों के ट्रेक्टरों और ट्रालियों पर टैक्स लगाना न्यायोचित नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)
श्री अयूबखां (तिजारा)
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)
श्री हरिसिंह (फुलेरा)
श्री नारायण मीणा (लसाड़िया)
श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़)
श्री जीतमल जैन (अलवर)
श्री जगदीशसिंह (धौलपुर)

59. मनोरंजन कर की राशि में से नगर परिषदों को और अधिक अनुदान दिये जाने पर चर्चा के लिये।

60. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : करों में की गई बढ़ोतरी के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. मनोरंजन तथा यात्री एवं माल कर वसूली में व्याप्त धांधली, मनमानापन व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

62. भूमि एवं भवन कर की परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये।

63. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : राज्य में विद्युत् शुल्क की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

64. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : फलौदी तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में यात्री बसों की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

65. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक-230 स्टाम्प्स और पंजीकरण के अन्तर्गत मांग में से 1,30,000 रुपये कम कर दिये जायें (अदालती स्टाम्प्स के मुद्रण एवं वितरण में होने वाले निवेशन और प्रशासन व्यय में मितव्ययता)।

मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-अन्य कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

66. श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) : पंजीकरण व्यवस्था को सरल बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. ट्रेक्टर से संलग्न ट्राली पर से रोड कर समाप्त कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. श्री मंजूरअली (सवाई माधोपुर): प्राइवेट कारों पर टैक्स दुगुना कर दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

69. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : करों की वसूली करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

70. करों की चोरियां रोकने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

71. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ट्रेक्टर ट्राली पर लगे रोड टैक्स को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 12 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव इस मांग के बारे में विचार

(श्री उपाध्यक्ष)
के लिए प्रस्तुत हुए हैं उनकी सूची काफी विस्तृत है। 55 सदस्य कुल हैं। मेरे पास जो सूची है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत थोड़े समय में अपने विचारों को समाप्त कर दें। श्री गिरधारी लाल भार्गव इसका प्रारम्भ करेंगे।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप समय निर्धारित कर दें।

**कई माननीय सदस्य** : समय निर्धारित कर दें।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : उपाध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित कर दें।

. . . . .

**श्री नूरा** : आप समय निर्धारित कर दें। आप टाइम निश्चित कर दें हरएक के लिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं भी यह चाहता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूं कि आप विराज जाइये तो वे बोलना बन्द कर के बैठ जायं ताकि मुझे बार बार घन्टी नहीं बजानी पड़े।

**एक माननीय सदस्य** : आप कुछ मिनट निर्धारित कर दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं प्रत्येक सदस्य को 7 मिनट से अधिक समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए कृपया 5,7 मिनट में ही अपनी बात कह दें।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य कर की मांग पर सब से पहले मैं मनोरंजन कर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि मनोरंजन कर नगर परिषद् की आय का स्रोत है और राज्य सरकार ने अवैध रूप से इस पर एन्क्रोचमेंट कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा जो मनोरंजन कर के रूप में रकम वसूल की जाती है जयपुर नगर परिषद् को उसमें से बहुत थोड़ी रकम मिलती है। जयपुर शहर में पहले कुल 3 सिनेमा घर थे, संख्या भी देखने वालों की कम थी और सिनेमा हाल में सीट्स भी कम थीं, उसके आधार पर मनोरंजन कर राज्य सरकार ने आंका है। 1956 से लगाकर 1973-74 तक राज्य सरकार के द्वारा 3,04,626 रुपयों का अनुदान जयपुर नगर परिषद् को दिया गया। उसके बाद 73-74 में राज्य सरकार ने मनोरंजन कर की आमदनी में से नगर परिषद् को और अधिक देने के बारे में घोषणा की तो 6,09,328 रुपये नगर परिषद् को मिलने लगे। मेरा निवेदन करना यह है कि आज जयपुर शहर में 3 सिनेमा हाल के स्थान पर 11 सिनेमा हाल हो गये, सीट्स की संख्या बढ़ गई है और देखने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। अभी तक के जो अनुमानित आंकड़े हैं 1977-78 के जनवरी महीने तक उनके आधार पर 1,27,63,601 रुपये की आमदनी राज्य सरकार को मनोरंजन कर से हो चुकी है। मार्च का महीना जब समाप्त होगा तो बीस लाख रुपये और मिलेंगे तो राज्य सरकार को 1,47,63,601 रुपये की इससे आमदनी होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर परिषद् को कुल 6,09,328 रुपये ही इसमें से मिलते हैं। इसलिए यह नगर परिषद् की आय का स्रोत नगर परिषद् को लौटाया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसी प्रकार से भवन एवं भूमि कर जो राज्य सरकार ने लगाया है उससे 18,30, 254 रुपये की आमदनी हुई है 75-76 में। वह नगर परिषद् की आय है इसलिये इसको लौटाना चाहिए।

तीसरी मेरी मांग यह है कि 100 पर्सेन्ट मनोरंजन टैक्स राज्य सरकार लेती है। जितने भी सिनेमा घर हैं वह जितने टिकट बेचते और पैसे लेते हैं उतनी ही मनोरंजन कर की आय राज्य सरकार स्वयं ले लेती है। यदि इस प्रकार से जो मनोरंजन टैक्स 100 पर्सेन्ट लगता है उसमें कोई भी कमी नहीं आयेगी तो लोगों की सिनेमा देखने की रुचि बहुत कम हो जायेगी। हमारे यहां एक्सपर्ट लोग मानते हैं कि गरीबों का मनोरंजन करने के लिए कोई क्लब नहीं हैं और न ही किसी प्रकार के मनोरंजन के स्थान हैं। उनके अभाव में मनोरंजन करने के लिए वे सिर्फ सिनेमा जाते हैं। यदि इसमें कोई कमी नहीं की गई तो सिनेमा देखने वालों की संख्या में कमी होगी। राजस्थान में सरकार को पागल खाने अधिक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अधिक लोग पागल होंगे। वे अपने पागलपन को भूलने के लिए सिनेमा जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, मनोरजन कर, जो कि नगर परिषद् का कर है, 100 पर्सेन्ट लगाया है इसको राजस्थान सरकार कम करे।

**श्री मूलचन्द डागा** : जो आदमी सिनेमा नहीं जाता है वह क्या पागल होता है? यह आप क्या बात कर रहे हैं? कई हमारे मन्त्री सिनेमा नहीं जाते हैं तो क्या वे पागल बन गये हैं?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : डागाजी, 100 पर्सेन्ट मनोरंजन कर में कमी नहीं की गई तो उनके मनोरंजन का साधन खतम हो जायेगा।

अब बिक्री कर के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम बिक्री कर को समाप्त करेंगे और उत्पादन कर लगायेंगे। आज बिक्री कर की विभिन्न दरें होने के कारण बड़ी जटिलताएं पैदा होती हैं जिसके कारण से भ्रष्टचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार किसी हालत में कम नहीं हुआ है। यही नहीं वह विभिन्न रूप में बढ़ रहा है। आज आपने कापियों पर 7 पर्सेन्ट का टैक्स लगा दिया लेकिन दिल्ली में नहीं है........

(2.30 म. प.)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

इस कारण से मेरा निवेदन करना है कि सारे का सारा बाजार आज कापियों का दिल्ली वालों के हाथ में है। कर चोरी बराबर बढ़ रही है।

इसी प्रकार से परीक्षा की कापियों पर 7 पर्सेन्ट बिक्री कर हमारे यहां पर है। मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में कोई उन पर बिक्री कर नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि इसका सारे का सारा व्यापार दिल्ली और महाराष्ट्र वालों के हाथ में आ रहा है जहां कि बिक्री कर कम है या बिक्री कर समाप्त हो गया है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से बिक्री कर माफ कराये। बिक्री कर कानून

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जो संशोधन होने वाला है, राज्य सरकार उसका समर्थन करे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को रिकमण्ड करे। राज्य सरकार राजस्थान विधान सभा में प्रस्ताव पास कराये कि राजस्थान सरकार ने सबसे पहले बिक्री कर समाप्त करने के बारे में विचार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार से बिक्री कर समाप्त करने के लिए निवेदन करना चाहिए क्योंकि जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम बिक्री कर को समाप्त करेंगे, उत्पादन कर लगायेंगे। यदि यह नहीं किया तो जनता हमें किसी प्रकार से क्षमा करने वाली नहीं है।

इसी प्रकार से कपड़े पर बिक्री कर लगा हुआ है, सूती पर, खादी पर, गोटा साड़ी पर लगा हुआ है, बरतनों पर है, जवाहरात पर लगा हुआ है, मंडी के नाम पर लगा हुआ है। तो बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन कर लगाना चाहिए। इन सारी पेचीदगियों को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और जनता पार्टी की घोषणा को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि बिक्री कर समाप्त करके उत्पादन कर लगाया जाय।

तीसरी बात मैं रजिस्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। रजिस्ट्री नहीं होती है और होती भी है तो वेल्यूएशन कम आंका जाता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके अलावा जितने स्टाम्प बेचने वाले हैं पहले उनको 100) रु. तक के स्टाम्पस बेचने की छूट थी अब 400) रु. तक की छूट दे रखी है। परिणाम यह हुआ कि पहले जो 1.55 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था, वह 1.50 प्रतिशत कर दिया गया। जहां पर उनको नान-जुडिशियल स्टाम्प पर 3.10 प्रतिशत कमीशन मिलता था वह 2.75 कर दिया गया। 400) रु. का स्टाम्प किसी को चाहिए तो उसको ट्रेजरी जाना पड़ता है। वहां उनको कष्ट होता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो जुडिशियल स्टाम्प बेचने वाले हैं उनको ज्यादा छूट देनी चाहिए इससे राज्य सरकार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

विद्युत के बारे में निवेदन है कि विद्युत मंडल ने विद्युत कर लगा रखा है। पैसे 44 पैसे प्रति यूनिट है पर कम से कम 8 रुपया का बिल आयेगा। मंदिरों, मस्जिदों व धर्मशालाओं में जो बिजली सप्लाई की जाती है वह 56 पैसे के हिसाब से। 11 रुपए का मिनिमम बिल दुकानों का आता है। मेरा निवेदन है कि जो मंदिरों, मस्जिदों व धर्मशालाओं में बिजली काम आती है उस पर विद्युत कर समाप्त करना चाहिए।

मैं प्राइवेट आपरेटर्स के लिए निवेदन करना चाहता हूं उनकी हालत ठीक नहीं है। उनका असेसमेंट ठीक तरह से नहीं होता। वसूली समय पर नहीं होती, इसके लिए राज्य सरकार विचार करे। नेशनल परमिट दिये जाते हैं सीमित संख्या में। वे परमिट्स बड़े-बड़े लोगों को मिलते हैं, छोटे-छोटे लोगों को नहीं मिलते। अस्थाई परमिट कोई लेने जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, 700) रु. एक स्टेट का देना पड़ता है। राज्य सरकार इसके लिए अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा करे।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल !

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मनोरंजन कर के बारे में सरकार यह फैसला ले कि यह स्वायत्त शासन संस्थाओं और नगर परिषदों को मिलना चाहिए। नगर परिषद पैसे के अभाव के कारण नगर में जो कार्य करना चाहती है वे नहीं कर पाती है। कूड़ा करकट उठाने के लिए बार-बार रुकावट आती है। इसलिये राज्य सरकार यह निर्णय ले कि मनोरंजन कर नगर परिषद को वापस कर दिया जाय ताकि वे स्वास्थ्य व सफाई की दृष्टि से काम कर सकें।

जो गांवों में खेती में काम आने वाले उपकरण हैं, उन पर टैक्स ज्यादा लगाया गया है उसमें कमी करनी चाहिये । अभी ट्रैक्टर व ट्राली पर टैक्स कम किया है लेकिन जो गावों में काम आने वाली चीजें हैं उन पर इतना टैक्स नहीं लेना चाहिये कि उत्पादन ही नहीं बढ़ सके । गांव ही शहरों को फीड करने वाले हैं । खेती के अलावा भी जो चीजें हैं उन पर इतना टैक्स नहीं लेना चाहिये जितना कि इस समय लगा हुआ है। यदि केवल उत्पादन कर लगाया जाय तो अन्य करों के भ्रम में लोग नहीं फसेंगे। मेरा निवेदन है कि बिक्री कर समाप्त करके उत्पादन कर लिया जाय जिससे सारे देश में एक ही दाम पर चीजें उपलब्ध हों।

हमारे यहां जो यातायात में काम में आने वाली बसें हैं उन पर टैक्स बढ़ गया है। इन दिनों मैने सुना है और पढ़ा है कि किराया बढ़ने वाला है बसों की हालत बहुत खराब है। शहर में सी टी. एस. बसों की संख्या बहुत कम । सीधी बस सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। यदि जोरावरसिंह गेट से कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहे तो कोई बस सेवा नहीं है। कोई अस्पताल जाना चाहे तो सीधी बस सुविधा उपलब्ध नहीं है, घाट गेट तक बस नहीं मिलती । इससे इधर रहने वाले और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके उपरांत निरंतर टैक्स बढ़ता जाता है । बसेज की पीछे की बाडी देखें तो टूटी हुई नजर आती हैं। अंदर सीटें ठीक नहीं है । मैं खुद जब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती थी तो देखती थी कि लड़कियों को बैठने के लिये जगह नहीं मिलती थी, छात्राओं को भीड़ में घुसना पड़ता था । अतः यूनिवर्सिटी की बसो की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये । उनमें आगे लेडीज के लिये अलग से सीटें हों। भीड़ में जिस तरह छात्रायें घुसती हैं, वह देखा नहीं जाता ।

सरकार ने पिछले दिनों रामगढ़, जहां प्राइवेट बसें चलती थीं, लोगों की इच्छा देख कर रोडवेज की बसें चलाई। मैंने आवेदन किया था और मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया। कहा तो जाता है कि 46 बसें चल रही हैं लेकिन कभी तो एक समय पर तीन बसें चली जाती हैं और कभी 6-6 घंटे तक बसें नही मिलती हैं, इसलिये वहां पर यात्री दु.ख उठा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इन सब असुविधाओं को दूर किया जाए।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं गंगानगर, रायसिंहनगर, नोहर, पदमपुर, जैतसर, गई थी। वहां बसों की हालत ठीक नहीं लगी। वहां के लोगों ने शिकायत की कि हमारे केदारनाथ जी यातायात मंत्री हैं फिर भी यह हालत है। जो सीमा पर चौकियां लगती हैं वहां से मालूम होता है कि पाकिस्तान में सुख सुविधायें हैं, उनके सीमा क्षेत्र में हरियाली नजर आती हैं, खेत हरे भरे हैं लेकिन हमारी तरफ सीमा में ऐसा नहीं है। वहां से लोग घुसपेठ कर गलत काम करते हैं. बिक्री करते हैं। हमने जो कालोनीज बनवाई वे खाली पड़ी हैं जैसे बिजारों, शेरपुरा। सैनिकों ने कहा कि यदि यातायात के साधन उपलब्ध हो जायं तो निश्चित रूप से कालोनीज खाली नहीं रहेंगी, लोग घुसपेठ नहीं करेंगे। मैं जब छबड़ा चुनाव क्षेत्र में गई तो वहां भी बसों की असुविधा देखी। बसों की सुविधा के लिये जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनसे आगे पड़ने वाले छोटे छोटे गांव है जैसे रामगढ़ से आंधी, आमेट से केलवाड़ा, ऐसे छोटे छोटे मार्गों पर यदि रोड वेज की बसें उपलब्ध नहीं हैं तो प्राइवेट बसों को अनुमति देकर नागरिकों को सुविधा पहुंचाई जाय।

श्री सभापति : श्री गुल मोहम्मद।

(अनुपस्थित)

श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्री अब्दुल अजीज।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): सभापति महोदय अन्य मदों के सम्बन्ध में मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो मौजूदा हालात के अन्दर ट्रेक्टर-ट्रोली पर व गुड्स पर टैक्स लगाया है वह कोई वाजिब नहीं है। उसे समाप्त किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, जो ट्रेक्टर सन् 1962 के अन्दर 12 हजार रुपये की कीमत में आता था उस ट्रेक्टर को खरीदने के लिए आज काश्तकार को 50 हजार रुपये देने पड़ते हैं। सभापति महोदय, ट्रेक्टर के अन्दर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया हो। एक तो इस पर यों ही राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के टैक्सों की भरमार है, दूसरे, सभापति महोदय, यह ट्रेक्टर-ट्रोली हमारे किसानों के काम में आने वाली बैलगाड़ियों की ही तरह काम आता है। यह एक ऐसा साधन है किसान के लिये, सभापति महोदय, कि किसान का काम इसके बिना कतई नहीं चल सकता है। आपने इसके ऊपर ही टैक्स

(श्री रामसिंह विश्नोई)

लगाया है । यह आपने बहुत भारी अन्याय किसान के ऊपर किया है। सभापति महोदय, किसान एक तो पहले ही अनपढ़ होता है, दूसरे किसान वैसे भी कम समझता है। ट्रेक्टर उनके लिये एक जरूरी चीज है पर मैं समझता हूं कि सरकार और दूसरे लोग यह समझते हैं कि ट्रेक्टर खरीदने से या उसके रखने से किसान मालदार हो गया। उनकी धारणा ऐसी है कि मालदार व्यक्ति ही ट्रेक्टर रख सकता है। दरअसल यह बात नहीं है। किसान वास्तव में अपनी खेती के लिये ट्रेक्टर रखता है, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बरसात कम ज्यादा होती रहती है, कभी-कभी तो बरसात होती ही नहीं है और होती भी है तो बहुत कम, ऐसे स्थानों पर अगर किसान ट्रेक्टर नहीं रखे तो उसका काम कतई नहीं चल सकता है। इसलिये किसान चाहे कर्जा लेकर, चाहे बैंकों की शरण में जाकर ट्रेक्टर खरीदता है। वह अपने खेत से वापस आते हुए ट्रेक्टर-ट्रोली में अपने खेत का सामान भरकर ले आता है। खेती के अलावा ब्याह शादियों में किसान ट्रेक्टर व ट्रोली में सामान रखकर ले जाता है तथा नाना प्रकार के काम में इसका प्रयोग करता है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने ट्रेक्टर-ट्रोली पर टैक्स लगाकर किसान के साथ बहुत भारी अन्याय किया है। सभापति महोदय, इन पिछले पांच दस वर्षों में सरकार ने ट्रेक्टर-ट्रोली पर टैक्स लगाया है। इस पर कई बार माननीय सदस्यों ने ऐतराज भी किये हैं। पिछली राज्य सरकार ने भी इसको माफ किया है। इस बार राज्य सरकार ने ट्रेक्टर ट्रोली पर टैक्स लगाया, माननीय सदस्यों ने इसका विरोध भी किया लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी, जो कि खुद काश्तकार अपने आप को बताते है, काफी बुजुर्ग हैं, ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा बिल्कुल ही मौन हैं। बावजूद इतने विरोध के इन्होंने इधर-उधर एक भी पैसा कम नहीं किया। अभी पांच-सात रोज पहले इस ट्रेक्टर-ट्रोली पर टैक्स के विरोध में काश्तकारों ने विधान सभा के सामने प्रदर्शन भी किया था लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने इसको माफ नहीं किया। राज्य सरकार ने टैक्स लगा कर किसान के साथ बहुत भारी अन्याय किया है। आज यह ट्रेक्टर-ट्रोली पर टैक्स देना किसान के बूते के बाहर है।

दूसरी बात जो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि जोधपुर शहर में टैम्पो सर्विस है। राज्य सरकार ने उनको जनता की सुविधा के लिए चलाया है लेकिन उन टैम्पो में कोई मीटर लगाया हुआ नहीं है। टैम्पो के मालिक मनमाने ढग से किराया वसूल करते हैं। वहां पर टैम्पो की स्थिति बहुत ही खराब है। जनता को बहुत भारी परेशानी होती है पर न तो राज्य सरकार ही ध्यान देती है न ही नगरपालिका ही ध्यान देती है जब कि राज्य सरकार टैम्पो से टैक्स वसूल करती है। राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि इसकी ओर ध्यान दे। आप जनता से टैक्स इस उद्देश्य से वसूल करते हैं कि इससे जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा लेकिन वह नहीं हो रहा है। आज हालत जोधपुर में यह है कि कोई व्यक्ति टैम्पो में बैठ जाता है तो एक रुपये की जगह पांच रुपये उससे वसूल किये जाते हैं।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

एक भला आदमी उसमें बैठता है तो पांच रुपये के लिये अपनी इज्जत उतरवाने तो बैठता नहीं है। मीटर है तो मीटर की सील टूटी हुई होती है। एक रुपये की जगह चार-पांच रुपये आ जाते हैं। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जोधपुर में जो टैम्पो चल रहे हैं उनकी मन्त्री जी आर. टी. ओ. जोधपुर को सही व्यवस्था करने के लिये आदेश दें ताकि आपको टैक्स पूरा मिले, जनता को भी पूरी सुविधा हो और जनता को अधिक पैसे टैम्पो के किराये के नहीं देने पड़ें।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है कि कच्चे मार्गों पर प्राइवेट बसेज चलती हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। आप ताज्जुब करेंगे, उन बसों के कन्डक्टर्स की हालत यह है कि वह एक पैसे का टिकट नहीं काटते हैं। सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब होता है कि वह कैसे आपके टैक्स भरते हैं, क्या सिस्टम है उसका। आपके प्राइवेट बसों के कन्डक्टर व मालिक लोग किराया तो वसूल करते ही हैं इसके साथ-साथ बुरी तरह से बसों को भर लेते हैं। किराया जो भी कन्डक्टर वसूल करते हैं उसका पांच प्रतिशत भी सरकार में टैक्स के रूप में जमा नहीं होता है। वह कन्डक्टर टिकट काटता ही नहीं। अगर कोई पैसेन्जर टिकट के लिये कहता है तो उसको कन्डक्टर जबरदस्ती उतार देता है। लोगों के साथ नाना प्रकार की ज्यादती होती है। इस प्रकार लाखों-करोड़ों रुपये का आपका टैक्स वसूल नहीं हो रहा है। एक तरफ तो आप जनता पर टैक्स लाद रहे हैं दूसरी तरफ आपको उसका पांच बस प्रतिशत भी टैक्स नहीं मिलता है। इसका, सभापति महोदय, एक बड़ा कारण यह भी है कि आर.टी.ओ. से इन बस मालिकों की सांठ-गांठ होने के कारण राज्य सरकार के कोष में गबन हो रहा है। आज बसेज जो कच्चे रूट पर चलती हैं वह इसलिये चलती हैं कि जनता को आने-जाने में असुविधा नहीं हो। पर उन बसों की हालत खराब होने से जनता को परेशानी होती है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि इस ओर आप जल्दी से जल्दी ध्यान देकर उचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करें। आज एक तो कच्चे मार्गों पर यों ही हालत खराब है, दूसरे लोगों को दिक्कत होती है इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जब आप टैक्स जनता से वसूल करते ही हैं तो क्यों नहीं आप ऐसी व्यवस्था करते कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक, दो, तीन, चार मील के भीतर कहीं जाना हो तो बसों में बैठकर चले जायें। आप राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो पंचायत समिति हैड-क्वार्टर्स तक तो आपको बसेज पहुंचानी ही चाहिये। इसके अलावा बसों की हालत भी ठीक होनी चाहिये। जहां पर रूट्स नेशन-लाइज नहीं हुए हैं वहां प्राइवेट बस मालिकों से बातचीत करके ऐसी व्यवस्था करावें कि आपको टैक्स पूरा मिल जाय और जनता को आने-जाने में सुविधा हो जाये। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जब मंत्री महोदय डिमाण्ड पर हुई बहस का जवाब दें तो मेरे इन तीनों कट-मोशन का भी जवाब दें।

**श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ।**

**श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):** सभापतिमहोदय, मैं आपके माध्यम से यातायात के

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

करों में चोरी होती है उसकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जहां पर नेशनलाइजेशन रूट्स का नहीं हुआ है और जहां पर रोडवेज को बसें नहीं चल रही हैं वहां के बारे में मैं आपको विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन बसों की हालत बहुत ही खराब है, टूटी फूटी हालत है, सीटों की हालत बहुत ही खराब है। बसों में धूल जम रही है। कोई सफाई नहीं। कन्डक्टर की हालत यह है कि कन्डक्टर उन बसों में मनमाने ढंग से पैसा चार्ज करते हैं। टिकट एक भी पेसेन्जर को काट कर देता नहीं है। पता नहीं किस तरह से इन प्राइवेट बसों के मालिक लोग टैक्स का हिसाब–किताब रखते हैं। बस जहां से रवाना होती है वहां से लेकर जहां पर बस जाती है वह एक भी व्यक्ति को मुश्किल से ही टिकट काटकर देता है और इस प्रकार आज लाखों रुपये के टैक्स की चोरियां इन प्राइवेट बसों के मालिकों द्वारा की जा रही हैं। आज इसको देखने वाला कोई नहीं है। भगवान ही मालिक है। सभापति महोदय, इन पिछले 8–9 सालों में मैंने इन बसों में बहुत बार सफर किया है। इन बसों में सफर करते वक्त मैंने कभी भी आपके किसी भी आर.टी. ओ. या अन्य किसी अधिकारी को इनका चैकिंग करते हुए नहीं देखा। कैसे टिकटों का हिसाब–किताब करके यह लोग राज्य सरकार के पास टैक्स भरते हैं वह तो भगवान ही जानता है। सभापति महोदय, मैं आपको अभी दस तारीख की बात, दो चार दिन पहले की बात निवेदन करना चाहूंगा। मैं जब विधान सभा की 11–12 की छुट्टी के दौरान गांव गया था तो संयोग से अजमेर से परबतसर वाली बस से, जो पांच बजे चलती है, जाने का अवसर मिला। बस की हालत बहुत ही खराब थी, बस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं था, उसके पास में परमिट भी नहीं था। उसने मनमाने ढंग से पैसे मुसाफिरों से लिये। उस बस में करीब 50–60 आदमी भरे हुए थे। रूट काफी लम्बा पड़ता है। एक भी व्यक्ति को उस कन्डक्टर ने टिकट काट कर नहीं दिया। मैं वहां बैठा हुआ देख रहा था। उस एक बस से 35-40 रुपये आपके टैक्स के कम से कम बनते होंगे, उस रूट पर वह बस दिन में चार बार आती–जाती है। सभापति महोदय, राजस्थान में ऐसी कितनी बसें होंगी जो इस तरह से टैक्स चुराती हैं व आपको नहीं देती हैं। आपने तो जनता पर कर लगा दिया है। कम से कम आपके पास तो वह पहुंचना चाहिये। यह क्या बात हुई, टैक्स आपके पास नहीं पहुंचे और बीच में मालिक बस ही उस टैक्स को हजम कर जाये। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई चैक नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह आर. टी. ओ. और उनके अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डालें कि वे बस वालों से सांठ गांठ न करें, भ्रष्टाचार न फैलायें। वह पूरा टैक्स वसूल कराके राज्य सरकार के पास जमा करावें। यह उनकी लाइबिलिटी होनी चाहिये। इसके अलावा आपको अपने आर.टी.ओ. के अधिकारियों को यह हिदायत करनी चाहिये कि वह इन बसों का सडन चैकिंग करें और देखें कि यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं रही है। आज जो भी कच्चे रूट्स पर बस जाती है वह एक भी

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

ठीक हालत में नहीं है, टूटी-फूटी बसेज हैं, धूल भरी हुई बसेज हैं, सीटें हैं नहीं बैठने को, सीटों का कोई अता पता नहीं है बस में कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, ड्राइवर है तो अनाड़ी, इंजिन से धुआं निकलता रहता है, मोबिल आइल की बदबू आती रहती है। आज चूंकि गांव के लोगों के पास, आने जाने के साधन नहीं हैं इसलिये उनको मजबूरी से उनमें बैठना पड़ता है। उनकी यह हालत है फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। आज इन सभी हालातों को अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट उसमें भ्रष्टाचार की बू आती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि आर. टी. ओ. व अन्य आफिसरों की बस मालिकों से पूरी सांठ गांठ है। आर. टी. ओ. के अधिकारी घर बैठे-बैठे कागजों पर दस्तखत कर देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं, सभापति महोदय, आपको चेलेंज के साथ कहता हूं, साथ चल कर बता सकता हूं कि आपके यहां कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। प्राइवेट बसों की समय-समय पर फिटनेस की जाती है। पहिले इस कार्य हेतु एक मैकेनिकल इन्सपेक्टर होता था। अब उस कार्य के लिए आपने अधिक जिम्मेदार अफसर को लगाया है। वहां लगाया है डी. टी. ओ. को जितना बडा अफसर उतना ही काम करना कम कर दिया। लगता है बसों का फिटनेस होता ही है। टूटी-फूटी बेरंगवाली गाड़ियां चलती हुई पाई जाती हैं। कितना निरंकुश प्रशासन है। यही कारण है कि बस मालिकों को हर प्रकार की चोरी करने का मौका मिलता है व उनका हौंसला बढ़ता है। गाड़ियों की सही हालत नहीं होने से एक्सीडेन्ट्स होने का खतरा रहता है और एक्सीडेंट्स होते भी हैं। आज जितने लोग उन बसों में बैठे सफर करते हैं उनकी जान को जोखिम होती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन बसों की हालत को सुधारिये और इन पर अंकुश रखिये ताकि राज्य सरकार को पूरा टैक्स मिले और जनता को भी सुविधा मिले।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा रोडवेज के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, रोडवेज की आपकी जो बसें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। आपने रूट्स का नेशनेलाइजेशन किया और जनता को यह गारन्टी दी कि हम आपसे टैक्स तो वसूल करेंगे पर अच्छी बसों का इन्तजाम भी करेंगे। लेकिन रोडवेज की बसों की हालत बहुत ही खराब है। आज बसें बुरी तरह से गन्दी हैं, सीटें टूटी हुई हैं, रेगजीन फटा हुआ है, बैठने को जगह इतनी खराब कि पूरे तीन व्यक्ति भी नहीं बैठ सकते हैं। एक सीट से दूसरी सीट में 12 इंच का फासला होना चाहिये, उसके विपरीत में उसमें नौ इंच की जगह ही फासले की है। आराम से बैठ नहीं सकते। घुटने रखने तक को जगह नहीं। तीन आदमी उसमें बैठ नहीं सकते। अगर रतनलाल जी वर्मा जैसे दो व्यक्ति ही बैठ जायें तो बहुत मुश्किल हो सकती है। एक सीट से दूसरी सीट की दूरी 27 इन्च की नियमानुसार होनी चाहिए, जिसमें पांव रखने की जगह बारह इन्च होनी चाहिए पर क्योंकि जगह 10 पर्सेन्ट बसों में पूरी है ही नहीं अतः आदमी सीधा बैठ ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति सामान्य से थोड़ा सा अधिक लम्बा हो तो निश्चित तौर से सीधा नहीं बैठ सकता। कोई बोल्ट तो नहीं लगे कि आदमी घुटने खोलकर बैठ जावे। मंत्री महोदय, आप जरा उन सीटों पर बैठ

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कर देखिये और फिर 100 मील का सफर कीजिए तब पता लगेगा कैसा होता है बैठना। संयोग से उस सफर में आप अगर किसी महिला के पास में बैठ जाओ तो उसके साथ अड भिड़ कर बैठना पड़ेगा। थोड़ा इधर-उधर हिल जाओ तो वह महिला धमका कर कह देगी, जनाब। जरा ठीक से बैठिये। तो मेरा निवेदन यह है कि आप इसमें सुधार लाइये। आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं तो बसों की हालत सुधारो। पांव रखने की जगह तो उचित हो कम से कम। जनता से आप टैक्स वसूल करते हैं तो आपको उस टैक्स के बदले में सुविधा भी तो जनता को देनी होगी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ट्रैक्टर-ट्रोली टैक्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह टैक्स बिल्कुल गलत व आधारहीन है। किसान का ट्रैक्टर व ट्रोली तो सडक पर नहीं के बराबर चल पाता है, असल में किसान चलाना ही नहीं चाहता क्योंकि सड़क पर टायर अधिक कटते हैं फिर भी पहले से ही ट्रोली पर 110 रुपये का रोड टैक्स लगा रखा है और 22 रुपये ट्रैक्टर पर भी। अब आपने 450 रुपये गुड्स टैक्स लगा दिया। किसान कौनसा माल ढोता है? जो कुछ ढोता है अपने निजी फार्म व काश्त से सम्बन्धित सामान ढोता है। इतना धीरे चलने वाला वाहन तेज चलने वाले वाहनों के सामने किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है। अतः यह सोचना कतई गलत है। इस किसान के छकड़े को व्हिकल का परिभाषा में नहीं लिया जावे, इस पर किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया जावे। इसको कर मुक्त कर दिया जाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्रीमान् मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर आफ राजस्थान के संबंध में निवेदन करना है। इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर का मुख्य कार्यालय जयपुर में स्थित है तथा इनका कार्य है कि किसानों के कुओं पर, घरों पर या शहरों में की गई बिजली की फिटिंग को विद्युत् कनेक्शन देने से पूर्व जाकर देखें कि बिजली फिटिंग ठीक है। पर, मान्यवर, जाकर देखने के नाम से टी. ए., डी. ए. बनाते हैं, उन्हीं से टैक्स वसूल करते हैं पर कहीं जाकर देखने का नाम नहीं। मैं चेलेंज के साथ कह सकता हूं कि मेरे जिले में और इलाके में इस कार्यालय के लोगों ने एक भी गांव में जाकर इस प्रकार के बिजली के फिटिंग के कार्य को नहीं देखा। हर जिले में इनके अधिकारी हैं फिर ये लोग क्या करते हैं? किस बात की तनख्वाह लेते हैं? किस बात का टी. ए., डी. ए. उठाते हैं? इन मुख्य कार्यालय से क्या नियंत्रण है?

अगर कार्य करें तो यह काफी महत्वपूर्ण विभाग है पर जिस प्रकार से यह कार्य कर रहे हैं एक भ्रष्टाचार मात्र का घर है, बस, इसके सिवाय कुछ नहीं। फिर भी बिना किसी कारण जनता से टैक्स लिये जा रहे हैं। बिजली का ठीक से फिट न होना इन्सान की मौत का कारण किसी भी समय बन सकता है। यह इनकी सीधी जिम्मेदारी है।

आगे सुनिये, यह विभाग कुछ लोगों को प्रमाण-पत्र देता है कि ये ट्रेण्ड लोग हैं तथा बिजली फिटिंग का 'एल' फार्म दे सकते हैं, जिसके दिये जाने के बाद बिजली विभाग विद्युत् कनेक्शन देता है। 'एल' फार्म का यह हाल है कि बाजार में खुला बिकता है। लोग इसके सहारे नाजायज धन कमाते हैं। इसके लिए सुझाव है कि ये 'एल' फार्म

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

विभाग को खुद को छपाकर इन लाइसेन्स होल्डरों को देने चाहिए ताकि 'एल' फार्म की नाजायज बिक्री बन्द हो सके।

श्री सभापति : श्री रामदेव !

(अनुपस्थित)

श्री रामकरण सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

**श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़)** : सभापति जी, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि शराब के विभाग की हर साल तरक्की होती है उसमें आपका विभाग बहुत बड़ा कारण है। इसमें खूब खुला भ्रष्टाचार है।

सड़कों पर कोई दूसरी गाड़ी लग नहीं सकती। सड़कों पर चलने वाली आपकी गाड़ियां ऐसी खचाखच भरी होती हैं फिर भी करोड़ों रुपयों का आपको नुकसान होता है। इस ओर तो आप ध्यान दीजिये। यदि रोडवेज में इस तरह का नुकसान होगा तो फिर तो भगवान ही मालिक है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी अपनी गाड़ी तो है लेकिन कभी-कभी इन गाड़ियों में भी सफर करके देखिये तो सही।

सभापतिजी, चन्द्रलोक में पहुंचना तो संभव हो गया है लेकिन मेरे क्षेत्र में कई पंचायतें ऐसी हैं कि जहां पर आज तक बस ही नहीं गयी है। बड़े-बड़े लोगों ने उनके दर्शन तक नहीं किये। इसलिये खोज निकालें इस तरह की पंचायतों को जहां आप रूट निकालें और ऐसे रूट पर जो बस लगायें उसको टैक्सेज में आप छूट दीजिये। इसके साथ साथ आप से निवेदन है कि आपकी गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं उसके बावजूद भी उनका सत्यानाश हो गया है तो ऐसी जगहों पर जाने में तो न जाने उनकी क्या स्थिति होगी। ऐसी जगहों पर आप प्राइवेट बसेज लगाइये जिससे कम से कम लोग बस के दर्शन तो कर सकें। बेंगू से आकोला आपको चार बसें लगानी चाहिये थी लेकिन आपने एक बस लगायी है उसके लिये तो धन्यवाद। और भी कृपा कीजिये क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा।

मांडलगढ़ से जहाजपुर वाया काछोला रूट है उस पर इतनी सवारी है कि जितनी नीचे की मंजिल में खचाखच भर कर जायं उतनी ही ऊपर की मंजिल पर भी जायं तो भी कम है। इतनी भीड़ होते हुए भी बहुत कम गाड़ियों को परमिट मिला है। कम से कम यहां पर 8 गाड़ियों की आवश्यकता है इसलिये मेहरबानी करके लगाइये।

भीलवाड़ा से बर्डालिया, सुरास, खलाड़ा, दीगोद होते हुए कोटडी होते हुए बस की आवश्यकता है। आप तो मेहरबानी करके एक नियम बना लीजिये कि जितनी पंचायतें उस क्षेत्र में हैं वहां हर हालत में बस ले जानी है। आप लोगों को रियायत दीजिये। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए फिर निवेदन करूंगा कि यह आपकी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, शराब की आमदनी से भी अधिक आमदनी हो सकती है।

क्लीनर नहीं है गाड़ियों पर। मेहरबानी करके आप अपनी गाड़ियों पर क्लीनर की

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

व्यवस्था कीजिये जिससे यात्रियों का सामान चढ़ा सकें और उतार सकें। आप इसके जरिये सैंकड़ों आदमियों को नौकर रख सकेंगे।

साथ ही साथ बसों की सफाई का भी पूरा इन्तजाम करायें। आपकी गाड़ियां दो तीन वर्षों में ही नष्ट हो जाती हैं जब कि प्राइवेट गाड़ियों को देखिये उनका वर्षों तक कुछ नहीं बिगड़ता है। उनमें कितनी चमचमाहट रहती है। उनसे निकट संपर्क करके आप राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं वरना यह स्थिति आ गयी है कि लोगों में राष्ट्रीयकरण के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। जितनी आपकी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं उनका लोग मखौल करते हैं। आपकी गाड़ियां टूटी-फूटी हालत में हैं, उस ओर आप ध्यान दीजिये। शराब पीने वालों को तो आप डिपार्टमेंट में रखिये ही नहीं। 23 करोड़ में से 1 करोड़ की आय तो शराब से आपका विभाग ही दे देता है। इस ओर अवश्य ही ध्यान दीजिये और यह देखिये कि कोई भी पंचायत ऐसी न रहे माडलगढ़ की कि जहां बस न जाय। बस के उन बूढ़े लोगों को तो दर्शन करा दें वरना बगैर दर्शन किये ही संसार से चले जावेंगे। इतना ही कह कर बैठना चाहता हूं। आपको पुनः पुनः धन्यवाद।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): माननीय सभापतिजी, हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि highest taxation in the world दुनिया में सबसे अधिक टैक्स यहां पर लगे हुए हैं फिर भी हमारे राज्य को पर्याप्त साधन मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाते। इसका कारण यही है कि टैक्स तो हमने बहुत लगा दिये लेकिन टैक्स लगाने के बाद उसकी वसूली की चिन्ता हमने नहीं की। टैक्स की सही प्रकार से वसूली हो जाय इसकी चिन्ता करना आवश्यक है। नहीं तो आज यह हो रहा है कि जो आदमी ईमानदारी से टैक्स देता है उससे तो वसूली हो जाती है लेकिन जो लोग बेईमानी करते हैं और दो नम्बर की बहियां रखते हैं उनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पाती है। बड़े-बड़े लोग टैक्सों की चोरियां करते हैं और टैक्स की वसूली नहीं होने के कारण बेईमानियां चलती हैं। उसके साथ ही सरकारी आय में भी बहुत बड़ी कमी होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके द्वारा कि टैक्सों की चोरी को रोका जाये और कर की जो पद्धति है उसके अन्दर सुधार किया जाये। जब तक कर की पद्धति में सुधार नहीं होगा तब तक टैक्सों की चोरी नहीं रुकेगी।

अभी अभी माननीय सदस्य बता रहे थे और इस बात को हर आदमी जानता है, हर आदमी को पता है कि पहले तो बस वाले टिकट देते ही नहीं हैं, बिना टिकट दिये ही पैसे ले लेते हैं और फिर उस पैसे को अपनी जेब में रख लेते हैं। इसको रोकने का प्रबंध किया जावे।

इसके अलावा पिछले वर्ष भी जब बजट आया था तो बात आई थी कि 15 रुपये से छोटे रेडीमेड कपड़े वाले हैं उनका टैक्स माफ किया जाये। उस समय इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि इसमें क्योंकि टैक्स की चोरी होने की सम्भावना है इसलिए इस पर से टैक्स माफ नहीं कर सकते। सरकार पहले तो सिद्धान्ततः स्वीकार करे कि इस के

(श्री बिरदमल सिंघवी)

ऊपर टैक्स वाजिब नहीं है, फिर सरकार कहे कि क्योंकि हम टैक्स की चोरी नहीं रोक सकते इसलिए टैक्स तो लगायेंगे ही, यह ठीक नहीं है। टैक्स की चोरी रोक नहीं पाये, किसी भी सरकार के लिए यह अच्छी बात नहीं हो सकती। यह मेरे विचार में ठीक बात नहीं है कि सरकार अपने स्तर पर टैक्स की चोरी नहीं रोक सकती इसलिए टैक्स लगाया गया है।

श्रीमान्, टैक्सों की चोरियां नहीं रोक पाने का एक कारण यह भी है कि आफिसर्स नहीं हैं। जिस मात्रा में अपाइन्टेड आफिसर्स होने चाहिए उस मात्रा में नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जोधपुर में पिछले 6 महीने से सी. टी. ओ. की अपील सुनने वाले डिप्टी कमिश्नर ही अपाइन्टेड नहीं हैं। आफिसर्स ही अपाइन्ट नहीं हुए जब कि लोगों की सर्वप्रथम यही इच्छा होती है कि कहां अपील करें। फिर वह भ्रष्टाचार का तरीका अपनाते हैं और टैक्सों की चोरियां बराबर होती जाती हैं। फिर, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जो टैक्स की वसूलियों का तरीका है उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए। लोग कई बार टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स की चोरियां नहीं करना चाहते हैं और ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं लेकिन टैक्स की वसूलियां करने का तरीका इतना पेचीदा है, जैसे बैंकों में जायं तो रकम जमा कराने के तरीके के कारण बहुत समय लगता है। आदमी समझता है कि इतना समय कौन नष्ट करे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि शाप्स एण्ड कामर्शियल एक्ट के अन्दर व्यापारी को अपना सर्टीफिकेट लेने के लिए जाना पड़ता है। हर व्यापारी वहां पर जाना पसन्द नहीं करता है तो वहां किसी को भी मुकर्रर कर देता है कि उसकी तरफ से वह वहां चला जाये और रकम जमा कर सर्टीफिकेट ले आये। टैक्स की वसूली होनी है और रकम जमा करानी है लेकिन वहां के आफिसर्स इसमें बाधायें डालते हैं और कहते हैं, नहीं व्यापारी ही यहां आकर रकम जमा कराये। इसलिए टैक्स की वसूली में सरलीकरण के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमान्, कुछ ऑफिसर्स आपको इस विषय में ट्रेण्ड भी करने चाहिए ताकि टैक्स की चोरियां न हो सकें और वसूलियां ठीक तरह से हो सकें। लोगों के साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता है। आखिर टैक्स देने वाले जो लोग हैं वह सरकार के खजाने में पैसा देने वाले हैं लेकिन जो दुर्व्यवहार उनके साथ में किया जाता है उससे उनको काफी परेशानी होती है। आखिर उनकी क्या स्थिति है और क्या बात है यह सारी बातें देखकर उनके साथ सिम्पेथेटिक और सौहार्दपूर्ण तरीका अपनाया जाय तो रकम भी आसानी से वसूल होगी और लोगों को रकम देने में भी दुविधा नहीं होगी। लेकिन इस तरह की बात सामने नहीं आती है। लोगों को तंग किया जाता है। इन्सपेक्टर लोग घूमते हैं और ऐसा समझते हैं कि एक टैक्स तो लोगों को सरकार को देना ही है और दूसरा टैक्स हमको लेना है। तंग आकर लोग टैक्स की चोरियां करते हैं जिससे सरकारी खजाने में रकम जमा नहीं होती है और अवांछनीय तत्व उस पैसे को अपनी जेब में ले जाते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां टैक्स जगह-जगह है, मल्टीपल

(श्री बिरदमल सिंघवी)

टैक्स है। जैसे मण्डी टैक्स एक पाइन्ट पर लगा, वहां से माल दूसरे स्थान पर गया तो वहां भी टैक्स लग गया, उसके बाद तीसरी जगह छोटे गांव में माल गया तो फिर वहां भी टैक्स लग गया। इसी तरह से आक्ट्राय का भी है। जैसे जयपुर में माल आया उसकी आक्ट्राय दी और उसके बाद वह जोधपुर में गया तो टैक्स लगा और फिर छोटे स्थान पर गया पाली में या जालौर में तो वहां भी टैक्स लगा। यानि गरीब कन्ज्यूमर जो गांव में रहता है उस तक माल पहुंचेगा तो तीन-चार जगह टैक्स लग जायेगा और वह माल अधिक से अधिक महंगा होता जायेगा। इसमें भी सुधार होना चाहिए जिससे कि छोटे लोगों के ऊपर टैक्स का भार नहीं बढ़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ यही कहूंगा कि जो टैक्स की वसूलियों में हरेसमेंट किया जाता है वह बन्द होना चाहिए। टैक्स की चोरियां रोकने के अन्दर हमको आफिसर्स को लगाना चाहिए और जबरदस्त चैकिंग होनी चाहिए जिससे कि चोरी को रोका जा सके। जो बेईमानी करते हैं उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लेना चाहिए। यदि कोई टैक्स की चोरी करता है तो उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन आज तक लेते नजर नहीं आये। आखिर जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके खिलाफ आपको सख्त कदम उठाना चाहिए। जो आफिसर्स गड़बड़ियां करते हैं उनमें से दो चार के खिलाफ भी सख्त कदम उठा लिए तो चोरी रुकेगी और इससे बहुत कुछ लाभ हो सकेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सरकारी हाथों में क्रय शक्ति दे दो यह कहां की नीति है। मैंने सारे बजट प्रपोजल्स पढ़े हैं, उनसे मालूम हुआ है कि खर्चा बढ़ता जायेगा। उसके बाद में मैंने करों को भी देखा है। 1976-77 में 20 लाख 24 हजार रुपया खर्चा होता था और अब आपने प्रशासन का खर्चा 27 लाख 30 हजार रखा है। स्टाम्प और पंजीकरण में पहले 27 लाख 52 था और अब 45 लाख 11 हजार हो गया है। बिजली निरीक्षक विभाग में 3 लाख 14 हजार होता था और अब 5 लाख 95 हजार हो गया है। टैक्सेज का कलैक्शन में 19 लाख 79 हजार रुपया था और वह अब 23 लाख 13 हजार हो गया है। मैं डिटेल में और जाना चाहता था क्योंकि श्रीमान् वित्त मंत्री जी का कहना था कि हम प्रशासनिक खर्चे में कमी कर रहे हैं। लेकिन यह फौज बढ़ती जाती है। जनता से पैसा लेने जाइये और उसका उपयोग करते जाइये। मुख्य मंत्री जी नहीं हैं. उनसे कह दीजिये उन्होंने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। वह थोथी घोषणा न करें, कृपा होगी। अगर किसी गरीब आदमी को रजिस्ट्री करानी है तो उसको रिश्वत का पैसा क्लर्क को देना होगा। मुझे पूछेंगे, कैसे आये हो? तहसीलदार ठ की रजिस्ट्री

(श्री मूलचन्द डागा)

करेगा। खर्चा इसलिए वसूल करता है, कि जब मंत्री महोदय आते हैं तो मंत्री महोदय का खर्चा तहसीलदार को करना पड़ता है। तहसीलदार को खर्चा निकालना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : अब यह बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात आप जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कोई महकमा नहीं, जहां रजिस्ट्री बिना पैसे के होती है। रजिस्ट्री के लिये तहसील-दार को मुकर्रर कर दिया। तहसीलदार रजिस्ट्री होने बाद यह जांच करता है उसका वेल्यूएशन कितना है? मेरी अपनी चीज है, मैं कम में बेचता हूं। लेकिन जांच केवल इसलिये होती है कि थोड़ा बहुत पैसा उनके पास चला जाये। उनके पास पैसा चला जाता है तो जांच खतम हो जाती है। मैं पाली जिले की बात कहता हूं, 300 रजिस्ट्रियां पड़ी हुई हैं रजिस्ट्रार के पास। भूमि कर के मामले में यह कह कर मैं थक गया। आज सरकार विकेन्द्रीकरण की बात कर रही है। सिरोही में भूमि कर के 400 मुकदमे पड़े हुए हैं। आपने कहा कि 2 करोड़ की आमदनी होगी, फिर 2 करोड़ की बात की, फिर 1 करोड़ पर आ गये और कहा कि खर्चा बढ़ गया। नगरपालिकायें वसूल कर लेतीं तो खर्चा कम हो जाता। कांग्रेस की जो नीतियां थीं, वह की वह नीति–रीति आपकी है और वही चलने का तरीका है, कोई नया काम आपने किया नहीं। यह हाउस कर और मनोरंजन कर नगरपालिकाओं को दो।

आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, हमने पंचायतों के चुनाव करा दिये। इतनी घोषणायें कर दीं। मेरे ख्याल में आप गोएबेल्स को मात कर रहे हैं। झूठ बोलने में, भगवान जानता है, आप इतने माहिर लोग हैं। श्रीमान, मैंने बजट के कई आंकड़े देखे हैं, वह फैक्टस बताते हैं कि बीमारियों का खर्चा, कन्वेयेन्स का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है। आपके यहां नौकरों की भरमार है, पंजीकरण में 73 नौकर हैं। मैंने काउंट किया, दिमाग ने काम नहीं किया। एक एम. एल. ए. किसी कार्यालय में जाय तो मालूम होता है कि किस प्रकार से अधिकारी व्यवहार करते हैं, मुंह चढ़ा हुआ होगा, रूखा बोलेंगे, खड़े होने का एटीकेट नहीं दिखायेंगे। यह कोई तरीका नहीं है। एक इन्सपैक्टर का महकमा है, जो बिजली का लाइसेन्स देते हैं। मैं जानबूझ कर इधर निकल गया। प्रेमनारायण जी का आफिस है या किसका, मैं भूल गया, लिखा हुआ है मेरे पास। यह जहां अन्य कर लगा हुआ है, वहां सारे अधिकारी, कर्मचारी मैं तो 80 परसेंट कहूंगा कि भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खतम कर रहे हैं। मुझे कोई बताये कि भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री ने किन्हीं पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बाप रे बाप धमाका कर रहे थे। धमाका बंद हो गया। अब लोगों को मालूम हो गया कि जनता सरकार वह की वह रह गई है, टैक्स इन्सपैक्टर मालामाल हो रहे हैं, दिन दुगुने बढ़ रहे हैं, खर्चा उनका बढ़ रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो, श्रीमान्, यह जो रजिस्ट्री पर खर्चा है उसे कम कीजिये। आपका जो ट्रेक्टर ट्रोली पर टैक्स है, यह किस बात का है? गांव में काश्तकार हैं, थोड़ा उसको आगे आने दो। आपका पुलिस वाला है वह तंग करता है।

(श्री मूलचन्द डागा)
अगर वह काश्तकार कागजात भूल गया तो कहता है चलो थाने में। आपका पर्पज क्या है? क्या यह पर्पज है जैसे राज चलता था वैसे चलता रहे। वित्त मंत्री जी आपने बड़े भाषण दिये लेनिनवाद, गांधीवाद आदि पर। बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने मेरी जिन्दगी में ऐसा भाषण नहीं सुना। यह कोरा भाषण ही भाषण है। आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। मैं चेलेन्ज करके कहता हूं कि आपके खर्चे की भरमार है, नौकरों की भरमार है। सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हटा दें। क्या लाट साहब एक फाइल का वजन नहीं उठा सकते। सारे नौकर लोग अफसरों के घरों पर काम करते हैं, बरतन मांजते हैं, अफसरों की बीबियों की साड़ियां धोते हैं। जनता पार्टी कोई नया काम नही कर रही है। हमने सोचा था नये आये हैं, दूध से धुले हुए हैं, अब कुछ कर गुजरेंगे...

एक माननीय सदस्य : यह आपने किया है।

श्री मूलचन्द डागा : धन्यवाद, सही बात कह दी कि हमारी लाइन पर चल रहे हैं...

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् आपकी आज्ञा मानूंगा।

आप की जो नीति है उसके अनुसार अन्य करों के अन्दर से मनोरंजन कर, भूमिकर नगरपालिकाओं को दीजिये ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। राजस्थान के अन्दर गांवों तक पहुंच नहीं सकते, विकेन्द्रीकरण है नहीं। मेहरबानी करके, भगवान के नाम पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भीड़ कम कर दें, खर्चा कम कर दें। एक सरकारी कर्मचारी दो घंटे ईमानदारी से काम नहीं करता। कोई जांच कर ले। मैं इस बात को चेलेंज करता हूं। एम.एल.ए. को 600 रुपया मिलता है, बहुत बड़ी तनख्वाह है। यहां लोग 3 घन्टे के लिये आते हैं, कहते हैं अब टी टाइम हो गया। अब लंच टाइम हो गया। इधर-उधर फोन करते रहते हैं। केदार जी, सोचिये, मौका आया है, विज्ञान मोदी सोचिये, नहीं तो निवेदन करता हूं यह नौकरशाही खा जायेगी। शक्तिहीनों की शक्ति बनो, बेजुबानों की जुबान बनो, यह लोहिया जी के भाषण हैं। भैरोंसिंह जी सामन्तशाही के प्रतीक हैं। यह खर्चा बढ़ गया, वह खर्चा बढ़ गया, इससे कोई लाभ नहीं। यह पुरुषोत्तम जी मंत्री बैठे हैं, इनसे भी कह देता हूं

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापतिजी, मैंने मांग संख्या 12 पर मेरे चार कटौती प्रस्ताव दिये हैं जिनके जरिये मैं माननीय यातायात मन्त्रीजी का कुछ मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव गाड़ियों पर बकाया करों की वसूली के सम्बन्ध में है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जितनी यात्री बसें हैं, दूसरी जो गाड़ियां राजस्थान में चलती हैं जितने ट्रांसपोर्ट आफिसेज हैं राजस्थान में, विशेष कर जयपुर में जो आर. टी. ओ. का आफिस है, उसके अन्दर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ये यात्री गाड़ियां राजस्थान से होकर दूसरी जगह चली जाती हैं। राजस्थान में कहीं भी उनका टैक्स जमा हो जाता है। परन्तु जिस जगह रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां पर बकाया दिखाते रहते हैं। दूसरी जगह टैक्स जमा हुआ या नहीं हुआ, बकाया है या समय पर जमा नहीं हुआ है इसका पता नहीं चलता है। हजारों रुपयों का टैक्स बकाया दिखाते रहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान में 26 जिलों में बकाया की क्या स्थिति है? जो बकाया है वह सही रूप से बकाया भी है या नहीं है या वैसे ही बकाया दिखा रखा है? पी. ए. सी. में भी इस बारे में सवालात हो चुके हैं फिर भी अभी तक कोई संतोषजनक हल नहीं निकला है। यह आश्वासन दिया गया था कि स्पेशल अकाउण्ट्स पार्टी वगैरह लगा कर इस काम को पूरा करायेंगे। राज्य सरकार की तरफ से यह आश्वासन भी दिया था। तो कृपया माननीय मंत्रीजी यह बतावें कि इसमें कितनी प्रगति हुई है? विशेष रूप से रोडवेज की बसों में क्यों बकाया चली आ रही है? प्राइवेट बसेज में जो बकाया होती है तो बकाया होने पर गाड़ी जब्त हो जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। इसके लिए इतना सख्त कानून बना रखा है फिर क्या कारण है कि रोडवेज की बकाया चल रही है। वाकई रोडवेज में बकाया भी है या कागजों में ही चल रही है, वास्तविकता क्या है, यह बताने की कृपा करें। एक तरफ तो छोटे छोटे काश्तकारों से दस-दस रुपये, पन्द्रह-पन्द्रह रुपये की सख्ती से वसूली की जाती है, दूसरी तरफ रोडवेज में हजारों लाखों रुपया बकाया निकलता है उसकी वसूली के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? इस ओर माननीय मंत्रीजी ध्यान देकर बतायें कि रोडवेज में वास्तव में कितनी बकाया है और कितने असें में यह बकाया वसूल कर लेंगे?

सभापतिजी, इसके अलावा दूसरा कट-मोशन मेरा यह है कि जिला जालोर में आवागमन के साधन नहीं हैं और ग्राम पंचायतों तक पहुंचने के बिल्कुल भी साधन नहीं हैं। कम से कम एक यात्री बस की व्यवस्था तो होनी चाहिए। रोडवेज की बसें तो वैसे भी पक्के रूट्स पर चलती हैं। आपके पास बसों की कमी है, आप पूरी बसें चला नहीं पाते हैं तो जो कच्चे रूट हैं उनके ऊपर तो कम से कम प्राइवेट बस आपरेटर्स, छोटे छोटे आपरेटर्स को परमिट देने चाहिये। चाहे फोर व्हीलर हो या दूसरी कोई बस हो, उसके लिए परमिट दिया जाना चाहिए ताकि कम से कम लोगों को आने-जाने की, यात्री बसों की सुविधा प्राप्त हो सके। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस बारे में आर. टी. ओ. जोधपुर या कोई अथोरिटी हो उससे बात करके हमारे यहां कच्चे रूट ओपन करने चाहिए। एक पंचायत से दूसरी पंचायत तक जाने के आवागमन के साधन बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए कम से कम यात्री गाड़ी कैसी भी हो, फोर व्हीलर हो या मरसडी हो, लगाकर लोगों के आवागमन की सुविधा करनी चाहिए ताकि जनता पार्टी के राज में कम से कम आप यह तो कह सकें कि हमारा राज आने के बाद एक यात्री गाड़ी चला दी है। यह तो कम से कम आपको करना चाहिए।

सभापतिजी, इसके अलावा ट्रेक्टर-ट्रोली टैक्स के बारे में मेरे एक प्रश्न के जवाब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में माननीय यातायात मंत्रीजी, जो सामने बैठे हैं, ने पिछले बजट सत्र में बताया था कि इस टैक्स को माफ कर दिया जायेगा। मैंने पूरक प्रश्न पूछा था कि माफ करेंगे तो क्या उसी दिन से किया जायेगा जिस दिन से इसको लगाया था ? उनके कहने पर कुछ दिनों तक तो ट्रोली के लाइसेंस के रिन्युअल बिल्कुल रुक गए। ट्रोली-ट्रैक्टर माननीय मंत्रीजी के जिले में बहुत होते हैं। वहां के लोग आकर मिल लिए तो आपने कह दिया कि माफ कर देंगे। गंगानगर में ट्रैक्टर-ट्रोली वगैरह बहुत ज्यादा हैं इसलिए उन्होंने कह दिया कि माफ कर देंगे लेकिन हुआ क्या ? वहां पर लोगों ने भी मान लिया कि जब मंत्रीजी ने कह दिया कि माफ कर देंगे तो माफ हो ही जाएगा। मंत्री जी ने यहां पर भी जवाब दे दिया कि हमने माफ कर दिया और उसी दिन से, जिस दिन से लगा था, माफ करेंगे। परन्तु मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि जो बजट आया है उसके अन्दर साढ़े आठ सौ से घटा कर चार सौ या साढ़े चार सौ रुपया कर दिया है। वित्त मंत्रीजी ने यहां पर टैक्स माफ करने के बजाय कम कर दिया और यातायात मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया वह हवा में गया। माननीय मंत्रीजी के आश्वासन का क्या हाल हुआ ? यह तो पहले वाली बात ही हो गई, उसी तरह के झगड़े रह गए। फिटनेस सर्टीफिकेट लो, यह लो वह लो और हर जगह पुलिस वाले तंग करें। यह चीज तो उसी तरह से हो गई जैसे कि लेवी के सम्बन्ध में भोपालगढ़ में पहले राजस्व मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि इस इलाके में लेवी वसूल नहीं होगी; यह डिसिजन हो गया, मंत्रीजी तो वहां घोषणा करके भोपालगढ़ से आ गए लेकिन बाद में दूसरे आदेश गए तो झगड़े हुए और फायरिंग करना पड़ा। मंत्रीजी ने जब कह दिया कि लेवी नहीं लेंगे तो लेवी लगने का सवाल नहीं था लेकिन जब दूसरे आदेश गए तो वहां पर झगड़े हुए। वही हालत आपकी नहीं हो जाये इस तरह से झूठी घोषणायें करने से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी से इस पर विचार करके आपने जो वायदा किया था, जो आश्वासन दिया था कि ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको आप पूरा करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

इसके अलावा, सभापतिजी, जालोर डिपो और बाड़मेर डिपो, ये दो डिपोज ऐसे हैं जिनमें बसों की हालत बहुत खराब है, दोनों डिपोज की गाड़ियां बहुत पुरानी हैं, सफिशियेन्ट गाड़ियां नहीं चलती हैं, रास्ते में खराब हो जायं तो बीच में ही खड़ी हो जाती हैं। इसकी खराब व्यवस्था को न तो छंगाणी जी सुधार सके और न आप ही सुधार सके हैं। आपने आश्वासन दिया था कि जिला लेवल पर यातायात एडवाइजरी कमेटी का गठन करने जा रहे है। लेकिन आठ महीने गुजर गए, अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। इस कमेटी का गठन करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है ? कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कमेटी की घोषणा आज ही कर दें तो दस दिन के बाद में कमेटी बन जाएगी। आप यहां से आर्डर भेज देंगे तो एम. एल. ए. और कलक्टर मिल कर कमेटी बना देंगे। आज छोटी-मोटी शिकायतें हैं, सफिशियेन्ट बसें नहीं हैं, यात्री गाड़ियों का खराब हालत है। कितनी रोडवेज

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की बसें चलनी चाहिएं और कितनी चल रही हैं, लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, इन सबके बारे में कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें जालोर से जोधपुर तक गाड़ियां तो काफी चल रही हैं परन्तु आठ-आठ, सात-सात घण्टे लगते हैं एक आदमी को पहुंचने में। कम से कम इतनी गाड़ियां चलनी चाहिए कि एक जिला हैड क्वार्टर से दूसरे जिला हैडक्वार्टर तक शीघ्र पहुंच सकें। जो आस पास के जिला हैड क्वार्टर हैं सांचौर से जोधपुर, जालोर से बाड़मेर है, जोधपुर से जालोर है इन आस-पास के जिला हैडक्वार्टर्स पर लोग समय पर शीघ्र पहुंच सकें इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा, सभापति जी, गाड़ियां इतनी पुरानी और बेकार हैं और लोगों की इतनी भीड़ रहती है बसों में कि रोडवेज की बसों के लिए लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। समय पर गाड़ियां चलती नहीं हैं। रास्ते में खड़ी रहती हैं और कहीं पर रुकती ही नहीं हैं। कण्डक्टर कहीं टिकट काटता है और कहीं काटता ही नहीं है, सारे पैसे जेब में रख लेता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दो जिलों में, बाड़मेर और जालोर, बसों की हालत सुधारने के लिए आप कमेटी का गठन कर दीजिए। रोड़वेज के डिपो और रोडवेज के वर्कशॉप की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। गाड़ी में टूल बॉक्स नहीं है इसके कारण कहीं पर गाड़ी खराब हो जाय तो वहीं पड़ी रहती है। उसके पास औजार-पाने तक नहीं हैं, रास्ते में जरूरत पड़े तो ट्रक वगैरह से मांग कर भले ही ठीक कर ले। उसका पंक्चर भी हो जाय तो उसको ठीक करके नहीं चल सकता। जब मिस्त्री आवे तो ठीक होकर गाड़ी आगे चले। जब प्राइवेट बसों के ड्राइवर कण्डक्टर बस को ठीक करके चला सकते हैं तो ये क्यों नहीं करते ? टूल बॉक्स तक इनके पास नहीं हैं। बीच में रखे भी गये थे लेकिन आज उनमें नहीं हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यातायात के साधनों के अभाव में पब्लिक में बहुत ग्रिवेंसेज हैं। आप कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दें कि यात्री सुविधा से इधर-उधर आ जा सकें। साथ ही इन डिपोज की हालत सुधार करके इस तरह की आप व्यवस्था करें कि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। जितने डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स हैं आपस-पास में वहां पर आने-जाने की लोगों की शिकायत दूर करनी चाहिए, मेरा आपसे यही निवेदन है।

**श्री सभापति** : श्री जयनारायण सालोदिया।

**श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : सभापति महोदय, जैसा हाउस का माहौल है, हर सदस्य को इस बात की शिकायत है कि जहां तक प्राइवेट गाड़ियों का प्रश्न है वे न तो समय पर रवाना होती हैं, न समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचती हैं। प्राइवेट बस आपरेटर पूरा टैक्स भी गवर्नमेन्ट को नहीं देते हैं। इसमें गवर्नमेन्ट को डबल नुकसान है। सीट के मुताबिक टैक्स बंधा हुआ रहता है। लेकिन गाड़ियों में जितनी सीट्स होती हैं उनसे डबल सवारियां बस आपरेटर्स लेते हैं फिर भी सीट के मुताबिक टैक्स नहीं देते हैं। फिर प्राइवेट गाड़ियां समय पर न चलने के कारण सवारियों को काफी परेशानी होती है। समय का कोई ख्याल उन्हें नहीं रहता है। सहूलियत का

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भी वे ख्याल नहीं रखते हैं। अनुशासन जैसी कोई चीज उनमें नहीं है।

श्री सभापति : कृपया आपस में बात न करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, प्राइवेट गाड़ी का यह हाल है कि सवारी अपने आप सरेन्डर हो जाती है। जिस हालत में जिस समय वे पहुंचाती हैं, उसके अनुसार जाने को वे मजबूर होते हैं। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी चैकिंग एजेन्सी है, आपके पास स्टॉफ है उनको आप ताईद करिये, उनको आप स्ट्रांग करिये और उनसे चैकिंग करवाइये। जो चैकिंग स्टॉफ है, उसकी भी आप चैकिंग करवाइये। होता यह है कि आपका जो चैकिंग स्टॉफ हैं वह प्राइवेट बस आपरैटर्स से मिल जाता है। दोनों मिल कर सवारियों की वो दुर्गति करते है कि भगवान मालिक है। यह डिपार्टमेन्ट खुश किस्मती से आपके पास है। आप लगनशील हैं, चिन्तक हैं, क्रियाशील हैं इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करवाइये, विशेष तौर पर कच्चे रूट पर कि समय पर गाड़ियां रवाना हों, सीटों के मुताबिक वे सवारियां लें, समय पर पहुंचे और वाजिब किराया लें। किराये का यह हाल है कि वे किसी से कुछ, और किसी से कुछ किराया लेते हैं। उनके पास किराये की कोई लिस्ट नहीं होती। मर्जी होती है वह किराया लेते हैं और टिकट भी नहीं देते हैं। कितना पैसा लिया और कितने का टिकट दिया, यह भी नहीं देखते। यह ऐसी समस्या है जो कि जनता के सामने रोज-रोज आती है। बदकिस्मती से हम यदि उसमें बैठ जाते हैं और लोगों को यह मालूम हो जाता है कि विधायक हैं तो लोग इतनी गालियां देते हैं कि हम अपने आपको छिपाने की कोशिश में रहते हैं ताकि किसी को यह मालूम न हो कि हम विधायक हैं। होना यह चाहिए कि हमें गर्व हो कि हम विधायक हैं। परन्तु हम डरते हैं आपकी इन प्राइवेट गाड़ियों में बैठने से। लोग तानाकशी करते है कि आप कैसे विधायक हैं। हमारी बदतर हालत है और हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। उनको आश्वासन नहीं दे सकते हैं।

सभापति महोदय, रोडवेज की हालत भी यही है। रोडवेज की बसें रोडवेज कन्डक्टर और ड्राईवर के कब्जे में हैं। वे ही उसके मालिक हैं। समय सारिणी की वे पालना नहीं करते हैं। वे चाहें तो चाय की दुकान पर गाड़ी को खड़ी कर दें। वे चाहें तो सवारियों को लें और चाहे तो न लें। यह कन्डक्टर की मर्जी के ऊपर होता है। गाड़ी चाहे खाली हो, वे सवारियों को नहीं लेते हैं, बीच में सवारियों के लिए गाडी नहीं रोकते हैं। यह जो स्थिति है रोडवेज की उसकी तरफ भी, मंत्री महोदय, आपका ध्यान होना चाहिए।

दूसरी एक और दुखद स्थिति है। कई बार मैंने कम्पलेन्ट की है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या वह कम्पलेन्ट बुक फर्जी थी? अगर नहीं, तो उसका जो असर होना चाहिए, वह क्यों नहीं हुआ? कोई उसको देखता है और उस पर कार्यवाही करता है, यह मालूम नहीं पड़ता। जितनी कम्पलेन्ट मैंने लिखीं उन पर क्या कार्यवाही किस स्तर पर हुई, इसके बारे में अभी तक

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पता नहीं है। यह जो स्थिति है, वह दुखद स्थिति है। सवारी कम्पलेन्ट करे तो होना यह चाहिए कि कम्पलेन्ट कर्ता से उसके विवरण की जानकारी प्राप्त की जाय, उससे पूछा जाये और उसकी निगाह में सारी बात आये। परन्तु यह नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माफी चाहूंगा, दो-चार बातें और निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं ट्रैक्टर-ट्रोली के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने जो यहां पर कहा है, वह वास्तविकता है। हमारे वित्त मंत्रीजी ने भाषण में यह कहा कि जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है, वह समृद्ध किसान है। आज ट्रैक्टर ट्रोली अधिकतर उन किसानों ने खरीद रखी हैं जिन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रख कर बैंक से ऋण लिया है। उस आदमी पर टैक्स लगे, यह उचित नहीं है। वह किराये पर नहीं चलाता है। वह उसकी सहूलियत के लिए खरीदता है। खाद और फसल लाने ले जाने के लिए वह ट्रोली को काम में लेता है। उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो यह व्यावहारिक नहीं है। यह उसके प्रति अन्याय है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो 80 प्रतिशत किसान है, को ऊंचा उठायेंगे, दूसरी तरफ किसानों के प्रति हम इस तरह से उदासीन हैं। जो किसान इन्कम टैक्स देता है, वह टैक्स दे और जो साधारण किसान हैं, जिन्होंने बैंक से कर्जा लेकर ट्रैक्टर ट्रोली खरीदी है, उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

मैं आपको करों की बकाया के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। करों की बहुत बकाया है, यह आपने देखी होगी। अगर नहीं देखा है तो महरबानी करके देखें-कितना टैक्स किस किस तरह का लोगों में बकाया है। गरीब लोगों में यह बकाया नहीं है, यह असरदार लोगों में बकाया है। यह ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। उनका असर है और इसलिए वे टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे जो गुनहगार हैं, वे गवर्नमेन्ट को बेवकूफ बना कर टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। उनके खिलाफ आपको सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। सारी जनता आपके साथ है।

मनोरंजन कर के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। मनोरंजन कर बहुत लोगों में बकाया है। मेरी जहां तक जानकारी है, जयपुर में एक रामप्रकाश सिनेमा है, लाखों रुपयों का टैक्स इस पर बकाया है। यह भी जानकारी है कि यह गवर्नमेन्ट की बिल्डिंग है, पी. डब्ल्यू. डी. की बिल्डिंग है। स्टेट के जमाने में यह नाटक घर था। आज यह सरकार के कब्जे में है। आपने इसको लीज पर दे दिया और उस आदमी ने दूसरे को लीज पर दे दिया। वहां से न तो पूरा किराया आता है और न ही मनोरंजन टैक्स आता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं, जो दादागिरी के बलबूते पर गवर्नमेन्ट को टैक्स नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप सख्ती से कार्यवाही कीजिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ दो चार बातें आपकी मार्फत यातायात मंत्रीजी को निवेदन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

करना चाहता हूं। आपके जो टैम्पो चल रहे हैं, कृपया आप उनको भी देखें। टैम्पो में 12 सीटें हैं लेकिन उसमें 25-25 सवारी बैठाते हैं। 15-20 सवारी से कम तो वह लेते नहीं है, इससे कम सवारी लेकर वह चलते नहीं हैं। फिर किराए का भी कोई मापदण्ड नहीं है। चांदपोल, छोटी चौपड़ का किराया है, इसमें कोई समानता नहीं हैं। चाहे जितना किराया लेते हैं। इसके अलावा यह उनकी मर्जी का सौदा है, चाहे जहां सवारियों को उतार दें, छोड़ दें और चाहे जहां से सवारियां ले लें। यह जयपुर में होता है। इसलिए विशेष तौर से आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह देखना चाहिए कि ये कौन-कौन से लोग हैं और किस तरह से इनको यह छूट मिल रही हैं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके आदेश की पालना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति:** श्री करतारसिंह।

**श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली):** सभापति महोदय, नम्बर तो मेरा निकल गया है। मैं निवेदन करूंगा, कुछ समय बोलने के लिए दिया जाये।

**श्री करतार सिंह (किशनगढ़):** सभापति महोदय, मेरे दो मुख्य कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से और राज्य सरकार से निवेदन है कि ट्रेक्टर-ट्रोली किसानों का उपकरण है। इससे किसान अपनी खेती का उत्पादन करता है। काश्तकार ट्रेक्टर और ट्रोली का उपयोग कृषि में करता है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया है कि ट्रेक्टर और ट्रोली वाले काश्तकार समृद्ध किसान हैं। मैं समझता हूं कि इनका यह कहना सही नहीं है। बैंकों से लोन लेकर उन्होंने ट्रेक्टर लिये हैं। उस पर कितनी लागत आती है। मेरा निवेदन है कि सरकार एक तरफ कृषि को बढ़ावा देने की बात करती है दूसरी तरफ उसके साधनों पर उलटे-सीधे टैक्स लगा रही है। यह मानना गलत है कि जिसके पास पैसा है, ट्रेक्टर और ट्रोली वही आदमी खरीदेगा। मेरा निवेदन है कि ट्रेक्टर-ट्राली से टैक्स हटाना चाहिए। ट्रेक्टर-ट्रोली पर यात्री व माल कर 840 रुपये प्रति वर्ष से घटा कर 450 रुपये प्रति वर्ष किया, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ट्रेक्टर और ट्रोली का टैक्स खतम करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि ये जितने भी टैक्स लगे हैं, इनके बारे में आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि किस पर कितना लगना चाहिए। किस पर लगाना है, किस पर नहीं लगाना है।

जो यातायात में दुर्घटनाएं और भ्रष्टाचार होता है उसके सम्बन्ध में पहले भी मैंने निवेदन किया था। गृह मन्त्री जी ने बताया कि दारू पीने से यह होता है। मैं कहना चाहूंगा, यह जो यातायात विभाग है, उसके अधिकारी, बी. डी. ओ. और जो पुलिस इन्सपेक्टर हैं, वही उनसे भ्रष्टाचार करवाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह मनमोजीपना करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जिसके अधिकार क्षेत्र में गाड़ियां आयें, उनके जो केसेज पकड़े जायं उसको यह जिम्मेदारी

(श्री करतार सिंह)

है कि वह भ्रष्टाचार नहीं होने दे। इसका उदाहरण देता हूं। किशनगढ़ के पास दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में बहुत से आदमी मर गये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि यातायात में जो दुर्घटनाएं होती हैं और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको समाप्त किया जा सके। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट है वह तो सभी के लिए है, उसी प्रकार का इस विभाग के लिए अलग से बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलग से उड़न दस्ता रखें। आज स्थिति यह है कि 10/- रु. दे दीजिए और कुछ भी कीजिये। बहुतों से तो हर महीने दस रुपये लेते हैं। इस कारण वह टैक्स की चोरी करते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन की तहसीलदार को पावर्स दे रखी हैं वह डिस्क्रिशनरी पावर्स दे रखी हैं। यह गलत है जो बारानी जमीन हैं, उसकी भी वेल्यू निश्चित कर लें और जो वेल्यूएशन आये उसी हिसाब से करें। तो जो पावर्स है, वह निर्धारित की जायें।

दूसरा मेरा निवेदन है, जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था, उसी तरह से आज जो अजमेर जाता है, उसको कर देना पड़ता है। पुष्कर जाता है, उसको कर देना पड़ता है। दोनों जगह जो टैक्स लगा हुआ है वह टैक्स तत्काल बन्द किया जाये।

इसी तरह से किसी जगह चुंगी की दर 75% है और किसी जगह तोल पर ली जाती है। चुंगी अलग-अलग जगह अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। चुंगी की दरें एक समान होनी चाहिए। इसी तरह से तीर्थों में जो टैक्स लिया जाता है वह तुरन्त समाप्त होना चाहिए। तीर्थों में टैक्स लेते हैं इसका मतलब है, आप भगवान को भी नहीं मानते हैं। मेरा निवेदन है कि तीर्थों में जो भी टैक्स हैं उसको तत्काल समाप्त करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप पूरे राजस्थान के लिए एक समान चुंगी की दर निर्धारित कर दें। दरें अलग-अलग नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जितने अधिक टैक्स बढ़ाये गये हैं, इसी के कारण टैक्स बाकी रह जाता है। बकाया टैक्स की वसूली के बारे में कुछ निश्चित नहीं है।

मैं रोडवेज के बारे में दो मिनट और लेना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बसें हैं उनमें चोरियां होती हैं। इस कारण जो आपका टैक्स है, वह भी नहीं आता है। उलटे नुकसान होता है। यह मैंने देखा है कि कण्डक्टर का कैसा व्यवहार होता है। और बस वाले किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकरण के साथ साथ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हो।

श्री मूलचन्द डागा : क्या वापस आप पूंजीपतियों को बसों की ठेकेदारी देना चाहते हैं? जनता पार्टी क्या राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध कर रही है?

श्री सभापति : यह उनकी राय है।

श्री मूलचंद डागा : आप जनता पार्टी के अन्दर हैं। आप कैसी बात कर

(Sd.)



(श्री मूलचन्द डागा)

रहे हैं। सभापति महोदय, यह बड़ा महत्व पूर्ण सवाल है। क्या जनता पार्टी ने राष्ट्रीयकरण की नीति से अलग होने का सोच लिया है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री रतनलाल शर्मा : मेरे ख्याल से इनके नीचे कोई कील लगी हुई है। घड़ी घड़ी खड़े हो जाते हैं।

श्री सभापति : No interruption please

श्री करतार सिंह : मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है मेरा कहने का तात्पर्य यह है ..

एक माननीय सदस्य : क्या हुआ ?

श्री करतारसिंह : वह मैं बाद में बता दूंगा।

अन्त में मेरा निवेदन है कि रोडवेज में जो अव्यवस्था है, उसको रोकें।

श्री सभापति : श्री नूरा !

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, प्राइवेट गाड़ियों में जो टैक्स की चोरियां होती हैं, इस मुख्य मुद्दे को लेकर मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। प्राइवेट चलने वाली गाड़ियों की चैकिंग करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके इशारे से करों की चोरी होती है। उनमें सफर करने वाले लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। टिकट देंगे तो रकम जमा करानी पड़ेगी और राज्य को टैक्स देना पड़ेगा। घर में बैठ कर गिनती के टिकट काट लेते हैं जिससे कम से कम टैक्स देना पडे। इस प्रकार प्राइवेट गाड़ियों के मालिक लोग खूब पैसा कमाते हैं। अगर मालिकों की सम्पत्ति की जांच की जाय तो पता चलेगा कि टैक्स की चोरी करके उन्होंने सारी सम्पत्ति अर्जित की है। चैकिंग करने वाले अधिकारी हैं उनके माहवारी पैसे बन्धे रहते हैं जिसके कारण से चोरियां होती हैं। इसके अलावा रोडवेज की गाड़ियों में चोरियां नहीं होती क्योंकि जितने टिकट कटेंगे उतना टैक्स भी राज को जमा कराना पड़ेगा। फिर भी कई गलत तरीके इसमें भी इस्तेमाल होते हैं।

अभी रोडवेज की बसों के मामले में किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बस रूट ड्राइवरों और कण्डक्टरों को दे देने चाहिए। मैं कहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी के लिए इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है कि राज्य को होने वाली आय की चोरी के कारण राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ दे, यह सबसे बड़ी कमजोरी होगी। एक इन्सान हाथी को हांकता है, जिधर चाहे उधर घुमा सकता है। हाथी चाहे तो उसको मार भी सकता है, लेकिन इन्सान अपने दिमाग से काम लेकर उसको वश में रखता है। इसलिए अगर इतनी शक्तिशाली पार्टी भी हिम्मत खोकर यह कहे कि चोरियां होती हैं, और सुविधायें नहीं मिलती हैं इसलिए राष्ट्रीयकरण की नीति छोड़ देनी चाहिए, तो मैं कहता हूं राज करने वाली पार्टी के लिये इससे अधिक शर्म की और क्या बात हो सकती है। इसको ठीक करने के लिये दिमाग लगाना चाहिए न कि राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ने की बात की जाय। मेरा मानना है कि सारे

Page No. 89

89



(श्री नूरा)

रूट्स का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। इससे राज को पैसा मिलेगा वह राज के काम आये। इसके साथ ही चोरियां रोकी जायं। अगर आप चोरियों को रोकने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो राष्ट्रीयकरण की नीति केवल नारा बनकर ही रह जायगी। इसलिए इस तरह का रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे कि टैक्सों की चोरियां रोकी जायं। इसके लिए सरकार को सभी रूट्स को अपने हाथ में लेना चाहिए और जिन रास्तों से चोरियां होती हैं उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिये। जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चलती हैं, उनके द्वारा घाटे के मुकाबले में लाभ कमाने की भी कोशिश करनी चाहिए। पूरा टैक्सेशन उनका शो होता है और उनका जमा-खर्च होता है इसलिए मेरा अर्ज करना यह है कि राष्ट्रीयकरण जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। इस नीति का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और बजट भाषण में भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं कहूंगा कि हिम्मत करके आप इस कदम को उठा लीजिये और सारे रास्तों का राष्ट्रीयकरण कर लीजिये।

साथ ही मेरा मनोरंजन कर के बारे में निवेदन है कि जो मनोरंजन कर वसूल किया जाता है वह जिस म्यूनिसिपल एरिया से वसूल किया जाता है, उस इलाके के रहने वाले लोग यह टैक्स खुश होकर देते हैं, खेल देखने के लिए देते हैं। वे यह भी चाहेंगे कि इस टैक्स का उपयोग भी उनकी खुशी के लिए और उनके इलाके के विकास के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए इस पैसे को वहीं पर लगायें तो उचित होगा।

इसी तरह से मैं कहूंगा कि पंचायतों के चुनाव आपने कराये, ठीक है। आप जो पहले 25 पैसे प्रति व्यक्ति देते थे, उसकी जगह ढाई रुपया प्रति व्यक्ति देने की बात कही है। मेरा निवेदन है कि सारी आमदनी जो पंचायत से होती है वह उसी को दे दी जाय तो वह और शक्तिशाली बनेगी। आज भी पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये जाने से वे अधमरी हैं। मेरी मान्यता है कि सारा का सारा टैक्स का पैसा गांव के लिए दिया जाना चाहिए ताकि वह गांव वालों के काम आ सके। अगर मनोरंजन कर म्युनिसिपैलिटी को नहीं दिया गया और पंचायतों को वहां का टैक्स नहीं दिया गया तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज स्टेट जिस प्रकार से अपने अधिकार मांगने लगे हैं कल उसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतें आपसे अधिकार मांगने के लिए लड़ेंगी, इसलिए गांव का पैसा गांव वालों के विकास के लिए... ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दिया जाना चाहिए।

दूसरा मेरा अर्ज करना यह है कि टैक्स चोर लोग गाड़ियों को चालू रखते हैं और उनके कागज यह कह कर जमा करा देते हैं कि गाड़ी काम में नहीं लायेंगे। इससे उनको कोई टैक्स का पैसा नहीं देना पड़ता। वह समस्त टैक्स की चोरी करते हैं। इस तरह से टैक्स की चोरी के कई रास्ते हैं। इसी प्रकार से ट्रक वाले हैं, एक ट्रक में एक कुर्सी के दस-दस रुपये ले लेते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि

# Page No. 90

(90)



(श्री नूरा)
समस्त रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, पंचायत की ग्रामदनी उसी गांव में लगानी चाहिए ग्रौर मनोरंजन कर जिस म्युनिसिपल एरिया में वसूल हो वह उसी एरिया को देने की नीति ग्रपनानी चाहिए। वह उन्हीं का पैसा है। ग्रगर यह नहीं करेंगे तो केन्द्रीकरण होगा ग्रौर विकेन्द्रीकरण की नीति सफल नहीं होगी। इतना कहते हुए मैं ग्राशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा।
(ग्रनुपस्थित)

श्री हरीश कुमार शर्मा।

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह सच है कि किसानों को राहत देने की बात कही गई है लेकिन खाद पर कोई छूट नहीं दी गई है।

सिंचाई के बारे में निवेदन करूं कि तहसीलदार साहब ने उन लोगों से भी कर वसूल किया है जिन लोगों ने सिंचाई विभाग के जो तालाब हैं उनसे सिंचाई नहीं की। ग्रन्ता में डेढ़ करोड़ रुपया बाकी है। उन लोगों से तो वसूल कर लिया गया जिन पर एक-एक ग्रौर दो-दो हजार रुपये बाकी हैं लेकिन जिनमें तीस-तीस, चालीस-चालीस हजार रुपये बकाया है राजस्व विभाग द्वारा उनसे वसूल नहीं किया गया। सरकार उनसे वसूल करने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है ग्रौर छोटे किसानों से कर वसूल किया जाता है। मेरा निवेदन है कि प्रभावशाली लोगों से क्यों नहीं लिया जाता ? ग्राज भी धोरा टैक्स ग्रौर खुशहाली टैक्स वसूल किया जाता है जबकि यह घोषणा की गई थी कि इसको माफ कर दिया जायगा। यह माफ किया जाना चाहिए।

रोडवेज का किराया बढ़ाया जा रहा है मेरा निवेदन है कि जितना किसान टैक्स देता है उसके ग्रनुपात में किसानों को, गांवों को कितना मिलता है ? इस बात का चिन्तन किया जाय। जितना गांवों से टैक्स वसूल करते हैं उतना क्या गांव वालों को देते हैं ? गांवों के विकास के लिये क्या देते हैं ? यह नहीं सोचा जा रहा है, इसका परिणाम यह होता है कि बजट के बाद किसान पर टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है, ग्रामीणों पर भार ज्यादा बढ़ जाता है। रोडवेज का किराया ग्राप बढ़ा रहे हैं तो इसका भार ग्रामीण जनता पर ग्रधिक पड़ेगा। रोडवेज का किराया नहीं बढ़ाकर उसकी व्यवस्था को यदि ग्राप ठीक कर दें, उसकी ग्रव्यवस्था पर रोक लगाई जाय तो किराया बढ़ाने की ग्रावश्यकता सरकार को महसूस ही नहीं होगी।

गांवों में बसों की हालत बड़ी ही शोचनीय है। उसके लिये यहां पर कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं। इस बारे में मैं केवल एक बात कहूंगा कि ग्राज रामगंज मंडी कोटा से केवल एक या दो बसों से जुड़ा हुग्रा है। कोटा, उदयपुर जयपुर, इन्दौर कोई बस वहां से नहीं गुजरती है। वह एक ग्रौद्योगिक क्षेत्र है ग्रौर प्रसिद्ध मंडी है। सरकार को वह पूरा लाभ देता है, लेकिन ग्राज तक उस नगर की उपेक्षा की जाती रही है। इस बारे में गम्भीरता से विचार करें।

(श्री हरीश कुमार शर्मा)

आज बिक्री कर को समाप्त करने का विचार कर रहे हैं। उसको समाप्त करके टर्न ओवर पर टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। तो क्या टर्न ओवर टैक्स से असुविधाएं पैदा नहीं होंगी ? चुंगी कर को समाप्त करने से पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं पर भार नहीं पड़ेगा ? इससे क्या वे अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकेंगी ? जितने अधिकार पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं को दिये गये हैं उन अधिकारों के अनुपात से ग्रामीण क्षेत्र के लिये कार्य करना होगा। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं, इतना ही कहना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि थोरा टैक्स और खुशहाली टैक्स को माफ करने का प्रयत्न किया जाय।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह (वि.सं. 114)।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, मांग संख्या 12 पर विचार करते वक्त मैं अपने विचार ट्रैक्टर-ट्रोली पर से सम्पूर्ण टैक्स को खतम करने के बारे में प्रकट करना चाहता हूं। हमारा भारतवर्ष, जो कृषि प्रधान देश कहलाता है, में ग्राम ग्रामीण अंचल में गरीब किसान बसते हैं। किसानों को आर्थिक करों के अलावा कई अन्य कर भी चुकाने पड़ते हैं, और वे अन्य कर ऐसे हैं जिनके बारे में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ होता है और न उनका कोई अन्दाज होता है, वह होते हैं प्रकृति के प्रकोप। प्रकृति का प्रकोप कभी अकाल पड़ने से होता है, कभी अतिवृष्टि से होता है, कभी फसल में खड़े खड़े रोग लगने से होता है कभी ओलावृष्टि से होता है और कभी-कभी किसी न किसी कारण से होता है। जैसे किसी कारण से मशीनरी में खराबी हो जाय और फसल को नहीं सम्भाल पाये, कभी किसी मशीन में चलते-चलते खराबी हो जाये या कभी ट्रैक्टर में खराबी हो जाये, या कभी पम्प में खराबी हो जाये। इस प्रकार से कितनी आफतें, कितनी दिक्कतें और कितनी कठिनाइयां हमारे ग्रामों के गरीब किसानों को हैं। इन कठिनाइयों को अगर नजर अन्दाज हम करते हैं तो मैं समझता हूं चाहे वह सरकार जनता पार्टी की हो, चाहे सरकार कोई भी पार्टी की हो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी।

किसान जो हमारे गांवों के अन्दर बसता है। वह आज भी गरीब है। अगर यह धारणा है कि जिस किसान के पास ट्रैक्टर है वह किसान समृद्धिशाली है तो मैं दावे से कहता हूं कि राजस्थान में एक-दो जिलों को छोड़ दीजिये बाकी समस्त राजस्थान के अन्दर जिन किसानों के पास ट्रैक्टर हैं उनमें से 90-95 प्रतिशत किसान कर्जदार हैं वह कर्ज का ब्याज देते हैं। वह बैंक के कर्जदार हैं या वह सेठ-साहूकारों के कर्जदार हैं। उन्होंने बीबी-बच्चों के गहने और दूसरा सामान गिरवी रखकर ट्रैक्टर खरीदा है और ट्रोली को अपनाया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह टैक्स लगाने की नीति पर जब विचार-विमर्श होने लगा तो बड़ा अफसोस है कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस पर टैक्स लगाने की बात को मन्जूर किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब शराबबन्दी की बात आती है तो भरतपुर छूट जाता है, राजधानी छूट जाती है। वित्त मंत्रीजी, आप तो सर्वोदयी हैं। सर्वोदयी सारी बातें गांवों की सोचते हैं

(श्री माधोसिंह कछवाह)
सारी बातें किसानों की सोचते हैं, सारी बातें गरीबों को ऊंचा उठाने की सोचते हैं। जब आपके सोचने का तरीका ही गांवों पर आधारित है तो गरीब आदमी जो गांव में बसता है वह गरीब अगर ट्रेक्टर ले लेता है तो उस पर आप टैक्स लगाकर उसका दुःख क्यों बढ़ाते हैं ? इससे उसका दुःख ज्यादा बढ़ेगा। उस दुखी पर भ्रष्टाचार का दुःख और बढ़ेगा। समय पर टैक्स उसके द्वारा यदि नहीं दिया जाता है तो चालान आदि की दिक्कतें भी उसको होंगी। जनता ने जनता के प्रतिनिधियों को चुनकर राज्य दिया है और जनता के प्रतिनिधियों ने इस राज्य को नियमों की व्यवस्था के साथ सरकारी अधिकारियों को दिया है। आज जो जन प्रतिनिधि हैं उनका उत्तरदायित्व जो है मैं समझता हूं, आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. तथा और भी अन्य अधिकारी हैं, उनके उत्तरदायित्व से उसकी अगर तुलना की जाय तो ज्यादा है। उनको कार्य तो ज्यादा करना पड़ता है और वेतन नहीं मिलता है। उनके पास अधिकार कुछ नहीं रखे जाते हैं। ऐसी नीतियों को अपनाने से पहले वित्त मंत्रीजी आपको जन-प्रतिनिधियों से भी सलाह कर लेनी चाहिए थी। चाहे आप उनकी सलाह पर चलते या नहीं लेकिन राय लेनी चाहिये थी।

माननीय वित्त मंत्री जी के लिये मैं जानता हूं कि वह दारू नहीं पीते हैं। तो फिर वह कौनसा नशा था जिससे वह किसानों पर टैक्स लगाने पर मजबूर हो गये। किसानों का सम्मान करना हमारा परम कर्त्तव्य है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। उसने इन्सान को भी बनाया और इन्सान के खाने-पीने के साधन भी बनाये। लेकिन दूसरा ब्रह्मा हमारा किसान है जो हमारा अन्नदाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ट्रोली का टैक्स लगाना हमारे किसान के साथ, हमारे अन्नदाता के साथ हमारे ब्रह्मा के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करना है। इसलिये मैं मेरी अन्तर आत्मा से सरकार को यह अपील करना चाहता हूं कि आपको, जनता सरकार को और माननीय वित्त मंत्री को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिये, गहराई से सोचना चाहिये। किसान गर्मी-सर्दी में, दुःख-सुख में अपने सारे परिवार के साथ खेती बाड़ी का काम, हमारे लिये उपज का काम, सारे हिन्दुस्तान को खिलाने का काम करता है, उसकी मनःस्थिति को समझिये। किसानों की मनःस्थिति को अगर नहीं समझे तो आज जिस तरह से उधर बैठने वाले उनके पाप याद दिलाते ही उछलने लगते हैं ...

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : Beg your pardon.

श्री नूरा : आप यह क्या कह रहे हैं ? हमने कौन सा पाप किया है ? भाई साहब ने कौन सा पाप किया है ? सबके लिये आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री सभापति : उनका इशारा जिधर है, वह आप भी समझते हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे होता है, उसी तरह से.....

श्री मदनसिंह दांता : हमने यह पाप किया है कि आपको राजगद्दी दी है।

श्री जगतार सिंह (करनपुर) : इन्होंने कौनसा पुण्य किया है? किसानों पर टैक्स लगाया है.......

श्री माधोसिंह कछवाह : जब इनके पापों की याद आती है.........

श्री सभापति : कृपया आप अपने सब्जेक्ट पर आयें।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं उस भारतीय संस्कृति की जीव आत्मा हूं जिसकी मूल संस्कृति के अंदर, मैं समझता हूं सिवाय पाप और पुण्य के अगर कोई दूसरी चर्चा हो तो बता दीजिए। आज इधर बैठने वाले खड़े हो जाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री नूरा : सबको यदि संबोधित करना है तो इसी पर बहस हो जाए। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : सदन के बाहर।

श्री माधोसिंह कछवाह : कुरान शरीफ मेरी टेबल पर है। सुबह कुरान शरीफ पढ़ता हूं तो शाम को गीता।

(व्यवधान)

इस सदन में कोई अगर दुःख की बात है तो वह है माननीय सदस्यों को सुनने का सब्र नहीं है। जब कोई अपने विचार प्रकट करता है तो उसको बार-बार टोकने के लिए उतावले होते हैं। अगर इस प्रवृति को रोका नहीं गया तो जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इनके हाथों से इस हद तक पहुंच जायेंगे कि......

श्री सभापति : अकलमंद को इशारा काफी है।

श्री नूरा : आपने उनको अकलमंद समझकर ही इशारा किया है।

श्री माधोसिंह कछवाह : यह जो ट्रैक्टर ट्रोली टैक्स है, यह किसानों को भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंसा देगा। जैसे जोधपुर में आज भी जो आर.टी.ओ. है वह जिस कैंद्र वाहन मालिकों को परेशान करता है, उस तरह से किसानों को भी परेशान करेगा। लेकिन तबदीली का इलाज नहीं है और तबदीली हो भी नहीं रही है।

खैर, मुझे मालूम हो गया सभापति महोदय ज्यादा समय देने में असमर्थ हैं। अगर कोई ऐसी बात कह दूंगा तो इधर बैठने वाले सदस्य फिर उतावले हो जायेंगे। इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री गोपाल।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुरसिंह (नोहर): सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव वाहन करों के ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता पर है। इसमें कोई शक नहीं कि कर सरकारी आमदनी बढ़ाए जाने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन कर अगर गरीबी को बढ़ाने के लिए लगाये जायं तो कर राष्ट्र हितों के खिलाफ होते हैं। हमारा जो करों का ढांचा है वह बहुत डिफेक्टिव है, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। सुधार के लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि जो वाहन पैदावार में लगे हैं और जिनसे आमदनी या मुनाफे जैसी

(श्री बहादुर सिंह)
बात नहीं होती उन पर करों का भार न बढ़ाया जाए, जैसे ट्रैक्टर। आज खेती इतनी महंगी होती जा रही है कि काश्तकारों के मुनाफे की बात तो दूर, उनकी अपनी मजदूरी तक नहीं मिलती। जब उसकी पैदावार बाजार में आती है तो उसको हक नहीं कि अपने खर्च का हिसाब लगाकर कीमत तय कर सके। उसकी मजदूरी से पैदा किए हुए अनाज की कीमत जो व्यापारी तय करता है, वह लेकर किसान अपने घर लौटता है। ऐसी स्थिति में उसे उचित पैसा नहीं मिलता, अपनी मेहनत का फायदा नहीं मिल पाता। आज हालत यह है कि ट्रैक्टर खेती के लिए आवश्यक बताया गया है। काश्तकार ट्रैक्टर कोई बड़े मुनाफे के लिए नहीं मजदूरी के लिए खरीदता है। एवरेज होल्डिंग जो किसान के पास है, अगर पशु से खेती की जाये और किराये के मजदूरों से खेती की जाए तो बहुत घाटे का सौदा काश्तकार के लिए हो जाता है। पशुओं का चारा भी एवरेज होल्डिंग से वह पैदा नहीं कर पाता। ऐसी हालत में काश्तकार को खेती के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। जो ट्रैक्टर इंग्लैंड व अमरीका में धनी काश्तकारों को 20 हजार रुपये में मिलता है, वह हिन्दुस्तान के गरीब काश्तकार को 60-65 हजार रुपये में खरीदना पड़ता है। ऐसी सूरत में हिन्दुस्तान का काश्तकार पहले ही बढ़ी हुई कीमत से त्रस्त है। वह उस कीमत को दे नहीं पाता। आज बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि ट्रैक्टर तो धनी काश्तकार ही खरीदता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रैक्टर काश्तकार पैसा देकर नहीं खरीदता, कर्जा लेकर खरीदता है। अपने गहने, अपनी जमीन, घर के बर्तन बैंक में गिरवी रखता है तब जाकर बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर ट्रैक्टर खरीद पाता है। ऐसी सूरत में यह कहना कि किसान और काश्तकार धनवान है, इसलिये ही ट्रैक्टर खरीद पाता है, गलत होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ट्रोली टैक्स लगाया है, उसे वापस लें और किसी किस्म का टैक्स ट्रैक्टर या ट्रोली पर नहीं लगायें।

जनता सरकार से हम आशा तो यह कर रहे थे कि काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिये, मदद देने के लिये सरकार काश्तकार को सस्ता ट्रैक्टर मुहैया करायेगी। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया इस से पैदावार पर भी असर पड़ेगा। काश्तकार कर्जे से दबा रहेगा और अच्छी पैदावार नहीं कर पायेगा।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन वाहनों से प्राफिट होता हो, जिन वाहनों के संचालन से मुनाफा होता हो, उन पर आप टैक्स लगायें तो ठीक भी है। जो वाहन कम्फर्ट के लिये रखे जाते हों, लग्जरी के लिये रखे जाते हों, उन पर आप टैक्स बढ़ायें। मर्सडीज कार पर, और कारों पर आप टैक्स लगायें तो पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको आमदनी भी हो जायगी। लेकिन गरीब पर टैक्स लगाना गरीबी को और बढ़ाना है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ट्रोली टैक्स माफ किया जाये और काश्तकार को राहत दी जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, मैंने पांच कटौती प्रस्ताव पेश किये

(श्री नवरंग सिंह)

हैं। सबसे पहले मैं कच्चे रूट पर चलने वाली बसों के बारे में माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। कच्चे रूट पर जो बसें चलती हैं, उनमें से अधिकांश बसें बहुत पुरानी हैं। उनमें बैठने वालों को यह भरोसा नहीं होता है कि वह गन्तव्य स्थान पर पहुचेंगे भी या नहीं। फिर भी, सभापति महोदय, आज विभाग के अधिकारी वर्ग के लोगों के बस मालिकों से मिले हुए होने के कारण उन लोगों की परमिट की अवधि बढ़ायी जाती है। सभापति महोदय, मेरे एरिया में कुछ रूट्स के परमिट्स तो ऐसे हैं जो कि निश्चित लोगों के लिए निश्चित स्थानों के तय किये हुए हैं। बस नवलगढ़ से गोटड़ा होती हुई उदयपुर तक नहीं जाती है। वहां पर ऐसी बसों को परमिट दिया गया है जिनकी हालत बहुत ही खराब है। उन बसों की हालत इतनी खराब है कि वह समय पर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच पाती है। इसी तरह झुन्झुनू से चिराना जो बस जाती है उसे भी काफी समय हो गया है चलते हुए पर फिर भी वह बस गोटड़ा तक नहीं पहुंचती है। वह सिर्फ परसरामपुरा तक ही जाती है। जबकि टोडपुरा वहां से सिर्फ 7-8 मील ही पड़ता है। फिर भी वहां तक बस नहीं जाती है। सभापति महोदय, मैंने स्वयं ने मन्त्री महोदय को इस बारे में बार-बार निवेदन किया। मेरे कहने से मन्त्री महोदय ने विभाग को लिखा भी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आज तक मंत्री महोदय के किये हुए आदेशों पर विभाग सो रहा है, उसकी नींद अभी तक नहीं खुली है। कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह धांधली कब तक चलती रहेगी ? मैं राज्य सरकार को यह आग्रह करूंगा कि इस धांधली पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जावे।

इसी तरह, सभापति महोदय, बसों की हालत के बारे में मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बसों की हालत बहुत खराब है। एक तरफ तो आप 40 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं दूसरी तरफ बसों की हालत ऐसी खराब कर रखी है कि उससे जनता को बहुत भारी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीयकरण जो आपने 40 प्रतिशत किया है उसको बुरा मैं नहीं कहता लेकिन मेरा तो मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप राजस्थान में शत प्रतिशत रूट्स का नेशनलाइजेशन कीजिये ताकि आज जो प्राइवेट बसेज चल रही हैं वह चलनी बन्द हो जायं। सभापति महोदय, जब तक यह प्राइवेट बसों का चलना बन्द नहीं होगा तब तक आपका राष्ट्रीयकरण सफल नहीं होगा। प्राइवेट बसों के जो मालिक हैं वह रोडवेज के मैनेजर, अधिकारी से, इन्सपेक्टर और कन्डक्टरों से मिले हुए होते है जिससे हमारी रोडवेज की आय में बढ़ोतरी नहीं होकर घाटा ही होता है। प्राइवेट बसों के मालिक कभी यह नहीं चाहते कि राष्ट्रीयकरण की नीति सफल हो वह तो यह चाहते हैं कि किसी तरह निगम की बसें नहीं चलें और निगम फेल हो। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यातायात मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नेशनलाइजेशन आप रूट्स

(श्री नवरंग सिंह)
शत प्रतिशत किया जाय ताकि इन प्राइवेट बस मालिकों के भ्रष्टाचार को खतम किया जा सके।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आज रोडवेज में जो भ्रष्टाचार बुरी तरह फैला हुआ है उस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। आज आपके रोडवेज के बड़े से बड़े अधिकारी कन्डक्टर को इशारा करके उनसे भ्रष्टाचार करवाते हैं और फिर सारा का सारा दोष बेचारे कन्डक्टर पर थोप देते हैं। वैसे, सभापति महोदय, यह मैं स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस कन्डक्टर की तनख्वाह 200–250 रुपये से ज्यादा नहीं होती है उसकी क्या हिम्मत है कि वह भ्रष्टाचार करे? उससे तो आपका जनरल मैनेजर, डिपो मैनेजर और इन्सपेक्टर वगैरह अपना घर भरने को भ्रष्टाचार कराते हैं। इसमें आपके रोडवेज के चेयरमैन तक शामिल हैं। नतीजा यह होता है जब कि कभी कन्डक्टर पकड़ा जाता है तो बेचारे को निकाल दिया जाता है। आज यही सबसे बड़ा कारण है कि कन्डक्टर्स को दो तीन माह के बाद में नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनके कोई सर्विस रूल्स बनाये हुए नहीं हैं। उनकी सर्विस की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कन्डक्टर्स की ओर ध्यान दिया जाय। आज सारा का सारा दोष कन्डक्टर पर मंढा जाता है। कन्डक्टर दोषी नहीं है। उससे तो आपके रोडवेज के बड़े-बड़े अधिकारी अपना पेट बड़ा करने के लिये चोरियां करवाते हैं। इन्हीं लोगों ने रोडवेज में भ्रष्टाचार करवा-करवा कर अपने भवन जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में बनवा लिये हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि भ्रष्टाचार जो ऊपर से हो रहा है उसे समाप्त किया जाए। अगर आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको उड़न दस्ते रखने होंगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार को चाहिए कि जन प्रतिनिधियों को भी यह पावर्स दें कि वह लोग चैकिंग कर सकें ताकि समय-समय पर वह चैकिंग करके सही स्थिति का जायजा ले सकें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज जो हमारे यहां पर भवन एवं भूमि कर विभाग है यह पूरा का पूरा डिपार्टमेन्ट ही बोगस है। इस डिपार्टमेन्ट पर राज्य सरकार जितना खर्चा करती है उतना उससे वसूल भी नहीं हो पाता है। इसका प्रशासनिक खर्चा अधिक है, भवन एवं भूमि कर की वसूली तो कम है और प्रशासनिक खर्चा बहुत ज्यादा है। सभापति महोदय, आज बड़े-बड़े महलों और भूमि के मालिकों की हालत यह है कि वह अपनी सम्पत्ति का असेसमेन्ट पहले तो होने नहीं देंगे और होने देंगे तो ऐसा असेसमेन्ट करायेंगे कि आप उनसे टैक्स के नाम पर कुछ ही वसूल कर पायेंगे। आज हमारे नवलगढ़ में करीब 23 करोड़पति हैं। उनके बड़े-बड़े भवन वहां पर खड़े हुए हैं। लाखों रुपये का टैक्स उन पर लगना चाहिए, पर उन करोड़पतियों पर कोई अधिकारी हाथ नहीं डालता है। कोई अधिकारी अगर हाथ डालने की कोशिश करता भी है तो मकान मालिक भवन व भूमि को अलग-अलग लोगों के नाम बताकर टैक्स निल का आदेश करवा लेते हैं। तो मेरा

(श्री नवरंगसिंह)

निवेदन है कि यह जो आपका भूमि एवं भवन कर डिपार्टमेंट है इस को तो आपको खतम ही कर देना चाहिए। इनसे आपको लाभ तो है नहीं। अगर आप इस को समाप्त कर देंगे तो न आपका खर्चा होगा न आपको टैक्स ही वसूल करना पड़ेगा। और एक तरह से जो आपको घाटा होता है वह समाप्त हो जायेगा।

एक निवेदन यह करना है कि रोडवेज जहां आपको करीब 35 पर्सेन्ट पैसेन्जर टैक्स दे रहा है वहां प्राईवेट बसेज के ओनर आपको 3 पर्सेन्ट और 5 पर्सेन्ट से अधिक नहीं देते हैं। या तो वे टिकट काटते ही नहीं और यदि कोई व्यक्ति उनको टिकट देने के लिये बाध्य करता है तो उसको टिकट देने के बाद फाड़ देते हैं और दूसरी बुक भर कर पांच-सात टिकट का सरकार को टैक्स दे देते हैं।

आफिसर्स की हालत मैं आपको बताऊं कि यदि रजिस्ट्रेशन चेन्ज कराना है, कुछ और चेन्जेज कराने हैं या परमिट बनवाना है तो बिना पैसा दिये कुछ नहीं होता। मैं इसका भुक्त भोगी हूं। जो इस विभाग की पहले की सरकार के वक्त हालत थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा, यदि सही रूप में लोगों को यातायात की सुविधा देनी है तो तमाम बसों का राष्ट्रीयकरण करें और जो भ्रष्टाचार है उसको मिटायें जिस बेचारे कन्डक्टर को शिकार बना दिया जाता है उसको सर्विस की सिक्योरिटी दें। साथ ही जिन अधिकारियों ने लाखों रुपया कमाया है, उनके आचरण की जांच करायें। जय भारत।

श्री सभापति : श्री श्योपत सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री हरचन्दसिंह !

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, जनता पार्टी ने अपने जिस घोषणा-पत्र के आधार पर अब तक चुनाव लड़े हैं उस घोषणा पत्र में हमने जनता के साथ कुछ वायदे किये थे, कुछ नीतियां जनता के सामने रखी थीं। हमने यह वायदा किया था कि जनता पार्टी सत्ता में आयेगी तो हम गांधीवादी विचारधारा और दर्शन के अनुसार चलेंगे।

जहां तक घोषणा-पत्र का सवाल है और गांधीवादी दर्शन और समाजवाद का सवाल है, लोक सभा के चुनाव हमने देख लिये। उसमें जो कुछ जनता ने मत दिये उसका पर्सेन्टेज काफी ज्यादा था। जब विधान सभा के चुनाव हुए तो पर्सेन्टेज कम हुआ और अब दक्षिण का जो रिजल्ट हमारे सामने आया है उसमें हमारी हालत और पतली हो गई है। खैर।

यह जो कुछ बजट हमारे सामने आया है, इस बजट से एक बात स्पष्ट हो गयी है कि यह बजट हमारी नीतियों पर आधारित नहीं है। प्रशासन के अन्दर जनप्रतिनिधियों की सरकार और आई. ए. एस. आफिसरों के बीच रस्सा कसी चल रही है, उसकी झलक इसमें स्पष्ट नजर आ रही है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होगा कि आई. ए. एस. आफिसर्स बखूबी इस रस्सा कसी में जीत गये हैं। उसकी वजह है साहब।

(श्री हरचन्द सिंह)

बजट के अन्दर पेन्शन के प्रावधान को देखें तो आपको यह दृष्टिगोचर होगा कि जहां हम समाजवादी दर्शन और गांधीवादी नीति का उल्लेख करते हैं वहां कम पेन्शन पाने वाले की पेन्शन में, श्रीमन्, 5 रुपये की बढ़ोतरी कर रहे हैं, 500 तक 10 रुपये और 500 से ऊपर आई. ए. एस. केडर तक 25 रुपये की बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्या यही समाजवादी दर्शन और गांधीवादी विचारधारा है ?

श्रीमन्, उसी तरीके से आई. ए. एस. आफिसर्स प्रशासन पर बुरी तरह से हावी हैं। उन्होंने अपनी सुख-सुविधा के लिए राज्य सरकार के खजाने से ऋण लेकर कारें खड़ी कर रखी हैं। वे देश के लिये अनुत्पादक हैं। उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर है। देश के अन्दर ट्रैक्टर उत्पादन में बढ़ोतरी का साधन है। उसके कारण रिकार्ड कायम कर दिया है उत्पादन में, बढ़ोतरी में, श्रीमन्। मोटर व्हिकल्स एक्ट को देखने से मुझे यह डर लगता है कि किसी आई. ए. एस. अधिकारी की चाल है जिसने ट्रैक्टर-ट्रोली पर कर किस प्रकार से बखूबी बढ़ा दिया है। ट्रैक्टर को मोटर व्हिकल में मान लिया जाय तो, श्रीमन्, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ट्रोली के लिये सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, डेफिनेशन अलग कर दी है इसकी। मोटर व्हिकल्स एक्ट में व्हिकल की डेफिनेशन को देखें तो कोई मिसाल नहीं मिलेगी, परिभाषा नहीं मिलेगी कि ट्रोली को वाहन में इन्क्लूड कर लिया जाय। श्रीमन्, यह बात कही जाती है कि काश्तकार के जरूरत की चीज है। वह ट्रैक्टर खरीदेगा ही। शायद आई.ए.एस. आफिसर्स बेचारे बहुत गरीब हैं, शायद दो जून के लिये आटा भी इनके पास नहीं है इसीलिये कारों में ये फिरते हैं लेकिन सरकार में हिम्मत नहीं है कि इनकी कारों पर टैक्स बढ़ा दिया जाय। मुझे खुशी होगी यदि कारों पर टैक्स बढ़ा दिया जाय। मैंने प्रश्न उठाया था। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी करनी है तो राजस्थान में ट्रैक्टरों की बजाय आज कारें ज्यादा हैं। ट्रैक्टर देश में उत्पादन में बढ़ोतरी करता है जब कि कारें अनुत्पादक हैं इसलिए उन पर अधिक टैक्स बढ़ा दिया जाय तो मैं समझूंगा कि सरकार समाजवादी नीतियों के अनुरूप चल रही है। मुझे इस बात की खुशी होगी कि गांधी का जो दर्शन है कि समाजवाद ही गांवों में, हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। गांव वाले लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदते हैं, देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाते हैं, श्रीमन्, ट्रैक्टर के पीछे ट्रोली चलती है वह ट्रैक्टर काश्तकार का जीवन है। उस ट्रैक्टर ट्रोली पर इतना टैक्स न बढ़ जाय कि काश्तकार की कमर भी टूट जाय। इसलिए वास्तव में आप जनप्रतिनिधि सरकार हैं, सच्चा गांधीवादी दर्शन आप जनता को देना चाहते हैं तो आई ए.एस. अधिकारियों की ग्रिप से सरकार को बाहर खींचें, उनके मोहरे न बनें। आपने दिल और दिमाग से जनता के सामने जो वायदे किये हैं, आपके दर्शन के मुताबिक जो टैक्सेशन पोलिसी बजट में आनी चाहिये उसके कहीं दर्शन नहीं होते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को 15 दिसम्बर, 1977 की बात याद दिलाना चाहता हूं जब गंगानगर के इरिगेशन रेस्ट हाउस में आपने भाषण दिया था कि ट्रैक्टर पर, ट्रोली पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। श्रीमन्, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बार बार आपकी घोषणा होने के बावजूद बजट

(श्री हरचन्दसिंह)

में इस पर टैक्स लगाया जाना बड़े ही शर्म की बात है। ये बेचारे गरीब हैं, इनका बस नहीं चलता। आई.ए.एस. आफिसर्स बैठे हैं उनके कारण ये मजबूर हैं। मुझे तरस आता है इन पर। यदि आप में जरा भी हिम्मत है और चुनाव में किये हुए वायदे और घोषणा-पत्र के अनुसार चलना चाहते हैं तो मैं दावत दूंगा और मांग करूंगा कि वास्तव में यह जनप्रतिनिधियों की सरकार है तो मंत्री महोदय आई. ए. एस. के चंगुल से बाहर निकल कर ट्रैक्टर और ट्रोली पर से कर हटाने की ओर इनको कर मुक्त करने की घोषणा करें। जयहिन्द !

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

श्री जगदीशचन्द्र !

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र !

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, भूमि और भवन कर का मौजूदा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिसके आधार पर हमारी सरकार अपने आपको एक समाजवादी सरकार कहने की हिम्मत करती है उसको चुनौती देते हुए आपके समक्ष कुछ विचार रखूंगा।

सभापति महोदय, एक तरफ अमेरिका में विलास वैभव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ गरीब का पलड़ा पाताल की ओर जा रहा है, इसके पीछे बुनियादी कारण है। 12 पर्सेन्ट जनता 15 रुपये से 18 रुपये की आमदनी पर जीवित है। अभी जो सर्वे कराया है आयोजना विभाग ने उसके अनुसार जयपुर, कोटा, जोधपुर, चित्तौड़ और दिल्ली में अधिकांश लोग ऐसे गरीब हैं जिनकी 20 रुपये मासिक आमदनी से भी कम है। 1960-61 के अन्दर आयोजना आयोग ने गरीबी की सीमा रेखा बनायी उस समय करीब 55 पर्सेन्ट लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। 1960-61 में जो कीमतें थीं उनमें और आज की कीमत में 300 गुना की बढ़ोतरी हो गयी है। अब करीब 2.70 पर्सेन्ट लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं। यह आर्थिक दृष्टि से हमारे प्रान्त की हालत है।

हमने नारा लगाया था समाजवाद, गांधीवाद, सर्वोदय का और अब अन्त्योदय का नारा लगाया है। ये नारे इतने खोखले हैं कि जब हम लैंड बिल्डिंग टैक्स की ओर देखते हैं तो यह पाते हैं कि लाखों रुपये तक की प्रोपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। सभापति महोदय, यह कौनसा समाजवाद है? लाखों रुपया खर्च करके डिप्टी डायरेक्टर लैंड एण्ड बिल्डिंग जैसी पोस्ट खड़ी कर रखी है। इनका काम क्या है? जितने पैसे वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं उनको कानून में, एक्ट में संरक्षण देना इनका काम है। इनके लिये जो मशीनरी दे रखी है वह भूमिपतियों को ही संरक्षण देती है।

जनता सरकार बनी उसके बाद उसका यह बजट आया है। इसमें आपने घोषणा की है कि 1 लाख से 3 लाख तक की भूमि भवन पर ½ पर्सेन्ट, 3 लाख से 10 लाख तक की भूमि व भवन पर 1 पर्सेन्ट और 10 से ऊपर पर 1½ पर्सेन्ट। जब तक बुनियादी सवाल पर हमारे मंत्री महोदय विचार नहीं करेंगे, जब तक जिन बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े

(श्री ईश्वरचन्द्र)

जिम्मेदार लोगों के पास बड़े बड़े भवन हैं लाखों रुपयों की जिनकी रेंटल इनकम है उनके ऊपर जनता सरकार प्रहार नहीं करेगी तब तक गरीबी की रेखा से भी नीचे जो 70 पर्सेन्ट लोग हैं। उनके विकास के लिये आप कितनी ही अन्त्योदय योजना लागू करें ग्रामोदय की योजना लागू करें, उनका कोई विकास सम्भव नहीं है। सभापति महोदय, जब आप लार्ड कलाइव की मूर्ति हटायेंगे तभी तो तुलसीदास जी को बैठायेंगे। कोई स्थान रिक्त होगा तभी तो उसकी पूर्ति होगी। जब तक यह बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपके सोचने का तरीका है, बुनियादी सोच है इसके अन्दर परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाजवाद की जो गंगा आपने निकाली है यह पहले सचिवालय के बरामदों में घुस जायेगी, वहां से निकलेगी तो मंत्रियों के घरों में घुस जायेगी और मंत्रियों के घरों से निकलेगी तो इन आई.ए.एस. आफिसर्स के बंगलों में घुसकर लुप्त हो जायेगी और जो गरीब हैं, जो कि 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं उन तक यह समृद्धि और विकास की गंगा का पहुंचना मुमकिन नहीं है ...

**श्री सभापति :** We believe in mixed society.

**श्री ईश्वरचन्द्र :** I don't believe, Sir.

**श्री जगदीश सिंह :** But not so much difference between the two.

**श्री ईश्वरचन्द्र :** I don't believe. सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि मेरी जो भावनायें हैं उनसे आप शत-प्रतिशत सहमत हैं क्योंकि मिक्स्ड सोसाइटी का भी यह मतलब नहीं है कि गरीबों की कास्ट पर अमीरों को जिन्दा रखें। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि जब तक लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स अधिनियम, 1964 में बुनियादी परिवर्तन करके अमीरों को नहीं दबायेंगे तब तक गरीबों का पाताल और गहरा होता जायेगा।

मैं इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा राष्ट्रीयकरण के बारे में है। जैसा कि आपने कहा कि मिक्स्ड सोसाइटी है उसी तरह से हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा दल भी मिक्स्ड दल है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि कई माननीय सदस्य बराबर मोटरों के परमिटों के लिए चक्कर काटते हैं। पूंजीपतियों ने, सरकारी आफिसरों ने और कुछ मिक्स्ड तत्व वाले लोगों ने जो राष्ट्रीयकरण का कन्सेप्ट है उसके ऊपर अड़ंगा लगाने की नीति को अपनाया है और हमारे मंत्री महोदय उनके प्रेशर में हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवादी समाज की स्थापना में राष्ट्रीयकरण एक मूलभूत और आधारभूत सिद्धान्त है। जो सरकार इस सिद्धान्त को तिलांजली देगी, चाहे वह जनता सरकार हो या और कोई सरकार हो वह सरकार कम से कम 70 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का उत्थान नहीं कर सकती। इसलिए राष्ट्रीयकरण के बारे में स्पष्ट नीति परिलक्षित होनी चाहिए। यह होना चाहिए कि चाहे इससे सरकार को घाटा ही होता हो राष्ट्रीयकरण की नीति किसी प्रकार के दबाव में आने के बाद भी नहीं छोड़नी चाहिए और इसकी ओर निरन्तर बढ़ते ही रहना चाहिए।

(श्री ईश्वरचन्द्र)

दूसरा एक सवाल था कि 211 करोड़ रुपये के टैक्स की चोरी राजस्थान रोडवेज करती है।...

एक माननीय सदस्य : बकाया है।

श्री ईश्वर चन्द्र : बकाया है। बलिये चोरी नहीं कहता। आपकी सरकार है, हमारी सरकार है लेकिन जब तक इस तरह से दो विभागों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठेगा, दूसरों को चकमा देने का काम चलता रहेगा तब तक हमारे आर्थिक ढांचे में मौलिक सुधार आना सम्भव नहीं है।

बस यही मेरे दो प्रस्ताव थे। इन्हीं के बारे में बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जी !

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, मैंने भी कटौती प्रस्ताव करों के विषय में रखा है। भूतपूर्व सरकार जनता के ऊपर पहले ही कर लगा चुकी है और इतने लगा चुकी है कि उससे काश्तकार पिसे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि नये कर न लगाकर जो कर लगा रखे हैं उन्हीं को सही रूप से देखें, जैसे कि बसों से रोड टैक्स हमें मिलता है लेकिन जो गांवों में बसें जाती हैं उनसे हमें कोई टैक्स नहीं मिलता है। हमारे रोड टैक्स की चोरी हो जाती है। रोडवेज में कन्डक्टर के हाथ में गाड़ी रहती है। जहां से बस शुरू होती है वहां तो टिकिट कट जाते हैं लेकिन रास्ते में जो सवारियां मिलती हैं उनको कोई टिकिट नहीं दिया जाता है। उस पैसे को अधिकारी लोग मिल मिलाकर खाते हैं और उसका बंटवारा होता है। इसमें चैकिंग और देखरेख सही ढंग से की जाये तो इससे लाखों रुपयों की चोरी बच सकती है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो शराब के ठेकेदार हैं उनके अन्दर पिछली बकाया गवनमेन्ट की करोड़ों रुपयों की पड़ी हुई है। जो ठेका दिया जाता है वह ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास झौंपड़ी तक नहीं है। उनकी लाखों रुपयों की गारन्टी दे दी जाती है। इससे सरकार लॉस में जाती है। बकाया के पिछले आंकड़ों को देखें तो वह करोड़ों रुपयों की बकाया निकलेगी। तो इस पिछली बकाया की वसूली की जाये। जो गारन्टी सिस्टम से शराब दी जाती है उससे राजस्थान सरकार को इन्कम टैक्स की आमदनी होनी चाहिए। यह लाखों रुपयों की गारन्टी होती है तो इसके ऊपर इन्कम टैक्स भी लगना चाहिए। तो मेरा सुझाव यह है कि नये कर नहीं लगाये जायें और जो मौजूदा टैक्स लगे हुए हैं उनकी सही ढंग से देखरेख की जाये तो नये टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं है।

मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री विट्ठलप्रसाद !

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : सम्माननीय सभापति महोदय, हर समाजवादी सरकार का राष्ट्रीयकरण एक ध्येय हुआ करता है। पिछली कांग्रेस सरकार का भी समाजवाद की ओर बढ़ने में राष्ट्रीयकरण एक ध्येय था, चाहे इस राष्ट्रीयकरण

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

से बेरोजगारी आती हो, भ्रष्टाचार आता हो लेकिन सरकार का यह मानस रहा है कि हर समाजवादी सरकार राष्ट्रीयकरण करे। राष्ट्रीयकरण के मानस के आधार पर राजस्थान के अन्दर पिछले दिनों रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत अच्छी बात थी। राजस्थान के अन्दर प्राइवेट बस आपरेटर्स जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहे थे उससे अच्छी व्यवस्था यह सरकारी बसें देंगी, ऐसी आशा थी। लेकिन पिछले 12-15 सालों से राजस्थान के अन्दर राष्ट्रीयकरण है इस राष्ट्रीयकरण के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, जो जनता को असुविधायें हैं और परेशानियां हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं है। राष्ट्रीयकरण किया बहुत अच्छी बात है, आपने मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया पर मार्गों के ऊपर आपकी बसें क्यों नहीं चलती हैं? यात्री तीन तीन रोज तक भटकते रहते हैं और परेशान रहते हैं और आप यह नारा देते हैं कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमारे श्री ईश्वरचन्द्रजी ने कहा कि राष्ट्रीयकरण की नीति से भटकें नहीं, वह इस बात की गारंटी परिवहन मंत्री जी से चाहते हैं लेकिन मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर रोडवेज की बद से बदतर हालत है। लोग आपको गालियां देते हैं। गाड़ियों की हालत अच्छी नहीं है। उनमें सीटें अच्छी नहीं हैं और लाखों रुपये रोज का राजस्थान रोडवेज के अन्दर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं झालावाड़ डिपो की ओर विशेष तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोटा से भोपाल कौन सी बस लगे इस बात के ऊपर 100 रुपये एक दिन के लिए चाहिए। कन्डक्टरों से इसके लिये पैसा लिया जाता है। इसलिए माननीय परिवहन मंत्रीजी इस व्यवस्था के ऊपर कन्ट्रोल करें।

इसके अलावा यातायात विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब ट्रकों के फिटनेस होते हैं तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि एक ट्रक का और बस का फिटनेस उस समय तैयार होता है जब कि मैकेनिकल इन्सपेक्टर 100 रुपये ले लेता है। यह खुला हुआ भ्रष्टाचार आपके राजस्थान में पनप रहा है। ट्रकों के परमिट और बसों के परमिट के अन्दर 100 रुपये मैकेनिकल इन्सपेक्टर लेता है। इसलिए राज्य सरकार को इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

दूसरे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के ऊपर चैक पोस्ट लगी हुई। राजस्थान की गाड़ी मध्य प्रदेश में जाती है और मध्य प्रदेश की राजस्थान में आती है। आपकी जो चैक पोस्ट हैं वहां पर खुला भ्रष्टाचार होता है। वहां पर सेल्स टैक्स का बाबू रोजाना 100-150 रुपया लेकर जाता है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को जितनी इन्कम नहीं होती है, उससे ज्यादा आपके बाबू लोग कमा लेते हैं।

एक और तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले दिनों राजस्थान रोडवेज के कुछ ड्राइवरों और कन्डक्टरों को मामूली से मामूली बात पर

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

आपके मैनेजमेंट ने नौकरी से निकाल दिया। एक दो आदमियों को लेकर मैं व्यक्तिगत मंत्री महोदय के पास गया। आप बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं। समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं। मंत्री महोदय ने आर्डर कर दिया कि इनको पुन: सेवा में ले लें लेकिन आपके आफिस में उन लोगों से 200-200 रुपया वसूल किया गया और दो-दो सौ रुपया वसूल करके उनको अपाइंट किया। अगर मंत्री महोदय उस अधिकारी का नाम चाहें तो बता दूंगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन कन्डक्टरों और ड्राइवरों को सर्विस से नहीं निकाला जाय। आपको अनुभव हो जायेगा कि आपके भ्रष्ट कर्मचारियों ने दो दो सौ रुपये लेकर उन लोगों को अपाइंट किया।

**एक माननीय सदस्य :** उनके नाम जरूर बताओ।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा :** माननीय मंत्री महोदय अगर चाहेंगे तो उनको चैम्बर में बता दूंगा।

**श्री मदनसिंह दांता :** यह चैम्बर का सवाल नहीं है। यह भ्रष्टाचार का मामला है। आप नाम बतायें।

**श्री सभापति :** यह माननीय सदस्य के ऊपर है वे चाहें तो नाम बता सकते हैं।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा :** अगर माननीय मंत्री महोदय गारंटी करें कि उन कन्डक्टरों और ड्राइवरों को नौकरी से नहीं हटायेंगे तो नाम बता सकता हूं।

**श्री मदनसिंह दांता :** माननीय मंत्री महोदय, यह आपको चैलेन्ज है। यह विधायक आपको चैलेन्ज दे रहे हैं। तो क्या आप भ्रष्टाचार रोक रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय, क्या आप भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना चाहते हैं।

**श्री केदारनाथ :** माननीय सदस्य की मर्जी पर है, नाम दें या नहीं दें।

**श्री मदनसिंह दांता :** यह आपसे पूछ रहे हैं, आप सदन की कार्यवाही देख लें।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य।

**एक माननीय सदस्य :** ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य।

**मेजर श्री फतहसिंह :** माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि जिन कर्मचारियों ने दो-दो सौ रुपये दिये हैं उनको आप विक्टीमाइज नहीं करेंगे, इस प्रकार का आश्वासन दें तो जिस अधिकारी को दिये हैं उसका नाम बतायेंगे।

**श्री केदार नाथ :** डिबेट का जवाब तो दूंगा ही। किसी भ्रष्ट अधिकारी का नाम लें, नाम बतायें, जांच होगी और किसी प्रकार का विक्टीमाइजेशन नहीं होगा।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा के बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री नवनीत कुमार :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का

(श्री नवनीत कुमार)

समय प्रस्तुत मांग के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

**श्री मदनसिंह दांता** : 10 से 12 बजे तक नहीं।

**श्री सभापति** : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय प्रस्तुत मांग के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

**एक माननीय सदस्य** : समय निश्चित कर दिया जाये।

मांग संख्या 12 पर अग्रेतर विचार

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : पिछले दिनों जब यह बजट पेश हुआ था तो बताया गया था कि राजस्थान रोडवेज करीब 1॥ करोड़ के घाटे में चल रही है। सवारियां ओवर-लोड चलती हैं फिर भी घाटा है। एक तरफ...

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : मैं आपसे कह रहा था, रोडवेज घाटे में ....

**मेजर श्री फतहसिंह** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने सवाल भी उठा दिया और भ्रष्ट अधिकारी का नाम भी नहीं बता रहे हैं।

(4.56 म. प.)

(श्री मन्जूर अली, सभापति, पदासीन)

**श्री मदनसिंह दांता** : इस डिपार्टमेंट में सभी को भ्रष्ट समझते हैं, यह अन्याय है कर्मचारियों पर।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : वे हैं राज-स्थान रोडवेज में श्री शरद वर्मा, असिस्टेंट मैनेजर रोडवेज।

**श्री मदनसिंह दांता** : कर्मचारियों के नाम बतायें।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : बाकी के बाद में बता दूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। आप राष्ट्रीयकरण तो करते हैं लेकिन आप गाड़ियां नहीं चलाते हैं। पिछले दिनों अक-लेरा से एक ही बस आपकी चल रही है। उसमें जगह न होने की वजह से कुछ लोग ट्रक में गये, उसका एक्सीडेंट हो गया और 14 आदमियों की मृत्यु हो गई। यह आपकी ड्यूटी थी कि उस लाइन पर आप और बसें चलायें। मुझे विश्वास था कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, झालावाड़ के कलेक्टर उन परिवारों को कुछ मदद देंगे। मैंने मुख्य मंत्री को निवेदन किया था, उन्होंने फर्माया था कि इस बारे में कलेक्टर से सम्पर्क करूंगा और उनको अधिक से अधिक सहायता, जो संभव होगी, दूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान उस दुर्घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें 12 आदमी और 2 महिलायें मर गई हैं। परिवार निराश्रित हो गये हैं। इसलिए राज्य सरकार से इस सदन की मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आर्थिक सहायता दे सकें, अवश्य दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय जगदीशसिंह जी।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, जहां तक ट्रकों पर कर के बारे में भ्रष्टाचार का मामला है मेरा निवेदन है जैसे हरियाणा, पंजाब के अन्दर लम्प-सम सिस्टम है अगर उस सिस्टम को यहां पर लागू किया जाये तो अवश्य वह भ्रष्टाचार के अन्दर बाधक होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और जो करों की चोरी होती है वह भी बन्द हो सकती है। इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत काफी समय से चल रही है कि लम्प-सम कर हर रूट को देखते हुए कायम किया जाये। वैसे अधिकारीगण नहीं चाहेंगे कि भ्रष्टाचार को कम किया जाये। मेरे ख्याल में मोटर व्हिकल एक्ट सेन्टर का सब्जेक्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन मोटर व्हिकल एक्ट के संबंध में अपनी सरकार सेन्टर को मूव करे कि इसके रूल्स और रेगुलेशन्स को देखा जाये। मेरे ख्याल में यह सख्त कानून है। मैं इस बात का चेलेन्ज करता हूं, चाहे कोई भी गाड़ी हो आप पास करा कर ला सकते हैं। रूल्स के अनुसार यदि काम हो तो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। जैसी परम्परा चल रही है उसकी ओर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि जितनी काम्प्लीकेसी होगी, उतना ही भ्रष्टाचार पनपेगा। जब तक कानून को सरल नहीं किया जायेगा तब तक इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कभी भी कम नहीं किया जा सकता। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस मोटर व्हिकल एक्ट में संशोधन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाये। वह इस पर विचार करे कि किस तरह से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? एक डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दूसरा डिपार्टमेंट कायम करते हैं तो दूसरा डिपार्टमेंट कायम करने से होता है कि जिन विभागों में रिश्वत ली जाती थी उनमें एक डिपार्टमेंट और जुड़ गया। एक जगह और टैक्स लगने लग गया। इसकी वजह से मोटर व्हिकल एक्ट से जितने ट्रांसपोर्टर्स दुखी हैं शायद ही कोई दूसरे डिपार्टमेंट से दुखी होंगे। हर कदम पर हर जगह उनका दुश्मन बैठा हुआ है। पुलिस अधिकारी उनका दुश्मन, टैक्सेशन डिपार्टमेंट उनका दुश्मन बैठा है, उड़न दस्ता उनका दुश्मन, पेसेंजर टैक्स लेने वाले उनके दुश्मन। कहां कहां पर वह पैसा दें? अगर उसको अपनी बस चलानी है तो मजबूर होकर पैसा देना पड़ेगा। यह कानून बाध्य करता है उनको कि वे रिश्वत दें। अगर कानून बदल दिया जावे तो रिश्वत का कोई प्रश्न नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्टर्स से तो सरकार को फायदा है। वे तो चाहते हैं भले ही सरकार टैक्सेशन और लगा दे। वे ज्यादा टैक्स देने को तैयार हैं लेकिन इस तरह की चुंगियां देनी पड़ती हैं, इस तरह से जो माहवारी देनी पड़ती है, इससे वे बहुत दुखी हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में उसको न मालूम कितनी जगह रिश्वत देनी पड़ती है। अगर इन्डिविजुअल नहीं देता है और अगर कोई कम्पनी है तो कम्पनी से माहवारी वसूल होती है और कम्पनी से वसूली होकर आफिसर कन्सर्न्ड के पास चली जाती है। यह आज का सवाल नहीं है, बहुत दिनों से यही हाल चल रहा है लेकिन इसके ऊपर आज तक किसी ने भी गौर नहीं किया कि उनका क्या दुःख दर्द है। बाकी जहां तक नेशनलाइजेशन की स्कीम का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को कभी भी इस बात का खयाल नहीं हो सकता कि इसको नहीं किया जाय लेकिन

(श्री जगदीश सिंह)

नेशनलाइजेशन की स्कीम बनाने से पहले, राष्ट्रीयकरण करने से पहले उसको सुधारने की व्यवस्था की जावे। कम से कम बीसों दफा धौलपुर से या भरतपुर से यहां पर आते हैं तो आज तक ऐसा दिन नहीं हुआ जब कि बीसों सवारियां, तीस-तीस, चालीस-चालीस और पचास-पचास सवारियां ओवरलोड नहीं आती हों। बल्कि कई दफा तो हालत यह होती है कि सैकड़ों की तादाद में सवारियां रह जाती हैं, हाथ खड़े किये रह जाती हैं, बस में जगह नहीं है इस वजह से बस में बैठने से वंचित रह जाते हैं और मजबूरी में उनको ठेलों से या अन्य साधनों से आना पड़ता है।

इसके अलावा मेरा एक कट-मोशन राजस्थान की बसों के टिकट के सिस्टम पर है। मेरा ऐसा मानना है कि ये आई. ए. एस. आफिसर स्वयं भ्रष्टाचार बढ़ा कर यह कोशिश करते हैं कि अपने सबोर्डीनेट स्टाफ को किस तरह से पनपाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब एक जगह का टिकट लेते हैं तो टिकटों का एक पुलन्दा पकड़ा दिया जाता है जिसमें पैसे लिखे हुए होते हैं। हम लोग तक इसमें धोखा खा जाते हैं तो उस बेचारे गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, की क्या हालत होगी। अगर उसको दस रुपये का टिकट लेना है तो उसको चार रुपये का टिकट दे देंगे और छः रुपये अपने पास रख लेंगे। मैं कह रहा हूं कि यह टिकटों की प्रणाली कम से कम राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का खास पोइन्ट है। इसकी जगह से सरकार को घाटा होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस टिकट के सिस्टम को बदलिए। एक ही टिकट दिया जावे जिसके अन्दर सारा विवरण होना चाहिए। होता यह है कि हम लोगों तक के साथ यह करने में नहीं चूकते। देखा जाय तो एक एक दिन में एक एक कण्डक्टर सौ सौ रुपये तक ले जाता है। अभी परसों ही की बात थी, दो विधायक जा रहे थे। उनके पास के एक आदमी को टिकट दिए। दस रुपये का टिकट दिया। जब उसको संभाला तो उसमें कुल छः रुपये के टिकट थे। जब विधायक के साथ बैठने वाले के साथ ऐसा हो सकता है तो जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसकी क्या हालत होगी, आप अन्दाजा लगाइये। इसलिए मैं कहता हूं कि इस टिकट की प्रणाली को तबदील किया जाना चाहिए और इसमें सुधार किया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सिर्फ दो मिनट और।

एण्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में भी मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। मैं अर्ज करूंगा कि जो एण्टरटेनमेंट टैक्स है, क्या वजह है कि बड़े शहर में और छोटी जगह छोटे गांव का उसके अन्दर हिस्सा एक समान है। अगर आप यहां जयपुर में या दिल्ली में सिनेमा चल रहा है उसको जाकर देखें तो शायद आपको मालूम होगा कि यहां पर टिकट ब्लैक में लेकर लोग सिनेमा देखते हैं, महीने महीने भर तक टिकट नहीं मिलता है, हाउस फुल का बोर्ड टंगा मिलता है और दूसरी ओर गांव में दस आदमी बैठे हुए हैं, पांच लड़के बैठे हैं, उनसे उनको कितनी आमदनी होती होगी आप अन्दाजा

(श्री जगदीश सिंह)

लगाइये। उनका सिनेमा बन्द किया जाता है, महीनों तक बन्द रहता है, उनका रिन्यूअल नहीं किया जाता है, इससे एण्टरटेनमेंट टैक्स का नुकसान होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नगरपरिषदों को एण्टरटेनमेंट टैक्स में से अधिक अनुदान दिया जावे। क्या यह सही है कि जहां पर दस दर्शक बैठने वाले सिनेमा घर हों और जहां पर हजारों आदमी बैठने वाले सिनेमा घर हों उनमें कोई अन्तर ही नहीं हो? सभी को एक लट्ठ से हांका जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, माननीय वित मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और जहां छोटे छोटे सिनेमा हैं वहां एण्टरटेनमेंट टैक्स में से अधिक अनुदान देने की कोई व्यवस्था की जाय।

आखिर में मैं ट्रेक्टर ट्रोली टैक्स के लिए निवेदन करूंगा। सारा का सारा टैक्स जो ट्रेक्टर-ट्रोली पर लगता है उसका आप हिसाब लगायें, सेंट्रल ड्यूटी, सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स का हिसाब लगायें तो कम से कम पन्द्रह हजार बैठता है और पांच साल में वह वह समाप्त हो जाता है। इन डायरेक्ट टैक्सेज की वजह से काश्तकार पर इतना हैवी टैक्स है कि आयन्दा टैक्स लगाने की गुंजाइश ही नहीं है। यह टैक्स लगाना, ट्रेक्टर-ट्रोली पर टैक्स लगाना तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि एक बैलगाड़ी पर टैक्स लगाना। एक बैलगाड़ी से एक किसान किस तरह से काम चला सकता है? उसने एक ट्रोली क्या ले ली सरकार के सारे दफ्तर उस पर हावी हो गए। ऐसा समझते हैं कि जिसके पास ट्रेक्टर है, ट्रेक्टर ट्रोली है उसके पास काफी पैसा है वह मालदार है। मैं आपको कहता हूं कि अगर उसके पास सौ बीघा जमीन है या पचास बीघा जमीन है तो वह केवल अपनी जीविका तक नहीं कमा सकता, यह भ्रम पैदा क्यों हुआ कि जिनके पास ट्रेक्टर-ट्रोली है उनके पास बड़ी बड़ी पैदावार है? यह सही नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह अपने बच्चे की फीस तक नहीं दे सकता है।......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस एक मिनट में खतम करता हूं।

इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं जैसी कि हाउस की भावना है, जैसे कि जन प्रतिनिधियों ने आपके सामने विचार रखे हैं, मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है और जनता सरकार ने वायदा किया था कि ट्रेक्टर ट्रोली टैक्स को बिल्कुल माफ किया जायगा उस वायदे को पूरा करने के लिये मंत्री महोदय को कहता हूं कि इस टैक्स से बिल्कुल एग्जेम्प्ट करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, हाउस की यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्य कोई भी डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचते और कोई कागज आप तक जाकर नहीं देते हैं। चूंकि माननीय सदस्य नए हैं मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नही कर रहा हूं लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी डायरेक्ट चेयर तक नहीं जाते। अगर कुछ चेयर तक पहुंचाना हो तो इनके जरिये पहुंचावें।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह यादव।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू):** माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। जहां तक ट्रेक्टर-ट्रोली का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रोली उन्हीं किसानों के पास है जिनके पास ट्रेक्टर हैं, जो जमीन का कोई साधन रखते हैं। पिछली 8-11-77 को आर्डिनेंस जारी कर ट्रेक्टर-ट्रोली पर टैक्स लगाया गया है यह राजस्थान के किसानों के ऊपर एक काला कानून है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो किसानों की परिभाषा की जाती है, उसके अनुसार यह मानना है कि राजस्थान में या हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत किसान रहते हैं। उस किसान के ऊपर इतना भारी टैक्स न लगाया जाय कि वह उसको वहन नहीं कर पाए। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाउस के कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात को दोहराया है कि ट्रेक्टर-ट्रोली जो है यह किसान की बैलगाडी है और बैलगाड़ी के ऊपर कहीं टैक्स लगाया जाता है। मेरा मानना है कि जनता सरकार की नीतियों के अनुसार, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार भी यह उचित नहीं है। राजस्थान के हर किसान की बैलगाड़ी पर टैक्स लगाया जाय यह कोई भी उचित नहीं मानेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक ट्रेक्टर-ट्रोली पर टैक्स का सवाल है इसको कतई खत्म करना चाहिए। जो आंकड़े हम को उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार मैं जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कुल ट्रेक्टरों की संख्या 30973 है। ठीक इसी तरह से ट्रेक्टर-ट्रोली की संख्या 10044 है। कारों की संख्या 20834 है और जीपों की संख्या 8893 है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि जीप और कार, जो लक्जरी की परिभाषा में आते हैं, पर कोई नया टैक्स नही बढ़ाया गया है लेकिन कारों की संख्या के मुकाबले में राजस्थान में ट्रेक्टरों की संख्या 30 हजार के करीब है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। पिछले एक साल के अन्दर, वह एक किसान के लिए दर्दनाक घटना है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जहां किसान की परिभाषा का सवाल आता है तो हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं मैं भी किसान हूं, गृह मन्त्री जी भी कहते हैं मैं भी किसान हूं, और वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं, मैं भी किसान हूं, और यहां तक कि माननीय विद्या पाठक कहती हैं, मेरे पास जमीन है इसलिए मैं भी किसान हूं.....

**श्रीमती विद्या पाठक:** आन ए पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर।

माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगी कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है और न मैं किसान हूं। इसलिए माननीय सदस्य ने मेरे किसान होने के सम्बन्ध में जो एलीगेशन लगाया है, उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति जी मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारे मन्त्रिमण्डल की एक सदस्या ने सदन में खड़े होकर यह कहा कि मैं किसान नहीं हूं। बाकी जो मन्त्री महोदय हैं, जब भी किसान की परिभाषा का सवाल आता है तो वे अपने आप को किसान कहते हैं और जब टैक्स इम्पोज किया जाता है...

श्री मदन सिंह दांता : सभी मन्त्री गए खड़े होकर कह दें ताकि मालूम हो जाए कि कौन कौन किसान हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : किसान की बात आती है, किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की बात आती है, तो मैं यह साबित कर सकता हूं कि जो अपने आपको मन्त्रिमण्डल में रहते हुए किसान बताता है, वह किसान की परिभाषा को भूल जाता है और उन पर टैक्स लगा देता है। यह इरादा रखता है कि किस तरह से टैक्स वसून हो और किस तरह से इसको इम्पोज किया जाए । इसमें कई अनियमितताएं हैं, सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टैक्स का ढाई करोड़ रुपया राजस्थान रोडवेज में बकाया है लेकिन मन्त्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वह वसूल किया जाता है। जो भी टैक्स किसानों पर लगाया गया, वह टैक्स वसूल किया जाता है किन्तु दूसरों से वह टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं सदन के सदस्यों को यह बताना चाहूंगा, सभापति जी, आपके माध्यम से कि इमर्जेंसी पीरियड में मेरे चौमूं क्षेत्र में एक ट्रैक्टर पी 1502 को रींगस में ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर ने सीज किया। उसको यह कहा कि ट्रैक्टर के साथ जो कुट्टी की मशीन है, उसका टैक्स नहीं दिया गया है। उस ट्रैक्टर को रींगस पुलिस स्टेशन में बन्द किया गया। वह किसान मेरे पास आया। मैंने यातायात विभाग के अधिकारियों को कहा कि ट्रैक्टर की कुट्टी की मशीन पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आपके अधिकारी इस पर टैक्स किसानों से वसूल करते हैं। हजारों किसानों से यह टैक्स वसूल किया गया है। दो रोज तक अधिकारी ने मीटिंग में रखा और चर्चा की और आखिर में एडीशनल ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर श्री रघुवीरसिंह ने फैसला दिया कि ट्रैक्टर की कुट्टी की मशीन के साथ कोई टैक्स नहीं है। मैं, सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रैक्टर की कुट्टी की मशीन के ऊपर कोई टैक्स नहीं था लेकिन इमर्जेन्सी के पीरियड के दौरान 12 लाख रुपया वसूल किया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन गरीब किसानों से जो टैक्स लेबी नहीं था, वसूल किया गया, उसके सम्बन्ध में क्या आपने आज तक इन्क्वायरी की है? मैंने पिछले सत्र के अन्दर भी इस सवाल को उठाया था और वित्त मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी करायी थी लेकिन आज तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह टैक्स, जो लेवी नहीं था, अधिकारियों ने वसूल किया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनको निलम्बित नहीं किया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति जी, आपके माध्यम से कि इस तरह से टैक्स गरीब किसानों से वसूल किया जाता है। पहले ट्रैक्टर ट्रोली पर कोई टैक्स नहीं था।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

गये साल यह टैक्स लगाया। यह दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान के किसानों के दुर्भाग्य की बात है कि हम को यह देखना पड़ रहा है। इसलिए यह सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के किसानों के प्रति हमारी जनता सरकार और हमारे वित्त मंत्री महोदय के दिल में कितना दर्द है या नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि जहां 30 हजार जीपें और कारें हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। दुगना, चौगुना टैक्स आप इनका कर सकते थे यह लग्जरी में आती है इसलिए नहीं बढ़ाया गया या यह जो बजट तैयार होकर आया है, जो प्रपोजल आए हैं वे प्रपोजल्स आई. ए. एस. ने तैयार किये हैं और जितनी भी गाड़ियां, कारें हैं, वे ज्यादातर आई. ए. एस. आफिसर के पास हैं। उन्होंने अपने ऊपर भार न लाद कर जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, जो गांवों में रहते हैं, जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती हैं, इस हाउस तक नहीं पहुंचती है, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि इतने प्रबल नहीं हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के ऊपर, उनके ट्रेक्टर ट्रोली के ऊपर टैक्स सरकार ने लगाया है। इस टैक्स को उठाना न्यायोचित है।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। स्कूटर पर टैक्स आपने एक साल पहले माफ किया उसको एक साल और आगे बढ़ाने की बात कही है उसके साथ ही साथ ट्रेक्टर ट्रोली की बात भी कह देते। मैं यह कहना चाहूंगा, जहां तक जनता सरकार का सवाल है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसकी जो यह नीति है कि कृषि पर बजट बढ़ाया जायगा, खेती की पैदावार को बढ़ाया जायगा, प्रोडक्शन को बढ़ाया जायगा, और हमारे मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत भी यह मानते हैं कि गरीबी की रेखा से 56 प्रतिशत नीचे हैं, सिद्धान्तत: जब यह मान लिया है कि 56 प्रतिशत गरीब हैं, प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान रहते हैं, तो किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो यह ट्रैक्स है, उसके लिए हाउस के सभी माननीय सदस्यों ने, सर्व सम्मत तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर माननीय सदस्यों ने यह मांग की है, इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, पुरजोर शब्दों में कहूंगा, राजस्थान के किसानों की जो तकलीफ है, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हुए फिर यह निवेदन करूंगा कि ट्रेक्टर ट्रोली पर जितना भी टैक्स है, उसको माफ किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि पहले ट्रेक्टर और ट्रोली का क्लासिफिकेशन किया हुआ था। जो ट्रेक्टर या ट्रोली कार्माशियल पर्पज के लिए चलाई जाती थीं उस पर टैक्स लगाया गया था और जो

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए थीं उन पर टैक्स नहीं था। लेकिन भूतपूर्व सरकार ने इमर्जेन्सी के पीरियड में इसमें तब्दीली की और समस्त ट्रैक्टर ट्रोली पर टैक्स लगा दिया। उसी का हमारी जनता सरकार ने समर्थन किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय, चाहें तो इस तरह का प्रावधान कर सकते हैं कि कामशियल पर्पजेज के लिए जो ट्रैक्टर ट्रोली रखते हैं उन पर टैक्स होगा और जो ट्रैक्टर ट्रोली किसानों के पास एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए हैं, उनका टैक्स माफ किया जायगा। इस प्रावधान से आपके बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि करीब करीब सभी विधायकों ने इसका विरोध किया है, यह आइटम खतम हो जाए, इस दृष्टि से इस टैक्स को ही खतम करने की घोषणा कर दें।

श्री सभापति : जब माननीय मंत्री महोदय स्टेटमेन्ट देंगे तो उस समय वे चाहेंगे तो घोषणा कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : सदन इस सवाल पर एक मत है··

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : एक मत नहीं है। (व्यवधान) इस सदन में मिस रिप्रेजेन्टेशन आफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए (व्यवधान) जो 70-80 हजार का ट्रैक्टर रखता है उस किसान को मैं समृद्ध मानता हूं (व्यवधान)।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये।

(व्यवधान)

आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तशरीफ रखिए।

श्री मदनसिंह दांता : कोई भी खड़ा होकर यह कह दे कि यह टैक्स वाजिब है?

श्री सूरजपाल सिंह : बैंक से कर्जा लेकर ट्रैक्टर लिया है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री रणजीत सिंह राठोड़ !

(अनुपस्थित)

श्री अयूब खां।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज।

(अनुपस्थित)

श्री मणिराम।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल।

(अनुपस्थित)

श्री डा. गंगासहाय।

(अनुपस्थित)

श्री हजारीमल।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री कुन्जीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री निर्मल कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण जी।

(अनुपस्थित)

**श्री मूलचन्द डागा** : बड़ी निराशा आ गई है, जनता पार्टी में। सब चले गये।

(व्यवधान)

**श्री मदन सिंह दांता** : माननीय वित्त मन्त्रीजी अनाउन्स कर दें।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, मोहन लाल शर्मा।

माननीय सदस्य, जीतमल जैन।

**श्री जीतमल जैन (अलवर)**: माननीय सभापति जी, मेरा कटौती प्रस्ताव....

**श्री मूलचन्द डागा** : आप अपनी जगह पर आकर बोलें।

**श्री जीतमल जैन** : मनोरंजन कर की राशि में से नगर परिषदों को और अधिक अनुदान दिये जाने पर चर्चा के लिये है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि आज तक जो आमदनी का उपयोग है उसका 7 वां हिस्सा पूरा हो जाता है। उनके पास ज्यादा नहीं बच पाता है। इसी प्रकार से शहरों के बारे में जो व्यवस्था का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में इस सदन में प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। मनोरंजन कर का 6 वां हिस्सा वास्तव में शहरों की नगरपालिकाओं से मिलता है। वह नगर परिषदों को दिया जाना चाहिए ताकि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर में एक तेज सिनेमा के मालिक हैं। उनके अन्दर हजारों रुपया टैक्स का बकाया है। इसका मतलब यह है कि कर की बकाया का हजारों रुपया बढ़ा दिया जाता है फिर उसमें गड़बड़ी होती है। सभापति महोदय, इसी प्रकार से करों की चोरी होती है। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि करों की वसूली के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए।

ट्रोली पर से टैक्स हटाने के बारे में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं भी उनका समर्थन करूंगा कि यह टैक्स समाप्त कर दिया जाये। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस कर को वापस लेकर जनभावनाओं का आदर करें।

**श्री सभापति** : श्री गुरु शरण जी।

**श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़)** : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

**श्री श्रवणलाल** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

(श्री श्रवण लाल)

माननीय सदस्य, ट्रेजरी बेंचेज से बोल रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : क्या मालूम कल मिनिस्टर हो सकते हैं।

**श्री सभापति** : आप बोलिए।

**श्री गुरु शरण छाबडा** : सभापति महोदय, जब भी चर्चा होती है तो समाजवाद का नाम लिया जाता है। रेलों में भी थर्ड क्लास समाप्त कर दिया गया है। सुविधाएं वही हैं लेकिन थर्ड क्लास के बजाय उसको सैकण्ड क्लास बना दिया है। क्या हमारी सरकार भी वैसा ही करने जा रही है? समाजवाद के नाम पर, राष्ट्रीयकरण के नाम पर जो सुविधा दी जा रही है, वह किस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं?

**श्री मूलचन्द डागा** : वाह, वाह।

**श्री गुरु शरण छाबडा** : एक समय था जब कि पूंजीपतियों की मोनोपली चलती थी। उसके कारण जनता पीड़ित थी। भेड़ों और पशुओं की तरह से बसों में जनता को ले जाया जाता था। बसों में छोटी-छोटी सीटें थी। उनका एकाधिकार समाप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है। वह एकाधिकार समाप्त किया गया लेकिन सरकारी एकाधिकार और सरकारी मोनोपाली थोप दी गई है। आज सरकारी बसों में भी भेड़ बकरियों की तरह से लोगों को भर दिया जाता है। इन बसों में टूटी-फूटी खिड़कियां हैं। मुझे यह कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि आज राष्ट्रीयकरण से जनता परेशान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्रीयकरण और प्राइवेट एजेन्सी के अन्दर 60% और 40% अनुपात की कम्पीटीशन नीति को लागू किया जाये। इससे जो प्राइवेट बसें होंगी, उनके मालिक भी अपनी बसों को सुधार कर लायेंगे और जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। उनको भी बसों को सुधारना होगा। आज तो कण्डक्टर टिकट नहीं देते हैं। नौजवान बात करते हैं तो उनसे झगड़ा हो जाता है। वह स्ट्राइक कर देते हैं रोडवेज की जो मोनोपाली है, उसी से यह स्थिति पैदा हो जाती है। यदि 60% और 40% की नीति कम्पीटीशन की नीति अपनायेंगे तो अगर वह स्ट्राइक करेंगे तो जनता की कठिनाई को खतम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति पर पुनर्विचार करे और 60% और 40% का अनुपात लागू किया जाये

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

**श्री गुरुशरण छाबड़ा** : जिन रास्तों का आज भी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, वहां प्राइवेट एजेंसी का एकाधिकार बना हुआ है। एक व्यक्ति को चार चार परमिट मिले हुए हैं लेकिन वह एक ही बस चलाता है। भेड़ बकरियों की तरह से लोगों को ठूंस कर ले जाते हैं, वहां भी रोडवेज की बसें चलाई जावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अतिरिक्त मुझे खेद है कि हमारी सरकार ने महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जो महिलाएं यात्रा करती हैं, उनके लिए सीटों में रिजर्वेशन रखा जाये। महिलाओं के साथ में बच्चे भी होते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बराये करम बोलने दीजिए।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : जो महिलाएं यात्रा करती हैं, उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे जेवरात पहने होते हैं। महिलाएं खड़ी खड़ी यात्रा करती हैं तो उनको कितनी परेशानी होती है। मेरा सुझाव है कि रोडवेज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ताकि उनकी कठिनाई समाप्त हो।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य अभी कुंआरे हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि ट्रोली पर जो 4 प्रतिशत टैक्स है, वह बहुत अधिक नहीं है। जो आपकी समानान्तर सरकार है, पुलिस वह भ्रष्टाचार चला रही है। आप साढ़े 4 सौ रुपये की बात करते हैं लेकिन जो समानान्तर सरकार के सिपाही हैं, वह लोग गरीब किसानों से 900 रुपया वसूल करेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि सदन की राय को मद्देनजर रखते हुए इस टैक्स को समाप्त किया जाय।

श्री सभापति : श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : माननीय सभापति महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव पेश करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि फलोदी तहसील क्षेत्र में बसें बहुत ही नगण्य संख्या में चलायी जा रही हैं। कुल मिलाकर फलोदी तहसील के अन्दर 150 गांव हैं जिनमें मुश्किल से 40 गांवों में बसें जाती हैं और अधिकांश स्थानों पर बसें जाने के बावजूद उन स्थानों के लिए मैं खास तौर से यह अर्ज करूंगा कि वे गांव बस स्टेण्ड से बहुत दूर हैं। उन गांवों में पहले निजी बसें जाती थीं लेकिन अब वहां पर रोडवेज की बसें भी नहीं जाती हैं इसलिए उनको राष्ट्रीयकरण का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि सारे गांवों में बसों के पहुंचने की व्यवस्था की जाय या फिर निजी बस मालिकों को वहां पर बसें ले जाने की छूट देकर उनको इजाजत दी जाय। जहां तक बसों में सवारियां अधिक ले जाने की बात है, वह तो आज मान लिया गया है कि ऐसा होता है। पिछले दिनों जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र की तरफ गया था तो वापस आते समय यात्रियों ने मुझसे कहा कि सुबह से रामदेवरा से फलोदी की तरफ जाने वाली एक भी बस नहीं रुकी है। मुझको मजबूर होकर सड़क के मध्य में खड़ा होना पड़ा, तब बस को रुकवाने में सफल हुआ और सारे यात्रियों को उसमें बिठाया।

श्री मूलचन्द डागा : एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। आप चूंकि नये आये हुए हैं, उनका तो स्वागत करता हूं लेकिन सवाल यह है कि मांग संख्या 12 टैक्सेशन के बारे में है, उसमें कर दिया है, सवारियों पर कर तो...

(5.33 सायं)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

(श्री मूलचन्द डागा)

जो मांग चल रही है डिमाण्ड नं. 12 उस पर आप बोल रहे हैं वह है सवारियों पर कर। लेकिन आप कह रहे हैं, बसें नहीं चलती हैं और वैसा होता है, यह सवाल नहीं है। यह, श्रीमन्, केवल टैक्सेशन पर है, आप देख लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : जहां तक हमारे को आदेश मिला है कटौती प्रस्ताव से सम्बन्धित जो चीजें हैं वह रख सकते है। इसलिए माननीय सदस्य को हक है वह बोल सकते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य डागाजी ने कोई खास बात नहीं कही।

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं निवेदन कर रहा था मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह यही है कि बसें अधिकांश गांवों में नहीं जाती हैं। उसी सम्बन्ध में बोल रहा था।

जहां तक टैक्सों की चोरी का सवाल है और भ्रष्टाचार का सवाल है, वह होता है और टैक्स की चोरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से रेलवे में संसद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में चैकिंग का अधिकार एक विशेष कार्य के लिये दे रखा है उसी प्रकार से यह अधिकार विधान सभा के माननीय सदस्यों को अगर रोडवेज की तरफ से दिया जाय तो मैं मानता हूं कि........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भ्रष्टाचार में कमी आयेगी। मेरा यही कटौती प्रस्ताव है।

श्री मूलचन्द डागा : विरोधी दल वालों को दिया जाय।

श्री सभापति : श्री नरेन्द्रपालसिंह।

(अनुपस्थिति)

कृपया आपस में बातें न करें।

श्री मन्जूर अली।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : श्री मंजूर अली।

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : जनाबे सदरे मोहतरम, इस हाउस के जितने भी स्पीकर साहबान बोले हैं, जितनी भी स्पीचेज यहां हुई हैं उनमें समाजवाद की तरफ जाने की एक दिशा चाही गई है, इसलिए मैं उनकी ताईद करता हूं। हमने जो बातें इलेक्शन मेनीफेस्टो में कही और जो मिनिस्टर साहबान ने भाषण दिये उसी के मुताबिक अमली तौर पर फैक्ट्स और फिगर्स सामने आयें तो हमें ताईद करनी चाहिए। मैं उसी बात को इस तरह से कहना चाहता हूं और स्पेसिफिक सुझाव देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो अन्त्योदय योजना चलाई है, अगर इस बजट को भी अन्त्योदय बजट मान लिया जाय तो इसके लिए कुछ न कुछ स्पेसिफिकली तय करना पड़ेगा जिससे ऐसा लगे कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। मालदारों को और मालदार होने से रोकने और गरीबों को ऊपर उठाने की बात हमको करनी पड़ेगी। मैं इस बात की ताईद करता हूं कि ट्रेक्टर और ट्रोली पर टैक्स माफ

(श्री मन्जूर अली)

किया जाय। ट्रैक्टर को बैल माना जाय और ट्रोली को गाड़ी यानि बैल गाड़ी मानकर इस पर टैक्स माफ किया जाय। दोनों मिल कर बैलगाड़ी बनती है। दोनों को ही मोटर व्हिकल में से निकाल दिया जाय और किसी दूसरे तरीके से इस टैक्स की कमी को पूरा किया जाय। जिन लोगों का स्टेण्डर्ड आफ लिविंग हाई है, जो तीस तीस रुपयों का रोजाना पैट्रोल कार में जला देते है उन पर टैक्स डबल कर दिया जाय। उन पर पचास पैसे से ज्यादा टैक्स नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप प्राइवेट कारों पर टैक्स बढ़ाकर दुगुना कर देते है तो ट्रेक्टर और ट्रोली से होने वाली आमदनी की कमी पूरी हो जावेगी।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री होती है उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो इन्कम टैक्स पेयर नहीं हैं, उनके लिए वह ड्यूटी एक पर्टीक्यूलर लिमिट तक खतम होनी चाहिए।

एण्टरटेनमेन्ट टैक्स वाकई लोकल बॉडीज के सुपुर्द कर देना चाहिए। मैं आपके सामने सवाई माधोपुर की एक समस्या रखता हूं वहां पर एक नाला है जो हर बरसात में पांच सात घर बहाकर ले जाता है। उसके लिए कई बार पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन के एक्स. ई. एन. को प्लान बनाने के लिये कहा, दस लाख का प्लान बनाया परन्तु फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से एक साथ 10 लाख की मंजूरी की उम्मीद नही थी इसलिए पांच लाख के प्रपोजल भेजे और फिर दूसरे साल इसी तरह से भेजेंगे। सवाई माधोपुर का एन्टरटेनमेन्ट टैक्स सरकार में आ जावे और फिर सरकार से वापस नगरपालिका को दिया जाय। इसमें कोई सेंस नहीं है। इसलिए इस किस्म के जो एण्टरटेनमेन्ट टैक्स वगैरह हैं वह लोकल बॉडीज के सुपुर्द कर देने चाहिए ताकि उनकी अपनी जरूरतें बालाबाला पूरी हो जावे।

दूसरा मेरा स्पेसिफिक सुझाव यह है कि अन्त्योदय प्रोग्राम मे हम हकीकत में गरीबों का भला चाहते हैं तो यह भी घोषणा करनी चाहिए कि दस किलोमीटर तक जो सफर करेगा उस पर टैक्स नहीं रहेगा, उसको किराया तो देना पड़ेगा लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चूंकि यह छोटा सफर वही लोग करते हैं जो गांवों में रहते है। उनसे लाखों रुपए लैंड रेवेन्यू सरकार वसूल करती है। परसों मैं जयपुर से बाहर जा रहा था, मैंने चांदपोल से स्टेशन जाने वाली सड़क देखी, वहां दुबारा डामर हो रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन 6 इंच मोटी सड़क बनाई जा रही है। तो जहां पर कुछ कारें घूमती हैं, जिनका स्टेंडर्ड आफ लिविंग अच्छा है, गरीबों की कमाई से 10 गुना ज्यादा है, उनके लिए उमदा सड़क बन रही है। जो करोड़ों रुपये लैंड रेवेन्यू की शक्ल में देते हैं उनके लिए कच्ची सड़कें भी नहीं हैं। इसलिए गांवों में सड़कें बनाई जावें। उनके लिए कुछ पर्टीक्यूलर लिमिट तक जर्नी टैक्स माफ किया जाए, पर्टीक्यूलर लिमिट तक स्टाम्प ड्यूटी माफ की जाए, जो आयकर नहीं देते, जैसे कच्चा मकान फरोख्त किया कीमत उसकी एक हजार रुपए तक है, जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा है 400-500 रुपए का एक पर्टीक्यूलर लिमिट तक पाने

(श्री मन्जूर अली)
एक हजार रुपए के सेल डीड तक, उन आदमियों के दरम्यान जो सौदे होते हैं, जो इन्कम टैक्स नहीं देते, उन पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए।

जहां तक मोटर व्हिकल्स का सवाल है और बसों का ताल्लुक है, मुझे मालूम हुआ, 4 रूट्स ऐसे हैं जिनको परमिट्स मिली हैं लेकिन बसें कुछ फासले तक जाकर खतम हो जाती हैं, आगे नहीं जातीं। आप इस पर गौर करें ताकि गांव वालों में जो खयाल है कि कानून का अमल नहीं होता, कहने से क्या फायदा, वह गलतफहमी मिट जाए। सवाई माधोपुर से रामेश्वर तक परमिट है लेकिन बस खंडार तक ही जाती है आगे नहीं। एक परमिट है सवाई माधोपुर से नए पुरतलावड़ा, वह भी कुछ फासले तक जाकर खतम हो जाती है। तो यह देखना चाहिए कि जिनको परमिट दिया जाता है वे इन्टीरियर में पहुंच सकें। वे तो बीच में जाकर खतम हो जाती हैं। हमने देखा है कि जो छोटे टुकड़ों में रोडवेज की बसें चल रही हैं उनसे गांव वालों को फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि परेशानी हुई है। जयपुर व टौंक, टौंक व सवाई माधोपुर के बीच 55 सीटों की बसें हैं लेकिन 75-76 से कम सवारियां नहीं होतीं। इससे बेहतर है जिला हैडक्वार्टर्स के 50 किलोमीटर्स के फासले के रूट्स हैं वहां छोटी छोटी बसें चलती हैं, वहां प्राइवेट बसें ही रहने दें नहीं तो तमाम आपरेटर्स और ड्राइवर्स बेरोजगार हो जायेंगे। आज छोटे रूट्स पर यह राष्ट्रीयकरण की जो हवा पैदा हो रही है, इस पर गंभीरता से सोचें, संजीदगी से सोचें, जितना सोसाइटी के लिए बेनीफिशियल हो उतना ही करें। बसों में हो रही बेजाब्तगियों को रोकें वरना पब्लिक को राष्ट्रीयकरण स्कीम से ही नफरत हो जावेगी।

श्री सभापति : श्री श्रवण लाल!

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : सभापति महोदय, मांग संख्या 12 पर मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं। इनमें मुख्यतः विभाग की ओर से करों की वसूली एवं मनमाने ढंग से करों की वसूली करने और करदाताओं से ले देकर रफा दफा करने के विषय में हैं। अगर आंकड़े उठाकर देखे जायं तो पिछली बकाया जो है करों की, वह करोड़ों रुपये के आसपास चलती आ रही है। इसी तरह से जो प्राइवेट ओनर्स थे जिनकी प्राइवेट गाड़ियां चलती थीं, अगर उनके बारे में भी मालूम किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में टैक्स की बकाया निकलती हुई चली आ रही है जिसको पिछली सरकार चाहे हमारी सरकार वसूल करने में असमर्थ है। कुछ टैक्सेज ऐसे होते हैं कि प्राइवेट ओनर्स अपनी गाड़ियों का कुछ अधिकारियों का संरक्षण मिलने के कारण टैक्स जमा नहीं कराते हैं, उनकी गाड़ियां बगैर टोकन के, बगैर टैक्स जमा कराए कई महीने व सालों तक निकल जाती हैं। अंत में नतीजा होता है कि गाड़ियों के मालिक खोखले हो जाते हैं और गाड़ी पर इतना टैक्स इकट्ठा हो जाता है कि वह उससे मुक्ति पाने के लिए गाड़ी को ही छोड़ देता है। ऐसी गाड़ियां आप देखेंगे जलेबी चौक में और कई जगह पुलिस थानों पर व अन्य जगह मिल जायेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह जो टोकन दिया जाता है वह उस समय तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक पिछला कर जो किसी भी तरह

(श्री श्रवण लाल)

का है, उससे वसूल न हो जाए। तब तक उसको कोई परमिट भी नहीं दिया जाना चाहिए।

इस टैक्स के बारे में जहां तक आर. टी. ओ. का सवाल है, उनका माहवारी बंधा हुआ है। उदाहरण के लिए हमारे हिण्डौन यूनिट में 500-700 गाड़ियां हैं, उनके अन्दर खाली प्लेट लगी हुई हैं हिण्डौन ट्रक यूनियन। उनको अधिकारियों का इतना संरक्षण है कि यदि किसी ट्रक ने गड़बड़ी की तो इन्सपेक्टर फौरन यूनियन को इत्तला कर देता है कि इस तरह की बात हो रही है, आपने मन्थली पहुंचाने में देरी की है। अगर समय पर नहीं पहुंचाया तो आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है या किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए जो इस प्रकार की धांधली टैक्स के बारे में आर. टी. ओ. व अन्य अधिकारी मिलकर करते हैं, उसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। आशा है मंत्री महोदय इस धांधली को मिटाने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, इसी तरह से राष्ट्रीयकरण का सवाल है। हमारी पिछली सरकार ने यहां पर राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया और अपनाने के बाद में आज नहीं है। उसी के अनुसार हमारी सरकार भी राष्ट्रीयकरण की नीति को आधार मान कर चल रही है। मैं कोई राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन एक सुझाव देना चाहता हूं कि नए नए रूट्स राष्ट्रीयकरण के नाम पर लेते जा रहे हैं, जगह जगह नोटिस देकर राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं लेकिन बसों की हालत यह है कि हिण्डौन सब डिवीजन में 80 प्रतिशत सवारियां ट्रकों के द्वारा सफर करती हैं। उसका मूल कारण यह है कि जो टूटी फूटी बसें हैं वही चलती हैं। डिपो मैनेजर ने प्राइवेट बसों के मालिकों से सांठ-गांठ कर रखी है, वे आए दिन सवारियां भरकर ले जाते हैं। उस सब डिवीजन में नए नए रूट्स लेने जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियां हैं नहीं। एक भी गाड़ी ऐसी डिपो में नहीं है जिसका आए दिन ब्रेक डाउन न होता हो।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कोर्ट्स में पेशियों पर जाना होता है तो वह वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यह है कि रोडवेज की बसों वाले जहां बस स्टाप होता है वहां नहीं रोकते हैं। वे बस स्टाप से एक फर्लांग पहले या एक फर्लांग आगे जाकर रोकते हैं। इस कारण सवारियों को बसों में बैठने के लिए भागना पड़ता है। इस भागा दौड़ी में अक्सर गाड़ियां रवाना हो जाती हैं और लोग अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रोडवेज की बसें जो कि करौली से जयपुर, करौली से अजमेर तथा करौली से महावीरजी तक जाती हैं वह रास्ते की सवारियों को भी नहीं लेती हैं। कई बार तो छोटे छोटे गांवों में लोग सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। जब बसेज सवारी नहीं लेती है तो बेचारे यात्रियों को वापस आना पड़ता है।

(श्री श्रवण लाल)

सभापति महोदय, जब माननीय यातायात मन्त्री जी हिन्डौन पधारे थे तो मैंने उन्हें यह सारी स्थिति मौके पर ले जाकर दिखायी थी। उन्हें कहा था कि इस बारे में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। पर खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे छोटे छोटे रूट्स पर सी. टी. एस. की बसों की तरह बसें चलायी जानी चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्र में यात्रियों को सुविधा मिल सके। अगर आप इस तरह की लोकल बसेज चलायेंगे तो जनता की काफी परेशानी दूर हो सकेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के यातायात मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके लिये मैंने एक डी. ओ. लैटर भी लिखा है लेकिन अभी तक उस डी. ओ. लैटर का कोई जवाब नहीं आया।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर राज्य सरकार विशेष तौर से ध्यान दे। वहां जो हालत बसों की है उसमें सुधार किया जाये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप रूट्स का नेशनलाइजेशन भले ही करें, उसके खिलाफ मैं नहीं हूं लेकिन कम से कम आपको यात्रियों की सुविधा के लिये बसों की संख्या तो बढ़ानी चाहिये। नहीं तो आज यात्रियों को परेशान होकर ट्रकों में बैठ कर जाना पड़ता है और आपकी जो रोडवेज की कमाई है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिये राज्य सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

सभापति महोदय, इसके अलावा थोड़ा मैं ट्रैक्टर ट्रोली के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। वैसे जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया कि ट्रैक्टर ट्रोली पर जो टैक्स लगाया गया है उसको हटाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, अभी वित्त मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो काफी देहातों में भ्रमण कर चुके हैं, देहातों की समस्याओं से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं इसलिए आपको तो उन समस्याओं को देखते हुए ट्रैक्टर ट्रोली पर जो टैक्स लगाया है उसे समाप्त करना ही चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मेरे कटौती प्रस्तावों की तरफ दिलाना चाहूंगा और यह राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आप ट्रैक्टर ट्रोली पर से टैक्स हटाने की कृपा करें।

**श्री सभापति** : श्री केदारनाथ !

**श्री केदारनाथ (यातायात मन्त्री)** : सभापति महोदय, आज वाहनों पर कर और अन्य करों की डिमाण्ड्स पर 71 कट मोशन

(118)



(श्री केदार नाथ)
पेश किये गये और 27 माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में हिस्सा लिया। मान्यवर, वाद-विवाद के दौरान कई माननीय सदस्यों ने रोडवेज की ट्रान्सपोर्ट पोलिसी के बारे में कई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये। कई सदस्यों ने नेशनलाइजेशन की पोलिसी पर अपने सुझाव दिये। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे इसके बारे में दिये। मान्यवर, रोडवेज की ट्रान्सपोर्ट की जो पोलिसी है उसके बारे में काफी दिनों के बाद मुझे माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले। इसमें कोई शक नहीं, मान्यवर, हमारे रोडवेज में कमियां हैं। माननीय सदस्यों ने यहां पर जिन कमियों को बताया है उनको मैं भी महसूस करता हूं। जो सख्ती इसमें होनी चाहिए वह सख्ती नहीं होने से हमारे नेशनलाइजेशन की गति में कमी है।

मान्यवर, नेशनलाइजेशन की पोलिसी के अनुसार रोडवेज की बसें चलाने का पिछली सरकार ने फैसला किया था। इसमे कोई शक नहीं है कि पिछली सरकार की मन्शा, पिछली सरकार का मकसद बहुत अच्छा था। लेकिन राष्ट्रीयकरण की गति में जो कमी है उसका कारण यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की खरीद में पूरा फाइनेन्सेज नहीं मिलने की वजह से कम ध्यान दिया गया। इसलिए जितना नेशनलाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मान्यवर, यही कारण है कि लोगों में जो विश्वास पैदा होना चाहिए था वह पैदा नहीं हो सका। जो मैन पावर इसमें होनी चाहिए थी, मान्यवर, वह भी नहीं हुई। सर्विस आॅफ पर्सनल होनी चाहिए थी वह इन्हीं कारणों से इसमें नहीं हो पायी है।

मान्यवर, मुझे यह कहते हुए खुशी महसूस होती है कि इमर्जेन्सी के दौरान करीब दो हजार कन्डक्टर्स थे जिनको निकाल दिया गया था। उनमें से कन्डक्टर्स को सर्विसेज में वापस ले लिया। मान्यवर, इसके साथ मैं यह भी यहां पर कहना उचित समझूंगा कि इम्प्रूवमेंट इस रोडवेज में नहीं हुआ उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि लोगों से अपने अण्डरटेकिंग के लिए जो रेस्पोन्स मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। कारण उसका है जो लोग इस अन्डरटेकिंग में हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल पाता। लोगों को सही स्टेटस नहीं मिलने से भी इसमें कमियां हैं। मान्यवर, अब इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। हमने लोगों में रेस्पोन्स की फीलिंग पैदा करने के लिए कुछ इन्सेन्टिव्स भी देने की कार्यवाही कर रहे हैं।

मान्यवर, आज यहां पर यह कहा गया कि रोडवेज में चोरियां होती हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार इसमें है। यह मुझे भी कहने में कोई संकोच भी नहीं है। इसको खतम करने के लिए जैसा कि मुझे विश्वास था उसके अनुसार भ्रष्टाचार खतम नहीं हुआ। अब उन लोगों में यह भावना पैदा की जा रही है कि आपका ही कार्पोरेशन है, आपकी अन्डरटेकिंग है। इसके लिए हम दो व्यक्ति अलग-अलग ट्रेड यूनियन्स के निगम के अन्दर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में नोमीनेट करेंगे। उनका दो साल का टर्म भी होगा। इससे उन लोगों के मन में यह भावना पैदा होगी कि अन्डरटेकिंग उन्हीं की है। उनको इन्सेन्टिव्स भी दिये जायेंगे।

इसके अलावा यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि रोडवेज के कर्मचारी

(श्री केदारनाथ)
और अधिकारी लोग एम. एल. एज. की सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं सभी सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई कम्पलेन्ट हो तो आप मुझे दें। अगर कोई रोडवेज का अधिकारी दोषी पाया गया तो मैं उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। वैसे तो दोषी पाये जाने की कोई बात नहीं है, मैं तो आप लोग एम. एल. एज. साहबान कम्पलेन्ट करते हैं उसको सही कम्पलेन्ट ही मानता हूं। अब अगर कोई कम्पलेन्ट होगी भी तो मैं उसकी रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से इन्क्वायरी करा कर एक्शन लूंगा।

मान्यवर, मैं यह नहीं कहता हूं कि रोडवेज में करप्शन नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि रोडवेज में बदइन्तजामी नहीं है। उसमें कमियां हैं, मान्यवर, पर इन कमियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ समय तो हमें मिलना ही चाहिए। रोडवेज का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन् 64 में, उस समय रोडवेज के पास में 431 बसें थी। आज उसके अगेंस्ट में हमारे पास 1730 बसेज हैं। यह हमारी असेट है, मान्यवर। इसके अलावा हमारी बसें राजस्थान में ही नहीं बल्कि और सभी जगह पर मिला कर करीब 3 लाख 60 हजार किलो मीटर तक चलती हैं। इसके अलावा रोडवेज के सभी कर्मचारियों की संख्या मिलाकर 11 हजार 352 है। करीब 3 लाख 93 हजार यात्री रोडवेज की बसों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं। तो इसमें, मान्यवर, आप देख ही रहे हैं कि प्रोग्रेस हुई है। पर इसके साथ साथ, मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि रोडवेज हमारी लोस में चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि रोडवेज में घाटा है। मान्यवर, जहां सन् 77 में संशोधित आय रोडवेज की 24 करोड़ 92 लाख रुपये थी, वहां पर खर्चा रोडवेज में 25 करोड़ 20 लाख रुपये का हुआ है। यह मैं आपके सामने घाटे के आंकड़े पेश कर रहा हूं। मान्यवर, इसका कारण यह है कि हमारे यहां प्रति किलोमीटर इनकम तो है 1 रुपया 72 पैसे और खर्चा है 1 रुपया 80 पैसे। जो घाटा है, उस घाटे को कैसे समाप्त किया जाये इसके लिये हमने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठायी है। उसमें यह देखना है कि क्या इसके अन्दर तबदीली की जाय, क्या चैन्जेज के करने से इसमें इम्प्रूवमेन्ट हो सकता है। हम ड्राइवर और दूसरे लोगों को इन्सेन्टिव्स भी देंगे ताकि वह लोग इसमें बचत करने में हाथ बटा सकें। जब उनको पता पड़ेगा कि उनको भी पैसा मिल सकता है बचत करने से तो जरूर इसमें इन्ट्रेस्ट लेंगे, जैसे टायरों के खराब होने में बचत करके। इसके अलावा भी कुछ इन्सेन्टिव स्कीम्स चालू करेंगे।

आजकल रोडवेज में 41 डिपोज हैं। प्रत्येक डिपो के टार्गेट फिक्स कर दिये जायेंगे। जिस डिपो का अच्छा काम होगा उसे इन्सेन्टिव दिया जायेगा। इसके साथ, मान्यवर, यह भी देखेंगे कि जहां नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उस नुकसान को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिये भी कदम उठाये जायेंगे।

तीसरी बात, ट्रेनिंग देने का हमने फैसला किया है। इसलिये एक अजमेर में

(श्री केदारनाथ)
सेन्टर कायम करने का भी फैसला कर लिया गया है। रोडवेज के नेशनलाइजेशन को बिना ट्रेनिंग दिये कोप नहीं किया जा सकेगा इसलिये इसकी जरूरत को समझते हुए यह फैसला किया गया है।

ये तीन चार बातें हैं। यह भी फैसला किया गया है कि हम वर्क शाप्स को एक्सटेन्ड करेंगे। देहात में भी वर्कशाप कायम करेंगे। आज जो स्थिति है उसके अनुसार वर्क शाप्स कोप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये हमने इसका भी फैसला किया है कि जितनी भी हमारी बसेज हैं, उनके 10 पर्सेन्ट पार्ट्स यहां असेम्बल होने चाहिये। स्पेयर पार्ट्स हमारे पास हों और यदि इन्जन को बदलने की जरूरत हो तो इन्जन को ही बदल दिया जाय इस प्रकार की वर्क शाप में हमारी तैयारी होनी चाहिये। यह भी जरूरी है कि यह सब इस आसानी से संभव हो कि कोई देरी न हो।

टेलीप्रिन्टर्स लगाने का भी हमने फैसला किया है। दूर दूर इलाके हैं, स्पेयर पार्ट्स भेज नहीं सकते हैं। वहां पर यदि टैलेक्स लगा दिये जायें तो हमें इत्तला मिल जाय कि किस बस को कितनी जरूरत है। इससे एक एश्योर्ड सप्लाई हो जावेगी। जो भी मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स हमारे पास हैं उनके द्वारा हम सप्लाई कोप कर पायें तो जो खराबी हम महसूस करते हैं, बस खड़ी हो जाती है रास्ते में, उन सारी बातों को हम दूर कर पायेंगे।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं, यह भी फैसला किया है कि 3 नान-आफिशियल को और 2 स्टेट लेवल के नुमाइन्दे एम.एल.ए.,एम.पी. को भी कोर्पोरेशन में शामिल किया जाय जिससे जब कभी उस की बैठक हो तो उनकी भी हमको सलाह मिलती रहे। एम.एल.ए. को हम चैकिंग के रूप में भी पावर देंगे ताकि चैकिंग एजेन्सी में भी भय व्याप्त हो जाय और उनमें एक तरह से चुस्ती आ जाय। एम.एल.ए. अपने इलाके के प्रतिनिधि हैं, वे अपने इलाके में घूमते रहते हैं, इलाके में उनकी गुडनेस और इन्टेग्रिटी में सब को विश्वास होता है, हरएक आफिसर और मन्त्रिमण्डल का भी विश्वास होना है, ऐसे लोगों का कोआपरेशन इसमें लेंगे।

सब ही माननीय सदस्यों ने सिवाय एक माननीय सदस्य के यह भी कहा कि राष्ट्रीयकरण की पालिसी ठीक है। जब राष्ट्रीयकरण की पालिसी को मानते हैं आज की सोशियो इकोनामी के हालात में तो कुछ बसेज समय पर नहीं पहुंचें, कुछ कन्डक्टर्स का बिहेवियर भी खराब होता है, प्राइवेट पब्लिक बसेज में बहुत फर्क है इन सारे हालात को देखते हुए और जो सैटल्ड प्रिन्सिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चरल बेस पर चलना पड़ेगा। ज्यादा न कहते हुए मैं खुद मानता हूं कि रोडवेज की हालत ठीक नहीं है। इस डिपार्टमेन्ट में दो टायर हैं। मेरे पास पोर्टफोलियोज कम हैं इसलिये यदि यह जरूरी हुआ कि ज्यादा टाइम दिया जाय तो ज्यादा टाइम दिया जावेगा। यूनियन के साथी लोग हैं उनके इलेक्शन होते हैं। ड्राइवर कन्डक्टर में यह भावना पैदा हो जाय कि ये हमारी बसेज हैं तो जो आज दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हैं वे दूर होंगी। वे यह समझकर चलेंगे कि हमें सरकार

(श्री केदारनाथ)
अपने विश्वास में लेकर चलती है, कार्पोरेशन हमें विश्वास में लेकर चलता है।

लोगों ने यह भी कहा कि बसें कम हैं। झालावाड़, टोंक, मांडलगढ़, जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर डिपो की हालत खराब है। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। शुरू-शुरू में रोडवेज को तीन महीने तक हड़तालों का सामना करना पड़ा। स्टूडेन्ट्स और हमारे एम्प्लाइज में क्लेश पैदा हो गया। इस प्रकार तीन चार महीने का पीरियड निकला। अब शांति है। दोनों ही मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण की पोलिसी को मान कर चलना है। जितनी यूनियनें काम कर रही हैं उनमें यह धारणा है कि राष्ट्रीयकरण की पोलिसी सफल हो। हमें उनका सहयोग मिलेगा।

हर वर्ष 8 पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण और बढ़ेगा। जो सबसे बड़ी कमी हम महसूस करते हैं वह है ट्रेन्ड मैनपावर की कमी। ट्रेन्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है। आज हमें सैन्टर से सबसे कम पैसा मिलता है। टोटल खर्चा हुआ है उसमें 19 पर्सेन्ट गवर्नमेन्ट का शेयर है और सैन्टर का 6 पर्सेन्ट है। रेश्यो 2:1 का है। हमारी गवर्नमेन्ट रोडवेज को तीन-चार साल तक पैसा दे नहीं पायी है सैन्टर का कन्ट्रीब्यूशन है वह इक्विटी केपिटल कन्ट्रीब्यूशन है। कम मिलता है। सैन्टर से कम मिलता है और स्टेट का इसमें ज्यादा शेयर है। खर्चा ज्यादा है। इसके साथ साथ सड़कों की जो हालत है वह आप जानते हैं। ये जितने रूट्स लिये हैं हमने, इसके साथ साथ जो एक प्रेक्टिकल व्यू लेना चाहिये वह नहीं लिया गया है। एक रूट लेते हैं तो उसके साथ जितनी मिली हुई सड़के हैं, आफ रूट्स हैं उनको भी लेना चाहिये। कहीं 20 मील का टुकड़ा है वह छोड़ दिया, आगे ले लिया। उस 20 मील के टुकड़े पर प्राइवेट बस वाले तो अपनी बस चलाते नहीं और आप भी चलाते नहीं इसलिये आम लोगों को नुकसान हुआ। इसलिये हम चाहते हैं कि इकानामिक कन्डीशन्स भी ठीक हों। यदि और रूट्स को भी ले लिया जाय तो और सारे एरिया की इकोनामिक कन्डीशन्स को भी ठीक कर पायेंगे तो इन सारे हालातों को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ऐसे एलाइड रूट्स हैं उनको हम ले लेंगे। यह जो मैंने एक प्रेक्टिकल व्यू आपके सामने रखा है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमारे में कमजोरी है या हम राष्ट्रीयकरण की पोलिसी को निभाना नहीं चाहते हैं, यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं।

प्राइवेट बसेज के लिये भी बहुत कहा। यह भी कहा कि इनमें बहुत बड़ा घपला है, 1 करोड़ 19 लाख की इनके अन्दर बकाया है। 50 लाख रुपया तो रिकवर हो गया और बाकी ऐसा है जो कि रिकवर होने वाला नहीं है। बसेज टूटी फूटी हैं, कुछ छोड़ कर चले गये हैं। रोडवेज में 3 करोड़ 56 लाख हैं। हमने 1 करोड़ दे दिया है। 50 लाख और दे देंगे। नेक्स्ट ईयर स्टेट गवर्नमेन्ट दे रही है उसमें भी मेकअप हो जावेगा।

इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जितनी प्राइवेट बसेज हैं उनका स्कोप बढ़ाया जावेगा। पाथ इनके दिमाग में यह

(श्री केदारनाथ)

अनसर्टेन्टी है कि आयन्दा कौनसा रूट सरकार नेशनलाइज कर दे इसलिए हम क्यों नयी बसें डालें उन रूट्स पर जहां कि अभी रोडवेज की बसेज नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस हाउस के सेशन के दौरान ही माननीय सदस्यों के सहयोग से यह निश्चित कर दिया जावेगा कि कौन से रूट्स नेशनलाइज करने हैं ताकि प्राइवेट बसेज वालों के दिमाग में अनसर्टेन्टी न रहे। अनसर्टेन्टी की वजह से वे नयी बसेज आज नहीं डालना चाहते हैं उस अनसर्टेन्टी को हम मिटा देंगे उनको कान्फिडेन्स में लेकर कि कौनसा रूट नेशानलाइज होगा और कौनसा उनके लिए छोड़ देंगे और उनकी बसेज को लेना भी है तो उनको, उनके स्पेयर पार्ट्स आदि को देखते हुए, इकानामिकल है या नहीं इन सब बातों को देखते हुए, विथ इन्ट्रेस्ट हम उसको ले लेंगे। एक रास्ता हमने यह निकाला है। बाकी प्राइवेट बसेज के लिए यह भी कहा कि टैक्सेस की चोरी होती है तो हमने लोड फैक्टर के साथ में कैटेगरीज बना दी हैं। "ए" कैटेगरी से 75 पर्सेन्ट और "बी" श्रेणी में 60 पर्सेन्ट टैक्स वसूल कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि टैक्स के ढांचे का टोन-अप होना चाहिए। आज सारे देश में यूनिफार्म पालिसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी सैन्टर में मीटिंग थी और श्री चांदराम, जो मिनिस्टर हैं, ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा दी। जो बहुत सारे टैक्सेस हैं उनको कैसे यूनिफाई कर पायें और सही पैसा सही ढंग से सरकार के खजाने में पहुंच जाये, यह कुछ बातें तय की हैं। आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट पालिसी के तहत ट्रकों को नेशनल परमिट दिये जाते हैं। पिछली बार हमने 400 ट्रकों को नेशनल परमिट दिये। हमें आशा है कि बहुत जल्दी ही यूनिफार्म स्कीम चालू हो जायेगी।

जो लोगों के दिमाग में गलतफहमियां हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में और मैं मानता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार भी है इसलिए जैसी कि हमने रोडवेज की एक कमेटी बनाई उसी तरह से माननीय सदस्यों की डिस्ट्रिक्टवाइज और स्टेट लेवल की ट्रांसपोर्ट कमेटी बना देंगे ताकि दो महीने में एक मीटिंग हो और आपकी निगाह में सारी चीजें रहें। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि एम. एल. ए. और एम. पी. के कोआपरेशन के साथ चला जाये ताकि इस देश में सुधार हो और समाजवाद की ओर बढ़े। तो उनका सहयोग लिया जायेगा और हमें विश्वास है कि इस सहयोग से रास्ता निकाल पायेंगे।

अब यहां पर आज जो स्पीच का बर्डन था वह ट्रैक्टर और ट्रोली पर टैक्स का था। इसमें शक नहीं कि सबसे पहले 1-9-76 को ट्रोली पर जो गुड्स ले जाते हैं उस पर टैक्स चालू किया गया और 23-4-77 को यह माफ कर दिया। एक क्वेश्चन के रिप्लाई में भी मैंने कहा था कि हमने ट्रोली के ऊपर टैक्स माफ कर दिया। इलेक्शन के दिनों में मैंने ही नहीं बल्कि मंत्रिमण्डल के जितने भी मैम्बर्स हैं उन सब ने यही घोषणा की थी कि हम ट्रोली को इम्पलीमेन्ट मानकर टैक्स माफ कर देंगे। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे खुद के भाई के पास 40 बीघा जमीन और ट्रैक्टर भी है और ट्रोली भी है। मैं जानता हूं कि जो बोनाफाइड काश्तकार हैं उनमें से 90 पर्सेन्ट लोग इससे अपने घर का काम

(श्री केदारनाथ)

लेते हैं और 10 पर्सेन्ट लोग कार्मशियल पर्पज के लिए ट्रोली का इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपकी भावनाओं को देखकर टैक्स की माफी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रीजी घोषणा करेंगे, मैं यही कह सकता हूं।

अब, सभापति महोदय, मैंने यह तय कर दिया है कि एम.एल.ए. और एम.पी. की मार्फत, पालिटिकल पार्टीज की मार्फत और यूनियन की मार्फत जो पालिसी में सुधार किये जा सकते हैं इसलिये दो महीने में एक बार मिलते रहेंगे। यही निवेदन करते हुए डिमाण्ड के कट-मोशन के बारे में अपनी बात खतम करता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** : सभापति महोदय, मनोरंजन कर के बारे में कुछ नहीं कहा, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहा, पंजीकरण के बारे में कुछ नहीं कहा और स्टाम्प के ऊपर साइलेन्ट हो गये। सारे रजिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार होता है, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : मैं मंत्री जी से इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे आपने झालावाड़ की तकलीफ बताई वही मांडल की भी बताई। तो वह मांडल नहीं है मांडलगढ़ की है।

**श्री केदारनाथ** : आइन्दा बसों को बढ़ा देंगे।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य उत्तर के बाद में अब कोई भाषण नहीं होगा।

माननीय वित्त मंत्री जी !

**श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री)** : सभापति महोदय, सदन में मांग संख्या 12 पर हुई बहस में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उनमें से एक दो को छोड़कर लगभग सभी सदस्यों ने एक ही बात पर अधिक जोर दिया है। उनका कहना है कि ट्रेक्टर और ट्रोली पर टैक्स माफ हो जाना चाहिए। यह माननीय सदस्यों को मालूम है कि अभी 6 तारीख को जब बजट पेश किया गया था उस समय एक रियायत की घोषणा की गयी थी। अभी तक ट्रोली और ट्रेक्टर पर 840 रुपया टैक्स था, उस टैक्स को घटाकर 450 रुपया कर दिया गया था। जो भी विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनके विचार और उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। मैं इस संबंध में कोई भी विचार व्यक्त करने में असमर्थ हूं। जैसा कि आपने कहा है अभी बजट का सत्र 30 तारीख तक चलेगा, उस समय इस पर विचार किया जायेगा।..

**श्री मदनसिंह दांता** : आपकी क्या राय है?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री मदनसिंह दांता** : एक सीनियर केबिनेट के मिनिस्टर ने मैं समझता हूं कि अपनी राय व्यक्त कर दी तो आपकी क्या राय है?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, वित्त मंत्री जी को बोलने का अधिकार है। उनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। कृपया सुनें।

श्री आदित्येन्द्र : अब मैं···

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर मैम्बर साहबान खुश नहीं हैं तो खिलाफ में वोट दे दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दें।

श्री आदित्येन्द्र : एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूं···

श्री माधोसिंह कछवाह : सभापति जी, आपको पता है कि हम बीच में नहीं बोलते हैं। एक बात कहना चाहता हूं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वित्त मंत्री जी को बोलने दें।

श्री आदित्येन्द्र : और बिना संकोच के जो भी जैसे मेरे विचार हैं, ऐसी बात नहीं है कि इस समय मैं उन विचारों को बदलूं। मैं जानता हूं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली है और प्रजातन्त्र में बहुमत का आदर हमेशा करना होता है। तब भी आपने यह आग्रह किया है कि मैं अपने निजी विचार बताऊं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक कि टैक्स का सवाल है टैक्स हमेशा उन लोगों से लिया जाता है जो कि सम्पन्न हैं। जो ऐसे लोग हैं कि अपना गुजारा भी नहीं कर सकते हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। जहां तक उद्योगों का सवाल है उद्योग एक प्रकार से कृषि भी है और कृषि उद्योग हमारे देश में सबसे बड़ा है। इससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है और राष्ट्रीय आमदनी होती है व्यक्तिगत नहीं··

श्री हरीश कुमार शर्मा : मंत्री महोदय यहां पर खुद की राय नहीं बता सकते हैं। जो भी राय होगी मंत्री के नाते होगी व्यक्तिगत नहीं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब देश का प्राइम मिनिस्टर अपनी निजी राय दे सकता है तो वित्त मंत्री क्यों नहीं ?

श्री सभापति : No interruption, please.

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सभापति जी, मुझे अपनी राय रखने का अधिकार है और आपने भी आग्रह किया है कि मैं अपने विचार रखूं···

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह आप अपने निजी विचार ही रख रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : जैसे केदार जी ने इस विषय में अपने निजी विचार दिये थे वैसे ही आप भी दें।

श्री रामनारायण चौधरी : यदि आप निजी विचार व्यक्त करें तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्री महोदय !

श्री हरचन्दसिंह : आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं था।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभी सदस्य यह चाहते हैं कि आज ही घोषणा कर दें।

श्री आदित्येन्द्र : पहले एक ओर तो यह कह दिया अपने विचार रखूं और दूसरी ओर आपका यह आग्रह है और ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं, मैं अपने विचार न रखूं। इसलिये मैं यहां पर इतना ही कहूंगा कि प्रजातन्त्र है और सच्चे लोकतन्त्र में बहुमत का आदर किया जाता है। जो भी आपने यहां विचार व्यक्त किये हैं, मुझे इस सम्बन्ध में यहां पर कोई कहने का अधिकार नहीं, न घोषणा करने का अधिकार है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इस पर मंत्रिमण्डल की बैठक में विचार किया जायेगा कि इस संबंध में क्या करना है।

श्री मदनसिंह दांता : आप क्या कहेंगे, मैं जानता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मैं वित्त मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता कि वे घोषणा करें।

श्री आदित्येन्द्र : तो मैं आपसे इस संबंध में और ज्यादा न कहता हुआ, कुछ और बिन्दुओं, जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है, पर निवेदन करूंगा। जिस तरह से माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने कहा है कि मंत्री महोदय के द्वारा न भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहा गया है, न ही स्टाम्प्स रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कहा गया है और न ही भूमि एवं भवन कर के बारे में कहा गया है। इन विषयों पर कटौती प्रस्ताव आये, कुछ महानुभावों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। जहां तक मनोरंजन कर का प्रश्न है यह ठीक है, इस संबंध में आपने चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं जैसे नगरपालिकायें आदि इनको मनोरंजन कर पूरी तरह से सौंप दिया जाना चाहिये। कुछ के विचार हैं कि मनोरंजन कर में जो कुछ भी पर्सेन्टेज दिया जा रहा है उसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये। मैं ऐसा मानता हूं कि एक साथ कोई चीज का एलान करने में शायद ज्यादा लाभ नहीं होगा। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार फाइनेंस कमीशन में हरएक चीज तय होती है। स्वयं सेवी संस्थायें पूरी विकसित होनी चाहिये, उनकी तरक्की होनी चाहिये तभी कुछ ठोस काम कर सकेंगी, ऐसे उपाय हमें करने चाहिये। यह तभी सम्भव है जब अधिकार दिये जायें, जब वित्तीय साधन उपलब्ध हों। मैं यह भी मानता हूं कि वित्तीय साधन अभी तक उन्हें जो मिलते रहे हैं वे अपर्याप्त हैं। जब तक वित्तीय साधन और न दिये जायें तब तक वे संस्थायें अपना काम नहीं चला सकतीं। इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी चीज हो, उस पर पूरी तरह से विचार करके यह निश्चित किया जाये कि कितनी इसमें वृद्धि की जाये। कितना राज्य का हो, कितना न हो। जहां तक भूमि एवं भवन कर का सवाल है इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह कर सभी सरकार की ओर से संचालित होते हैं, इससे एकरूपता आती है और सक्षमता भी आती है। आपके यह जो विचार हैं कि इसमें ज्यादा हिस्सा कुछ नगरपालिकाओं के लिये दिया जाये, इस बात के लिये मेरी पूरी सहमति है।

श्री मदन सिंह दांता : इसमें तो सहमति कर दी और उसमें सहमति नहीं करी।

श्री मूलचन्द डागा : आपका सुझाव अच्छा है।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी काश्तकारों के लिये हमदर्दी नहीं है ।

श्री नूरा : मैंने कहा था कि ग्रामों से जो कर वसूल होते हैं वह सारे पंचायतों को दिये जाने चाहिये ताकि यह जो गांवों की संस्था है वह इसको विकास कार्यों में लगाये। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सारा जवाब ही···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये ।

श्री आदित्येन्द्र : जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है यह ठीक है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रयत्न जरूर किये जा रहे हैं । भ्रष्टाचार है इससे कोई इन्कार नहीं है। भ्रष्टाचार ऐसी चीज नहीं है कि एक ही दिन में खतम हो जाये । यह निरन्तर चल रहा है···

एक माननीय सदस्य : विदेशी भ्रष्टाचार है ।

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : इसलिये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कई प्रकार के कदम उठाये जायेंगे । जब तक यह राष्ट्रीय प्रश्न नहीं बनता है, और जब तक सभी का सहयोग नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार पूरी तरह से खतम नहीं होगा ।

श्री मदन सिंह दांता : भैरोंसिंह जी ने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार मिट गया । वह मिट गया क्या ? आपके क्या विचार हैं ?

श्री आदित्येन्द्र : मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं यह कह दूं कि भ्रष्टाचार मिट कर रहेगा···

श्री मूलचन्द डागा : आप सच्चे ईमानदार आदमी हैं ।

श्री आदित्येन्द्र : मैं जानता हूं मेरी सीमायें हैं, मैं उसी हद तक काम कर सकता हूं। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि मैं भ्रष्टाचार में नहीं पड़ूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं । जो भी आपने विचार प्रकट किये हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं उन पर जरूर विचार किया जायेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने ईमानदारी से विचार व्यक्त किये । मैं आभार मानता हूं। आप बड़े सच्चे और ईमानदार हैं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च··

श्री मदनसिंह दांता : आज डिवीजन कराइये···

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था···

श्री सभापति : No question please. वित्त मंत्री महोदय का विस्तार से जवाब आ गया है ।

(श्री सभापति)

**मांग संख्या 12 का पारण**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,00,92,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 14 मार्च, 78 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.30 बजे मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

(128)



## परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 175 की सूची)

**चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत महिला चिकित्सालयों की तालिका**

1. जनाना अस्पताल, अलवर।
2. राजकीय महिला अस्पताल, राजगढ़ (जिला अलवर)।
3. जनाना अस्पताल, बून्दी।
4. जनाना अस्पताल, भरतपुर।
5. पी बी. एम. महिला अस्पताल, बीकानेर।
6. एम. आर. बी. महिला चिकित्सालय, रतनगढ़ (जिला चूरू)।
7. जनाना अस्पताल, प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़गढ़)।
8. जैक्लान महिला चिकित्सालय, कोटा।
9. जनाना अस्पताल, कोटपूतली (जिला जयपुर)।
10. जनाना अस्पताल, टौंक।
11. जनाना अस्पताल सादड़ी (जिला पाली)।
12. जनाना अस्पताल, जयपुर।
13. जनाना अस्पताल, उदयपुर।
14. जनाना अस्पताल, झालावाड़।
15. जनाना अस्पताल उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।

# परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूची)

हरिजनों पर हुए अत्याचार से सम्बन्धित जिलेवार अपराध तालिका

(22 जून 1977 से अब तक)

* (ब श्रेणी—ऐसे अपराध जो सवर्णों द्वारा किये जाते हैं परन्तु यह जातिगत भावना से प्रेरित नहीं होते)

| क्रमांक | नाम जिला | नाम पता मुस्तगीस | जाति | नाम पता मुलजिमान | उनवान मुकदमा | नतीजा पुलिस | अभियोग का संक्षिप्त विवरण | नतीजा अदालत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अलवर | श्री किशन पुत्र भौरा मेहतर, साकिन ससोरी | अनुसूचित जाति | — | 98/22–8–77 धारा 436 थाना राजगढ़ | एफ. आर. अदम वकू 28–9–77 | फरियादी की झोंपड़ी में मुल. ने आग लगाई। | |
| 2. | ,, | नाथूराम पुत्र गोरधन चमार साकिन अजरका | ,, | 1. हरभजन सिंह<br>2. रिछपाल सिंह<br>3. राजेन्द्र सिंह जाति रायसिख, अजरका | 94/24–8–77 धारा 436 थाना मंडवार | चालान दिनांक 9–9–77 | मुलजिमान ने मुस्तगीस की औरत व लड़के को मारपीट की व झोंपड़ी को आग लगा दी। | जेर तजवीज |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अलवर | श्री रामजी लाल पुत्र कल्याण सहाय बलाई सा. ककराली | अनुसूचित जाति | 1. नन्दन लाल<br>2. राम किशन<br>3. गणपत<br>4. कन्हैया<br>5. लछमन<br>6. बिहारी<br>7. प्यारे लाल<br>8. गोविन्द<br>9. प्रसादी<br>10. चिरंजी<br>11. लल्लू<br>12. राधा किशन<br>13. मोहन<br>14. भम्बड़<br>15. राम सहाय<br>16. कन्हैया<br>17. राम किशोर<br>18. हरफूल<br>19. हरबक्षा<br>20. नारायण | 30/31–8–77 धारा 147/447 427/440 थाना टहला। | चालान दिनांक 2–10–77 | फरियादी के खेत में मवेशी छोड़कर फसल नष्ट करदी व मारपीट की। | जेर तजवीज |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 21. मूलचन्द | | | |
| | | 22. राम किशन | | | |
| | | 23. राम किशोर | | | |
| | | 24. अर्जुन | | | |
| | | 25. देवड़ा | | | |
| | | 26. गोविन्द जाति गूजर, ब्राह्मण | | | |
| 4. अलवर श्री प्रभाती पुत्र बिहारी हरिजन सा. हींगवाड़ा | अनुसूचित जाति | 1. बुद्धा<br>2. बलवीर<br>3. नन्द राम | 83/2–9–77 धारा 307/147/148/149 थाना तिजारा | चालान दिनांक 30–11–77 | मुलजिमान सरकारी जमीन जेर तजवीज अलान्टमेन्ट की जोतने नहीं देते हैं जमीन जोतने पर मारपीट की। |
| | | 4. णमन | | | |
| | | 5. रामू | | | |
| | | 6. रामावतार | | | |
| | | 7. सुरजा | | | |
| | | 8. रामकुमार | | | |
| | | 9. चन्दर | | | |
| | | 10. तोताराम | | | |
| | | 11. बाबूलाल | | | |
| | | 12. यादराम | | | |
| | | 13. बुद्धी | | | |
| | | 14. मुरली | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15 चन्दर<br>16. डीगराम<br>17. मामचंद<br>18. छाजू<br>19. हीरासिंह<br>20. सूरजभान<br>21. दिल सुख<br>22. प्यारे लाल जाति अहीरान, हींगवाड़ा। | | | |
| 5. | अलवर | श्री लीलाराम पुत्र गोपाल चमार साकिन गींगलाना | अनुसूचित जाति | — | 60/30-9-77 धारा 447/448 436 आई. पी सी थाना माण्डन | एफ. आर. अदम वकू 29-9-77 | मुस्तगीस के छप्पर को किसी ने आग लगा दी। |
| 6. | ,, | श्री कल्लू पुत्र चंद, जटिया सा. चंदोली | ,, | — | 27/23-10-77 धारा 435 थाना विजयमंदिर | ,, 21-12-77 | गांव वालों ने मुलजिम की फसल कटी हुई के आग लगा दी। |
| 7. | ,, | श्री माधू पुत्र गंगाराम बावरी साकिन नंगली | ,, | 1. राम चन्दर<br>2. चेत राम<br>3. कजोड़<br>4. रामधन<br>5. गिरिराज<br>6. मोहन | 5/3-2-78 धारा 324, 147, 148 थाना माला-खेड़ा | चालान 10-2-78 | मुलजिमान ने मुस्तगीस की फसल को भेड़ बकरियों से नष्ट करवादी व मना करने पर मारपीट की। |

(133)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7. अर्जुन बाँति गूजरान, कैरवाड़ा | | | | |
| 8. | अलवर | मामराज पुत्र मानी हरिजन साकिन विजयपुरा | अनुसूचित जाति | 1. रहमान पुत्र लीला मेव विजयपुरा | 6/21–2–78 धारा 376, 354 ता. हि. थाना विजय मंदिर | जेर तफतीश | मुस्तगीस ने रिपोर्ट की कि उसकी लड़की कमला व इमरती जंगल में लकड़ी लेने गई थीं, मुलजिम ने इमरती के साथ बुरा काम किया। | |
| 1. | अजमेर | श्री प्रताप पुत्र नेनू जाति रैगर निवासी नरवर | ,, | 1. नारायण सिंह 2. महावीरसिंह 3. रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी भरड़का | 31/4-8-77 धारा 302 ता. हि. थाना गैगल | चालान | फरियादी के भाई के लड़के की मुलजिमान के कामकाज के संबंध में बोलचाल होने पर मारपीट करके जान से मार दिया। | पैंडिग ट्राइल |
| 2. | ,, | श्री जीवण पुत्र बोरा बावरी साकिन कुचीस | ,, | 1. हरलाल पुत्र रामनाथ 2. नीतण 3 पांचू 4. श्योजी 5. किशना जाति जाट सा. मालड़ा | 61/19-8-77 धारा 323, 325, 307 ता. हि. थाना किशनगढ़ | ,, | फरियादी को मुलजिमान ने रास्ता की बात पर झगड़ा कर मार पीट कर चोट पहुंचाई। | पैंडिग ट्राइल |
| 3. | ,, | श्री चन्दा पुत्र सेता चमार निवासी भराई | ,, | – | 76/13-9-77 धारा 307, 326, थाना केकड़ी | एफ. आर अदम पता | फरियादी के साथ जंगल में अज्ञात व्यक्ति ने झगड़ा | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | करके मार-पीट कर चोट पहुंचाई । | |
| 4. | अजमेर | श्री मिश्रीलाल पुत्र भागीरथ ढोली निवासी हनुतिया | अनुसूचित जाति | 1. गोपाल पुत्र घीसा<br>2. गोपी पुत्र हरदेव जाट सा. हनुतिया | 55/28-10-77 धारा 325 ता. हि. थाना विजय नगर | चालान | आपसी बोलचाल के कारण मुलजिमान ने मुस्तगीस को मारपीट किया । | — |
| 5. | ,, | श्री मनुप्रकाश पुत्र फूलचन्द नि. ब्यावर छावनी | ,, | 1. ओम प्रकाश<br>2. हनुमान<br>3. राधाकिशन जाति माली सा. ब्यावर छावनी | 11/8-1-78 धारा 325,323 ता. हि. थाना ब्यावर | ,, | मुस्तगीस व मुलजिमान में चाय के पैसों में कहा सुनी हो गई जिस पर मुलजिमान ने मुस्तगीस से मारपीट की । | पैंडिग ट्राइल |
| 6. | ,, | श्रीमती घन्नी पत्नी नत्थू सांसी नि. केकड़ी | ,, | 1. जयकिशन मीणा मैनदा | 19/24-2-78 धारा 325,323, ता.हि. थाना केकड़ी | गैर तफतीश | मुलजिम व मुस्तगीसा के उधार पैसे मांगने पर झगड़ा होकर मारपीट की । | |
| 1. | जयपुर | श्री छोटूराम पुत्र बलदेव जाति बैरवा नि. कोट-जेयर | ,, | 1. गरणपत बैरठ<br>2. इसका हाली<br>3. धोकल्या<br>4. गिरधारी | 77/9-12-77 धारा 147, 148, 149, 447, 302 ता. हि. थाना जोबनेर | पेंडिग पुलिस | मुस्तगीस अपने बुवा के लड़के के खेत में गेहूं बीज रहे थे तब गरणपत बारेठ वगैरह ने आकर मारमीट की जिससे | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | दूला की मृत्यु एस. एम. एस. में हो गई। | |
| 2 | भरतपुर | श्री मूला पुत्र छुट्टनलाल जाटव नि. बडोली | अनुसूचित जाति | – | 63/20-6-77 धारा 302 ता. हि. थाना पहाड़ी | पैंडिग तफतीश | मुस्तगीस के ताऊ के लड़के की औरत घास काटने गई थी, वापस नहीं आई उसकी लाश बड़ोली के जंगल में एक मेव के खेत में मिली थी किसी ने मार डाला पता नहीं चला। | |
| 3. | ,, | श्री प्रभाती पुत्र सायल हरिजन साकिन गोपालगढ़ | ,, | 1. रूपसिंह<br>2. मुंशी गूजर गोपालगढ़ | 71/25-7-77 धारा 429 ता. हि. थाना पहाड़ी | चालान | मुस्तगीस के सूअर को फर्सी व बल्लम से मारा। | पैंडिग ट्राइल |
| 4. | ,, | श्री हरदेव पुत्र मंगल हरिजन सा. गोपालगढ़ | ,,<br>,, | 1. पीहल<br>2. पेशकार भड़भूंजा साकिन गोपालगढ़ | 72/26-7-77 धारा 429 ता. हि. थाना पहाड़ी | ,, | मुलजिमान ने मुस्तगीस की सूरडियों के बच्चों को मार डाला। | ,, |
| 5. | ,, | श्री प्रभाती पुत्र श्रीगरा जाटव नि. अलखेड़ा | ,, | 1. गोकुल<br>2. मोहन<br>3. मानी जाति कहार | 80/18-8-77 धारा 325, 452 थाना वेर | ,, | भैंस के खेत में चरते पाये जाने पर मुस्तगीस ने लड़की को मारपीट की। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नि. मलखेड़ा | | | | |
| 6. | भरतपुर | श्री पीलवा पुत्र सोहनलाल जाटव नि. पहरसर | अनुसूचित जाति | 1. ओमप्रकाश 2. जगदीश जा. ब्राह्मण | 98/11-8-77 धारा 436 ता. हि. | चालान | फरियादी की रिहायशी छप्पर को आग लगा दी। | पैंडिंग ट्राइल |
| 1. | जोधपुर | गौरादेवी मेघवाल | ,, | 1. देवीड़ा उर्फ देवीसिंह राजपूत | 265/6-7-77 धारा 308, 325 ता. हि. थाना सरदारपुरा | , | आपसी रंजिश के कारण मुस्तगीस के लड़के को जान से मारने के लिए चोट पहुंचाई। | ,, |
| 2. | ,, | सीताराम जटिया | ,, | 1. भैंराराम जाटा | 104/12-9-77 धारा 325 थाना पीपाड़ | ,, | फरियादी की गाय मुल्जिम के चारे को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में मारपीट हुई। | ,, |
| 3. | ,, | बदामी पुत्री उधाराम मेघवाल | ,, | 1. रसीद पुत्र कासम मुसलमान | 130/26-9-77 धारा 376 ता. हि. थाना महामन्दिर | ,, | मुस्तगीस मुल्जिम के मकान पर मजदूरी करती थी अकेली देखकर बुरा काम किया। | ,, |
| 4. | ,, | जगदीश हरिजन | ,, | 1. ट्रक ड्राइवर मुसलमान नाम नामालूम | 89/19-9-77 धारा 429 ता. हि. थाना सदर कोतवाली | एफ. आर. अदम पता | फरियादी की गाय को एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार कर जान से खत्म कर दी। | ,, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ,, | जेठाराम मोची | अनुसूचित जाति | 1. चैनसिंह राजपूत | 114/15-10-77 धारा 325, 323 थाना बिलाड़ा | चालान | आपस में बोलचाल होने पर मारपीट कर चोट पहुंचाई। | पैंडिंग ट्राइल |
| 6. | ,, | सूडकी पत्नी जाफर राम मेघवाल | ,, | 1. किशोरसिंह राजपूत | 398/3-12-77 धारा 375, 511 थाना सरदारपुरा | ,, | मुस्तगीस के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। | ,, |
| 7. | ,, | कुमारी विमला हरिजन | ,, | 1. सलीम<br>2. ईदू जाति मुसलमान | 12/17-1-78 धारा 376, 342 दफा 34 ता. हि. थाना सदर बाजार | पैंडिंग इन्वेस्टीगेशन | मुल्जिमान मुस्तगीसा को घरू काम का बहाना करके चक्की में लाये और उसके साथ बुरा काम किया। | ,, |
| 1 | बाड़मेर | खेवा पुत्र टीला कोम मेघवाल | ,, | 1. रूड पुत्र देवा दरोगा | 179/31-7-77 धारा 376 ता. हि. | चालान | मुसम्मात हेमा की लड़की को फुसला कर अपने पास बुलाकर उसके साथ मुलजिम ने बलात्कार किया। | ,, |
| 2 | ,, | कुम्भराम पुत्र सदुलाराम मेघवाल | ,, | 1. नगजी<br>2. बिसना<br>3. अम्बा जाति रेबारी | 14/11-7-77 धारा 429 ता. हि. थाना बालासरा | ,, | चरती हुई भैंस को मुलजिमान ने मारपीट कर मार दी। | ,, |
| 3. | ,, | श्री करण मीन सा. | ,, | 1. हडमतसिंह | 30/22-11-77 | एफ. आर. | मुलजिमान ने फरियादी के | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रिश्वाना | | 2. दौलतसिंह<br>3. छोगसिंह<br>4. शिवसिंह<br>5. रणजीतसिंह जाति राजपूत | धारा 436 ता. हि.<br>थाना श्रीराम | अदम वकू | साथ रंजिश से ढाणी जलादी जो झूठा पाया गया। | |
| 1. | नागौर | मानाराम पुत्र तुलसाराम भांभी नि. खुन्डाला | अनुसूचित जाति | 1. कानाराम जाट | 23\|2-8-77<br>धारा 435 ता. हि.<br>थाना खिवसर | चालान | मुस्तगीस की झौंपड़ी को मुलजिम ने खेत में रात को जला दिया। | पैंडिंग ट्राइल |
| 2. | ,, | आईदान पुत्र लक्ष्मण मेघवाल | ,, | 1. माधोराम जाट | 43\|24-8-77<br>धारा 376 ता. हि.<br>थाना जायल | जेरे तफतीश सी.आई.डी. (सीबी) जोधपुर | मुस्तगीस ने दरख्वास्त पेश की कि उसके बहिन के साथ मुलाजम ने बलात्कार किया। | |
| 3. | ,, | हनुमानिया पुत्र हीरा बागरियां | ,, | 1. गिरधारी<br>2. पदमा जाटान | 52\|7-8-77<br>धारा 325 ता. हि.<br>थाना खुणखणा | चालान | मुस्तगीस को मुलजिम ने मारपीट की। | बुरके राजीनामा बरी। |
| 4. | ,, | खींवसिंह राम मेघवाल | ,, | 1. भवरू<br>2. घासीराम कौम जाट | 44\|1-9-77<br>धारा 435, ता. हि.<br>थाना जायल | ,, | मुलजिमान ने मुस्तगीस के खेत की बाड़ को जला दिया। | पैंडिंग ट्राइल |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | नागौर | बुद्धराम कौम भांभी | अनुसूचित जाति | 1. जोगाराम<br>2. रणवीरसिंह<br>3. रामू<br>4. नरेन्द्रसिंह<br>5. मोहन<br>6. सोहन<br>7. शम्भू<br>8. गुमान<br>9. रूपसिंह<br>10. मोहनसिंह | 124। 13-10-77 धारा 325, 447, 147, 148, 149 ता. हि. थाना मेड़तासिटी | चालान | मुलजिमान ने मुस्तगीस के खेत में मदाखलत बेजा करके मारपीट की। | पेंडिंग ट्राईल |
| 6. | ,, | मुसम्मात गुलाब बेवा मदन जावरी नि. सिगारा, अजमेर | ,, | 1. परसराम पुत्र भोपालराम माट | 59। 23-11-77 धारा 354, 325, 323 ता. हि. थाना परबतसर | ,, | मुलजिम ने बुरा काम करने की नियत से मारपीट की। | ,, |
| 7. | ,, | छोगालाल पुत्र सूजाराम मेघवाल सा. मताला | ,, | 1. मघाराम<br>2. जसाराम<br>3. देवाराम जाटान | 155। 20-11-77 धारा 147, 148, 149, 341, 325 ता. हि. थाना मेड़ता सिटी | ,, | मुलजिमान ने मुस्तगीस को रास्ते चल कर मारपीट की। | ,, |
| 8. | ,, | भुकली जोजे एक या | ,, | 1. रामनाथ | 34। 8-12-77 धारा | ,, | मुलजिमान ने एक राय | ,, |

139

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बन बागरिया | | 2. देवाराम<br>3. देवराज<br>4. हरदीन<br>5. रूपराम जाटान | 325,323,147 थाना सूरपालिया | | होकर मुस्तगीस को मारपीट की। | |
| 9. | नागौर | फलाराम पुत्र छगा-राम हरिजन | अनुसूचित जाति | 1. जोऊ व<br>2. पतासी आदि | 75। 11-12-77 धारा 325 ता. हि. | चालान | आपसी बोलचाल पर मार-पीट हुई। | पैंडिंग ट्राइल |
| 10. | ,, | मंगलराम पुत्र उरजराम मेघवाल | ,, | 1. हरीराम पुत्र जोटराम जाट | 4। 24-2-78 धारा 325, 323 थाना भावरा | पैंडिंग इन्वे-स्टीगेशन | मुलजिम ने मारपीट की जिससे दांत टूट गये। | ,, |
| 1. | पाली | भील औरत ग्राम नाना | ,, | 1. मंगला कुम्हार | 32। 11-8-77 धारा 302 ता. हि. थाना नाना | चालान | भील औरत को मुलजिम ने अपने मकान में बन्द करके छुरी से मार डाला। | ,, |
| 1. | जैसलमेर | चुनाराम भील सा. डाबला | ,, | 1. अर्जुनसिंह राजपूत जैसलमेर | 87। 3-10-77 धारा 279 337, 429 सा. हि. थाना जैसलमेर | ,, | मुस्तगीस के ऊंट को ट्रक से टक्कर देकर मारा। | ,, |
| 2. | | किशनाराम मेघ-वाल साकिन काठोड़ी | ,, | 1. कूलाराम<br>2. अमराराम जा. बजीर | 101। 25-10-77 धारा 323, 325 आई.पी.सी. थाना जैसलमेर | ,, | मुस्तगीस को मुलजिमान ने मारपीट की। | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. जालोर | चीमना भांमी | अनुसूचित जाति | 1. हीराकार<br>2. शांतिया जाति रेबारियान | 37\|13-9-77<br>धारा 325,447, ता. हि. थाना बनार | चालान | मुस्तगीस के खेत में मुलजिमान के मवेशी चर रहे थे फाटक में ले जाने के संबंध में मारपीट हुई। | पैंडिंग ट्राइल |
| 2. ,, | श्रीमती रूपा पत्नी उर्जा भांभी | ,, | 1. मालाराम पुत्र मेघा विश्नोई | 60\|19-9-77<br>धारा 457, 376 थाना सांचोर | ,, | मुलजिम ने मुस्तगीसा के घर में घुस कर रात में उसके साथ बलात्कार किया। | 'सजा' |
| 3. ,, | सबीया पुत्र धर्मा भील | ,, | 1. भूरसिंह<br>2. भीमसिंह<br>3. उधा स्वामी | 33\|5-9-77<br>धारा 325, 323 थाना बागरा | ,, | मुलजिम ने मुस्तगीस को मारपीट किया। | जरिये राजीनामा बरी |
| 4. ,, | बेरिया पुत्र रंगा, भील, चिपरवाड़ा | ,, | 1. खीम खां मुसलमान<br>2. घोकिया राजपूत<br>3. सुमेरसिंह ,,<br>व दो शख्स और | 9\|18-2-78<br>धारा 326, 395 थाना आहोर | जेर तफतीश | मुलजिमान ने ईमा का कान काट लिया व उसके औरत के जेवर जबरदस्ती खोस कर ले गये। | — |
| 1. सिरोही | छोगा पुत्र सदाजी मेघवाल साकिन | ,, | 1. धर्मा पुत्र मेघा माली सा. जावाल | 33\|26-11-77<br>धारा 325, 304 ता. हि. | एफ. आर. बकू | मुस्तगीस जंगल से लकड़ी लेकर आते समय | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जावाल | | | थाना वरलूट | | मुलजिम से झगड़ा होकर मारपीट हुई। | |
| 2. | सिरोही | जेठा पुत्र कल्ला गरासिया | अनुसूचित जाति | 1. तेजाराम पुत्र नुपाजी कुम्हार | 88।6–11–77 धारा 376 ता. हि. थाना ग्राबूरोड | एफ. ग्रार. ग्रदम वकू | मुलजिम की ग्रौरत रोटी देने जाते समय मुलजिम ने जबरन पकड़ कर बलात्कार किया। | |
| 1. | बीकानेर | लादूराम पुत्र जेठाराम, नायक दुलमिरा | ,, | 1. रिछपाल 2. पूरण ग्रार्य | 32/10–8–77 धारा 325 ता. हि. थाना लूणकरणसर | चालान | फरियादी के रुपये के लेन देन के सिलसिले पर मुलजिम ने मारपीट की। | पेंडिंग ट्राइल |
| 1. | चूरू | तारूराम सरपंच, कालरबरी | — | 1. महावीरसिंह राजपूत | 26/11–8–77 धारा 302 ता. हि. थाना खांडवा | ,, | मुलजिम ने विरदा नायक को गवाड़ा में जान से मार दिया | ,, |
| 2. | ,, | चैनाराम पुत्र हरकाराम, चमार, सा. इटपालसर | अनुसूचित जाति | 1. मदनसिंह राजपूत | 89/4–9–77 धारा 376, 447 ता. हि. थाना डूंगरगढ़ | ,, | मुलजिम ने आसू चमार के साथ खेत में बलात्कार किया। | |
| 3. | ,, | मुसम्मात पारू पत्नी कुम्माराम मेघवाल नि. धनेरू | अनुसूचित जाति | 1. दुलानाथ पुत्र सुलतान सा. धनेरू | 109/22–10–77 धारा 354, 376 ता. हि. | ,, | मुलजिम ने मुस्तगीसा के साथ जबरन बलात्कार किया। | ,, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | चूरू | दौलाराम पुत्र रामलाल नायक सा. उरसर | अनुसूचित जाति | 1. सोहनलाल पुत्र गणपतलाल ब्राह्मण सा. उरसर | 89/2–11–77 धारा 307, 325, 324, 323 थाना सरदारशहर | चालान | मुलजिम ने आपस में झगड़ा कर मारपीट की। | पेंडिंग ट्राइल |
| 5. | ,, | श्रीमती पारवती पत्नी माशाराम जाति चमार रेल्वे कोलोनी, रतनगढ़ | ,, | 1. देवेन्द्र सुमिरु हजाम | 166/12–12–77 धारा 325/34 ता. हि. थाना रतनगढ़ | चालान | मुलजिमान के आपस में बोलचाल होने पर झगड़ा हुआ। | ,, |
| 1. | झुन्झुनूं | मणिदाराम पुत्र भूराराम चमार साकिन पोहाड़ा | ,, | 1. महावीर महाजन | 53/20–7–77 धारा 147, 435, 436, थाना गुढ़ा | चालान | मुलजिम के खेत में प्रवेश कर हल चलाये और उसकी झोंपड़ी जला दी। | ,, |
| 2. | ,, | जीवनराम पुत्र मूनाराम हरिजन | ,, | 1. रिछपाल<br>2. इन्देसिंह<br>3. खेतसिंह<br>4. जगन्नाथसिंह आदि राजपूतान | 54/20–7–77 धारा 147, 435 ता. हि. थाना गुढ़ा | एफ. आर. अदम वकू | मुलजिमान ने एक राय होकर मुस्तगीस के पिता से मारपीट की। | – |
| 3. | ,, | नत्थूराम पुत्र भूराराम उदयपुर | ,, | 1. बाबूलाल<br>2. सूरज<br>3. केदार<br>4. गणपत | 82/14–11–77 धारा 302 ता. हि. थाना उदयपुर | जेर तफतीश | चिड़ावा के प्याऊ के पास लाश पड़ी होने की इत्तिला मिलने पर जांच के दौरान नत्थू मीणा को जान से मारना पाया गया। | |
| 1. | सीकर | रामदेव मीणा | अनुसूचित | – | 31/7–7–77 धारा | एफ. आर. | मुस्तगीस की सांड मुलजिम | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जाति | | 429 थाना थुई | अदम वकू | ने मार दी। | |
| 2. | सीकर | नंदा पुत्र केसरा, जा. बावरी | अनुसूचित जाति | 1. बगला 2. हीरा आदि जाट | 39/25–8–77 धारा 429 ता. हि. थाना दांतारामगढ़ | ,, | मुस्तगीस की बकरी को मुलजिम ने जान से मार दी। | – |
| 3. | ,, | शान्ति पुत्री रूपा राम बलाई सा. धीरपुरा | ,, | 1. सलामुद्दीन 2. यूसुफ मुसलमान | 84/10–10–77 धारा 376, 341 ता. हि. थाना सीकर सदर | चालान | मुस्तगीसा खेत से वापिस पैंडिंग आती के साथ मुलजिम ने ट्राइल जबरदस्ती बलात्कार किया। | |
| 4. | ,, | मूलचन्द चमार | ,, | 1. अज्ञात | 94/7–10–77 धारा 436 ता.हि. थाना नीम का थाना | एफ.आर. अदम वकू | मुस्तगीस के घर में मीणों ने आग लगा दी। | – |
| 5. | ,, | रामपाल, मृतक मूलचन्द पुत्र धन्नालाल बलाई | ,, | 1. अज्ञात | 5/10–1–78 धारा 302 ता. हि. थाना थुई | जेर तफतीश | महाजन के दुकान के सामने मृतक पड़ा होने पर अस्पताल भर्ती कराने पर मौत हो गई दौराने जांच संदेह जनक मौत होने पर मुकदमा कायम किया गया। | |
| 1. | गंगानगर | मुसम्मात सूजी बेवा सोहनलाल मेघवाल, | ,, | 1. शंकरलाल 2. धन्नालाल विश्नोई | 156/21–8–77 धारा 302 ता. हि. | एफ.आर. अदम वकू | मुस्तगीस ने इत्तिला दी कि उसका लड़का गाय चराने | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नि. सांगरिया | | | सांगरिया | थाना सांगरिया | | गया था वापस नहीं आया, नहर सांगरिया हैड के पास उसकी लाश मिली जिसको शंकरलाल वगैरह ने नहर में डाल दी। | |
| 2. | गंगानगर | श्योराम पुत्र श्याकरण, धाणक सा. भीलवाडा | अनुसूचित जाति | 1. महेन्द्रसिंह कुम्हार भीलवाड़ा | 181/30–9–77 धारा 376, 341, 323, थाना सांगरिया | चालान | मुस्तगीस ने इत्तिला दी कि मेरी लड़की अपने खाविंद की रोटी लेकर गई रास्ते में मुलजिम ने जबरदस्ती बलात्कार किया। | पैंडिंग ट्राइल |
| 3. | ,, | रतीराम पुत्र धोकल सा. जोखासर | ,, | 1. सवाईसिंह पुत्र रघुवीरसिंह राजपूत सा. जोखासर | 14/17-2-78 धारा 376 ता.हि. थाना नाहोर | जैर तफतीश | मुस्तगीस ने इत्तिला दी कि उसके भाई की औरत रात में कोठे में सोई हुई थी, मुलजिम ने उसके साथ बुरा काम किया। | |
| 4. | ,, | जसवीरसिंह पत्नी तेजासिंह सा. मोहनपुरा | ,, | 1. हरबन्शसिंह<br>2. इकबालसिंह बूटासिंह<br>3. तोतासिंह<br>4. बूटासिंह<br>5. सुभाष | 15/19-2-78 धारा 376 ता. हि. थाना सदर | ,, | मुस्तगीसा ने इत्तिला दी कि मैं खेत में घास काट रही थी और हरबना कमाद के खेत में ले गया और बाकी | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | मुलजिमान वहीं थे और मेरे साथ बुरा काम किया। | |
| 5. | गंगा-नगर | नातूराम पुत्र मूलाराम, नायक 71 आर. बी. | अनुसूचित जाति | 1. पम्मी पुत्र पचेतरसिंह जटसिख धतरायी | 22/21-2-78 धारा 376 ता. हि. थाना रायसिंह नगर | जेर तफतीश | मुस्तगीस ने इत्तिला दी कि मेरी औरत व मेरी साली टट्टी बैठने रात को गई थी तो मुलजिम ने मेरी औरत के साथ बलात्कार किया। | |
| 6. | ,, | मुसम्मात तारो पत्नी गिन्दरसिंह, मरवि सिख सा. 63 जी.बी. | ,, | 1. मोटा पुत्र इतवारसिंह जटसिख सा. 63 जी. बी. | 22/14-2-78 धारा 376 ता. हि. थाना अनोपगढ़ | ,, | मुसम्मात तारो ने इत्तिला दी कि मैं मेरे घर जा रही थी तो मुलजिम के घर के पास पहुंचने पर उसने अपने घर में जबरन लेजाकर बुरा काम किया। | |
| 1. | सवाई-माधोपुर | श्रीमती हरकी पत्नी बन्शीलाल मीणा सा. सपोटरा | ,, | 1. रामलाल पुत्र नारायण, मीणा | 32/9-7-77 धारा 302 ता.हि.थाना सपोटरा | चालान | मुलजिम ने मुस्तगीसा की सास को कुल्हाड़ी से देकर जानसे मार दिया। | पेंडिग ट्राइल |
| 2. | ,, | मवासी पुत्र चिरमाली चमार नि. सोहलसर | | 1. राधे वगैरह आठ शक्स जाटान | 62/11-4 77 धारा 437, 440,323 थाना सलीमपुर | – | मुस्तगीस का भाई खेत पर घास लेने गया था मुलजिमान ने मारपीट की। | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | सवाई माधोपुर | गंगाधर पुत्र मंगल, चमार | अनुसूचित जाति | 1. मदन लाल गूजर | 255/29-9-77 धारा 302,201 ता.हि. थाना गंगानगर | जेर तफ-तीश | मुस्तगीस के साथ 4 लड़के खेत पर पशु चराते हुए लड़के को जान से मार दिया। | |
| 4. | ,, | रामलाल पुत्र बुद्धाराम, चमार | ,, | 1. रामचन्द्र<br>2. धन्ना<br>3. रामस्वरूप आदि जाति गूजरान | 237/9-9-77 धारा 147, 148,307,324,447,383 ता.हि. थाना गंगानगर | चालान | मुस्तगीस अपने अलाट सुदा जमीन पर हल चलाने गया तो मुलजिमान ने मारपीट की। | पेंडिंग ट्रायल |
| 5. | ,, | मुसम्मात राम कन्या पुत्र रामनारायण, कन्जर | ,, | 1. गोरी पुत्र कल्याण माली | 64/26-9-77 धारा 326 ता.हि. थाना बीच का बड़-वाड़ा | जेर तफ-तीश | मुस्तगीसा के साथ मुलजिम का नाजायज तालुल्क होने से आपस में झगड़ा होकर नाक काट दी। | |
| 6. | ,, | हजारी पुत्र पन्ना, मीणा | ,, | 1. मिश्रीलाल पटवारी | 213/2-9-77 धारा 440, 427 ता.हि. थाना करोली | चालान | फरयादी का खेत मुलजिमों द्वारा उजाड़ दिया व नुक-सान पहुंचाया। | पेंडिंग ट्रायल |
| 7. | ,, | ठण्डी पुत्र केशव, जाटव सा. बुगड़ | ,, | 1. मनफूल पुत्र मूला | 280/2-11-77 धारा 325,323 थाना करोली | ,, | मुस्तगीस व मुलजिम के बोलचाल होने पर मारपीट हुई। | |
| 8. | ,, | देवेन्द्र पुत्र सीताराम कोली सा. गुसाया | ,, | 1. संग्रामसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, राजपूत | 23/24-1-78 धारा 307 ता.हि. | जेर तफतीश | कुए से पानी लेने की बात पर झगड़ा हो गया। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | झालावाड़ | दयाराम पुत्र देवजी, हरिजन | अनुसूचित जाति | 1. भगवान सिंह<br>2. सुलतान सिंह<br>3. नाथूसिंह<br>4. मानसिंह<br>जाति राजपूत | 77/ 22–7–77<br>धारा 302134 ता.हि.<br>थाना गंगधार | चालान | मुलजिमान ने एक राय होकर मुस्तगीस के पिता को फर्सी से मार डाला। | पैंडिंग ट्राइल |
| 2. | ,, | मुसम्मात रोहतान पत्नी मदन काटन | ,, | 1. ओंकारसिंह, राजपूत | 53/6–7–77<br>धारा 376, 341 ता.हि.<br>थाना पिड़ावा | ,, | मुलजिमान ने रास्ते जाती हुई को रोककर उसके साथ बुरा काम किया। | |
| 3. | ,, | मरलाल बावरी, सा. दही खेड़ा | ,, | 1. बद्रीलाल<br>2. द्वारका<br>3. जगदीश<br>4. किशोर माली, देहीखेड़ा | 79/8–8–77<br>धारा 325, 341 ता.हि.<br>थाना कानपुर | ,, | मुलजिम ने मुस्तगीस को मारपीट कर चोट पहुँचाई | ,, |
| 4. | ,, | बद्रीलाल पुत्र रतन लाल, मचार सा. बिरिया खेड़ा | ,, | 1. गिरधारीलाल पुत्र कालू जाति गूजर सा. जोरिया | 73/23–8–77<br>धारा 325, थाना पाटन | ,, | मुलजिम ने मुस्तगीस के लड़के को मारपीट कर चोट पहुंचाई। | ,, |
| 5. | ,, | बरकत पुत्र चंदालाल, हरिजन सा. चांदीपुरा | ,, | 1. धुतिया<br>2. जाना आदि<br>जाति ब्राह्मण | 142/26–2–77<br>धारा 326, 325<br>थाना मनोहर | ,, | मुस्तगीस को मुलजिमान ने एक राय होकर मारपीट कर चोट पहुँचाई। | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. झालावाड़ | वन्शीलाल पुत्र किशन लाल, महर सा. गंगापुर | अनुसूचित जाति | 1. फतहसिंह राजपूत | 153/6–9–77 धारा 326 थाना भवानीमण्डी | चालान | मुस्तगीस के मुलजीम ने मारपीट कर सख्त चोट पहुँचाई। | पेंडिग ट्राइल |
| 7. ,, | सुदर्शन पुत्र मांगीलाल, कुम्हार | ,, | 1. मांगीलाल पुत्र देवला | 92/24–10–77 धारा 307 थाना भवानीमण्डी | ,, | मुलजिम ने मुस्तगीस को जान से मारने के लिये सख्त चोट पहुंचाई। | ,, |
| 8. ,, | रणशा पुत्र बलदेव, चमार सा. पट्टी | ,, | 1. बीरमा पुत्र भोरीलाल 2. मिश्रीलाल | 175/20–11–77 धारा 395, थाना मनोहर | ,, | मुलजिमान ने मुस्तगीस को मारपीट की। | ,, |
| 9. ,, | भवना पुत्र घीसा बावरी सा. राशन बाडी | ,, | अज्ञात | 1/30-1-78 धारा 302 ता. हि. थाना सुमेल | जैर तफतीश | मुलजिम ने फरियादी के हाथ पैर बांध कर कुए में लटका कर मार दियां। | |
| 10. ,, | मुसम्मात भंवरी बाई पत्नि देवलाल चमार साकिन घाटोली | ,, | 1. घीसा गूजर व अन्य साथी | 3/17-1-78 धारा 376 ता. हि. थाना मालता | ,, | मुलजिम ने फरियादी के साथ बलात्कार किया। | ,, |
| 11. ,, | सुहाग बाई पत्नि नाथू बलाई, सा. ह्राम्या | ,, | 1. रोड़ीलाल पुत्र रोड सादू साकिन ह्राम्या | 10/24-1-78 धारा 307 ता. हि. थाना गंगधार | ,, | मुलजिम ने फरियादी के कुल्हाडी से प्राणघातक चोट पहुँचाई। | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोटा | मोहम्मद हनीफ एच. एम. | अनुसूचित जाति | 1. नेमीचन्द्र कोईया आदि | 93/15-7-77 धारा 302 ता. हि. थाना सुलतानपुर | चालान | दौरान कार्यवाही धारा 174 सी. आर पी. सी. मृतक छीतर बलाई को मुलजिमान द्वारा जान से मार देना पाया गया। | पैंडिंग ट्राइल |
| 2. | ,, | मदन पुत्र रामनारायण जाति सिगार | ,, | 1. गफूर जाति गुलभार मुसलमान | 89/21-9-77 धारा 429 थाना छीपाबड़ोद | ,, | मुस्तगीस का पाड़ा मुलजिम के बाड़े में जाने पर पाड़े को जान से मार दिया। | ,, |
| 3. | ,, | परमा पुत्र ममन बलाई | ,, | 1. भवनलाल<br>2. गोरधन आदि | 36/19-8-77 धारा 325/34 ता. हि. थाना केलवाड़ा | ,, | मुस्तगीस की भैंस खेत में जाने पर झगडा हो गया मुलजिमान ने मुस्तगीस के लड़कों को मारपीट किया। | ,, |
| 4. | ,, | कल्याण पुत्र कजोड़ बैरवा साकिन लकडाई | ,, | 1. जिन्दा पुत्र सरधार सिंह जाति सिख बन्दीपुरा | 30/4-9-77 धारा 378 ता. हि. | ,, | मुलजिमान ने फरियादी की औरत के साथ जबरन बलात्कार किया। | ,, |
| 5. | ,, | गुलाबचन्द पुत्र सुखलाल मीणा सा. मोठड़ी | ,, | 1. किशोर<br>2. मोहनलाल<br>3. बंशीलाल लुहार | 36/9-8-77 धारा 325/34 थाना मोठपुरा | ,, | भैंस को खेत में चरते पाये जाने पर मुलजिम ने मुस्तगीस की लड़की को मारपीट किया। | ,, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | कोटा | लादू पुत्र मानू बैरवा सा. साकड़ोली | अनुसूचित जाति | 1. मूलचन्द मिस्त्री | 31/18-9-77 धारा 325 थाना गुमानपुरा | चालान | फरियादी के साथ मुलजिम ने फरोती के सम्बन्ध में मारपीट की। | |
| 7. | ,, | धन्ना लाल पुत्र रामलाल बलाई | ,, | 1. सदीक व उसका लड़का | 146/5-10-77 धारा 325/34 थाना सामोद | ,, | फरियादी अपने गांव से हाट करने आ रहा था रास्ते में मुलजिमान से मामूली बात होने पर मारपीट कर चोट पहुंचाई। | पैंडिग ट्राइल |
| 8. | ,, | राम प्रताप पुत्र ओंकार बैरवा | ,, | 1. धन्ना<br>2. राजा जाति नाई | 103/20-10-77 धारा 325, 324 थाना अन्ता | ,, | फरियादी के साथ मुलजिम ने मारपीट कर चोट पहुंचाई। | ,, |
| 9. | ,, | रतनबाई पत्नी छली लाल भील सा. छीपलखेड़ी | ,, | 1. मल्लू लोढा | 67/5-10-77 धारा 376/454, थाना बापचा | ,, | फरियादी के मकान में प्रवेश कर मुलजिमान ने जबरन बलात्कार किया। | ,, |
| 10. | ,, | बन्नाराम पुत्र बजरंग बाल मीणा | ,, | 1. लक्ष्मणसिंह<br>2. कल्याणसिंह राजपूत | 124/11-10-77 धारा 307 ता. हि. थाना इटावा | प्रदम वक्रू (एफ. आर.) | पुरानी रंजिश के कारण मुलजिम ने फायर किया जो झूठा पाया गया। | ,, |
| 11. | ,, | जगदीश पुत्र भावना मीणा | ,, | 1. मदन माली | 109/11-11-77 धारा 302 ता. हि. थाना केथून | चालान | फरियादी का भाई लुहारियों के गाड़ियों के पास बैठा हुआ | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | या मुलजिम ने कुल्हाड़ी से चोट पहुंचा कर जान से मार दिया। | पेंडिंग ट्राइल |
| 12. | कोटा | मथुरा पुत्र भैंरू कोली सा. मोही कलां | अनुसूचित जाति | 1. राम गोपाल माली सा. मोही कलां | 165/7–11–77 धारा 429, थाना सांगोद | चालान | मुलजिम ने जानबूझ कर मुस्तगीस की घोड़ी को चोट पहुंचाकर जान से मार दी। | ,, |
| 13. | ,, | रामनारायण पुत्र भैंरूलाल चमार सा. कोटड़ा | ,, | 1. चतुर्भुज 2. छीतर गूजर सा. कोटड़ा | 100/6–12–77 धारा 325/34 ता. हि. थाना बुडादीत | ,, | फरियादी के भाई को बकरियां चराते हुए मुलजिमान ने मार पीट की। | ,, |
| 14. | ,, | मोदन पुत्र रामचन्दर मीणा सा. भांगोर | ,, | 1. प्रताप मीणा<br>2. मोदन<br>3. कुम्भाराम<br>4. कंवरलाल | 5/6-1-78 धारा 307, 348, 323 थाना कनवास | जेर तफतीश | मुलजिमान के मवेशी मुस्तगीस की फसल में जाने पर मुस्तगीस के मना करने पर मारपीट की। | ,, |
| 15. | ,, | कौसल्या पत्नी नन्दलाल बैरवा, अकलेरा | ,, | 1. रहमान मुसलमान सा. अकलेरा | 5/28-1-88 धारा 376, 354 ता. हि. थाना किशनगंज | जेर तफतीश | मुलजिम ने कौसल्या के साथ जबरन बलात्कार किया। | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | कोटा | रुक्मणी पत्नी प्यारा भील सा.मोतीपुरा | अनुसूचित जाति | 1 मोहन पुत्र शंकर धकड़ | 1/1-1-78 धारा 376/ थाना नाहरगढ़ | चालान | मुलजिम ने रुक्मणी के साथ जबरन बलात्कार किया। | पेंडिंग ट्राइल |
| 17. | ,, | प्रेम पत्नी कन्हैयालाल कोली सा. शाश्ड़ी | ,, | 1. कन्हैयालाल व एक अन्य | 10/10-1-78 धारा 326 367 ता हि. थाना नयापुरा | ,, | मुलजिमान ने फरियादी को मारपीट करने की गरज से जंगल में ले गये और चाकू से नाक काट लिया। | ,, |
| 1 | बून्दी | मांगीलाल पुत्र घासी मेघवाल | ,, | 1. गोपाल<br>2. गोपी<br>3. मोहन जाट | 91/15-11-77 धारा 302 ता. हि. थाना तोलड़ा | चालान | मुलजिमान ने एकराय होकर मुस्तगीस व उसके लड़के को मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हुई। | ,, |
| 2. | ,, | प्रभु पुत्र गोपी मीणा | ,, | 1. नेणा<br>2. भंवरलाल आदि | 49/5-11-77 धारा 307, 147,148 थाना जेसप डेम | ,, | मुलजिमान ने एकराय होकर मुस्तगीस के साथ मारपीट कर घातक चोटें पहुंचाई। | ,, |
| 3. | ,, | कुम्भाराम पुत्र प्रताप मीणा | ,, | 1. हरदेवा<br>2. जवारी आदि | 128/20-11-77 धारा 435 ता. हि. थाना हिण्डोली | ,, | मुलजिमान ने मुस्तगीस की घर की कड़बी को आग लगा कर जला दी। | ,, |
| 4 | ,, | किशोर पुत्र दुल्ला बैरवा | ,, | 1. छोटेलाल गूजर | 76/8-11-77 धारा 325 थाना हडोली | ,, | मुलजिमान ने मुस्तगीस के साथ आपसी बोलचाल पर मारपीट की | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | बून्दी | रामनाथ पुत्र काना | अनुसूचित जाति | 1. मांगीलाल 2. देवला गुजरान | 5/13-11-77 धारा 335 थाना डेम | चालान | मुलजिम ने मुस्तगीस की फसल को आग लगा दी। | पेंडिंग ट्राइल |
| 6. | ,, | कालू पुत्र किसना बैरवा | ,, | 1. कजोड़ वल्द चंदर मटली | 136/27-12-77 धारा 435 थाना हिण्डोली | ,, | मुलजिम ने मुस्तगीस का ज्वार का चारा बाड़े में रखे हुए को जला दिया। | ,, |
| 7. | ,, | मोहनलाल पुत्र नारायण मीणा | ,, | 1. मोती 2. गोमदा आदि 10 व्यक्ति | 36/18-12-77 धारा 307,147,148,149 ता. हि. थाना कापरेन | ,, | मुलजिमान ने एकराय होकर मुस्तगीस को चोट पहुंचाई। | ,, |
| 1. | उदयपुर | नारू पुत्र रतन सांसी | ,, | 1. कालू 2. रामलाल आदि | 95/27-7-77 धारा 307, 326 ता. हि. थाना रेल मगरा | ,, | मुलजिमान ने मुस्तगीस व उसके लड़के को मकान से बाहर बुलाकर मारपीट की। | ,, |
| 2. | ,, | शान्तीलाल पुत्र नारिया सांसी | ,, | 1. उदेलाल 2. छगनलाल आदि 93 व्यक्ति सा. रेल मगरा | 97/27-7-77 धारा 436, 395 ता. हि. थाना रेल-मगरा | ,, | मुलजिमान द्वारा मुस्तगीस व अन्य साक्षियों के मकानों में आग लगाना व जेवरात आदि लूट कर ले जाना। | ,, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | उदयपुर | श्रीमती गठ्ठी पत्नी रामा भील | ,, | 1. राम<br>2. कालू<br>3. मोहन<br>4. उदा जाट | 101/5-8-77 धारा 307, 447,427 ता.हि. थाना रेल मगरा। | चालान ता.हि. | मुलजिमान ने मुस्तगीस के खेत पर जाकर रंजिश के कारण मारपीट की। | पेंडिग ट्राइल |
| 4. | ,, | पेमा पुत्र देवा जाति मीणा | ,, | 1. शंकरलाल महाजन | 44/19-8-77 धारा 376, 354 ता.हि. | ,, | मुस्तगीस के छोटे भाई के साथ मुलजिम ने बलात्कार किया। | ,, |
| 5. | ,, | धन्ना पुत्र मन्ना मीणा | ,, | 1. माधोसिंह पुत्र मादूसिंह राजपूत आदि | 99/22-9-77 धारा 435, ता.हि. थाना सलावर | एफ.आर. अदम सबूत | मुलजिमान द्वारा मुस्तगीस की बाड़ को जला देना व फसल को नष्ट कर देना। | ,, |
| 6. | ,, | नानूलाल पुत्र शम्भूजी मीणा | ,, | 1. टोंकी<br>2. रमेश<br>3. नियाज मोहम्मद<br>4. जसमीतसिंह आदि | 349/30-12-77 धारा 376 थाना सूरजपोल | चालान | फरियादी की पत्नी के साथ मुलजिम ने जबरदस्ती बलात्कार किया। | ,, |
| 7. | ,, | मनजी पुत्र वीरजी मीणा सा. सराड़ा | ,, | 1. सलीम<br>2. याकूब मुसलमान सा. सराड़ा | 98/26-10-77 धारा 376, 451 ता. हि. थाना सराडा | ,, | फरियादी की पत्नी के साथ मुलजिम ने बुरा काम किया | ,, |
| 1. | चित्तौड़ | छगनलाल पुत्र राजाराम कलवी | अनुसूचित जाति | 1. चम्पालाल<br>2. गोपाल दर्जी | 257/27-11-77 धारा 302 ता. हि. | एफ. आर. अदम वकू | मुस्तगीस ने रिपोर्ट की कि मुलजिम ने उधा भील को | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | थाना छोटी सादड़ी | | मारपीट की जिससे वह मर गया। | |
| 1. | भीलवाड़ा | रामा पुत्र कालू बागरिया | अनुसूचित जाति | 1. उधा<br>2. गुलाब<br>3. जगरूप<br>4. नानु जाति दरोगा | 66/27–10–77 धारा 325 ता. हि. थाना बागोर | चालान | मुलजिमान ने मुस्तगीसा की लड़की को मारपीट किया। | पेंडिंग ट्राइल |
| 2. | ,, | इसर पुत्र माना भील | ,, | 1. मालू पुत्र रूपा गूजर | 72/1–10–77 धारा 436 ता. हि. थाना गुलाबपुरा | ,, | मुस्तगीस की तीन गाड़ी कड़ब की मुलजिम ने जला दी। | ,, |
| 1. | बांसवाड़ा | धन्नाराम पुत्र रामाराम कुम्हार | ,, | 1. गोपाल<br>2. माणकलाल तेली<br>3. प्रभुलाल वल्द शंकर ब्राह्मण | 173/23–11–77 धारा 429 ता. हि. थाना कुशलगढ़ | ,, | गाय के पत्थर मारकर मुलजिमान द्वारा टांग तोड़कर गाय के चोट पहुँचाई। | ,, |
| 2. | ,, | वासू पुत्र सुलतान हरिजन सा. कुशलगढ़ | ,, | 1. अज्ञात | 160/3–11–77 धारा 429 ता. हि. थाना कुशलगढ़ | एफ.आर. अदम वकू | किसी बदमाश ने मुस्तगीस के छोरों को चूहों की दवा डालकर मार देने की सूचना दी। | ,, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | बांसबाड़ा | श्रीमती भूरी पत्नी कल्याण बलाई सा. भीमपुरा | अनुसूचित जाति | 1. तजेरा 2. देवजी पटेल सा. सिंहपुरा | 9/20–1–78 धारा 376, 456, थाना लुहारिया | चालान | मुलजिमान ने रात को मुस्तगीसा के घर का किवाड़ खोलकर उसके सोई हुई के साथ बलात्कार किया। | पैंडिग ट्राइल |
| 4. | ,, | गोतम पुत्र मंगला जाती भील | ,, | 1. छगन 2. जयचन्द ढोली सा. कोटड़ा | 9/24–1–78 धारा 325, 323 थाना माही डेम | एफ. आर. अदम वकू | मुस्तगीस के मुलजिम ने पत्थर मारकर दांत से काट-कर चोट पहुंचाई। | |
| 5. | ,, | नराला पुत्र जोडिया भील सा. ईशोवाला | ,, | 1. इशाक मोहम्मद मुसलमान | 119/15–12–77 धारा 325 थाना गढ़ी | चालान | मुलजिम द्वारा फरियादी को मारपीट कर चोट पहुँचाई। | पैंडिग ट्राइल |

# परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 178 की सूची)

गांवों की संख्या जहां पर विद्यालय नहीं है ।

| क्र.सं. | जिले का नाम | गांवों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 262 |
| 2. | अलवर | 677 |
| 3. | भरतपुर | 254 |
| 4. | जयपुर | 1079 |
| 5. | झुंझुनूं | 171 |
| 6. | सीकर | 184 |
| 7. | सवाई माधोपुर | 687 |
| 8. | टोंक | 585 |
| 9. | बीकानेर | 271 |
| 10. | चूरू | 159 |
| 11. | गंगानगर | 729 |
| 12. | बाड़मेर | 266 |
| 13. | जैसलमेर | 248 |
| 14. | जोधपुर | 92 |
| 15. | जालौर | 87 |
| 16. | सिरोही | 84 |
| 17. | नागौर | 229 |
| 18. | पाली | 178 |
| 19. | कोटा | 935 |
| 20 | बूंदी | 289 |
| 21. | झालावाड़ | 723 |
| 22. | बांसवाड़ा | 775 |
| 23. | भीलवाड़ा | 659 |
| 24. | डूंगरपुर | 323 |
| 25. | चित्तौड़गढ़ | 1224 |
| 26. | उदयपुर | 1616 |
| | योग | 12786 |

## परिशिष्ट–4

### समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

**कोटड़ा, फलासिया में हैण्ड पम्प लगाने की योजना**

182. श्री लालूदास (फलासिया): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कोटड़ा, फलासिया में वर्ष 1974–75 में 150 हैण्ड पम्प लगाने का प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इस बारे में अब राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

वर्ष 74–75 में कोटड़ा फलासिया में हैण्ड पम्प लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान के अभाव में कोटड़ा फलासिया में 1974–75 में कोई हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये।

**डी.एफ.ओ., उदयपुर का निलम्बन**

183. श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री चरणदास लोढ़ा डी.एफ.ओ., उदयपुर को तार द्वारा 22 अप्रेल, 1976 को तुरन्त प्रभावशील तिथि से निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा सेन्ट्रल सर्विस (IFS) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारी को निलम्बित करना वैधानिक था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को अवैध कटाई के आरोपों में भी निलम्बित किया गया था ?

(3) यदि हां, तो मौके पर तैनात रेन्जर को अवैध कटाई के आरोप में निलम्बित न करके डी. एफ. ओ. को ही क्यों निलम्बित किया गया ?

(4) क्या आपातकालीन अधिकारों से ग्रस्त डी. एफ. ओ. को राज्य सरकार उचित न्याय देगी ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उचित न्याय देकर सही जांच करवा कर उक्त अधिकारी को पुनः कार्य पर कब तक ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री लोढ़ा के विरुद्ध कार्यालय से अनुपस्थित रहने, राज्यादेशों की पालना न करने, झूंठे मस्टररोल बनवाने आदि अनियमितताओं का आरोप था। राज्य सरकार उसके अधीन कार्य करने वाले भारतीय सेवा के अधिकारियों को निलम्बित करने में पूर्ण रूप से सक्षम है।

(2) जी हां।

(3) मौके पर तैनात रेन्जरों को भी निलम्बित किया गया था।

(4) इसमें आपातकाल की ज्यादती का कोई प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार ने विस्तृत जांच हेतु मामला दिनांक 5-5-77 को आयुक्त, विभागीय जांच को सौंप दिया है जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा।

(160)



### बेरी आयोग तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

184. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जौहरी बाजार, जयपुर गोलीकाण्ड में बेरी आयोग ने किन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी माना था ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कब कब, क्या क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या अब किन्हीं के खिलाफ कोई कार्यवाही करना शेष है ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ, क्या क्या ?

#### उत्तर

(1) बेरी आयोग ने इस सम्बन्ध में यह सिफारिश की थी कि उन लोगों, जिन्होंने 7 मार्च, 1967 को जौहरी बाजार में गोली चलाना स्वीकार किया है, को कानून के अनुसार ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिये जो सम्बन्धित सरकार ठीक समझे।

राज्य सरकार ने बेरी आयोग की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की। समिति की सिफारिश के अनुसार श्री जे.पी. सिंहा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जयपुर के विरुद्ध विभागीय जांच की गई एवं उन्हें जांच अधिकारी की फाइंडिंग्स के अनुसार दोष मुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के 7 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया था परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से असहमति प्रकट की। अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण प्रश्न आइटम नम्बर 2 के उत्तर में है।

(2) जी हां। आर.ए.सी. के निम्न 8 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है :—

(1) श्री प्रेमसिंह, एच.सी.
(2) श्री भगवान लाल, सिपाही
(3) श्री गोपालसिंह, सिपाही
(4) श्री मुंशीराम, सिपाही
(5) श्री कानजी, सिपाही
(6) श्री रिछपालसिंह, सिपाही
(7) श्री उम्मेदसिंह, सिपाही
(8) श्री भूरसिंह, सिपाही

### पहाड़ी थाना में दर्ज मामले

185. श्री मोहम्मद जहूर (कामा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भरतपुर जिले के थाना पहाड़ी में गत 10 वर्षों में चोरी तथा मवेशी की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये, इनमें से कितनों में एफ. आर. दे दी गई और कितनों में चालान पेश हुआ और कितनों में बरामदगी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

#### उत्तर

पुलिस थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर में गत 10 वर्षों में चोरी के कुल 175 व मवेशी चोरी के 59 मुकदमे दर्ज किये गये। जिनमें से चोरी के 107 व मवेशी चोरी के 17 मुकदमात में एफ. आर. दी गई। चोरी के 67 व मवेशी चोरी के 41 मुकदमात में क्रमशः 33,825/- रुपये व 79,260/- रुपये की सम्पत्ति बरामद की जाकर चालान प्रस्तुत किये गये। चोरी का एक व मवेशी चोरी का एक मुकदमा अन्वेषणाधीन है। सूची संलग्न है।

पुलिस थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर में विगत 10 वर्षों (सन् 1967 से 1977 तक) में चोरी व मवेशी चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमात की सूची

| वर्ष | पंजीकृत कुल अभियोग | अन्तिम रिपोर्ट दी गई | चालान | चोरी गया माल | बरामद माल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | मवेशी चोरी के मुकदमात | | | | |
| 1967 | 5 | 2 | 3 | 6370/– | 6370/– |
| 1968 | 12 | 2 | 10 | 14000/– | 14000/– |
| 1969 | 3 | 1 | 2 | 4500/– | 4500/– |
| 1970 | 4 | 2 | 2 | 5400/– | 5400/– |
| 1971 | 1 | 1 | – | – | – |
| 1972 | 3 | 1 | 2 | 4000/– | 4000/– |
| 1973 | 3 | 1 | 2 | 2600/– | 2600/– |
| 1974 | 7 | 1 | 6 | 3240/– | 3246/– |
| 1975 | 4 | – | 4 | 13800/– | 12450/– |
| 1976 | 3 | – | 3 | 7500/– | 7500/– |
| 1977 | 14 | 6 | 7 | 19700/– | 19200/– |

एक अभियोग जेर तफतीश है।

पुलिस थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर में विगत 10 वर्षों (सन् 1967 से 1977 तक) में चोरी व मवेशी चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमात की सूची

| वर्ष | पंजीकृत कुल अभियोग | अन्तिम रिपोर्ट दी गई | चालान | चोरी गया माल | बरामद माल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | साधारण चोरी के मुकदमात हैं : | | | | |
| 1967 | 8 | 5 | 3 | 600/- | 600/- |
| 1968 | 9 | 4 | 5 | 6355/- | 6275/- |
| 1969 | 9 | 2 | 7 | 525/- | 525/- |
| 1970 | 11 | 6 | 5 | 1360/- | 1360/- |
| 1971 | 11 | 6 | 5 | 3620/- | 3570/- |
| 1972 | 9 | 6 | 3 | 2700/- | 2700/- |
| 1973 | 25 | 19 | 6 | 3260/- | 2430/- |
| 1974 | 15 | 9 | 6 | 4500/- | 4500/- |
| 1975 | 21 | 12 | 9 | 7000/- | 7000/- |
| 1976 | 33 | 24 | 9 | 4370/- | 1850/- |
| 1977 | 24 | 14 | 9 | 3461/- | 3015/- |
| | | | | | एक अभियोग जेर तफतीश |

# Page No. 165

165



### जालोर सायला मार्ग पर निगम की बसें

186. श्री टीकमचंद कान्त (जालोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जालोर सायला पथ पर निगम की बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं जब कि पक्की सड़क बनी हुई है साथ ही यात्रियों की संख्या के अनुपात में प्राइवेट बसों की संख्या न्यून है ?

(2) क्या यह सही है कि इस पथ का पहले भी सर्वे हो चुका है एवं पिछले वर्ष भी पुनः सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो परिवहन निगम की बसे चलाने में कौनसी बाधा उत्पन्न होती है ?

उत्तर

(1) जालोर-सायला मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है। अतः इस पर निगम की बसें नहीं चलाई जा रही हैं।

(2) जी नहीं। अभी इस मार्ग का निगम द्वारा सर्वे नहीं कराया गया है। इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर लिये जाने पर ही निगम की बसें चलाना सम्भव होगा।

### वैशाली नगर योजना व मेला विश्राम स्थल अजमेर

187. श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन एवं नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि वैशाली नगर योजना व मेला विश्राम स्थल अजमेर सन् 1975 से जलमग्न है ?

(2) उक्त दोनों योजनाओं पर कितने लाख रुपये खर्च हो चुके हैं तथा ये योजनाएं कब और किस अधिकारी द्वारा बनाई गई थी ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखे जाने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों योजनाएं तकनीकी राय के विपरीत क्रियान्वित हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों योजनाओं में बरती गई लापरवाही व धन के दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दोनों योजनाओं पर कुल रुपये 19,94,849 खर्च हो चुके हैं। उक्त दोनों योजनाओं के प्लान मुख्य नगर नियोजक द्वारा बनाये गये वैशाली नगर गृह निर्माण योजना का प्लान दिनांक 21-4-72, एवं मेला विश्राम स्थल योजना का प्लान दिनांक 5-8-72 को जारी किये गये। योजनाओं की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) इन मामलों पर राज्य सरकार विचार करेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दवाइयों का पुनर्भरण**

188. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में नियुक्त राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सहकारी उपभोक्ता भंडारों से ही खरीदी हुई दवाइयों का पुनर्भरण किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था राज्य के अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था सम्पूर्ण राजस्थान में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार जब तक सम्पूर्ण राजस्थान में ऐसी व्यवस्था एक साथ लागू नहीं हो तब तक जयपुर से इस व्यवस्था को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब से हटा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य सरकार जयपुर के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। जयपुर में नियुक्त राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा संचालित एलोपैथिक औषधियों की दुकानों से अथवा उक्त दुकानों के अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र पर एलोपैथिक औषधियों को सामान्य दुकानों से खरीदी गयी औषधियों का नियमानुसार पुनर्भरण किया जाता है। राज्य के अन्य मुख्यालयों में ऐसी व्यवस्था लागू करने हेतु राज्य सरकार विचार कर रही है।

(2) जी हां। राज्य के अन्य मुख्यालयों में जहां जहां राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड तत्परता एवं सक्षमता समझते हुए ऐसी व्यवस्था करने में सहयोग करेगा वहां उन मुख्यालयों में राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था का विस्तार करने हेतु विचार रखती है।

(3) जी नहीं। जयपुर में राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा संचालित एलोपैथिक औषधियों की दुकानों द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। अतः व्यवस्था को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

**फतेहपुर क्षेत्र में कालेज खोलने की योजना**

189. श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में क्या कोई कालेज है ? यदि हां, तो वह कौनसा है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस वर्ष वहां कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

जी हां। फतेहपुर में राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय सेठ जी. आर. चमड़िया कालेज के नाम से चल रहा है।

प्रेम केबल्स पीपलिया के श्रमिकों को सुविधाएं

190. श्री सुखलाल सेसचा (रायपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रेम केबल्स पीपलिया तहसील रायपुर जिला पाली में कितने श्रमिक कब से कार्य कर रहे हैं और इन श्रमिकों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन श्रमिकों को कितना वेतन दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि ये श्रमिक अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं और इनके अस्थायीकरण के बारे में इस फैक्ट्री के मालिकों द्वारा यह नीति अपनाई जाती है कि एक ही बाउन्डरी में स्थित रोलिंग मिल आरा मशीन व ब्राइट मैटल्स में उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है ?

(3) इन श्रमिकों की सेवाएं एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री के मालिकों द्वारा मजदूर संगठन बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है और जो मजदूर यूनियन की बात करता है उसे येन केन प्रकारेण फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री में [illegible] श्रमिक हताहत हो जाते हैं उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है ? आज तक कितने मजदूरों को किस किस के किस कारण चोटें आई ? कितनों के चोटें आने के बाद फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, उनको कितना मुआवजा दिया गया एवम् उनके कितने केस पुलिस में दर्ज हुए ? अगर पुलिस में केस दर्ज नहीं हुए तो इसके कारण क्या थे ?

(6) क्या राज्य सरकार ऐसे मजदूरों के साथ हुई घटनाओं की जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रेम केबल्स में आजकल 30 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यकाल की अवधि एवं वेतन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन श्रमिकों को नियमानुसार बोनस, प्रोविडेन्ट फण्ड तथा ग्रेच्यूटी की सुविधाएं दी जाती हैं।

(2) जी नहीं। रोलिंग मिल व आरा मशीन के श्रमिकों का ब्राइट मैटल्स में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है।

(3) श्रम कानूनों के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं की पालना देखने हेतु कारखाना निरीक्षक और श्रम निरीक्षक निरीक्षण करते रहते हैं।

(4) जी नहीं। जिन श्रमिकों की यह छँटनी की गई है उनका यह आरोप है कि उनको यूनियन बनाने की इच्छा की वजह से नौकरी से निकाला गया। इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

(5) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई परिशिष्ट में वर्णित चोट लगने पर मुआवजा श्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्ष 1974 से फरवरी, 1978 तक केवल 2 श्रमिकों के मामूली चोट लगना पाया गया है। एक श्रमिक के बिजली का झटका दिसम्बर, 74 में लगने से मामूली शारीरिक चोट आई। दूसरे श्रमिक के फरवरी, 75 में कार्य करते समय अंगुली में चोट आई।

166



(श्रम मंत्री)

चोट लगने के पश्चात् किसी श्रमिक को नौकरी से निकालने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मामूली चोट लगने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया और न ही पुलिस में केस दर्ज कराया गया।

(6) घातक दुर्घटनाओं की कारखाना निरीक्षक द्वारा जांच की जाती है।

Conductor Division Workers' List.

| S.No. | Name of the Employees | Date of entry into Service | Present Wages including D.A. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Shri Hajari Ram S/o Nathu Ram. | 18-4-77 | 234.00 |
| 2. | ,, Jeta Ram S/o Kalla Ram. | 18-4-77 | 234.00 |
| 3. | ,, Sheo Ram S/o Ratana Ram. | 1-5-77 | 234.00 |
| 4. | ,, Daula Ram S/o Gaja Ram. | 18-4-77 | 234.00 |
| 5. | ,, Chimana Ram S/o Kalla Ram. | 18-4-77 | 234.00 |
| 6. | ,, Pukna Ram S/o Cholar Ram. | 5-4-65 | 299.00 |
| 7. | ,, Hira Ram S/o Kishana Ram. | 1-6-65 | 299.00 |
| 8. | ,, Roopa Ram S/o Laxman Ram. | 18-4-77 | 234.00 |
| 9. | ,, Balu Ram S/o Bana Ram. | 27-5-65 | 299.00 |
| 10. | ,, Bhomo Ram S/o Kalu Ram. | 23-3-65 | 299.00 |
| 11. | ,, Sadul Ram S/o Daula Ram. | 19-4-77 | 234.00 |
| 12. | ,, Umed Ram S/o Tiku Ram. | 27-5-65 | 299.00 |
| 13. | ,, Ghonwai Ram S/o Kana Ram. | 25-5-65 | 299.00 |
| 14. | ,, Prabhu Ram S/o Lura Ram. | 18-3-65 | 299.00 |
| 15. | ,, Bhanwar Lal S/o Pabu Dass. | 18-3-65 | 325.00 |
| 16. | ,, Daulat Ram S/o Bhura Ram. | 1-1-76 | 325.00 |
| 17. | ,, Kishana Ram S/o Rama Ram. | 1-1-76 | 266.50 |

Rolling Division Workers' List.

| S.No. | Name of the Employees. | Date of entry into Service. | Present Wages including D.A. |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 |
| 1. | Shri Khinya Ram S/o Basa Ram. | 1-7-75 | 234.00 |
| 2. | ,, Deepa Ram S/o Nenu Ram. | 1-12-75 | 234.00 |
| 3. | ,, Tulasa Ram S/o Kalu Ram. | 1-1-76 | 234.00 |
| 4. | ,, Tulasi Dass S/o Nenu Ram. | 1-12-75 | 234.00 |
| 5. | ,, Hewa Ram S/o Mangala Ram. | 1-1-76 | 234.00 |
| 6. | ,, Shankar Bhai S/o Ramjee Bhari. | 4-12-73 | 312.50 |
| 7. | ,, Chandru Lal S/o Hema Ram. | 1-7-75 | 260.00 |
| 8. | ,, Suraja Ram S/o Chhoga Ram. | 1-12-75. | 234.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | Shri Ratana Ram S/o Pokar Ram | 1-1-76 | 234.00 |
| 10. | ,, Jai Prasad S/o Padasath Singh | 1-1-76 | 234.00 |
| 11. | ,, Pukha Ram S/o Chola Ram | 11-1-76 | 234.00 |
| 12. | ,, Ombahadur S/o Dilbahadur | 1-12-75 | 234.00 |
| 13. | ,, Pukha Ram S/o Ladu Ram | 1-2-78 | 234.00 |

### भरतपुर जिले में सिंचाई कार्य

191. श्री ताराचन्द (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में फसल के लिए सिंचाई कब और किस प्रकार नहर अथवा बांधों द्वारा की जाती है ?

(2) नहर तथा बांध द्वारा की जाने वाली सिंचाई की दरें ब्यौरे वार क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) खानुआ बांध को नदी रोक कर भरा जाता है जब कि अन्य बांधों को नहरों द्वारा पानी पहुंचता है फिर भी खानुआ बांध में सन् 1972–73 के बाद और बांधों की अपेक्षा 3.40 पैसा प्रति बीघा न लेकर 8.40 पैसा प्रति बीघा लिये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि खानुआ बांध की इस नई दर से 11 गांव पीड़ित हो रहे हैं ? जिन्होने पिछले वर्षों से राज्य सरकार का सिंचाई का लगान रोक रखा है और नहीं दे पा रहे हैं उसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इस विषय में आवेदन-पत्र मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को ग्रामीणों द्वारा दिये जा चुके हैं जिसके लिये मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 4249 दिनांक 31-8-77 को शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया है ?

### उत्तर

(1) भरतपुर जिले में फसल के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार से सिंचाई की जाती है:–

(क) वर्षाकाल में नदियों के प्रवाह को विभिन्न नहरों द्वारा मोड़कर सम्बन्धित क्षेत्र पर जल प्लावन द्वारा।

(ख) जल प्लावन हेतु बनाये गये बांधों में वर्षाकाल में एकत्र पानी को 15 सितम्बर से पूर्व नहरों द्वारा निकाल कर संबंधित क्षेत्र पर जल प्लावन द्वारा एवं इन्हीं बांधों के पेटों को इस प्रकार खाली कर पेटा काश्त हेतु उपयोग में लाना।

(ग) अन्य बांधों में एकत्रित पानी को रबी फसल हेतु विधिवत् कार्यक्रम बनाकर नहरों द्वारा छोड़ना।

(2) राजस्थान राज्य में प्रचलित सिंचाई दरों की सूची संलग्न है।

(3) नदी रोक कर बांध भरने अथवा नहरों द्वारा भरने में कोई मूल अन्तर नहीं है। दरें बांधों के निर्माण की तिथि के अनुसार लगाई जाती हैं। खानवा बांध सन् 1952 के बाद का निर्माण है अतः इस बांध से सिंचाई

(168)



(सिंचाई मंत्री)

की दरें अन्य ऐसे बांधों के समान हैं। 1952 के बाद निर्मित बांधों से जल प्लावन की पृथक् दरें निर्धारित नहीं हैं।

(4) जी हां। खानवा बांध से लाभान्वित 13 ग्रामों के काश्तकार सिंचाई शुल्क नहीं दे रहे हैं। उन्हें ऊंची दरों पर आपत्ति है।

(5) जी हां। खानवा बांध से ली जाने वाली सिंचाई की दरों का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Schedule of water rates issued vide Government Notification No. F. 18(6)Irg/66 dated 23-1-1967 and water rates amended vide Government Notification No. F. 13 (6) Irg/65 Dt. 10-3-70 & 16-6-70, No. F. 13 (6) Irg/66 Dt. 26-4-72, No. F. 13(6) Irg/73 Dt. 22-11-74, No.F. 13 (3) Irg/73 Dt. 3-12-75 and No. F. 13(4)Irg/76 dated 18-3-1976.

## SCHEDULE II

(Vide Rule 22)

Occupiers Rates

### Part I

### GENERAL PROVISIONS

1. Commencement.—The rates provided in this Schedule shall come in force from the Kharif Crop of 1966-67.

2. Meaning of spices.—Spices and oilseeds mentioned in this Schedule include the crop of Dhaniya, Methi, Haldi, Chillies, Sonf, Zeera, Ajwan, Groundnuts, Alsi, Serson, Taramera & dyes.

3. Meaning of old tanks.— Old tank means a water reservoir constructed prior to the 1st January, 1952 :

Provided that if such a tank :—

(a) was not in use and has been restored on or after the 1st January, 1952, or

(b) has received repairs on or after the 1st January, 1952 and its irrigated area before repairs was less than 10% of the total

ea irrigated after repairs, it shall be deemed to be tank made after the 1st January, 1952 for the purpose of this Schedule.

4. Resumed Jagir Tanks.—Areas irrigated from Jagir tanks resumed under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, shall be assessed at the rates provided in this Schedule.

5. Concessions discontinued.—Concessions or Muafis, if any, in irrigation charges enjoyed heretofore, shall be discontinued, unless the Collector, after hearing any person objecting to such discontinuance, and in consultation with the Executive Engineer, Irrigation concerned, decides otherwise.

6. Charges in case of fall in water below sluice level.—Where the irrigation charges are levied on the basis of crops and if the water level in a tank is below sluice level on the 15th February, then on lands which have received not less than three waterings, rates as provided in this Schedule shall be charged; and on lands which have received waterings less than three, the said rates shall be reduced by one-third in case of two watering and two-third in case of one watering. Provided that in cases where the Department cannot supply three or more waterings on reasons of public interest or shortage of water or the cultivator himself takes lesser number of waterings than three, the reduction in water rate by two-third or one-third in case of only one or two waterings respectively would be done.

7. Lift or seepage irrigation.—Where irrigation is by lift or seepage, half the rates provided in this schedule shall be charged. If the lift is done by the Government the charge will be Rs. 8/- per acre for each watering taken, subject to a minimum of Rs. 10/- per acre.

8. (1) Whenever the assessment parchas distributed to the tenants show the rent and the irrigation charges separately and the tenants have been paying both these, separate water charges at occupier's rate shall not be charged.

(2) If the holders of the assessment parchas in which the rent and the water charges have not been shown separately but the element of water rates is included in the rent rates were not paying water charges separately, in addition to the rent mentioned in the parchas prior to the commencement of the Act, they shall not be asked to pay water charges separately.

(70)



(3) The charge known as Tari Pilai shall not be levied.

| Sl. No. | Name of Crops. | Rate on (a) Gang Canal, Bhakra, Ghaggar & Rajasthan Canal (Irrigation under perennial channals) (b) Chambal Canal area & all works constructed/Improved after 1st Jan., 1952 and all works in the area of former states of Banswara, Dungarpur & Pratapgarh. | Pre-1952 Irrigation Works Except Inundation Irrigation | Inundation Irrigation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Per Acre (Rs.) | Per Acre (Rs.) | |
| 1. | Suggrcane | 40.00 | 35.00 | 15.00 |
| 2, | Rice | 28.00 | 16.00 | 7.00 |
| 3. | Cotton | 25.00 | 20.00 | 12.00 |
| 4. | Maize | 12.00 | 7.00 | 6.00 |
| 5. | Bajra | 12.00 | 7.00 | 5.00 |
| 6. | Jawar | 12.00 | 7.00 | 6.00 |
| 7. | Pulses | 15.00 | 12.00 | 9.00 |
| 8. | Garden (Per Year) | 50.00(PerYear) | 34.00 | 16.00 |
| 9. | Guwar | 15.00 | 12.00 | 7.20 |
| 10. | Simmhemp & Grass | 12.00 | 12.00 | 9.00 |
| 11. | Vegetables | 20.00 | 14.00 | 8.00 |
| 12. | Other Kharif Crops | 16.00 | 12.00 | 9.00 |
| 13. | Wheat | 21.00 | 15.00 | 9.00 |
| 14, | Barley | 15.00 | 10,00 | 7.00 |
| 15. | Ghochani & Bejar | 20.00 | 15.00 | 10.00 |
| 16. | (a) Gram (Ist watering) | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
| | (b) Gram (two & more watering) | 20.00 | 17.00 | 13.00 |
| 17. | Palewa | 6.00 | 4.00 | — |
| 18. | Fodder | 12.00 | 12.00 | 7.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Oil seeds | 16.00 | 12.00 | 9.00 |
| 20. | Water Nuts | 25.00 | 17.00 | 9.00 |
| 21. | Indigo & other dyes | 26.00 | 12.00 | 9 00 |
| 22. | Tobacco | 25.00 | 15.00 | 9.00 |
| 23. | Lucern and Poppy | 25.00 | 15.00 | 8.00 |
| 24. | Zeera | 25.00 | 13.00 | 8.00 |
| 25. | Other Crops of Rabi | 18.00 | 12.00 | 9.00 |

Non-perennial Channels Gang, Bhakra & Ghaggar & Rajasthan Canal Areas :

| | | |
|---|---|---|
| | All Kharif Crops. | Same Rates as perennial Channels in Column 3 above. |
| | All Rabi Crops. | |
| (a) | For First Watering | Palewa Rates as per column 3 above would be charged. |
| (b) | For second and subsequent watering | Full rates as applicable to perennial Channels as per column 3 above would be charged. |

**ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों को मकान किराया भत्ता**

192. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शहरों में रहने वाले अध्यापकों को हाउस रेन्ट अलाउन्स मिलता है जब कि गांव में रहने वाले अध्यापकों को हाउस रेन्ट अलाउन्स नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो यह भेद-भाव क्यों ?

(2) क्या ग्राम में रहने वाले अध्यापकों को भी हाउस रेन्ट अलाउन्स दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह मांग न्याय संगत नहीं है ?

**उत्तर**

(1) जिन शहरों तथा कस्बों की आबादी 50,000 से अधिक है उनमें हाउस रेन्ट अलाउन्स दिया जाता है। गांवों के अध्यापकों को मकान किराया न देने का कारण कोई भेदभाव नहीं है।

(2) अन्य सेवाओं तथा वित्तीय साधनों के परिपेक्ष में ही इस विषय में विचार किया जावेगा।

**प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, देवगढ़ और बरार में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति**

193. मेजर श्री फतहसिंह (भीम): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(मेजर श्री फतह सिंह)

क्या यह सही है कि देवगढ़ और बरार के (पी. एच. सी.) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में पिछले कई वर्षों से महिला चिकित्सक नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं।

केवल बरार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक नहीं है। महिला चिकित्सक उपलब्ध होते ही नियुक्त कर दी जावेगी।

### विद्युत् निरीक्षणालय की प्रयोगशाला पर व्यय की गई राशि

194. श्री समरथलाल (राजगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विद्युत् निरीक्षणालय, जयपुर की प्रयोगशाला में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई ? व किस-किस कार्य पर ?

उत्तर

विद्युत् निरीक्षणालय, राजस्थान जयपुर में प्रयोगशाला नहीं है। अतः किसी प्रकार की धनराशि खर्च करने का प्रश्न नहीं होता है।

### निदेशक की जन्म तिथि का मामला

195. श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य सरकार द्वारा सदन के गत अधिवेशन में दिनांक 30-9-77 को यह बयान, कि श्री आर. एन. भण्डारी, निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय की जन्म तिथि 1919 है, के बावजूद आज तक उन्हें सेवा निवृत्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? अब वे कब तक सेवा-निवृत्त किये जावेंगे तथा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के बाद भी राज्य कोष से वेतन इत्यादि के रूप में जो पैसा उठाया, क्या उनसे उसकी वसूली की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक की जावेगी ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

श्री भण्डारी को दिनांक 24-2-78 को राज्य सेवा से निवृत्त कर दिया है।

चूंकि श्री भण्डारी ने विधिवत् रूप से निदेशक, नियोजन विभाग का कार्य किया है अतः वसूली का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

### शास्त्री सदन छात्रावास, सांचौर

196. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति छात्रावास 'शास्त्री सदन' के भवन की विशेष मरम्मत अभी तक नहीं करवाई गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास भवन की मरम्मत हेतु छात्रावास समिति, सांचौर समाज कल्याण समिति, जालौर एवं कलेक्टर, जालौर द्वारा कई बार लिखा गया है ? अगर हां, तो अब वर्षा ऋतु से पूर्व क्या राज्य सरकार उक्त छात्रावास

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
भवन की मरम्मत करवा सकेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त छात्रावास जिला समाज कल्याण समिति, जालोर की सिफारिश के अनुसार अपने कब्जे में लेना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शास्त्री सदन छात्रावास, सांचौर के भवन, जो राजकीय है, की मरम्मत हेतु 35,000 रु. की राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाकर राशि दिनांक 31-1-78 को जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सिरोही द्वारा अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), जालोर के पास भवन मरम्मत हेतु जमा कराई जा चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक मरम्मत का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है जिसके लिये अधिशासी अभियन्ता को ताकीद कर दी गई है।

(2) जी हां। वर्षा ऋतु से पूर्व भवन मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने हेतु जिलाधीश, जालोर एवं अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), जालोर को लिखा जा चुका है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जयपुर नगर के रिक्शा चालक

197. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कुल कितने रिक्शा व रिक्शा चालक हैं ?

(2) इन रिक्शा चालकों में अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने लोग हैं ? अलग-अलग विवरण देने की कृपा करें।

(3) इन रिक्शा चालकों में कितने क्षय या दीगर संक्रामक रोगों से ग्रस्त हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इन रिक्शा चालकों को स्वचालित एंजिन देने का विचार रखती है ? क्या राज्य सरकार इनके कल्याण व सुरक्षा के प्रति जागरूक है ? यदि हां, तो विवरण दें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर में नगर परिषद् द्वारा पंजीकृत रिक्शा व रिक्शा चालकों की संख्या 2872 हैं।

(2) इन रिक्शा चालकों में से अल्पसंख्यक 1405, अनुसूचित जाति के 188 तथा जन जाति के 43 लोग हैं।

(3) नगर परिषद्, जयपुर के कार्यालय में किसी भी अनुज्ञापित चालक के क्षय या दीगर संक्रामक रोग से ग्रसित होने की शिकायत नहीं है। रिक्शा चालक अनुज्ञापत्र केवल उसी चालक को दिया जाता है जो यह घोषणा प्रमाणीकृत करता है कि यह किसी भी संक्रामक रोग, क्षय रोग से ग्रस्त नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जी नहीं। जहां तक रिक्शा चालकों के कल्याण व सुरक्षा का प्रश्न है राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण जागरूक है। राज्य सरकार ने साइकिल रिक्शाओं में स्वचालित यंत्र लगाने को प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से मोटर वाहन अधिनियम, 1939, राजस्थान मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 एवं राजस्थान यात्री तथा मालकर अधिनियम, 1959 के प्रावधानों में विभिन्न प्रकार की छूट दी है।

अजान कैनाल के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

198. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भरतपुर में अजान कैनाल, जो कि करीब 8–10 वर्ष पूर्व बनी है, उसमें जिन-जिन व्यक्तियों की भूमि आई है, उनमें से कितने व्यक्तियों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक उपरोक्त किसानों को जमीन का मुआवजा दिला दिया जावेगा?

उत्तर

अजान नहर से सम्बन्धित केवल एक व्यक्ति श्री प्रेम निधि शास्त्री का रु. 8800/- का एक मुआवजा केस विचाराधीन है। इस मुआवजे का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जावेगा।

पत्ता तेन्दू की खरीद में भ्रष्टाचार

199. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आज से 2-3 वर्ष पूर्व पत्ता तेन्दू के व्यापारियों से झालावाड़ के डी.एफ.ओ., असि. डी.एफ.ओ. एव कलेक्टर, कोटा के विरुद्ध 4.20 रु. प्रति बोरा रिश्वत लेने की शिकायत पर भ्रष्टाचार विभाग की कोटा शाखा ने जांच की थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि दोषी अधिकारियों को राजनैतिक प्रभाव के आधार पर मुक्त कर दिया गया और भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपी गई और वहां की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। क्योंकि विभागीय जांच लम्बित है अत: इस स्टेज पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखना जन हित में नहीं होगा।

(2) जी नहीं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कार्मिक विभाग द्वारा प्रारम्भ की जा चुकी है।

ग्राम लूणदा में गुंडा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

200. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला उदयपुर ग्राम लूणदा में कितने व्यक्तियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के अन्तर्गत कितनी बार क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

जिला उदयपुर के ग्राम लूणदा में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना कानोड़ द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत एक-एक बार इस्तगासे प्रस्तुत किए गये। अदालत द्वारा दोनों मुकदमों में दिनांक 4-8-77 को कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

चोर बावड़ी कटेवा से सिंचाई की योजना

201. श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चोर बावड़ी कटेवा पंचायत समिति, मांडल पर राज्य सरकार की काफी धन राशि लगी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है इस योजना के पूर्ण होने पर काफी भूमि सिंचित होगी ? अगर हां, तो इसको पूर्ण करवाने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

चोर बावड़ी कटेवा बांध कार्य पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 तक रुपये 1.59 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(2) जी हां।

बांध के पूरा होने पर 168 एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यह अकाल राहत कार्य क्रम का अपूर्ण कार्य है। आगामी वर्ष 1978-79 में ऐसे अन्य अपूर्ण कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध होने पर इस कार्य को पूरा करने पर भी विचार किया जावेगा।

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर

202. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर के इन्चार्ज द्वारा उनकी मर्जी के व भरतपुर वन मण्डल या सम्बन्धित सर्कल के ही वन अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

(3) क्या ऐसा भी कोई नियम है कि वनपाल व वन रक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए परीक्षक केवल वे ही अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो देहरादून से रेन्जर का प्रशिक्षण लिए हुए हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

राष्ट्रीयकृत मार्गों को निश्चित करने का आधार

203. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राष्ट्रीयकृत मार्गों को निश्चित करने के लिए राज्य सरकार सड़कों की हालत पर विचार करके निर्णय लेती है या किसी अधिकारी विशेष के मात्र प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लेती है ?

(2) यदि सड़कों की अवस्था को ध्यान में रखकर ही उनका निर्णय किया जाता है तो कुशलगढ़-नारायणपुर रोड, थानागाजी–अजबगढ़–दौसा रोड तथा अलवर-सरिसका-टहला-दौसा रोड की हालत के बारे में राज्य सरकार के पास किस प्रकार के आंकड़े हैं ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीयकरण हेतु मार्गों का चयन मुख्यतया यात्रियों को सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने तथा मार्ग के लाभप्रद होने को ध्यान में रखकर किया जाता है । यह निर्णय लेते समय सड़कों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(2) प्रश्न नहीं पैदा होता ।

आंगन बाड़ियों में काम करने वाली लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार

204. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन के बांसवाड़ा जिले में आंगन बाड़ियों में काम करने वाली लड़कियों के साथ अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इन आंगन बाड़ियों का संचालन करने के लिये सुपरवाइजर की भी कमी है?

उत्तर

(1) जी हां । इस संबंध में पूर्व में ही शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई थी । इस जांच में जो आरोप प्रथम दृष्टि में बने हैं उनके अनुसार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ।

(2) जी नहीं । इस योजना में सुपरवाइजरों के 5 पद हैं जिन पर नियमित नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है । जो कर्मचारी अवकाश पर हैं और बिना पूर्व स्वीकृति के चले गये हैं, व जिनका कार्य ठीक नहीं है, उनको हटाया जाकर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

स्वास्थ्य यातायात संगठन

206. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कुल कितनी जीपें, कार, ट्रक, एम्बुलेन्सेज आदि हैं ? कुल कितनी गाड़ियां खराब पड़ी हैं और कितनी चालू हालत में हैं ? कितनी गाड़ियां कण्डम कितने कितने समय से पड़ी हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

(2) स्वास्थ्य यातायात संगठन का कुल खर्चा कितना है और वर्क आउटपुट कितना है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) स्वास्थ्य यातायात संगठन का अप्रेल,74 से फरवरी, 1978 तक वर्षवारा कुल व्यय इस प्रकार है :–

| | |
|---|---|
| वर्ष 74–75 | 4,74,053 रु. |
| वर्ष 75–76 | 5,08,489 रु. |
| वर्ष 76–77 | 4,84,128 रु. |
| वर्ष 77–78 | 4,73,000 रु. |
| कुल खर्चा:– | 19,39,670 रु. |

स्वास्थ्य यातायात संगठन के जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में उपरोक्त अवधि में कुल 514 वाहनों की मरम्मत की, इनमें मोबाइल टीमों द्वारा जिले में मरम्मत की गई वाहनों की संख्या सम्मिलित नहीं है ।

## वाहनों की सूची

| क. सं. | कार्यक्रम | वाहन की कुल संख्या | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जीप तथा एफ. सी. | कारें | ट्रक | एम्बुलेन्स | मोटर साइकल | कुल योग | चालू हालत में वाहनों की संख्या | ख़राब पडी वाहनों की संख्या | खारिज वाहनों की संख्या | विशेष विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | प्रा. स्वा. केन्द्रों पर यूनिसेफ द्वारा | 179 | — | — | — | — | 179 | 125 | — | 54 | — |
| 2. | प्रा. स्वा केन्द्रों पर प. क. की वाहनें | 166 | — | — | — | — | 166 | 80 | 71 | 2 | |
| 3. | बी. सी. जी./टी. बी. | 60 | — | — | — | — | 60 | 45 | — | 15 | — |
| 4. | एन. एस. ई. पी. | 49 | — | 1 | — | 23 | 73 | 48 | — | 25 | — |
| 5. | एन. एम. ई. पी. | 150 | — | — | — | — | 150 | 96 | — | 54 | — |
| 6. | परिवार कल्याण कार्यक्रम | 106 | 22 | — | — | — | 128 | 67 | — | 9 | — |
| 7. | राज्य स्वास्थ्य यातायात संगठन | 7 | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — |
| 8. | अन्य कार्यक्रम जैसे ट्रकोमा/पोषाहार/ट्रेनिंग | 62 | — | — | — | — | 62 | 37 | — | 25 | — |
| 9. | स्वास्थ्य प्रशासन (ग्रामीण स्वा.) को प्रबल करना | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
| 10. | प्रयोगात्मक दो पहियों के वाहन | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| 11. | रोगी वाहन | — | — | — | 50 | — | 50 | 30 | — | 20 | — |
| 12. | मेडिकल कालेजेज | 51 | 2 | 1 | 28 | — | 82 | 48 | 9 | 8 | — |
| 13. | भ्रमण शील शल्य चिकित्सा इकाई | 6 | — | 10 | 1 | — | 17 | 13 | 4 | — | — |
| | योग | 837 | 25 | 12 | 79 | 29 | 982 | 604 | 84 | 212 | — |

# Page No. 181

(179)



आर्य टाकीज, सूरतगढ़ की तरफ गृह कर की बकाया राशि

207. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या आर्य टाकीज, सूरतगढ़ की तरफ गृह कर की बकाया राशि है ? अगर हां, तो कितनी ?

उत्तर

जी हां। गृह कर की 16,200/- रुपये की राशि बकाया है।

राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के आफिस

208. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के आफिस सब जिला केन्द्र पर हैं ?

(2) राज्य के जिन जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का आफिस नहीं है क्या राज्य सरकार यह सोचती है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है या वहां इसकी छूट है ?

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में केस दर्ज करते ही जांच कार्य प्रारम्भ करने पर क्या आपत्ति है ? झूठा केस दर्ज करने पर सजा या जुर्माना की व्यवस्था की जाने पर क्या राज्य सरकार विचार करेगी ?

(4) उचित समय के अन्दर काम नहीं कर परेशान कर पैसा लेना भ्रष्टाचार विभाग की जांच परिधि में रखने पर क्या राज्य सरकार विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जिन जिला मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कार्यालय नहीं हैं वे जिले उक्त विभाग के अन्य जिला मुख्यालयों पर स्थित कार्यालयों के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में केस दर्ज होते ही अनुसंधान कार्य निश्चित रूप से आरम्भ कर दिया जाता है। जहां तक झूठा केस दर्ज करवाने पर सजा या जुर्माने की व्यवस्था का सवाल है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का भारतीय दण्ड संहिता में प्रावधान है और उसके अनुसार दफा 182 के अन्तर्गत झूठी रिपोर्ट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है।

(4) जहां तक देरी कर, परेशान कर पैसा लेने का प्रश्न है वह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के क्षेत्र में आता है और ऐसे केसेज में विभाग कार्यवाही करता है।

(180)



परिशिष्ट–5

परिशिष्ट 1(अ)

(तारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूचना)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF ROTARY FROM APRIL TO JANUARY, 1978.

| S. No. | Unit No. | Achievement in metres | Target in metres | Deviation in metres |
|---|---|---|---|---|
| JODHPUR CIRCLE : | | | | |
| 1. | R-2 | 689 | 1000 | 311 |
| 2. | R-3 | 522 | 1000 | 478 |
| 3. | R-5 | 990 | 1000 | 10 |
| 4. | R-15 | 694 | 1000 | 406 |
| 5. | R-7 | 911 | 1000 | 89 |
| 6. | R-8 | 835 | 1000 | 165 |
| 7. | R-17 | 888 | 1000 | 112 |
| 8. | R-20 | 577 | 1000 | 423 |
| 9. | R-12 | 756 | 1000 | 244 |
| | Total | 6862 | 9000 | 2138 |
| JAIPUR CIRCLE : | | | | |
| 1. | R-10 | 1005 | 1000 | 5 |
| 2. | R-18 | 469 | 1000 | 531 |
| | Total | 1474 | 2000 | 536 |
| PROJECT CIRCLE : | | | | |
| 1. | R-19 | 332 | 1000 | 668 |
| 2. | R-13 | 275 | 1000 | 725 |
| | Total | 607 | 2000 | 1393 |
| | GRAND Total : | 8943 | 13000 | 405769% |

Note :—One imported R-4 Rotary rig is under repair since April, 1977 for non availability of required parts in the country.

(181)



परिशिष्ट 1(ब)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF PERCUSSION DRILLING RIGS FROM APRIL TO JANUARY, 1968.

| S. No. | Unit No. | Achievement in metres | Target in metres | Deviation in metres |
|---|---|---|---|---|
| **JODHPUR CIRCLE :** | | | | |
| 1. | P-1 | 77 | 380 | 303 |
| 2. | P-23 | 90 | 380 | 290 |
| 3. | P-6 | 164 | 380 | 216 |
| 4. | P-12* | 84 | 304 | 220 |
| 5. | P-13* | 25 | 304 | 279 |
| 6. | P-3 | 163 | 380 | 217 |
| 7. | P-25 | 172 | 380 | 208 |
| 8. | P-27 | 305 | 380 | 75 |
| 9. | P-28 | 94 | 380 | 286 |
| 10. | P-4 | 274 | 380 | 286 |
| 11. | P-7 | 51 | 380 | 329 |
| 12. | P-20 | 163 | 380 | 217 |
| 13. | P-5 | 80 | 380 | 300 |
| 14. | P-19 | 218 | 380 | 162 |
| 15. | P-29 | 341 | 380 | 39 |
| | Total | 2300 | 5548 | 3248 |
| **JAIPUR CIRCLE :** | | | | |
| 1. | P-2 | 238 | 380 | 142 |
| 2. | P-17 | 176 | 380 | 204 |
| 3. | P-22 | 67 | 380 | 313 |
| 4. | P-24 | 95 | 380 | 285 |
| | Grand Total | 2,876 | 7068 | 4192=40% |

*Units under surrender from the month of December, 77 due uneconomical operations.

182



परिशिष्ट 1 (स)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF AIR DRILL UNITS FROM JANUARY, 1978.

| S. No. | Unit No | Achievement in metres | Target in metres | Deviation in metres |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schramm-I | 4475 | 5000 | 525 |
| 2. | Schramm-II | 1256 | 5000 | 3744 |
| 3. | L & T-I | 913 | 2000 | 1087 |
| 4. | L & T-II | 786 | 2000 | 1214 |
| 5. | L & T-III | 1219 | 2000 | 781 |
| 6. | L & T-IV | 725 | 2000 | 1275 |
| 7. | I/R | 1465 | 2000 | 535 |
| 8. | H.T. | 3001 | 2000 (*) | 1001 |
| 9. | A.T.-I | 836 | 2000 | 1164 |
| 10. | A.T.-II | 1037 | 2000 | 963 |
| 11. | A.T.-III | 1012 | 2000 | 988 |
| 12. | A.T.-IV | 1151 | 2000 | 849 |
| 13. | A.T.-V | 1084 | 2000 | 916 |
| 14. | A.T.-VI | 1563 | 2000 | 437 |
| 15. | H.M.-2 | 455 | 2000 | 1545 |
| 16. | H.M.-3 | 1357 | 2000 | 643 |
| 17. | H.M.-5 | 1069 | 2000 | 931 |
| 18. | H.M.-6 | 162 | 2000 | 1838 |
| 19. | H.M.-7 | 759 | 2000 | 1241 |
| 20. | Clill-II | Nil | 2000 | 2000 |
| 21. | Clill-I | Nil | 2000 | 2000 |
| 22. | H.M.-4 | 1385 | 2000 | 615 |
| | Total | 25710 | 50000 | 24290 51% |

परिशिष्ट–2

निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने के कारण

(1) उपरोक्त रिगों की कुछ आवश्यक सामग्री जैसे बिट, स्टेम, जार एवं तत्सम्बन्धित कल पुर्जे वर्तमान में या तो देश में उपलब्ध नहीं हैं और यदि हैं, तो भी पर्याप्त स्तर के नहीं हैं।

(2) विभाग की एयर ड्रिलिंग रिगें केवल जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग की विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं तथा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषक समूहों को बेचे जाने वाले नलकूपों के निर्माण पर प्रयोग की जाती हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वेधन कार्य की प्रगति विभिन्न बातों पर जैसे धन राशि की उपलब्धि, कृषकों को बैंकों द्वारा ऋण को स्वीकृति आदि बातों पर निर्भर करती है। इन व्यवधानों के उत्पन्न हो जाने की दशा में रिगों के बिना कार्य करने के कारण नलकूप निर्माण की प्रगति पर बाधा पड़ती है।

(3) राज्य सरकार के आदेशानुसार, सूखा संभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस विभाग को प्रदत्त श्रम एयर ड्रिलिंग रिगें केवल जोधपुर व नागौर जिलों में केवल कृषकों के नलकूप निर्माण हेतु उपयोग में लाई जा सकती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में मांग उपलब्ध न होने पर तथा कृषकों के नलकूप निर्माण आवेदन-पत्र में विभिन्न विभागों, भू-जल विभाग, जिला विकास अभिकरण, विद्युत्-मण्डल, बैंक आदि द्वारा की कार्यवाहियों में पर्याप्त समय लग जाता है। अतः ऐसे समय में उपरोक्त रिग अकार्यशील रहती है।

(4) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के लिए नलकूप बनाने हेतु जो रिगें कार्य में लाई जाती हैं उन्हें पूर्व में ऐसे स्थानों पर नल कूप निर्माण हेतु रिगों को काम में लाया जाता था जो यातायात की दृष्टि से सुगम तथा वेधन की दृष्टि से नरम चट्टानों वाले क्षेत्र थे। अब ऐसे स्थानों पर कार्य पूर्ण हो जाने पर विभागीय रिगों को दुर्गम, आन्तरिक तथा चट्टानों वाले क्षेत्रों में नलकूप निर्माण हेतु भेजा जा रहा है। उपरोक्त दशा में रिगों के यातायात तथा कार्यरत अवस्था में होने वाली अधिकांश टूट-फूट तथा दुर्घटनाओं के निराकरण एवं मरम्मत में काफी समय व्यतीत हो जाता है जिसका शीघ्र प्रभाव कार्य की प्रगति पर पड़ता है।